स्वतंत्रता संघर्ष में जौनपुर जनपद की भूमिका

(The Role of Jaunpur District in Freedom Struggle)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

की

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

शोधकर्त्ता

प्रवीण कुमार सिंह

निर्देशक

डॉ० डी० पी० घोष

राजनीति विज्ञान विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

राजनीति विज्ञान विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

दिसम्बर 1993

डॉ० डी० पी० घोष

राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

दिनांक : [illegible]

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **श्री प्रवीण कुमार सिंह,** शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ने **"स्वतंत्रता संघर्ष में जौनपुर जनपद की भूमिका"** विषय पर **डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी** उपाधि हेतु अपना शोध-प्रबन्ध मेरे निर्देशन में विश्वविद्यालय के नियमानुसार पूर्ण किया है । इनके द्वारा किये गये अनुसंधान का प्रारूप एवं निष्कर्ष इनके व्यक्तिगत अनुशीलन एवं परिश्रम पर आधारित है तथा पूर्णतया मौलिक है ।

(डॉ. डी. पी. घोष)
निर्देशक.

आमुख

भारत के स्वाधीनता संघर्ष में जौनपुर जनपद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । इस जनपद की कार्य पद्धति, विप्लववादी दर्शन तथा रीति-नीति ने पड़ोसी जनपदों को भी प्रभावित किया । जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे जागरूक जनपदों में से एक था, इस कारण इस जनपद में राष्ट्रीय जागरण के विस्तृत विवेचन से स्वतंत्रता संघर्ष के स्वरूप को प्रस्तुत करना ही हमारा अभीष्ट है । प्रस्तुत अध्ययन के लिए जौनपुर को इसलिए चुना गया है कि तुलनात्मक रूप से अभी तक इस जनपद के योगदान का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं हो पाया है ।

हमारा लगातार यह प्रयास रहा है कि स्वतंत्रता संघर्ष को केवल सरकारी दस्तावेजों के माध्यम से नहीं अपितु अन्य सभी उपलब्ध माध्यमों से प्रस्तुत किया जाय । इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जहाँ एक ओर राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ में संग्रहित सरकारी दस्तावेजों, फाइलों, रिपोर्टों आदि का यथासम्भव पूरा अध्ययन किया गया है, वहीं दूसरी ओर इस सामग्री का तुलनात्मक विवेचन करने के लिए राष्ट्रीय नेताओं के निजी प्रपत्रों, उनके भषणों, वक्तव्यों तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी की फाइलों की ओर भी समुचित ध्यान दिया गया है ।

युगीन घटनाओं का सबसे अच्छा दर्पण तत्कालीन समाचार पत्र और पत्रिकाएँ होती हैं । भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान इनका और भी महत्व था, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष को चित्रित करने में राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने अनेक कड़े प्रतिबन्धों के बावजूद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । हमारा यह प्रयास रहा है कि स्वतंत्रता आन्दोलन का इन स्रोतों के माध्यम से अध्ययन किया जाय।

प्रस्तुत शोधकार्य का **प्रथम अध्याय** परिचयात्मक है जिसमें जौनपुर जनपद का भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक परिचय प्रस्तुत किया गया है । **द्वितीय अध्याय** में सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में जौनपुर जनपद की महत्वपूर्ण भूमिका का विस्तार से वर्णन किया गया है । **तृतीय अध्याय** में खिलाफत आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन तथा किसान आन्दोलन

में जौनपुर जनपद की भूमिका का सूक्ष्म अध्ययन कर इन आन्दोलनों में जौनपुर की सक्रिय भागीदारी को रेखांकित किया गया है ।

चतुर्थ अध्याय में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में जौनपुर जनपद की भूमिका का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है । इस अध्याय में यह चित्रित किया गया है कि कितने उत्साह के साथ तथा गिरफ्तारी के भय से मुक्त होकर, जौनपुर के लोगों ने नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा नमक कानून को तोड़ा । सविनय अवज्ञा आन्दोलन के अन्य कार्यक्रमों, जैसे - विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों पर धरना, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने तथा खादी केप्रचार एवं प्रसार आदि में भी जौनपुर जनपद की सक्रिय भागीदारी को दर्शाया गया है ।

पञ्चम अध्याय में सविनय अवज्ञा आन्दोलन की समाप्ति के बाद आई राजनैतिक शिथिलता से व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन तक जौनपुर जनपद की भूमिका का वर्णन किया गया है। **षष्ठ अध्याय** में भारत छोड़ो आन्दोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक जौनपुर जनपद की सक्रिय एवं योगदान का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है । **सप्तम अध्याय** में उपसंहार प्रस्तुत किया गया है ।

इस अध्ययन में हमारा प्रयास यही रहा है कि सभी प्रकार के ऐतिहासिक स्रोतों का समुचित अध्ययन किया जाय । मेरे अध्ययन की सामग्री तत्कालीन मौलिक साधन हैं, इसके अतिरिक्त जो भी सम्बन्धित सामग्री मिली है उसे समाहित करने का प्रयास किया गया है, साथ ही साथ व्यक्तियों, दलों एवं सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में मेरा दृष्टिकोण निष्पक्ष रहा है । प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में ऐतिहासिक, गवेषणात्मक व विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का आश्रय लिया गया है ।

शोध कार्य में राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेखों, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन पर लिखित विभिन्न विद्वानों के ग्रन्थों, सरकारी कार्यालय के रिकार्डों तथा जौनपुर जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साक्षात्कार लेकर शोध सामग्री का संकलन किया गया है तथा संकलित सामग्री के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में जौनपुर जनपद की भूमिका काविवरण प्रस्तुत किया गया है । यह शोध कार्य भारतीय आन्दोलन के क्षेत्र में एक नवीन शोध होगा तथा एक राष्ट्रीय महत्व का

शोध कार्य होगा । शोध अवधि में मुझे राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली; नेहरु मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी, नई दिल्ली ; राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ; क्षेत्रीय अभिलेखागार, इलाहाबाद तथा केन्द्रीय ग्रन्थालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों ने जिस तत्परता से सहायता प्रदानकी उसके लिए मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ ।

शोध कार्य के शीघ्र समापन में मेरे माता-पिता का प्रोत्साहन मेरे लिए प्रेरणादायक रहा । मेरे दोनों अनुजों श्री नवीन कुमार सिंह एवं श्री विनीत कुमार सिंह भी मुझे सदैव प्रोत्साहित करते रहे । अपने पारिवारिक स्वजनों के प्रति शब्दों में आभार व्यक्त करना मात्र औपचारिकता होगी । मेरे मित्रों में डॉ. प्रमोद कुमार सिंह, डॉ. विनोद कुमार सिंह तथा डॉ. राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने मुझे शोध कार्य के समापन में समय-समय पर जो सहायता प्रदान की , उसके लिए मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ ।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को उचित स्वरूप देने के लिए मैं डॉ. डी.पी. घोष, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति आभार व्यक्त करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ, उनके विद्वतापूर्ण निर्देशन के कारण ही मुझे सही दिशा में शोध कार्य सम्पादित करने में सफलता मिली । शोध के समय उनके असीम स्नेह एवं प्रेम से प्रेरणा पाकर ही मैं प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को पूरा कर सका ।

प्रो. यू.के. तिवारी, विभागाध्यक्ष , राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे समय-समय पर इस कार्य की पूर्ति के लिए बराबर प्रोत्साहित करते रहे । डॉ. के. सी. जोशी के प्रति मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध उनकी प्रेरणा एवं सतत् निर्देशन का वस्तुतः मूर्तरूप है । मैं विभाग के समस्त गुरुजनों का भी आभारी हूँ जिन्होंने शोध-प्रबन्ध में समय-समय पर सहयोग दिया । श्री शिव प्रसाद सिंह , प्रवक्ता, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने शोध कार्य में मेरी हर सम्भव सहायता की । डॉ. रघुवीर सिंह 'तोमर' , प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग, काशी विद्यापीठ, को भी सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ ।

श्री सर्व देव सिंह, प्रबन्धक, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी , जौनपुर का मैं अत्यन्त ही आभारी हूँ जिनके पूर्ण सहयोग से ही मैं यह शोध कार्य पूरा कर सका । शोध-प्रबन्ध के कलेवर में परिष्कार के लिए मैं डॉ. रुद्र प्रताप सिंह, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर का मैं विशेष कृतज्ञ हूँ, जिनके सुझावों से कार्य सम्पादन को संबल मिला ।

अन्त में प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के टंकणकर्ता श्री देवेन्द्र कुमार सिंह (शिवम् टंकणालय, मानस मन्दिर, वाराणसी) भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने शीघ्रता से सुन्दर एवं शुद्ध टंकण कार्य सम्पन्न किया ।

दिनांक : 9 दिसम्बर, 1993. **(प्रवीण कुमार सिंह)**

राजनीति विज्ञान विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद .

विषयानुक्रमणिका

पृष्ठ-संख्या

प्रथम अध्याय

परिचयात्मक

परिचयात्मक

भौगोलिक तथा धरातलीय रचना

स्थिति, सीमा और क्षेत्रफल

जौनपुर जनपद उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है । वर्तमान समय में यह वाराणसी मण्डल में है । जौनपुर मण्डलीय मुख्यालय वाराणसी से 61 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर-पश्चिम में स्थित है । भौगोलिक दृष्टि से जौनपुर जनपद 25.24 और 26.12 उत्तरी अक्षांश तथा 82.7 और 83.5 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है । जिले की लम्बाई उत्तर से दक्षिण 85 किलोमीटर तथा चौड़ाई पश्चिम से पूर्व 90 किलोमीटर है । जौनपुर जिले की सीमा पूर्व में गाजीपुर और आजमगढ़ , पश्चिम में प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, उत्तर में सुल्तानपुर तथा दक्षिण में वाराणसी और मिर्जापुर जिले की सीमाओं को स्पर्श करती है। इस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 4038 वर्ग किलोमीटर है जो प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.4 प्रतिशत है । समुद्र तल से इसकी औसत ऊँचाई 268 फीट है ।[1]

प्राकृतिक संरचना

जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग प्रायः समतल है । जनपद में छोटी-बड़ी कुल 5 नदियाँ हैं । गोमती प्रमुख नदी है । अन्य 4 नदियाँ सई, बसुही, पीली तथा बरना हैं । ये नदियाँ ही धरातलीय विभाजन करती हैं । प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से जनपद को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम भाग गोमती नदी के उत्तर-पूर्व का भाग है, जिसका धरातल नीचा है तथा बीच-बीच में ऊसर के भू-खण्ड हैं ।[2] अन्य भागों की अपेक्षा यह भाग विस्तार में बड़ा,

---

1. **जौनपुर : एक भौगोलिक अध्ययन**, सूचना विभाग, जौनपुर द्वारा प्रकाशित, पृ. 6.

धरातल नीचा तथा कम उपजाऊ है । यह गोमती नदी के उत्तर में सुल्तानपुर की सीमा से दक्षिण-पूर्व में गाजीपुर की सीमा तक फैला है । कम ढाल और धरातल नीचा होने से बरसात में पानी चारों तरफ लग जाता है । इसी क्षेत्र में शाहगंज का लवाइन, गुजरा, केराकत का पेसारा, जौनपुर का अरें-बरें और जमुहाई ताल स्थित है । इस भाग में धान की फसल विशेष रूप से अधिक होती है ।[3] दूसरा भाग गोमती व सई नदियों के मध्य का है । इस क्षेत्र में दोमट मिट्टी पाई जाती है जो अधिक उपजाऊ है । गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू, मक्का, गन्ना, ज्वार एवं बाजरा अधिक होता है । तीसरा भाग सई व बसुही नदी के बीच का है । इस क्षेत्र में मटियार मिट्टी पाई जाती है तथा छोटे-छोटे बहुत से ताल पाए जाते हैं । अधिकांश भूमि उपजाऊ है । इस क्षेत्र में ताल अधिक होने से रबी की फसल, गन्ना एवं धान की पैदावार अच्छी होती है । चौथा भाग बसुही व बरना के बीच का है । यह अन्य भागों की अपेक्षा बहुत छोटा है । इस भाग में अधिक ऊँची-नीची भूमि पाई जाती है । कहीं-कहीं कंकरीली जमीन भी दिखाई पड़ती है । इस भाग में छोटे-छोटे ताल अधिक हैं तथा दोमट मिट्टी पाई जाती है लेकिन यह भाग कम उपजाऊ है । गेहूँ और जौ की फसल अधिक होती है ।[4]

नदियाँ और झीलें

जौनपुर जनपद में 5 मुख्य नदियाँ हैं ।

1. गोमती नदी

गोमती जौनपुर जनपद की मुख्य नदी है । गोमती को इस जनपद की जीवन-रेखा कहना उपयुक्त है । इस जनपद के भू-भाग को उर्वर एवं समृद्ध बनाने तथा इस जनपद को सांस्कृतिक गौरव प्राप्त करने में इस नदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । यह नदी जिला पीलीभीत के गोमत ताल से निकली है और अवध के खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी और सुल्तानपुर जिले से होती हुई शाहगंज तहसील के चांदा में प्रवेश करती है । पहले पूर्व फिर

---

3. राजेश कुमार, **आदर्श भूगोल , जौनपुर**, पृ. 6.

4. **जौनपुर : एक भौगोलिक अध्ययन**, सूचना विभाग, जौनपुर , पृ. 6.

दक्षिण और आलमगीर के निकट दक्षिण-पूर्व की ओर बहती हुई ग्राम जमइथा के निकट फिर दक्षिण बहनें लगती है । केराकत होते हुए इस जिले में 86 मील बहकर गाजीपुर में सैदपुर के निकट गंगा में गिर जाती है ।[5] जौनपुर शहर के बीचोबीच बहती हुई गोमती नदी शहर को दो भागों में बाँट देती है । इसकी सहायक नदियाँ पीली और सई हैं ।[6]

2. सई नदी

जौनपुर जिले की सई नदी दूसरी बड़ी नदी है । यह नदी हरदोई जिले की एक झील से निकलकर लखनऊ को उन्नाव से विभाजित करती हुई रायबरेली, प्रतापगढ़ से होती हुई जौनपुर में गड़वारा में प्रवेश करती है ; फिर खपरहा जौनपुर और मड़ियाहूँ से होती हुई केराकत तहसील के राजेपुर गाँव के पास गोमती में मिलती है ।[7]

3. बसुही नदी

बसुही नदी मछली शहर तहसील के करनौली ताल से निकलती है । मछली शहर एवं मड़ियाहूँ तहसील से होते हुए वाराणसी की सीमा पर वरुणा नदी में मिल जाती है ।[8]

4. बरना नदी

यह नदी इलाहाबाद के मेलाहन झील से निकलती हुई जौनपुर होते हुए वाराणसी में आकर गंगा नदी में मिल जाती है ।[9]

---

5. राजदेव दूबे एवं प्रमोद कुमार सिंह , **जौनपुर का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक व्यक्तित्व,** पृ. 6 - 7.
6. राजेश कुमार, **आदर्श भूगोल, जौनपुर,** पृ. 8.
7. राजदेव दूबे एवं प्रमोद कुमार सिंह , **जौनपुर का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक व्यक्तित्व,** पृ.7.
8. राजेश कुमार, **आदर्श भूगोल, जौनपुर,** पृ. 8.
9. **वही,** पृ. 9.

5. पीली नदी

यह नदी सुल्तानपुर के एक झील से निकल कर प्रतापगढ़ में बहती हुई जौनपुर के पश्चिम भाग में बहती है । तमूरा और लविया इसकी सहायक नदियाँ हैं । यह नदी दरियाबगंज के पास गोमती नदी में मिल जाती है ।

जिले की सभी नदियों का बहाव उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है ।[10]

झीलें

जौनपुर जिले में 11 झीलें हैं ।

1. जौनपुर तहसील	:	1.	जमुहाई
		2.	अर्रे-बर्रे
2. मछलीशहर तहसील	:	1.	करनौली
		2.	चितॉव
		3.	सरायभोगी
3. मड़ियाहूँ तहसील	:	1.	जमुआ
		2.	दोहावर
4. शाहगंज तहसील	:	1.	गुजरा
		2.	लवाइन
5. केराकत	:	1.	पेसारा
		2.	खोसीपुर ।

जनपद में दहीरपुर और पचहटिया दो प्रसिद्ध नाले हैं जिनसे शहर का गन्दा पानी गोमती नदी में पहुँचता है ।[11]

---

10. राजेश कुमार, **आदर्श भूगोल, जौनपुर**, पृ. 9.
11. **वही.**

जलवायु

जौनपुर जनपद की सामान्य जलवायु समशीतोष्ण है । जाड़े में अधिक जाड़ा और गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है । जाड़े में दिसम्बर व जनवरी का महीना अधिक ठण्डा तथा गर्मी में मई व जून का महीना अधिक गर्म रहता है । जुलाई , अगस्त व सितम्बर में मानसून हवाओं से वर्षा होती है । कभी-कभी चक्रवाती वर्षा भी जाड़े में होती है । औसत वार्षिक वर्षा 100 सेण्टीमीटर होती है । सामान्यतया जनपद का न्यूनतम तापक्रम 4.4 डिग्री सेण्टीग्रेट तथा उच्चतम तापक्रम 45 डिग्री सेण्टीग्रेट के बीच रहता है ।[12]

खनिज पदार्थ

जनपद खनिज सम्पदा में शून्य है । खनिज के नाम पर कंकड़, रेह व बालू उपलब्ध हैं । भूमिगत जलस्रोत 100 से 160 फीट की गहराई में उपलब्ध है । ग्रामीणांचल में जलस्रोत मीठा है, जबकि जौनपुर नगर में जलस्रोत खारा पाया जाता है ।

प्रशासनिक दृष्टि से जनपद को 6 तहसीलों - जौनपुर (सदर), शाहगंज, केराकत, मछलीशहर, मड़ियाहूँ व बदलापुर में विभाजित किया गया है, वहीं विकास की दृष्टि से 20 विकास खण्डों - सुइथां कला, बदलापुर, खुटहन, शाहगंज, महराजगंज, सुजानगंज, मुँगरा बादशाहपुर, मछलीशहर, बक्शा, सिकरारा, करंजाकला, धर्मापुर, बरसठी, रामनगर, रामपुर, मड़ियाहूँ, जलालपुर, मुफ्तीगंज केराकत तथा डोभी में विभाजित किया गया है । [13]

जनसंख्या

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद जौनपुर की जनसंख्या 3212557 है जो प्रदेश की जनसंख्या का 2.3 प्रतिशत है । शहर की जनसंख्या 221339 तथा ग्रामीण क्षेत्र की

---

12. **जौनपुर : एक भौगोलिक अध्ययन** , सूचना विभाग, जौनपुर, पृ. 6.
13. **वही,** पृ. 7.

जनसंख्या 2991218 है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या 22 प्रतिशत है । जनपद में कृषि में कार्यरत कर्मियों का प्रतिशत 80 और अन्य सेक्टरों में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत 20 है । इससे स्पष्ट है कि कृषि पर जनसंख्या का भार अत्यधिक है ।[14] प्रशासनिक दृष्टि से जनपद जौनपुर में राजस्व पर आधारित गाँवों की संख्या 3245 तथा ग्राम पंचायतों की संख्या 2052 है । जनपद में एक पूर्वांचल विश्वविद्यालय तथा 16 महाविद्यालय हैं, साक्षरता 33 प्रतिशत है।[15]

कृषि

कृषि जनपद की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है । लगभग 210000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबी की खेती और 232000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खरीफ की और एक से अधिक बार बोई जाने वाली अर्थात् जायद फसलों की लगभग 8000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती होती है । रबी में गेहूँ, चना, मटर ; खरीफ में धान व मक्का तथा जायद में गन्ना, उर्द व मूँग जनपद की मुख्य फसलें हैं।[16]

उद्योग धन्धे

जनपद जौनपुर एक उद्योग शून्य जनपद के रूप में वर्गीकृत है । उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा जौनपुर-इलाहाबाद मार्ग पर 45 किलोमीटर की दूरी पर तथा मुँगराबादशाहपुर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर वर्ष 1986 में 508 एकड़ भूमि अर्जित करके उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक निगम द्वारा **सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र** को विकसित किया जाना प्रारम्भ हुआ है । इस वृहद औद्योगिक क्षेत्र का विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा पैटर्न पर प्रस्तावित है ।[17]

28 जून 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण

---

14. जौनपुर विकास परिशिष्ट , **दैनिक जागरण**, 5 फरवरी, 1993.
15. जिला सूचना कार्यालय, जौनपुर से प्राप्त आँकड़े.
16. जौनपुर विकास परिशिष्ट, **दैनिक जागरण**, 5 फरवरी, 1993.
17. **जौनपुर, नियोजित विकास के बढ़ते कदम** (1989), जिला सूचना एवं सम्पर्क विभाग, जौनपुर, पृ. 8.

'सीड़ा' का शिलान्यास भी किया जा चुका है जिससे जौनपुर राष्ट्रीय औद्योगिक मानचित्र में आ गया है। लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से सतहरिया में "जेलीफील्ड दूर-संचार केबुल फैक्ट्री" स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । जनपद में सिद्दीकपुर में राज्य सूती कताई मिल एवं चन्दवक के निकट अपट्रान टेलीविजन फैक्ट्री की स्थापना की जा चुकी है । शासन ने अप्रैल 1989 में शाहगंज चीनी मिल को भी अधिगृहीत कर लिया है। मड़ियाहूँ क्षेत्र में कालीन उद्योग है। कालीन का निर्यात बाहर भी किया जाता है । [18]

जनपद जौनपुर के छोटे-छोटे कुटीर उद्योग एवं धन्धों का विवरण निम्नलिखित है -

1. **चीनी उद्योग** - शाहगंज, बादशाहपुर एवं बजरंगनगर में चीनी की मिलें हैं ।

2. **खाद का कारखाना** - खेतासराय में हड्डी की खाद तैयार करने का कारखाना है ।

3. **लोहे का कारखाना** - जौनपुर और शाहगंज में लोहे के कोल्हू, चारा काटने की मशीन आदि के कारखाने हैं ।

4. **बीड़ी उद्योग** - जौनपुर, शाहगंज, मछलीशहर, रामपुर, मड़ियाहूँ एवं केराकत में बीड़ी बनती है ।

5. **लकड़ी के खिलौने** - शाहगंज, मड़ियाहूँ, मछलीशहर, जौनपुर में खिलौने बनाए जाते हैं।

6. **इत्र एवं तेल** - जौनपुर में बेला, चमेली आदि फूलों के बाग पाए जाते हैं और इनसे उच्च कोटि का इत्र व तेल तैयार किया जाता है । शहर में तिल का तेल भी बनता है ।

7. **अन्य उद्योग** - शाहगंज में अल्यूमिनियम के बर्तन, कालीन, खादी वस्त्र कपड़ों पर रंगाई और छपाई , सोने चाँदी के सामान, पत्थर की मूर्तियाँ, मोमबत्ती, पीतल के बर्तन, वाशिंग पाउडर आदि बनाने के अनेक कल-कारखाने हैं । [19]

---

18. **जौनपुर, नियोजित विकास के बढ़ते कदम** (1989), जिला सूचना एवं सम्पर्क विभाग, जौनपुर, पृ.8.

19. **वही**, पृ. 8-9.

जौनपुर की ऐतिहासिकता

प्राचीन जौनपुर से सम्बन्धित ऐतिहासिक साक्ष्य अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं । जहाँ तक लिखित सामग्री का प्रश्न है जौनपुर की वही स्थिति है जो प्राचीन भारत की है । किन्तु साक्ष्यों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि जहाँ आज जौनपुर शहर है, प्राचीनकाल में वहीं गोमती के किनारे एक नगरी आबाद थी, किन्तु उसके नामकरण के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं ।

नामकरण

जौनपुर नाम स्थापित होने से पहले इसके कई अन्य नाम रखे जा चुके थे और उन नामों से आज का जौनपुर बहुत प्राचीनकाल से ही विख्यात रहा । इसका एक प्राचीन नाम 'यमद्ग्निपुरा' था, जो प्रसिद्ध ऋषि एवं सप्तर्षियों में से एक ऋषि यमद्ग्नि के नाम पर आधारित है । ऋषि यमद्ग्नि वर्तमान जमइथा नामक स्थान पर निवास करते थे , जो जफराबाद और जौनपुर के बीच में गोमती नदी के तट पर स्थित है । उनकी तपस्थली के अवशेष आज भी इस स्थान पर विद्यमान हैं ।[20]

प्राचीन जौनपुर का एक नाम 'यवनेन्दपुर' भी था। हरिवंश पुराण में 'यवनेन्दपुर' का उल्लेख है । यवनेन्दपुर शब्द की ध्वनि यवनों से भी सम्बन्ध रखती है । परन्तु इसे प्राचीन जौनपुर मानने में कठिनाई यह है कि इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं कि पौराणिक काल में यवन लोग इस क्षेत्र में निवास करते रहे या उनका इस क्षेत्र में कभी कोई उपनिवेश भी रहा हो ।[21]

लाल दरवाजा मस्जिद के स्तम्भ पर उत्कीर्ण एक नाम जनरल कनिंघम द्वारा

---

20. राजदेव दूबे एवं प्रमोद कुमार सिंह, **जौनपुर का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक व्यक्तित्व**, पृ. 13-14.

21. **साहित्य धर्मिता**, जौनपुर विशेषांक, पृ. 23.

'यमोमयायमपुर' पढ़ा गया और यह जौनपुर का एक प्राचीन नाम माना गया । किन्तु बाद में लोगों ने इस पाठ को अशुद्ध सिद्ध कर 'अयोध्यापुर' पढ़ा । जौनपुर जिले के एक पूर्व कलेक्टर मि. ओमनी का एक ग्रन्थ बुन्देलखण्ड में मिला है, जिसमें "यौनापुर" गोमती तट पर दिखलाया गया है जिससे जौनपुर का संकेत मिलता है ।[22]

हिन्दू परम्परागत इतिहास के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान रामचन्द्र जी अयोध्या के शासक थे, उस समय इस क्षेत्र पर 'केरारवीर' नामक राक्षस का आधिपत्य था, जिसका बध श्री रामचन्द्र जी ने किया था । आज भी इस असुर का नाम शहर में आबाद 'केरारवीर' मुहल्ले के साथ जीवित है ।[23] जहाँ आज जौनपुर किला है उसके दक्षिणी-पश्चिमी ढाल पर एक मंदिर है जिसमें प्रस्थापित प्रतिमा का मनुष्य के धड़ से हल्का-सा साम्य है । ऐसा कहा जाता है कि यह आकार रहित पिण्ड सर्वप्रथम एक टीले पर स्थित था, बाद में सन् 1168 ई. में कन्नौज के राजा विजयचन्द ने इस स्थान को भव्य मंदिर से सुशोभित किया था। आगे चलकर फिरोजशाह ने इस मंदिर को ध्वस्त कर इसी स्थान पर तथा इसी मंदिर के अवशिष्ट प्रस्तर खण्डों से अपने नये किले का निर्माण कराया था तथा मूर्ति को उखाड़ कर फिकवा दिया था। किन्तु हिन्दुओं ने उसे उठवाकर वर्तमान मंदिर का निर्माण कर उस मूर्ति को पुनः प्रतिष्ठापित कर दिया। यह मूर्ति सम्भवतः उसी केरारवीर राक्षस की है ।[24]

केरारवीर बहुत सम्भव है कि 'कार्त्तवीर्य' ही रहा हो जो हैहयवंश का राजा था और राम और कोई नहीं बल्कि जमद्ग्नि ऋषि के आज्ञाकारी पुत्र परशुराम ही हों । जमद्ग्नि जौनपुर शहर से काफी नजदीक गोमती के किनारे आधुनिक 'जमइथा' गाँव के पास निवास करते थे । कार्त्तवीर्य अपने समय का चक्रवर्ती सम्राट् था। उसने सम्पूर्ण मध्यवर्ती भूमि पर विजय श्री प्राप्त की। जमद्ग्नि भार्गव गोत्र से सम्बन्धित थे । भार्गव और हैहयवंश की दुश्मनी जनश्रुतियों में प्रचलित है।

---

22. राजदेव दूबे एवं प्रमोद कुमार सिंह, **जौनपुर का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक व्यक्तित्व**, पृ. 14-15.
23. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर** (1908), पृ. 146.
24. **साहित्य धर्मिता**, जौनपुर विशेषांक, पृ. 23.

जमद्ग्नि को कार्त्तवीर्य का सामना इसी आधुनिक 'जमइथा' ग्राम में करना पड़ा । इस संघर्ष में जमद्ग्नि कार्त्तवीर्य के पुत्रों द्वारा मार डाले गए । इस घटना पर जमद्ग्नि के पुत्र परशुराम को बहुत क्रोध आया और परशुराम ने कार्त्तवीर्य का बध कर डाला । सम्भवतः यहीं से उसने पृथ्वी को क्षत्रियविहीन बनाने की प्रतिज्ञा की । केरारवीर का मंदिर और उसकी मूर्ति का निर्माण उसके सम्मान में एक प्रसिद्ध क्षत्रिय शासक के रूप में किया गया, न कि एक राक्षस के रूप में ।[25]

उपर्युक्त विवरणों से यह सम्भावना बनती है कि 'जौनपुर' शब्द के उद्गम में शायद दो शब्द रहे हों - जमद्ग्नि और यवन या जवन । सम्भव है इन दोनों ने ही 'जौनपुर' नाम के निर्धारण में अपनी भूमिका निभाई हो । प्राचीन काल में यह 'जमद्ग्निपुरा' और पठानकाल आते-आते यह यवनपुर, जवनपुर और फिर जौनपुर हो गया हो । कुछ भी हो इतना तो निश्चित है कि वर्तमान नाम जौनपुर मुस्लिम काल में पड़ा । भाषा और उच्चारण की दृष्टि से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'जौनपुर' नाम मुस्लिम काल का है । वर्तमान जौनपुर नगर की स्थापना फिरोजशाह तुगलक ने सन् 1359 ई.में की । फिरोजशाह तुगलक ने अपने भाई फखरुद्दीन 'जूना' (मुहम्मद बिन तुगलक) की याद में नगर का नाम 'जूनागढ़' रखा था जो आगे चलकर जूनापुर और बाद में 'जौनपुर' हो गया ।[26] जौनपुर के नामकरण का यही इतिहास है ।

सन् 1857 तक जौनपुर का संक्षिप्त इतिहास

भारतीय इतिहास का जो क्रमिक रूप छठी शताब्दी ई.पू. से प्राप्त होता है यदि उस आधार पर जौनपुर के इतिहास का अध्ययन किया जाय तो छठीं शताब्दी ई.पू. में जौनपुर कोशल महाजनपद का एक अंग था। उस काल में कोशल 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था । 'रामायण' में कोशल की सीमा गोमती और सर्पिका या स्यन्दिका नदी तक बताई गई है । स्यन्दिका या सर्पिका सई नदी का प्राचीन नाम है । इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में

---

25. राजदेव दूबे एवं प्रमोद कुमार सिंह , **जौनपुर का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक व्यक्तित्व,** पृ. 15-16.

26. आर.सी. मजूमदार, **एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इण्डिया,** पृ. 321.

(छठी शताब्दी ई.पू.) जौनपुर कोशलराज्य का अंग था ।[27]

छठी शताब्दी ई.पू. के उत्तरार्ध में चार प्रमुख राजतन्त्रों - मगध, कोशल, वत्स एवं अवन्ति का उदय हुआ तो काशी भी महाकोशल के अधीन हो गई । कोशल एवं मगध में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था। कोशल नरेश ने अपनी पुत्री कोशला देवी का विवाह मगध नरेश बिम्बिसार के साथ किया तथा काशी के कुछ ग्राम उसे उपहार में भी प्रदान किए । सम्भवतः मगध को प्रदत्त कुछ ग्रामों में जौनपुर का भी कुछ भू-भाग रहा हो । बिम्बिसार के पश्चात् अजातशत्रु ने भी इन क्षेत्रों को पुनः संघर्षोपरान्त उपहार में प्राप्त किया। धीरे-धीरे सम्पूर्ण कोशलराज्य मगध साम्राज्य में मिल गया होगा तथा जौनपुर भी मगध के अधीन हो गया होगा ।[28]

पुरातात्विक साक्ष्यों से भी छठी शताब्दी ई.पू. में जौनपुर का अस्तित्व निश्चित रूप से प्रमाणित होता है । जौनपुर जनपद की सीमा के निकट औड़िहार से 'आहत' सिक्के प्राप्त हुए हैं । डॉ. परमेश्वरी लाल गुप्त को भी जौनपुर से आहत सिक्के एक व्यापारी द्वारा प्राप्त हुए हैं । डॉ. गुप्त के अनुसार ये आहत सिक्के मौर्यों के पहले से चले आ रहे हैं । किन्तु आहत सिक्कों की तिथि के सम्बन्ध में बहुत ही मत वैभिन्य है । तक्षशिला से दो निधियाँ मिलती हैं, जिनकी तिथि डॉ. परमेश्वरी लाल गुप्त 245 ई.पूर्व के पहले की नहीं मानते । डॉ. गुप्त सन् 1924 ई. में प्राप्त निधि की तिथि 300 ई.पूर्व के पहले की मानते हैं । श्री एस.सी. रे सन् 1924 ई. में प्राप्त निधि की तिथि 400 ई.पूर्व का अन्तिम काल मानते हैं । ह्वीलर के अनुसार आहत मुद्राओं की तिथि चौथी शताब्दी ई. पूर्व है ।[29]

अहमद हसन दानी 1912 ई. में प्राप्त निधि की तिथि तीसरी शताब्दी ई.पू. का

---

27. **साहित्य धर्मिता**, जौनपुर विशेषांक, पृ. 24.
28. राजदेव दूबे एवं प्रमोद कुमार सिंह, **जौनपुर का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक व्यक्तित्व**, पृ. 17-18.
29. **वही**, पृ. 18.

द्वितीयार्ध मानते हैं । जबकि स्मिथ के अनुसार इनकी तिथि 600 ई.पूर्व की है । भण्डारकर ने इनकी तिथि 700 ई. पूर्व तथा कीथ ने इनकी तिथि 800 ई. पूर्व मानी है और कनिंघम ने 1000 ई. पूर्व के बाद की नहीं मानी है । किन्तु सामान्यतया 400-300 ई. पूर्व सर्वमान्य तिथि मानी जाती है । अतः इन सिक्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौर्यकाल में यह स्थान भली-भाँति आबाद था । इसका समर्थन अभी हाल ही में जौनपुर जनपद से प्राप्त मौर्यकालीन विष्णु की कुछ मृण-मूर्तियाँ भी करती हैं । ये मूर्तियाँ तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं ।[30] इस प्रकार जौनपुर के इतिहास की प्राचीनता 600 ई. पूर्व के ही पूर्व मानी जा सकती है, किन्तु अभी तक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जो जौनपुर के इतिहास को उतने प्राचीन काल से अब तक श्रृंखलाबद्ध कर सके । कुछ मुद्राशास्त्र सम्बन्धी प्रमाणों व पुरातत्व सम्बन्धी सामग्रियों के अतिरिक्त मुसलमानों के पूर्व का इतिहास पूर्णतया अन्धकारमय है और सम्पूर्ण रूप से अनुमानों पर आधारित है।[31]

जौनपुर जिले से ही प्राप्त कुछ कुषाण एवं गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएँ एवं ताम्र-सिक्के रामनारायण बैंकर के व्यक्तिगत संग्रह में संगृहीत हैं । इनमें एक स्वर्ण सिक्का वासुदेव का है । इसी प्रकार शाहगंज तहसील के खुटहन गाँव के पास से एक ताँबे का सिक्का मिला है जहाँ आज भी एक टीला विद्यमान है । इसके अतिरिक्त जफराबाद से चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के छत्र-प्रकार तथा समुद्रगुप्त के ध्वजाधारी सिक्के भी मिले हैं । डॉ. अल्तेकर ने इसका समर्थन किया है । इस प्रकार कुषाण एवं गुप्तकाल में जौनपुर इनके अधिकार क्षेत्र में था । गुप्त कालीन इतिहास तथा मुद्रा साक्ष्यों के आधार पर जौनपुर 550 ई. तक गुप्तों के अधीन रहा ।[32]

गुप्तों के बाद जौनपुर का इतिहास मौखरियों के साथ जुड़ गया । इसके साक्ष्य के रूप में जौनपुर के जामा मस्जिद का एक प्रस्तर-लेख मिला है जिसपर मौखरि राजा ईश्वरवर्मन का नाम

---

30. **साहित्य धर्मिता,** जौनपुर विशेषांक, पृ. 24-25.
31. राजदेव दूबे एवं प्रमोद कुमार सिंह , **जौनपुर का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक व्यक्तित्व,** पृ. 19-20.
32. **साहित्य धर्मिता,** जौनपुर विशेषांक, पृ. 25-26.

उत्कीर्ण है । यह प्रस्तर-लेख खण्डित है अतः तिथि आदि के विषय में विस्तार से कुछ भी ज्ञात नहीं है । भितौरा (फैजाबाद), अयोध्या तथा रामनगर से प्राप्त मौखरि मुद्राओं से भी जौनपुर पर मौखरियों के अधिकारों की पुष्टि होती है ।[33]

जब थानेश्वर में हर्ष ने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की तथा चक्रवर्ती सम्राट् बना तो उसने उत्तर भारत का अधिकांश भाग अपने कब्जे में ले लिया और सम्भवतः जौनपुर भी हर्ष के साम्राज्य में रहा होगा । किन्तु हर्ष वर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में भारी राजनैतिक उथल-पुथल हुई उसमें भी जौनपुर का भाग्य बदलता रहा और सम्भवतः कलचुरियों के अधिकार क्षेत्र में भी रहा होगा ।[34] देववर्नांक अभिलेख से सूचना मिलती है कि 'गोमती कोट्टक' गुप्तवंशीय शासक आदित्यसेन के साम्राज्य में सम्मिलित था। 'कोट्टक' का अभिप्राय दुर्ग से है । सम्भवतः यह 'गोमती कोट्टक' गोमती के तट पर जौनपुर में स्थित दुर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ है । सम्भव है फिरोजशाह तुगलक ने अपने शासनकाल में इसी दुर्ग का विस्तार एवं नवीनीकरण किया हो जो आज 'जौनपुर के किला' के नाम से विख्यात है ।[35]

750 ई. के लगभग कन्नौज में यशोवर्मन नाम के एक शासक का उदय हुआ। उसने मगधनाथ को हराया और जौनपुर उस समय मगध के अधीन था, अतः यशोवर्मन ने मगध के साथ-साथ जौनपुर पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। परन्तु यशोवर्मन के बाद कन्नौज पर उसके उत्तराधिकारी स्थिर ढंग से शासन नहीं कर सके । शक्तिशाली मालवा राज्य ने कन्नौज पर कई आक्रमण किये तथा जौनपुर एवं प्रयाग के बीच कई लड़ाईयाँ लड़ीं । इस संघर्ष-काल में जौनपुर प्रतिहारों (वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय) तथा पालवंशीय शासकों धर्मपाल एवं देवपाल के अधीन रहा। प्रतिहार शासकों मिहिर भोज, महेन्द्रपाल, महिपाल एवं महेन्द्रपाल द्वितीय के काल तक जौनपुर पर

---

33. राजदेव दूबे एवं प्रमोद कुमार सिंह , **जौनपुर का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक व्यक्तित्व,** पृ. 20-21.
34. **भारतीय इतिहास संकलन समिति पत्रिका,** अंक 2 (वाराणसी 1984), पृ. 56.
35. **साहित्य धर्मिता,** जौनपुर विशेषांक, पृ. 27.

प्रतिहारों का अधिकार रहा ।[36]

खजुराहो के लेख में जो 944 ई. के आस-पास का बताया जाता है, इस बात का संकेत मिलता है कि इस काल में जौनपुर चन्देलों के अधीन रहा । आज भी जौनपुर में चन्देल राजपूतों की बहुत अच्छी संख्या है । महमूद गजनवी 1019 ई. में चन्देलों पर आक्रमण कर समृद्ध जौनपुर से बहुत बड़ी धनराशि उठा ले गया ।[37] सन् 1097 ई. में चन्द्र देव नामक एक गहड़वाल योद्धा ने कन्नौज पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके उत्तराधिकारियों ने जौनपुर तक अपनी विजय पताका फहराई क्योंकि चन्द्रदेव के चौथे वंशज विजय चन्द के समय तक गहड़वालों का शासन गोमती की घाटी में पूर्णरूप से स्थापित हो चुका था ।[38] विजय चन्द के बाद जयचन्द्र तथा जयचन्द्र का पुत्र हरिश्चन्द्र कन्नौज की गद्दी पर बैठा और जौनपुर को अपने अधीन किया। हरिश्चन्द्र के बाद जौनपुर में गहड़वाल शासन के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य मौन हैं । सम्भवतः हरिश्चन्द्र के बाद हिन्दू शासन का अन्त हुआ और जौनपुर मुसलमानों के प्रभुत्व में आ गया।[39]

जौनपुर के राजपूत कालीन इतिहास का सम्बन्ध रघुवंशी क्षत्रियों से है । राजपूतों में सर्वप्रथम रघुवंशी यहाँ आए जो अपने को अयोध्या के पुराने राजाओं के वंशज बतलाते हैं ।[40] रघुवंशी क्षत्रिय अयोध्या से सम्भवतः 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जौनपुर के पूर्वी क्षेत्र में आकर बसे ।[41] यह क्षेत्र इन्हें काशी नरेश चेतसिंह से वैवाहिक सम्बन्ध के आधार पर प्राप्त हुआ । रघुवंशियों के यहाँ बसने से पूर्व सोइरी और भर जाति के लोग यहाँ पूरी तरह संगठित हो चुके थे

---

36. **भारतीय इतिहास संकलन समिति पत्रिका,** अंक 2, पृ. 56-57.
37. **साहित्य धर्मिता,** जौनपुर विशेषांक, पृ. 27.
38. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर,** (1908), पृ. 147.
39. **साहित्य धर्मिता,** जौनपुर विशेषांक, पृ. 27-28.
40. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर,** पृ. 148.
41. राजदेव दूबे एवं प्रमोद कुमार सिंह, **जौनपुर का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक व्यक्तित्व,** पृ. 25.

जिन्हें रघुवंशियों ने या तो खदेड़ दिया या अपने अधीन कर लिया । सोईरी जाति का अब पता नहीं चलता, किन्तु यहाँ अनेक टीले और कुएँ आज भी विद्यमान हैं जिन्हें कहा जाता है कि सोइरियों ने बनवाया था। भर जाति पूरी तरह से नष्ट एवं पलायित नहीं हुई और आज भी भर जाति के लोग जौनपुर में हैं । ऐसा माना जाता है कि सोइरी स्वरूपबदलकर हिन्दू उपजातियों में विलीन हो गए ।

जौनपुर मुस्लिम शासन के अधीन

जौनपुर पर मुस्लिम शासन का आरम्भ 1194 ई. से होता है जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कन्नौज के राजा विजयचन्द्र के पुत्र जयचन्द्र को यमुना के किनारे पराजित किया और मार डाला। इसके बाद इन प्रदेशों पर मुसलमानों का अधिकार हो गया । फिरोजशाह के समय में जौनपुर मुसलमानों की राजधानी भी बना । कुतुबुद्दीन ऐबक की विजय से गयासुद्दीन तुगलक तक जौनपुर का इतिहास अन्धकारमय है । यद्यपि इस बीच में कुछ हिन्दू शासकों ने भी मुसलमान शासकों द्वारा नियुक्त होकर जौनपुर पर शासन किया ।[42]

1321 ई. में मनहेच शक्ति सिंह द्वारा शासित था। 1321 ई. में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने तीसरे पुत्र जफरखान को शक्ति सिंह के आधिपत्य से मनहेच को अपने कब्जे में करने के लिए भेजा। जफर अपने कार्य में सफल हुआ और उसने हिन्दू मन्दिरों को नष्ट कर मस्जिद का निर्माण करवाया । जफर को विजित प्रदेश के शासन के निमित्त गर्वनर के रूप में नियुक्त किया गया जिसका मुख्यालय जफराबाद में था ।[43] जफरखान के बाद तॉतार खॉं तथा एनुलमुल्क ने गवर्नर के रूप में इस प्रदेश की सेवा की । एनुलमुल्क मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु तक इस प्रदेश का प्रशासक बना रहा । बाद में फिरोज शाह इस क्षेत्र से आकर्षित हुआ और उसने जौनपुर शहर के विस्तार के लिए अपने अधिकारियों को आदेश दिया। फिरोजशाह के समय से जौनपुर का

---

42. **साहित्य धर्मिता,** जौनपुर विशेषांक, पृ. 28.

43. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर** (1908), पृ. 150-151.

का इतिहास काफी महत्वपूर्ण है । फिरोजशाह ने अपने भाई इब्राहिम शाह बरबक को इस प्रदेश के शासन के लिए नियुक्त किया जिसने 'किला मस्जिद' का निर्माण कराया ।[44] फिरोजशाह की मृत्यु के पश्चात् दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रान्तों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर नए राजवंशों की नींव डाली । सर्वप्रथम ऐसा करने वाले प्रान्तों में जौनपुर एक था ।[45]

जौनपुर शर्की शासन के अधीन

फिरोजशाह के वंशज महमूदशाह के पहले जौनपुर दिल्ली सल्तनत के अधीन सामन्तों द्वारा शासित होता था । 1393 ई. में मलिक सरवर ने जिसे ख्वाजा जहाँ भी कहते हैं महमूद शाह से 'मलिक उस शर्क' की पदवी ग्रहण की । वह कन्नौज से बिहार तक फैले हुए एक विशाल क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया गया और इसका शासन केन्द्र जौनपुर बना । दिल्ली के शासक जब निर्बल हो गए तो सुल्तान ख्वाजा जहाँ ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और एक राजवंश की स्थापना की जो उसके पदनाम के आधार पर 'शर्की-वंश' के नाम से जाना गया ।[46] उसका शासन इतना सशक्त था कि जाजनगर के राय और लखनौती के राजा जौनपुर को हाथी भेंट स्वरूप भेजने लगे जो पहले दिल्ली को भेजे जाते थे ।[47]

1394 ई. में स्थापित शर्की वंश अत्यन्त भाग्यशाली था कि उसे कई अच्छे शासक मिले। 1399 ई. में मलिक सरवर या ख्वाजा जहां की मृत्यु हो गई और उसका दत्तक पुत्र मलिक करनफूल उत्तराधिकारी हुआ। उसने मुबारक शाह की उपाधि धारण की और सर्वप्रथम अपने नाम से सिक्के जारी किए । 1402 ई. में मुबारक शाह की मृत्यु हो गई और उसका अनुज सिंहासन पर बैठा जो इतिहास में इब्राहीम के नाम से प्रसिद्ध है ।

---

44. राजदेव दूबे एवं प्रमोद कुमार सिंह , **जौनपुर का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक व्यक्तित्व**, पृ. 26-27.
45. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव , **भारत का इतिहास**, पृ. 201.
46. **साहित्य धर्मिता**, जौनपुर विशेषांक, पृ. 29 ; **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर**, पृ. 153-54.
47. वी.ए. स्मिथ, **अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया**, अंक 4, पृ. 29.

इब्राहिम शर्की वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक था उसने लगभग 34 वर्ष तक राज्य किया । वह सुसंस्कृत विद्वान् तथा विद्या का संरक्षक था । जौनपुर नगर को उसने अनेक इमारतों, विशेषकर मस्जिदों से सुशोभित किया जिसमें से एक प्रसिद्ध अटाला मस्जिद भी है । उसके संरक्षण में जौनपुर में स्थापत्य की एक नई शैली का विकास हुआ जो शर्की-शैली के नाम से प्रसिद्ध है । जौनपुर की मस्जिदों में मीनारें नहीं हैं और उनपर हिन्दू स्थापत्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है । उच्च कोटि के सांस्कृतिक कार्यों के कारण इब्राहिम शाह के समय जौनपुर 'शीराजे हिन्द' के नाम से विख्यात हुआ ।[48]

इब्राहिम शाह जौनपुर का सबसे शक्तिशाली शासक था। 1407 ई. में उसने दिल्ली के निकटवर्ती प्रदेशों बुलन्दशहर और सम्भल को अपने अधीन कर लिया। 1413 ई. में ग्वालियर क्षेत्र के कुछ स्थानों पर अधिकार करने में भी वह सफल रहा । 1440 ई.में उसकी मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी उसका बड़ा पुत्र महमूदशाह जौनपुर का शासक बना । महमूदशाह ने 1442 ई. में बंगाल पर आक्रमण किया और सफल भी रहा । वह कालपी की तरफ भी बढ़ा परन्तु 1445 ई. में मालवा के शासक ने उसके बढ़ते हुए कदम को रोका ।[49]

महमूदशाह कालपी पर अधिकार करने में सफल नहीं हुआ । झांसी जिले के आइरिच नामक स्थान पर संग्राम छिड़ गया । उसने दिल्ली पर भी आक्रमण किया किन्तु बहलोल लोदी ने उसे परास्त किया । महमूदशाह ने लगभग 20 वर्षतक शासन किया । उसने बुलन्दशहर से उड़ीसा के सीमावर्ती प्रदेशों तक अपना प्रभुत्व कायम रखा। वह निर्माण कार्य के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध था । उसने जौनपुर के आस-पास अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया । 1457 ई. में उसकी मृत्यु हो गई ।[50] अब उसका पुत्र मुहम्मद शाह जौनपुर के तख्त पर आसीन हुआ । मुहम्मद शाह

---

48. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, **भारत का इतिहास** , पृ. 201-202.
49. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर,** पृ. 155-157 ; **साहित्य धर्मिता,** जौनपुर विशेषांक, पृ. 29-30.
50. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, **भारत का इतिहास,** पृ. 202 ; **साहित्य धर्मिता,** जौनपुर विशेषांक, पृ. 30.

ने बहलोल लोदी से चालाकीपूर्ण संधि करके अपने राज्य क्षेत्र को बहलोल लोदी की तरफ से सुरक्षित कर लिया । परन्तु वह एक सिद्धान्तहीन तथा चिड़चिड़े स्वभाव वाला था तथा उसने अपने भाई हुसैनशाह के साथ बुरा व्यवहार किया जिसके कारण जौनपुर में गृहकलह उत्पन्न हो गया । हुसैनशाह ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर स्वयं को कन्नौज का शासक घोषित कर दिया । इस प्रयास में उसे अपनी माता बीबीराजी का भी सहयोग मिला जो कन्नौज में रह रही थी । इस समाचार से डरकर भागते हुए दहशत में उसकी मौत 1465 ई. में हो गयी और वह डालामऊ में दफनाया गया। इस प्रकार उसके गौरवविहीन पंचवर्षीय शासन का अन्त हुआ और हुसैनशाह ने शर्की-सल्तनत की बागडोर सम्भाली । उसने बहलोल लोदी से संधि कर लिया और वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित कर लिया । दिल्ली की ओर से सुरक्षित होकर उसने उड़ीसा पर आक्रमण किया और वहाँ से राजकर प्राप्त किया। बाद में साम्राज्य विस्तार के मोह में संधि का उल्लंघन कर उसने 1473 ई. में दिल्ली पर उस समय आक्रमण कर दिया, जब लोदी राजधानी से बाहर था । इसमें प्रारम्भ में उसे सफलता भी मिली लेकिन बाद में बहलोल लोदी ने हुसैन की सेना पर आक्रमण कर उसे परास्त किया। हुसैनशाह भाग निकला और बुन्देलखण्ड में शरण ली । बहलोल लोदी ने अपने प्रतिनिधि मुबारक शाह लोहनी को 1482 ई. में जौनपुर का गवर्नर नियुक्त किया ।[51]

1495 में बिहार में निर्वासित दशा में हुसैनशाह की मृत्यु हो गई और उसके साथ ही साथ शर्की राजवंश का भी अवसान हो गया । शर्की वंश ने लगभग 85 वर्ष तक जौनपुर में शासन किया। शर्की शासन में जौनपुर भौतिक दृष्टि से समृद्ध हुआ और सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन मिला तथा देश के प्रान्तीय राज्यों में जौनपुर ने उच्च स्थान प्राप्त कर लिया ।[52]

बहलोल लोदी ने 1486 ई. में अपने पुत्र बारबकशाह को जौनपुर का शासक नियुक्त किया । 1488 ई. में बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद 17 जुलाई, 1489 को बहलोल लोदी का

---

51. राजदेव दूबे एवं प्रमोद कुमार सिंह, **जौनपुर का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक व्यक्तित्व**, पृ. 29-30.

52. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, **भारत का इतिहास**, पृ. 203.

पुत्र सिकन्दर लोदी दिल्ली का बादशाह बना ।[53] लोदी शासकों ने जौनपुर पर अधिकार करने के बाद इसकी स्थापत्य कला को बहुत ही क्षति पहुँचाई और जौनपुर की ख्याति और महत्व को बहुत घटा दिया ।[54] नवम्बर, 1517 ई. में सिकन्दर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी उत्तराधिकारी हुआ ।[55] इब्राहिम लोदी के आदेशानुसार जलाल खाँ की हत्या कर दी गई और दरिया खाँ को जौनपुर का शासक बना दिया गया ।[56] सन् 1482 से 1525 ई. तक लोदी वंश का जौनपुर पर आधिपत्य रहा ।

जौनपुर मुगल शासन के अधीन

लोदी वंश के अन्तिम शासक इब्राहिम लोदी से उसके दरबारी अमीरों ने अप्रसन्न होकर काबुल में जहीरुद्दीन बाबर के पास भारत पर आक्रमण के लिए एक पत्र भेजा । 20 अप्रैल, 1526 ई. को बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इब्राहिम लोदी मारा गया। इसी बीच दरिया खां के पुत्र बहादुर खां लोहानी ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया और अवध से लेकर बिहार तक का क्षेत्र अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। कालपी और संभल उसके नियंत्रण में पहले से ही थे ।

बाबर ने जौनपुर पर अधिकार करने के लिए अपने सरदार फिरोज खां और महमूद खां को भेजा । बहादुर खां लोहानी ने फिरोज खां का वीरतापूर्वक सामना किया और फिरोज खां को जौनपुर पर अधिकार करने से रोका। बाबर के पुत्र हुमायूं ने अपने पिता से जौनपुर पर आक्रमण करने की अनुमति प्राप्त कर जौनपुर पर अपना आधिपत्य जमा लिया। बाबर ने जब मेवाड़ के शासक राणासांगा को दण्डित करने का निश्चय किया तो उसने हुमायूं को जौनपुर से वापस बुला लिया।

---

53. सय्यद एकबाल अहमद , **शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास** , पृ. 224.
54. **साहित्य धर्मिता,** जौनपुर विशेषांक, पृ. 31.
55. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर** (1908), पृ. 164.
56. ईश्वरी प्रसाद, **हिस्ट्री ऑफ इण्डिया,** पृ. 366-67.

हुमायूं ने जौनपुर का शासन जुनेद बिरलास को सौंप दिया।[57]

29 जनवरी, 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं उत्तराधिकारी बना और हिन्दू बेग को जौनपुर का शासक नियुक्त किया। हुमायूं ने हिन्दू बेग की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बाबा बेग जलायर को जौनपुर का शासक नियुक्त किया। 26 जून, 1539 को हुमायूं और शेरशाह के मध्य चौसा में हुए युद्ध में हुमायूं हार गया। 17 मई, 1540 को कन्नौज के निकट भोजपुर में दोनों के मध्य पुनः युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ ।[58] बेग जलायर ने जौनपुर का किला और शासन शेरशाह को सौंप दिया। शेरशाह भारत का बादशाह बन गया और उसने अपने पुत्र आदिलशाह को जौनपुर का शासक नियुक्त किया । शेरशाह का जौनपुर से पहले से ही सम्बन्ध था। वह जौनपुर के शासक जमाल खां के कर्मचारी हसनसूर के आठ पुत्रों में से एक था। उसका प्रारम्भिक नाम फरीद था। फरीद ने अपनी शिक्षा जौनपुर में ही प्राप्त की थी । शेरशाह के शासनकाल में जौनपुर में शान्ति स्थापित रही तथा उसने यहाँ कई जनहितकारी कार्य भी किए। 1545 ई. में शेरशाह का देहान्त हो गया ।[59]

हुमायूं बैरम खां के परामर्श पर ईरान गया और वहाँ के बादशाह एवं अमीरों से सैन्य सहायता माँगी । सैन्य सहायता प्राप्त कर हुमायूं ने पुनः भारत पर आक्रमण किया और सफल रहा । हुमायूं ने बैरम खां और उसके भांजे अली कुली खां शैबानी की सहायता से उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया । शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका शासन छिन्न-भिन्न हो गया था, इसलिए हुमायूं को विजय प्राप्त करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई । अपने इसी विजय अभियान में हुमायूं ने जौनपुर पर भी अधिकार कर लिया और अली कुली खां को जौनपुर का शासक नियुक्त कर दिल्ली चला गया ।[60]

---

57. सय्यद एकबाल अहमद, **शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास**, पृ. 247-49.
58. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर** (1986), पृ. 34-35.
59. सय्यद एकबाल अहमद, **शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास**, पृ. 250-255.
60. वही, पृ. 255-56.

27 जनवरी, 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर 12 वर्ष की अवस्था में भारत का बादशाह बना। इसी बीच अली कुली खां विद्रोही बन गया । 15 जुलाई, 1561 को अकबर मुनईम खां के साथ विद्रोह के दमन हेतु आगरा से जौनपुर की ओर प्रस्थान किया। खान जमां अली कुली खां ने इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर अकबर का स्वागत किया तथा उसकी सेवा में सुन्दर उपहार एवं हाथी भेंट किए । अकबर ने अपनी कृपा दृष्टि से अली कुली खां को सम्मानित किया और सम्पूर्ण क्षेत्र उसी के अधीन रहने दिया और अकबर उपहारों को ग्रहण कर 29 अगस्त, 1561 को आगरा लौट गया ।[61]

अली कुली खां ने 1564 ई. में दूसरी बार विद्रोह किया। अकबर के जौनपुर आने पर अली कुली खां ने 1565 ई. में अकबर से पुनः क्षमा याचना की तथा अकबर ने उसे स्वीकार भी कर लिया और सम्पूर्ण क्षेत्र उसी के अधीन रहने दिया । शीघ्र ही अली कुली खां ने तीसरी बार विद्रोह कर दिया।[62] अली कुली खां के विद्रोह का समाचार प्राप्त होने पर अकबर ने विद्रोहियों को कुचलने का दृढ़ निश्चय कर 6 मई, 1567 को जौनपुर की ओर प्रस्थान किया। 9 जून, 1567 को कड़ा के निकट फतेहपुर परसोकी में हुए युद्ध में खानजमां अली कुली खां मारा गया।[63]

अकबर इलाहाबाद से जौनपुर आया और यहाँ तीन दिन रूका। वह जौनपुर, गाजीपुर, बनारस, चौसा, चुनार का किला एवं जमानिया का क्षेत्र अपने विश्वासपात्र मुनईम खां को सौंप कर वापस चला गया। मुनईम खां ने ही जौनपुर के शाहीपुल का निर्माण कराया जो अपनी मजबूती और सुन्दरता के लिए आज भी विख्यात है ।[64]

---

61. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर** (1986), पृ. 36.
62. सय्यद एकबाल अहमद , **शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास**, पृ. 259-263.
63. रमेश चन्द्र मजूमदार, **दि मुगल एम्पायर**, भाग 7, पृ. 119 ;
    आर.पी. त्रिपाठी, **राइज एण्ड फाल ऑफ दि मुगल एम्पायर**, पृ. 198.
64. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर , जौनपुर** (1986), पृ. 39.

1576 ई. में मुनईम खां की मृत्यु के बाद हुसेन कुली खां जौनपुर का शासक नियुक्त हुआ । 1579 ई. में हुसेन की मृत्यु के बाद मुजफ्फर खां शासक नियुक्त हुआ परन्तु वह भी 1580 ई. में विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया। अकबर ने तरसन खां को जौनपुर का जिलेदार नियुक्त किया । 1584 ई. में तरसन खां की मृत्यु के बाद 1590 ई. तक जौनपुर में कोई सूबेदार नियुक्त नहीं हुआ। अब्दुर्रहीम खानखाना को एक वर्ष के लिए जौनपुर का शासक नियुक्त किया गया परन्तु वे जौनपुर किसी कारणवश न आ सके और जौनपुर की दशा दयनीय होती गई ।[65] अकबर ने शर्की राज्य की राजधानी जौनपुर से इलाहाबाद परिवर्तित कर दी और कुलीच खां को जौनपुर भेजा । कुलीच खां ने 1594 ई. तक शासन का संचालन किया। उनके बाद मिर्जा यूसुफ खां ने तीन वर्ष तक जौनपुर के शासन का संचालन किया।[66]

अकबर द्वारा शर्की राज्य की राजधानी जौनपुर से इलाहाबाद परिवर्तित कर दिए जाने से जौनपुर का महत्व घटता गया । 25 अक्टूबर, 1605 ई. को अकबर की मृत्यु के बाद जौनपुर की व्यवस्था और शिथिल हो गई । जौनपुर से सम्बन्धित कोई विशेष घटना जहाँगीर के शासनकाल तक हुई हो, ऐसा इतिहास में नहीं मिलता । अब जौनपुर न तो राजधानी रही और न ही शासन-केन्द्र । इसलिए जहाँगीर के समय जौनपुर में न तो शासकों की कोई विशेष रुचि थी और न ही यहाँ कोई विद्रोह ही हुआ, जिसके लिए जौनपुर इतिहास में स्थान पाता । जौनपुर से मात्र मालगुजारी वसूल होती रही और उसे इलाहाबाद के शासक के पास भेजा जाता रहा । निष्कर्षतः अकबर के बाद जौनपुर निरन्तर उपेक्षित होकर अपना महत्व खोता गया ।[67]

सन् 1658 ई. में पुनः एक विद्रोह हुआ । शाहजादा शुजा जो औरंगजेब से युद्ध कर रहा था, एक सेना जौनपुर भेजकर फौजदार कोकिले से निष्कासित कर किले पर अधिकार कर लिया।

---

65. सय्यद एकबाल अहमद, **शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास**, पृ. 265-267.

66. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर** (1986), पृ. 40.

67. सय्यद एकबाल अहमद, **शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास**, पृ. 276-277.

औरंगजेब ने इसकी सूचना पाते ही जौनपुर की ओर प्रस्थान किया और विद्रोहियों का दमन कर नगर में शांति स्थापित की और कुछ दिनों जौनपुर में निवास किया । 1685 ई. में उसने यहाँ एक नया बन्दोबस्त प्रचलित किया ।[68]

3 मार्च, 1707 ई. को औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा ।[69] इसका प्रभाव जौनपुर पर भी पड़ा । सिम्बर 1719 ई. में मुहम्मद शाह दिल्ली का बादशाह बना और उसने जौनपुर बनारस, चुनार एवं गाजीपुर के क्षेत्र नवाब मीरमुर्तजा खां को सौंप दिए तथा ये क्षेत्र इलाहाबाद के अधीन हो गए । अवध के नवाब सआदत अली खां ने इन चार सरकारों को नवाब मीर मुर्तजा खां से इस शर्त पर ले लिया कि सात लाख रुपया वार्षिक मीर मुर्तजा खां को मिलता रहेगा। उसके बाद सआदत खां ने यह क्षेत्र आठ लाख रुपया वार्षिक पर मीर रुस्तम अली को सौंप दिया ।[70]

मीर रुस्तम अली ने बनारस जिले के गंगापुर तहसील के एक भूमिहार ब्राह्मण मनसाराम को इस क्षेत्र के प्रबन्ध एवं संचालन के लिए नियुक्त किया। मनसाराम ने शीघ्र ही अपनी योग्यता के बल पर इस क्षेत्र पर सुदृढ़ नियंत्रण स्थापित कर लिया और आमदनी को बढ़ाकर 13 लाख रुपया कर दिया। 1737 ई. में सआदत अली खां ने अवध को नवाब सफदर जंग को सौंप दिया। 1739 ई. में मनसाराम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बलवन्त सिंह उत्तराधिकारी हुआ। बलवन्त सिंह ने बहुत अधिक मात्रा में धन और बहुमूल्य उपहार दिल्ली भेजकर राजा की पदवी प्राप्त की ।[71]

1750 ई. में फर्रुखाबाद के नवाब अहमद खां बंगश ने सफदर जंग को पराजित किया। अहमद खां बंगश ने जौनपुर के शेर जमां खां की पुत्री से विवाह किया और शेर जमां खां

---

68. सय्यद एकबाल अहमद, **शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास**, पृ. 278.
69. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, **भारत का इतिहास**, पृ. 660.
70. सय्यद एकबाल अहमद, **शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास** , पृ. 278.
71. **वही**, पृ. 278-279.

के भतीजे साहब जमां खां को जौनपुर, वाराणसी और चुनार का फौजदार नियुक्त किया । बंगश के निर्देश पर साहब जमां खां ने बलवन्त सिंह को पराजित कर जौनपुर के किले पर अधिकार कर लिया । 1752 ई. में एक समझौते के द्वारा बलवन्त सिंह को क्षमा कर उसके क्षेत्र पुनः उसे इस शर्त पर सौंप दिए गए कि वह 2 लाख अतिरिक्त मालगुजारी देगा ।[72]

बलवन्त सिंह पुनः शक्तिशाली हो गया और वह उन सरदारों को ढूँढ कर दण्डित करने लगा जो उसके विरुद्ध हो गए थे । इसी क्रम में 1757 ई. में उसने एक सेना गड़वारा के हिम्मत बहादुर के विरुद्ध भेजी । हिम्मत बहादुर सई नदी के तट पर स्थित परारी के कच्चे किले में जा छिपा। परन्तु उसका पुत्र सुखनन्दन सिंह बन्दी बना लिया गया तथा गंगापुर में बन्दी स्थिति में ही उसकी मृत्यु हो गई ।[73]

बलवन्त सिंह का दूसरा शत्रु कबुल मुहम्मद मछली शहर में किले में सुरक्षित छिपा हुआ था। बलवन्त सिंह ने पत्र-व्यवहार करके उससे भेंट की तथा धोखे से उसे बन्दी बनाकर गंगापुर जेल में रखा, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई । 1761 ई. तक बलवन्त सिंह का शासन क्षेत्र काफी विस्तृत हो चुका था । वह एक सफल शासक के रूप में स्थापित हो चुका था। उसने अनेक बड़े-बड़े जमींदारों का दमन कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। 1763 ई. में अंगुली के जमींदार खुशहाल सिंह को पराजित कर मार डाला । जब अनेक पराजित जमींदारों ने चंदौली के किले में एकत्र होकर बलवन्त सिंह के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की तो बलवन्त सिंह ने उनको भी पराजित किया ।[74]

---

72. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर**, पृ. 42-43.
73. **वही**, पृ. 43.
74. सय्यद एकबाल अहमद , **शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास**, पृ. 282-283.

जौनपुर अंग्रेजी शासन के अधीन

सन् 1764 ई. में जौनपुर तथा बनारस ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में आ गया क्योंकि बक्सर युद्ध में कम्पनी विजयी रही । इस विजय के बाद मि. मेरिएट यहाँ के रेजीडेन्ट नियुक्त किए गए । मेरिएट ने पूर्ण शासन स्थानीय प्रबन्धकों को सौंप दिया।[75]

20 जनवरी, 1765 ई. को मेजर फ्लेचर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जौनपुर के किले पर अधिकार कर लिया । अंग्रेजों ने बलवन्त सिंह को इस क्षेत्र का प्रशासन सौंप दिया। परन्तु शीघ्र ही वे बीमार पड़ गए और इस क्षेत्र में अराजकता फैलने लगी । 23 अगस्त, 1770 ई. को बलवन्त सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र चेत सिंह उत्तराधिकारी हुआ ।[76] 21 मई , 1775 की संधि के अनुसार आसेफुद्दौला को बनारस सूबे सहित इस क्षेत्र को कम्पनी को सौंपना पड़ा । 15 अप्रैल, 1776 को चेत सिंह को यह क्षेत्र रेजीडेन्ट फ्रैंसिस फोक के नियंत्रण में रखते हुए प्रदान किया गया।[77]

1781 ई.में अंग्रेजों ने राजा चेत सिंह को पदच्युत् कर महीप नारायण सिंह को उसका उत्तराधिकारी बनाया। वे प्रभावहीन रहे और इस प्रकार इस क्षेत्र का वास्तविक शासन अंग्रेजों के हाथ में चला गया। कार्नवालिस ने जुलाई, 1787 ई. में डंकन को बनारस का रेजीडेन्ट नियुक्त किया। मार्च , 1788 में डंकन ने जौनपुर का निरीक्षण किया।[78]

डंकन ने भूमि-सुधार की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने सम्पूर्ण क्षेत्र का पुनः बन्दोबस्त कराया । डंकन ने अमीनों द्वारा मालगुजारी वसूल करने की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर

---

75. सय्यद एकबाल अहमद, **शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास**, पृ. 284.
76. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर** (1986), पृ. 44.
76. **वही** (1908), पृ. 178.
78. **वही** (1986), पृ.46.

दी और ताल्लुकेदारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मालगुजारी देने का प्रतिज्ञा-पत्र लिखवाया । सन् 1795 ई. में स्थायी बन्दोबस्त की घोषणा कर दी गई । अप्रैल, 1857 ई. तक न तो जनता में अशान्ति फैली और न तो किसी ने कोई विद्रोह ही किया ।[79]

---

79. सय्यद एकबाल अहमद, **शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास**, पृ. 286-287.

द्वितीय अध्याय

1857 का विद्रोह

1857 का विद्रोह

सन् 1857 के विद्रोह में जौनपुर जनपद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । यह विद्रोह जौनपुर में एक वर्ष से अधिक समय तक चलता रहा । यह विद्रोह सुसंगठित एवं सुदृढ़ राष्ट्रीय-चेतना का द्योतक था। इस विद्रोह के कारण तथा स्वरूप के सम्बन्ध में ब्रिटेन तथा भारत के विचारकों में मतैक्य नहीं है । परन्तु दोनों ही देशों के निष्पक्ष बुद्धिजीवियों ने इस विद्रोह को न तो ब्रिटिश सत्ताधारियों द्वारा आरोपित मात्र सैनिक-विद्रोह और न ही भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित प्रथम स्वाधीनता संग्राम माना; वरन् इसे दोनों मतों के मध्य व्यापक जन-विद्रोह के रूप में स्वीकार किया। लार्ड कैनिंग ने अपनी सरकारी रिपोर्ट में आगरा और अवध में हुए विद्रोह को जन-चेतना युक्त जन-क्रान्ति कहा है ।

5 जून, 1857 को जौनपुर में विद्रोह का प्रारम्भ हुआ ।[1] विद्रोह के समय जौनपुर का शासन प्रबन्ध मैजिस्ट्रेट एच. फ़ेन तथा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मि. कूपेज के अधीन था। कोष की रक्षा के लिए लुधियाना सिक्ख रेजीमेण्ट की एक सैनिक टुकड़ी भी जौनपुर में तैनात थी । इस सैन्य बल के कमान अधिकारी लेफ्टिनेन्ट मारा थे ।[2] 5 जून को जौनपुर में तैनात सिक्ख सैनिकों को जब यह समाचार मिला कि बनारस में 4 जून को अंग्रेजी सेना ने भारतीय सैनिकों तथा लुधियाना की सिक्ख रेजीमेण्ट पर गोलियों की वर्षा की है तब सिक्ख सैनिकों ने खुला विद्रोह करके बनारस की घटना का बदला लेना आरम्भ कर दिया। सिक्ख सैनिकों ने सर्वप्रथम मि. मारा को गोली मार दी और इसके बाद मि. कूपेज की हत्या कर दी जो अपनी जान बचाने के लिए जेल की तरफ भाग रहा था। इसके बाद विद्रोहियों ने खजाने को लूट लिया और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को हथियार

1. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर**, पृ. 180.
2. सय्यद एकबाल अहमद , **शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास**, पृ. 288.

रखकर भागने पर बाध्य कर दिया।[3] जनता ने सभी अंग्रेजों के बंगलों को जला दिया ।

भागे हुए अंग्रेजों ने केराकत में राय हींगन लाल के घर में शरण ली जो एक पुराने सरकारी नौकर थे । जब डोभी के विद्रोही रघुवंशी राजपूतों को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने हींगन लाल के घर को घेर लिया, क्योंकि उनमें अंग्रेजों को समाप्त कर देने की होड़-सी थी । जिसके द्वारा अंग्रेज मारा जाता था उसको समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। हींगन लाल ने उन अंग्रेजों को , जिनमें 16 पुरुष, 5 महिलाएँ और 11 बच्चे थे, छत पर छिपा दिया और छत की लकड़ी की सीढ़ी को तोड़ डाला जिससे किसी को शक भी न हो कि छत पर भी कोई हो सकता है ।[4] राय हींगन लाल ने इन अंग्रेजों को पसेवा में नील की फैक्ट्री में सुरक्षित भेज दिया। वहाँ से वे 9 जून को स्वयं सेवकों के संरक्षण में बनारस आ गए ।[5]

डोभी के रघुवंशी राजपूतों ने पसेवा फैक्ट्री में छिपे हुए 9 अंग्रेजों को जो नील की खेती के प्रबन्धक थे, मार डाला । इन 9 अंग्रेजों की हत्या से आस-पास के क्षेत्र में हलचल मच गई । हींगन राय स्वयं केराकत का अपना निवास स्थान छोड़कर छिप गए । डोभी के रघुवंशी राजपूतों को हींगन राय ने बागी घोषित करा दिया।[6] पसेवा फैक्ट्री हत्याकाण्ड के कारण डोभी के उग्र और बागी रघुवंशी राजपूत अंग्रेज अफसरों की नजरों में खटकने लगे थे । अब तक अंग्रेजों को ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह का दमन करने के लिए नहीं जाना पड़ा था । [7]

ब्रिटिश सेना को पराजित कर आजमगढ़ पर अधिकार कर लेने के बाद 80 वर्षीय वीर कुँवर सिंह ने डोभी के बरडीहाँ ग्राम में 6 दिन तक निवास कर डोभी के निवासियों में एक अपूर्व उत्साह का संचार किया। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम के वीर कुँवर सिंह को रूसी

---

3. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर**, पृ. 180.
4. गौरी शंकर सिंह, **डोभी का इतिहास**, पृ. 252.
5. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर**, पृ. 181.
6. गौरीशंकर सिंह, **डोभी का इतिहास**, पृ. 253.
7. **वही.**

विद्वान् प्रोफ़ेसर पैच्चेनकोव ने अपनी पुस्तक 'पीपुल्स रिवोल्ट इन इण्डिया' में 1857 के स्वाधीनता संग्राम का वास्तविक नायक बताया है । अंग्रेज शासकों ने भी कुँवर सिंह की रणनीति और दिलेरी की प्रशंसा की है ।[8] 1857 का विद्रोह प्रायः उन्हीं क्षेत्रों में ज़ोर पकड़ा था, जो सैनिक क्षेत्र थे, किन्तु कुँवर सिंह की प्रेरणा से डोभी का बच्चा-बच्चा बाग़ी बन गया था तथा उनकी ज़ुबान पर यह गीत हुआ करता था -

उधर खड़ी थीं लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था,
इधर बिहारी वीर बांकुरा खड़ा हुआ मस्ताना था ।
अस्सी वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था,
सब कहते हैं कुँवर सिंह तो बड़ा वीर मरदाना था ।

डोभी के विद्रोही रघुवंशी राजपूत अंग्रेजों की आँख की किरकिरी बन गए थे । मि. फ़ेन ने डोभी के विद्रोही रघुवंशियों के दमन का मन बनाया परन्तु जब फ़ेन को डोभी के रघुवंशियों की वीरता और उग्रता का पूरा विवरण मिल गया तो उसने डोभी आने का विचार छोड़ दिया और जौनपुर चला गया । बसारतपुर के माधोसिंह ने नील खेती के प्रबन्धक मि. सान्डर्स तथा अन्य कुछ अंग्रेजों को जौनपुर के किले में औरतों की पोशाक पहना कर उनके जीवन की रक्षा की ।[9] बाद में 9 जून को उन्हें लेकर मि. फ़ेन बनारस गया और जौनपुर जिले में शान्ति स्थापित करने का भार राजा शिवगुलाम दूबे को सौंप गया । परिणामस्वरूप नगर और जिले में ब्रिटिश सत्ता अदृश्य हो गई और सम्पूर्ण जनपद स्वतन्त्र हो गया । एक विधवा के नेतृत्व में कुछ महिलाओं और बच्चों ने मिलकर सरकारी खजाने को लूट लिया ।[10]

जौनपुर में सबसे साहसिक कार्यवाही डोभी के रघुवंशी राजपूतों द्वारा सम्पन्न की गई । उन्होंने बनारस और आजमगढ़ के मध्य आवागमन एवं संचार साधनों को नष्ट कर दिया। आजमगढ़

---

8. **आज**, 24 अगस्त, 1993.

9. गौरीशंकर सिंह , **डोभी का इतिहास**, पृ. 253.

10. **समय**, स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, पृ. 88.

के सीमांचल गाँवों में, जहाँ के लोग क्रान्तिकारियों का नाम-पता अंग्रेज अधिकारियों को बताने का कार्य करते थे, ऐसे गाँवों को लूटना आरम्भ कर दिया।[11] इस विद्रोही दल का नेतृत्व एवं पथ-प्रदर्शन वीर कुँवर सिंह के निर्देशानुसार होता था । कुँवर सिंह की डोभी में रिश्तेदारी भी थी । जब मि. फ़ेन जैसे कट्टर दमनकारी की हिम्मत छूट गई तब कोई भी अंग्रेज अफसर इस अंचल में दमनात्मक कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था । अन्ततः मि. चापमैन को यह कार्य सौंपा गया। मि. चापमैन इंग्लैण्ड के बड़े-बड़े युद्धों में सफलता प्राप्त किया हुआ सैनिक कमाण्डर था। उसने जून के अन्त में अंग्रेज, सिक्ख और हिन्दुस्तानियों की एक सम्मिलित सेना लेकर बनारस-आजमगढ़ मार्ग पर प्रस्थान किया। चापमैन हाल ही में इंग्लैण्ड जैसे शीत प्रधान देश से आया था । वह जून की चिलचिलाती धूप सहन न कर सका और पाण्डेपुर में पिसनहरियाँ के पोखरे पर विश्राम करने लगा ।[12]

डोभी के रघुवंशियों को जब यह सूचना मिली तो उनका दल चापमैन से मुकाबले के लिए गोमती नदी को पार किया। रघुवंशियों में स्वाधीनता की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि एक आधुनिक अस्त्रों से सुसज्जित एवं सैनिक शिक्षा में निपुण सुसंगठित सैन्य-दल से वे मुकाबला कैसे करेंगे? परन्तु विदेशियों से मातृभूमि को मुक्त कराने की भावना ने उनमें अटूट साहस भर दिया था। सम्पूर्ण भारत में यह पहली मिसाल है कि देश भक्त ग्रामीणों ने एक सुसज्जित एवं सुसंगठित सेना का मुकाबला किया ।[13]

यह असमान संग्राम 6 घण्टे तक चला। गोलियों की आवाज से आसपास का क्षेत्र गूंज उठा । इस रणभूमि में कितने देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस प्रश्न का उत्तर देने के संकोच से भुवन-भाष्कर अम्बर की आड़ में चले गए और बादलों ने आँसू टपकाना शुरू कर दिया।[14]

---

11. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर,** पृ. 181.
12. गौरीशंकर सिंह , **डोभी का इतिहास**, पृ. 255.
13. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 18.
14. गौरीशंकर सिंह , **डोभी का इतिहास**, पृ. 256.

इन देशभक्त राजपूतों के पास देशी बंदूकें थीं, परन्तु वर्षा ने इन दुर्भाग्यशाली राजपूतों के बारूद को भिंगोकर उन्हें अपंग बना दिया । परन्तु पराक्रमी राजपूतों ने अपनी तलवारों, भालों और कुछ कारगर बन्दूकों से ही अंग्रेजों का कड़ा प्रतिरोध किया।[15]

मुकाबला असमान था । एक तरफ आधुनिक हथियारों से सुसज्जित एवं संगठित सेना थी तो दूसरी तरफ तलवारों से लड़ रहे देशभक्त ग्रामीण । देशभक्तों के बलिदान से वहाँ की धरती लाल हो गई । सैकड़ों की तादात में लोगों को शहीद होते देखकर मि. चापमैन को कहना पड़ा, 'अद्‌भुत शौर्यवान् हैं ये लोग' ।[16] महिलाओं ने इन वीरों की आरतियाँ उतारीं तथा गाँवों के झुण्ड के झुण्ड ग्रामीण शहीदों का अन्तिम संस्कार करके अपने को धन्य समझ रहे थे । राजपूतों को भारी जानमाल के नुकसान के साथ पीछे हटना पड़ा । ब्रिटिश सेना ने गोमती नदी पार कर राजपूतों के गाँवों, मुख्य रूप से सड़क के किनारे के राजपूतों के गाँवों में भयंकर, अमानवीय एवं बीभत्स दमनात्मक कार्यवाही की। अंग्रेजों के इस क्रूर प्रतिशोध की भावना के पीछे कुछ प्रमुख कारण थे, जैसे - डोभी ताल्लुके के रघुवंशीयों द्वारा कभी लगान न देना, केराकत तक मि. आरा तथा मि. हूरेन का पीछा करना, आजमगढ़ तक जाकर अंग्रेजों से लड़ना और मि. चापमैन से मुठभेड़ लेने का दुस्साहस करना।[17]

हौज काण्ड

5 जून को ही एक अंग्रेज अफसर सारर्जेन्ट डिगवुड हौज ग्राम में सड़क के पास पुल पर बनारस की ओर से आती हुई विद्रोही सिक्ख सैनिकों की गोली के शिकार हुए । लाश वहीं पड़ी रही, इस पर गाँव के कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि "मैंने मारा, मैंने मारा"। अंग्रेजों द्वाराकुछ लोग इस हत्याकाण्ड के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए और 6 महीने के बाद बबुआ नोनियां और शिवराज तिवारी के बयान पर इन लोगों पर मुकदमा चलाया गया और 15 लोगों को

---

15. **हूज हू ऑफ इण्डियन मार्टायर्स**, भाग 3, भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित, पृ. 2.
16. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 19.
17. गौरीशंकर सिंह , **डोभी का इतिहास**, पृ. 258.

फाँसी की सजा दी गई । बालदत्त तथा उनके साथ आठ अन्य लोगों को 8 जनवरी, 1860 को कालापानी की सजा हुई ।[18] हौज के जिन लोगों को फाँसी की सजा हुई उनके नाम हैं सर्वश्री मातादीन, रामदीन, सुखलाल, इन्दरमन, शिवदीन, बरन, गोबर्धन , ठकुरी, बाबर, सुक्खू, परसन, भानूं, रमेस्सर, मुक्खी और शिवपाल ।[19]

विशेष न्यायालय द्वारा इन्हें 6, 7 एवं 8 जून, 1858 को फाँसी दे दी गई । इन लोगों को किसी फाँसी-घर में नहीं वरन् सार्वजनिक रूप से पेड़ों में लटका कर क्रूर ढंग से मार डाला गया। ऐसा अंग्रेजों ने जनमानस को आतंकित करने के उद्‌देश्य से किया। इतने से ही अंग्रेजों को सन्तोष नहीं हुआ । अंग्रेजों ने इनमें से कुछ देशभक्तों की जमींदारी खत्म करके शेष परिवार को भूखों मरने के लिए विवश किया ।[20]

जौनपुर में विद्रोह के प्रारम्भ होते ही जार्ज मैथ्यूज , आई. रिचर्डसन, सी. वेलेस्की और जे. कासरेट अपने को असुरक्षित समझकर अपने एक विश्वासपात्र सेवक शुभदान सिंह के साथ उसके गाँव भुटौरा चले गए । जार्ज मैथ्यूज का परिवार भी साथ में था और इनके पास बहुमूल्य सम्पत्ति भी थी । रास्ते में विजयपुर के कुख्यात डाकू सर्वजीत सिंह ने उनकी सम्पत्ति लूट ली । जौनपुर छोड़ते समय मि. मैथ्यूज के कुछ सेवकों ने उनसे अपने 6 माह के वेतन की माँग की और वेतन न देने पर उन्होंने मि. मैथ्यूज को विद्रोहियों के हवाले कर देने की धमकी दी । मि. मैथ्यूज द्वारा उनकी माँग अस्वीकार कर देने पर ये सेवक अपनी धमकी को क्रियान्वित करने के लिए विद्रोहियों के पास चले गए ।[21]

6 जून को आदमपुर के जंकी सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों सशस्त्र लोगों ने इन अंग्रेज

---

18. **विकास** साप्ताहिक, शहीद अंक, 30 जनवरी, 1957, पृ. 6.
19. **हूज हू ऑफ इण्डियन मार्टायर्स**, भाग 3, भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित (1973).
20. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर,पृ. 15
21. ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस गवर्नमेण्ट वर्सेज दलजीत सिंह, शिवपाल सिंह एण्ड अदर्स, फाइल नं. 2/20, कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता, जौनपुर

अधिकारियों को घेर लिया। शुभदान सिंह के परिवार के सदस्यों ने इनका मुकाबला किया । इस मुठभेड में 7 लोग मारे गए । शुभदान सिंह के परिवार के सदस्यों तथा उनके एक मित्र सूरजमन मिश्र ने इन अंग्रेजों से गाँव छोड़ देने को कहा । परन्तु इन अधिकारियों द्वारा उन्हें बसारतपुर में छोड़ देने का निवेदन करने पर ये लोग मान गए। जिस समय शुभदान सिंह, अंगनू सिंह और दलजीत सिंह इन अंग्रेज अफसरों को बसारतपुर के माधोसिंह के यहाँ छोड़ने जा रहे थे, दलजीत सिंह और शुभदान सिंह रास्ते में पड़ने वाली एक नदी से बिना किसी सूचना के लौट आए ।[22]

7 जून को जार्ज मैथ्यूज के वृद्ध पिता अपने को असुरक्षित समझकर शुभदान सिंह के घर से भाग निकले । भयंकर गर्मी और भूख के कारण जब वे मरणासन्न अवस्था में एक वृक्ष के नीचे पड़े हुए थे तो कुछ हरिजनों ने उन्हें देखा और बसारतपुर पहुँचाया । बसारतपुर में माधोसिंह के यहाँ मि. जार्ज मैथ्यूज एवं उनके सहयोगियों के अतिरिक्त मि. सान्डर्स भी शरण पाए हुए थे । 14 जून को ये लोग जौनपुर गए और 15 जून को सुरक्षित बनारस चले गए ।[23]

26 जून को जौनपुर जिले के डोभी ताल्लुके के रघुवंशी राजपूतों ने संचार व्यवस्था के सभी साधनों को नष्ट कर सरकार का स्पष्ट विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। डोभी के विद्रोही राजपूतों को आसपास के गाँवों से भी पर्याप्त सहायता मिल रही थी । डोभी के विद्रोही राजपूतों का दमन करने के लिए जिला प्रशासन के एक अधिकारी मि. जैकिन्सन को एक सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया । डोभी के राजपूतों के विद्रोह के बाद कुछ दिनों तक विद्रोहियों की गतिविधियाँ शान्त रहीं । परन्तु 23 जुलाई को घटनाओं ने पुनः उग्र रूप ले लिया जब रज्जब अली के नेतृत्व में लगभग 400 विद्रोही सैनिकों ने जौनपुर कोतवाली पर दिन में आक्रमण कर कोतवाली में बन्द लोगों को मुक्त करा दिया और सरकारी सामानों को क्षतिग्रस्त किया । इस अचानक आक्रमण से पुलिस को

---

22. ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस गवर्नमेण्ट वर्सेज दलजीत सिंह , शिवपाल सिंह एण्ड अदर्स, फाइल नं. 2/2, कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता, जौनपुर.

23. वही.

संघर्ष करने का अवसर ही नहीं मिला । जब सैनिक सहायता पहुँची तब तक विद्रोही सैनिक भागने में सफल हो गए ।[24]

19 अगस्त को जौनपुर और आजमगढ़ के नायब-नाजिम राजा इरादत जहाँ ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया और मालगुजारी देने से मना कर दिया। राजा इरादत जहाँ को जौनपुर तथा आजमगढ़ के क्षेत्र प्रबन्ध हेतु सौंपे गए थे । इन क्षेत्रों के सभी ताल्लुकेदार, चौधरी तथा कानूनगो की उपाधि धारण करने वाले लोगों को आदेश दिया गया कि अब वे उनकी आज्ञा का पालन करें और शीघ्र ही उनके दरबार में उपस्थित हों ।[25]

8 सितम्बर तक कुछ न कुछ छिटपुट घटनाएँ होती रहीं । 8 सितम्बर को जौनपुर में आजमगढ़ से एक नेपाली सैनिकों की टुकड़ी कर्नल राटन के नेतृत्व में पहुँची । उनकी सहायता के लिए कैप्टन व्वायलू, लेफ्टिनेन्ट माइल्स, लेफ्टिनेन्ट हाल तथा लेफ्टिनेन्ट कैम्पबेल थे । इनकी सहायता से अंग्रेज कलेक्टर लिण्ड ने जौनपुर नगर पर अधिकार कर लिया। जौनपुर में गुप्तचर विभाग के माध्यम से विद्रोहियों की गतिविधियों पर नज़र रखने का कार्य मि. कारनेगी को सौंपा गया । राय हिंगन लाल तथा गंगाशरण ने इस कार्य में उनकी पर्याप्त सहायता की।[26]

सितम्बर महीने के प्रथम सप्ताह में मि. लिण्ड, मि. जैकिन्सन, मि. कारनेगी, मि. एस्टेल ने जौनपुर में शांति स्थापित करने की दृष्टि से पुलिस-विभाग को पुनर्संगठित किया। राय हींगन लाल, डिप्टी कलेक्टर द्वारा केराकत परगने का पुनर्गठन किया गया । वहाँ के प्रशासन से

---

24. **नरेटिव ऑफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन**, पृ. 14.
25. ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस गवर्नमेण्ट वर्सेज़ राजा इरादत जहाँ, फाइल नं. 4/23, कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता, जौनपुर.
26. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर**, पृ. 182.

सम्बन्धित अधिकारियों को विद्रोहियों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिए गए । विद्रोहियों का सामना करने के लिए सरकार समर्थक जमींदारों के सहयोग से सशस्त्र व्यक्तियों की भर्ती की गई तथा जिले के अधिकारियों से सम्पर्क बनाए रखने के लिए डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। जिले में थानों की संख्या भी और अधिक बढ़ा दी गई । इतने सुधारों एवं परिवर्तनों के बाद भी जौनपुर के पूर्वी और उत्तरी भाग के जमींदारों ने जिला प्रशासन के किसी भी आदेश का पालन नहीं किया । यद्यपि माधोसिंह, महेश नारायण सिंह, रूस्तम शाह जैसे कुछ अन्य जमींदार शासन के प्रति उदार बने रहे परन्तु बहुत से अन्य प्रतिष्ठित जमींदारों ने जिला मजिस्ट्रेट मि. लिण्ड द्वारा की गई सहयोग की अपील की अवहेलना की ।[27]

18 सितम्बर को जौनपुर-आजमगढ़ सीमा पर विद्रोहियों के एकत्र होने का समाचार मिलने पर कर्नल राटन ने कैप्टन व्वायलू के नेतृत्व में 1200 गोरखाओं की एक सैनिक टुकड़ी उनके दमन हेतु भेजी ।[28] 19 सितम्बर को अंग्रेज अफसरों को यह समाचार मिला कि सुल्तानपुर के विद्रोही नाजिम मेंहदीहसन सिंगरामऊ में हैं । इनके साथ हसनयार खां तथा 1500 विद्रोही भी हैं । ये विद्रोही निकटस्थ ग्रामों के जमींदारों को सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रेरित कर रहे थे । इसलिए सैनिक अधिकारियों ने सिंगरामऊ के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेजी ।[29]

27 सितम्बर को मुबारकपुर में राजा इरादत जहाँ का कर्नल राटन के नेतृत्व वाली अंग्रेज सैनिक टुकड़ी से मुकाबला हुआ । 28 सितम्बर को आदमपुर में अंग्रेजी फौज की टुकड़ी से अमर सिंह की विद्रोही सेना का संघर्ष हुआ । 2 अक्टूबर को विद्रोही नेता मलिक मेंहदी बक्स की अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी से मुठभेड हुई । 5 अक्टूबर को विद्रोहियों के दमन हेतु गई अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी का मुख्य भाग जौनपुर वापस आ गया ।[30]

---

27. **नरेटिव ऑफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन**, पृ. 21.
28. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर**, पृ. 182.
29. **वही.**
30. **नरेटिव ऑफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन**, पृ. 21.

14 अक्टूबर, 1857 को भैरोप्रसाद एवं ईश्वरीप्रसाद को जिला न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध विद्रोहियों से सम्पर्क करने एवं निजी डाक व्यवस्था के द्वारा समाचार भेजने का दोषी पाया। गिरफ्तारी के समय इनके पास से एक कपड़े का झोला, एक चाकू , बन्दूक की सात गोलियाँ तथा कुछ आपत्तिजनक पत्र पाए गए थे । 16 अक्टूबर को भैरोप्रसाद, भवानी, बुद्ध, नोहारी एवं मेंहदी को सरकार के विरुद्ध षड़यंत्र करने के अपराध में मृत्युदण्ड दिया गया।[31]

15 अक्टूबर को जब जिला मजिस्ट्रेट मि. लिण्ड को जौनपुर-इलाहाबाद सीमा पर विद्रोहियों की सक्रिय गतिविधियों का समाचार मिला तो उसने शीघ्र ही एक सैनिक टुकड़ी वहाँ भेजी। विद्रोहियों की कार्यवाहियों से जौनपुर-इलाहाबाद सीमा के गाँवों के सरकार समर्थक लोगों का जीवन भयग्रस्त हो गया था । 17 अक्टूबर को मि. लिण्ड को जब यह समाचार मिला कि विद्रोही नाजिम मेंहदी हसन अपने पाँच हजार सहयोगियों के साथ जौनपुर पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है तो जिला मजिस्ट्रेट मि. लिण्ड ने सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध किए । 19 अक्टूबर को यह समाचार प्राप्त हुआ कि विद्रोही नेता हसन यार 1500 विद्रोहियों के साथ खुदवा के निकट पड़ाव डाले हुए हैं और वे खुदवा के दीवान रणजीत सिंह को प्रभावित करना चाहते हैं ।[32]

19 अक्टूबर को खुदवा के पास विद्रोहियों एवं अंग्रेजी सैनिकों में संघर्ष हुआ। विद्रोही इससे भी बड़े संघर्ष की योजना चान्दा नामक स्थान के लिए बना रहे थे । पृथ्वीपाल सिंह, गोपाल सिंह, जागेश्वर बक्स को अर्जुन सिंह, फागुन सिंह एवं श्रीपाल सिंह द्वारा लिखे गए पत्र से स्पष्ट होता है कि अदलामऊ, बेलखुर तथा आस-पास के प्रभावशाली जमींदारों से विद्रोही नेताओं ने सहायता माँगी थी । उन्हें विजय के बाद भूमि और धन का भी आश्वासन दिया गया था । विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों एवं उनके शुभचिन्तकों की हत्या करने की एक योजना भी बनाई थी । विद्रोही नेताओं

---

31. ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस गवर्नमेण्ट वर्सेज़ भैरोप्रसाद एण्ड ईश्वरी प्रसाद एण्ड अदर्स, फाइल न. 1/15, कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता, जौनपुर.
32. **नरेटिव ऑफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन**, पृ. 21.

को यथाशक्ति सैन्यबल और सम्पत्ति के साथ चान्दा में एकत्र होने के आदेश दिए गए थे ।[33]

चान्दा में अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए विद्रोहियों की तैयारी की सूचना मिलने पर अंग्रेज अधिकारियों ने गोरखा सैनिक टुकड़ी के साथ चान्दा की ओर प्रस्थान किया। चान्दा से 10 मील पहले ही अंग्रेजों ने अपना पड़ाव डाला दिया और विद्रोहियों की शक्ति के बारे में पता लगाने के लिए गुप्तचरों को भेजा । जब सैनिक अधिकारियों को यह ज्ञात हुआ कि विद्रोहियों की स्थिति सुदृढ़ है तो उन्होंने विद्रोहियों पर दो तरफ से आक्रमण करने की योजना बनाई । 30 अक्टूबर को विद्रोहियों और अंग्रेजी फौज के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अंग्रेजी पक्ष को अपेक्षाकृत अधिक हानि पहुँची। अंग्रेजी खेमे के कर्नल मदनमान सिंह मारे गए तथा लेफ्टिनेन्ट गम्भीर सिंह बुरी तरह घायल हुए । अंग्रेजी पक्ष की पराजय सैनिकों के थके होने के कारण तथा विद्रोहियों की शक्ति के गलत आंकलन के कारण हुई । विद्रोहियों ने अंग्रेजों से एक छोटी बन्दूक भी छीन ली ।[34] 30 अक्टूबर को ही कोइरीपुर के निकट विद्रोही नाजिम मेंहदी हसन की सेना तथा गोरखा सैनिक टुकड़ी के मध्य संघर्ष हुआ ।[35]

दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में जौनपुर के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में वीर कुँवर सिंह की सेना की एक टुकड़ी की उपस्थिति से इन क्षेत्रों में अशान्ति व्याप्त थी । 7 दिसम्बर को जौनपुर-इलाहाबाद सीमा पर 15 हजार विद्रोहियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने इलाहाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को इन विद्रोहियों के जमाव से सम्भावित खतरे की सूचना दी । जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने गोरखा सैनिकों की एक टुकड़ी इस तरफ भेजी ।[36]

18 दिसम्बर को कोईरीपुर में करीब नौ सौ विद्रोहियों की एक टुकड़ी ने एक अंग्रेज नील-उत्पादक के नील के कारखाने में आग लगा दी । गुप्तचर-विभाग की सूचना से ज्ञात हुआ

---

33. एस.ए.ए. रिजवी, **फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश**, भाग 4, पृ. 212.
34. **आगरा गवर्नमेण्ट गजट**, 19 जनवरी, 1858, पृ. 20.
35. **नरेटिव ऑफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन**, पृ. 21.
36. **हिन्द पैट्रियाट**, 10 दिसम्बर, 1857, पृ. 395.

कि कोईरीपुर में नील का कारखाना अर्जुन सिंह तथा जागेश्वर बक्स के नेतृत्व में जलाया गया था। 18 दिसम्बर को ही विद्रोहियों के इसी दल ने बदलापुर थाने पर भी आक्रमण किया।[37]

18 दिसम्बर को ही जिला मजिस्ट्रेट ने जौनपुर के अर्जुन सिंह, जागेश्वर बक्स तथा अन्य विद्रोही नेताओं के सम्बन्ध में इनके सरकार विरोधी गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट बनारस के कमिश्नर मि. टुकर को दी । जौनपुर जिला मजिस्ट्रेट ने यह रिपोर्ट मोहम्मद जहूर, महेश नारायण, राय हींगन लाल तथा अपने कार्यालय के एक मुंशी से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तैयार की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने अर्जुन सिंह तथा जागेश्वर बक्स पर अंग्रेजों का सामान लूटने, उनका अपमान करने तथा उनकी हत्या के लिए षड़यन्त्र करने का आरोप लगाया था और इन विद्रोहियों को मृत्युदण्ड देने की सिफारिश की थी । इस पर बनारस के कमिश्नर मि. टुकर ने इन विद्रोहियों को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की ।[38]

24 दिसम्बर को खुटहन तहसील के तिघरा मुख्यालय पर राजा इरादत जहाँ के प्रतिनिधि मकदूम बख्श ने शक्ति संचित कर आक्रमण कर तिघरा पर कब्जा कर लिया और तहसील कार्यालय को नष्ट कर दिया। यद्यपि विद्रोहियों के आगमन की सूचना पहले ही प्राप्त हो जाने के कारण महत्वपूर्ण अभिलेखों तथा खजाने को मुख्यालय से हटाकर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया गया था । पण्डित किशन नारायण ने मकदूम बख्श के हमले का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया परन्तु आवश्यक साधनों के अभाव तथा विद्रोहियों की संख्या एवं शक्ति अधिक होने के कारण पण्डित किशन नारायण को तिघरा छोड़कर जौनपुर पलायित हो जाने के लिए विवश होना पड़ा । जिला प्रशासन ने शीघ्र एक सैनिक टुकड़ी भेजी परन्तु तब तक विद्रोही तिघरा से जा चुके थे ।[39]

2 जनवरी , 1858 को खुटहन तहसील कार्यालय नष्ट कर दिया गया । 4 जनवरी

---

37. फरदर पेपर्स रिलेटिव टू दी म्यूटनीज इन दी ईस्टइण्डीज, 1857,इनक्लोजर 33, नं. 7,पृ. 76.
38. **वही.**
39. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर,** पृ. 183.

को बदलापुर थाने पर विद्रोहियों ने हमला करने का प्रयत्न किया किन्तु राजाबाजार के राजा महेश नारायण सिंह की सहायता से बदलापुर के थानेदार ने विद्रोहियों के इस प्रयास को असफल कर दिया।[40]

मड़ियाहूँ में 19 जनवरी को विद्रोहियों ने सरकार के अनेक समर्थकों को बन्दी बना लिया और आस-पास के जमींदारों को धमकी दी कि विद्रोहियों का साथ न देने पर उनके साथ शत्रुवत् व्यवहार किया जायेगा । यह सूचना मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा मड़ियाहूँ के थानेदार को विद्रोहियों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने का आदेश दिया गया तथा सरकार समर्थक जमींदारों से मड़ियाहूँ के थानेदार को सहयोग देने के लिए कहा गया ।[41]

बदलापुर में फरवरी के प्रथम सप्ताह में विद्रोहियों की गतिविधियाँ बढ़ने पर जनरल फ्रैंक्स ने अपना ध्यान बदलापुर पर केन्द्रित किया।उसने स्थायी रूप से एक सशस्त्र सैनिक टुकड़ी को बदलापुर में नियुक्त किया। 18 फरवरी को बन्दा हुसैन के नेतृत्व में मेंहदी हुसैन की विद्रोही सेना के साथ मि. फ्रैंक्स की सेना में मुठभेड हुई । 19 फरवरी को जौनपुर से मि. फ्रैंक्स की सेना के चले जाने पर विद्रोहियों के दमन का कार्य राजा महेश नारायण सिंह ने कुछ जमींदारों की सहायता से किया ।[42] 7 मार्च को मड़ियाहूँ में अशान्ति फैलने पर शांति स्थापित करने के लिए मि. जैकिन्सन को भेजा गया । मड़ियाहूँ में उनकी उपस्थिति से क्षेत्र में विद्रोहियों की गतिविधियाँ कुछ दिनों के लिए बन्द हो गईं ।[43]

---

40. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर**, पृ. 183.
41. ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस गवनमिण्ट वर्सेज् राजा इरादत जहाँ, फाइल संख्या 4/23, कलक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता, जौनपुर.
42. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर**, पृ. 184.
43. फारेन डिपार्टमेंट नार्थ वेस्ट प्राविन्स ऑफ इवेन्ट्स फार जौनपुर फार दी वीक एण्डिंग, 13 मार्च, 1857.

जौनपुर की मड़ियाहूँ तहसील के नेंवढ़िया के बागी ठा. संग्राम सिंह 1857 के विद्रोहियों में प्रमुख थे । ये बलिष्ठ, प्रभावशाली एवं बड़े फुर्तीले थे । 1857 में जौनपुर पर कब्जा करने के बाद ये अपने दल के साथ लखनऊ और दिल्ली तक गए, किन्तु इसी बीच अंग्रेजों ने पुनः इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया । इसके बाद 15 वर्षों तक यह छापामार युद्ध करते रहे । जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बनारस में भी उनके समर्थकों की अच्छी संख्या थी । सभी जातियों, वर्गों एवं श्रेणियों के लोग उनपर जान निछावर करते थे । वे भारतीय संस्कृति के पुजारी, धर्मनिष्ठ और ब्राह्मण भक्त थे । वे पराक्रम और पौरुष के पुञ्ज थे । इनकी बहादुरी के किस्से आज भी क्षेत्रीय गाँवों में कविता एवं विरहे के रूप में गाये जाते हैं । संग्राम सिंह का भदोही के पास के झूरी सिंह से बड़ा स्नेह था। वह उनके सहयोगी भी थे । झूरी सिंह को एक अंग्रेज ने धोखे से मरवा दिया। इस पर उनकी विधवा ने प्रण किया कि - 'जब तक विश्वासघाती के रक्त से स्नान नहीं कर लूँगी तब तक जल नहीं ग्रहण करूँगी।' इस पर ठा. संग्राम सिंह ने उस विश्वासघाती का सर काटकर उनके सामने रखा ।[44]

बागी संग्राम सिंह के दमन की अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की परन्तु वे असफल रहे । उनको पकड़ने के लिए जितने भी अंग्रेज साहस करके गए और जिनसे उनका मुकाबला हो गया, उन्हें गोली का शिकार होना पड़ा । गाँव वाले उनका इतना आदर, सम्मान तथा उनसे इतना प्रेम करते थे कि उनके फरारी जीवन में लगभग 12 वर्ष तक 5 थानेदार, 25 कांस्टेबिल और 100 चौकीदार नेवढ़िया में पड़े रहते थे । इनका वेतन एवं रसद गाँव वालों को ही देना पड़ता था । गाँव भी कई बार लूटे एवं जलाए गए, किन्तु फिर भी किसी ने उनका भेद नहीं बताया । यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी यातनाएँ दी गईं।[45]

फरारी हालत में बागी संग्राम सिंह को अपनी लड़की का कन्यादान करना था। अंग्रेजों को उनकी गिरफ्तारी का यह अच्छा अवसर प्रतीत हुआ । अंग्रेजी फौज ने घेरा डाल दिया । इस पर

---

44. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका, जौनपुर**, पृ. 10.

45. **विकास** साप्ताहिक, शहीद अंक, 30 जनवरी, 1957, पृ. 7.

उनके गाँव एवं आस-पास के गाँवों में कई घरों में मण्डप सजाए गए और अन्ततः संग्राम सिंह ने कन्यादान किया और अंग्रेजों को इसकी भनक भी नहीं मिली ।[46] संग्राम सिंह के 2 प्रमुख अंगरक्षकों , लखपति गिरि तथा जुग्गुर दसौंधी का नाम आज भी बड़े अभिमान के साथ लिया जाता है । संग्राम सिंह के साथ फरार 7-8 विद्रोहियों में केवल लखपति गिरि ही वापस लौटकर आए। कई वर्षों के संघर्ष के बाद संग्राम सिंह अंतिम समय में नेपाल चले गए । वहाँ पर वैराग्य ग्रहण कर जानकी दास के नाम से रहे और वहीं पर उनका स्वर्गवास हुआ ।[47]

मड़ियाहूँ के अधिकांश विद्रोही सरदार 16 मार्च को मड़ियाहूँ छोड़कर अन्यत्र चले गए । 23 मार्च को बागी संग्राम सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने जौनपुर सीमा पर पुनः अशान्ति फैलाई । कुछ सरकार समर्थक जमींदारों ने विद्रोहियों की कार्यवाहियों का विरोध किया। मड़ियाहूँ तहसील में अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक शान्ति स्थापित हो सकी ।[48] 6 अप्रैल को सुल्तानपुर से लौटते समय मि. एडवर्ड लुगार्ड की मुठभेड़ तिघरा में गुलाम हुसैन के नेतृत्व में तीन हजार विद्रोहियों के एक दल से हुई । उसके बाद मि. लुगार्ड 13 अप्रैल को दीदारगंज होते हुए जौनपुर पहुँचे ।[49]

प्रभावशाली जमींदार झूरी सिंह 300 सशस्त्र व्यक्तियों का नेतृत्व करते थे । इन्होंने जौनपुर , बनारस, मिर्जापुर और इलाहाबाद में विभिन्न अंग्रेजी ठिकानों पर कई हमले किए । अंग्रेजी सैनिकों ने जब इनके गाँव को जला दिया तो प्रतिशोध स्वरूप झूरी सिंह ने अंग्रेजी नील के गोदाम पर आक्रमण करके ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मि. मूरे तथा दो अन्य अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी ।[50]

---

46. **विकास** साप्ताहिक, शहीद अंक, 30 जनवरी, 1957, पृ. 7.
47. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 10.
48. एस.ए.ए. रिजवी, **फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश,** भाग 4, पृ.230.
49. **नरेटिव ऑफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन,** पृ. 23.
50. **हूज हू ऑफ इण्डियन मार्टायर्स,** भाग 3, पृ. 2.

5 मई को झूरी सिंह ने जौनपुर के बादशाहपुर से अपने विद्रोही दल के साथ इलाहाबाद सीमा में प्रवेश किया। इलाहाबाद जिला प्रशासन द्वारा झूरी सिंह का प्रतिरोध करने के लिए कर्नल बरक्ले भेजे गए । जौनपुर की सीमा में पुनर्प्रवेश के बाद झूरी सिंह ने अपने 300 सहयोगियों के साथ मछलीशहर बाजार को लूट लिया । 18 मई को जौनपुर से एक सैनिक टुकड़ी झूरी सिंह के विरुद्ध भेजी गई, किन्तु अनेक सम्भावित स्थानों पर छापा मारने के बाद भी झूरी सिंह का कहीं पता नहीं चला ।[51]

बख्शा निवासी झूरी सिंह द्वितीय और फली उपाध्याय भी सन् 1857 के बागियों में थे । अंग्रेजों के मददगार राजा बाजार के राजा महेश नारायण सिंह के आदमियों को जब यह पता चला कि ये दोनों बागी तेजी बाजार के दक्षिण-पूर्व जंगल में हैं तो उनके सिपाहियों ने पहुँचकर उन्हें घेर लिया। ये दोनों वीर अपने हथियार सई नदी के किनारे रखकर नदी में स्नान कर रहे थे । दोनों वीरों ने सिपाहियों से कहा कि हमें स्नानकर सूर्य देव को जल चढ़ा लेने दो तब मारो, किन्तु इनकी एक न सुनी गई और भाले से चोक-चोक कर इनकी हत्या कर दी गई तथा इनके सिर काटकर डिप्टी कलेक्टर के सामने रखकर कुछ इलाके इनाम में लिए गए ।[52]

3 जुलाई को मड़ियाहूँ में विद्रोहियों ने ग्रामीणों को उकसाने का प्रयत्न किया, परन्तु वे उसमें पूर्णतः सफल नहीं हुए । जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही जौनपुर-बनारस की सीमा पर संग्राम सिंह ने अनेक लूट-पाट की घटनाएँ करके अशान्ति का वातावरण उत्पन्न कर दिया। इन्होंने अपने विद्रोही साथियों की सहायता से सरकार समर्थक जमींदारों की बहुत-सी सम्पत्ति लूट ली । मड़ियाहूँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मि. टेलर ने संग्राम सिंह का प्रबल प्रतिरोध किया । संग्राम सिंह मि. टेलर के हाथों गिरफ्तार होते-होते बचे ।[53]

---

51. फारेन डिपार्टमेण्ट नार्थ-वेस्ट प्राविंसेज् नरेटिव ऑफ दी इवेन्ट्स फार इलाहाबाद डिवीजन फार दी वीक एण्डिंग, 16 मार्च, 1858.
52. **विकास** साप्ताहिक, शहीद अंक, 30 जनवरी, 1957, पृ. 7.
53. फारेन डिपार्टमेण्ट नार्थ-वेस्ट प्राविंसेज् नरेटिव ऑफ इवेन्ट्स फार बनारस डिवीजन फार दी वीक एण्डिंग, 11 जुलाई, 1858.

।। जुलाई को बागी संग्राम सिंह ने मड़ियाहूँ तहसील के एक सरकार समर्थक प्रतिष्ठित व्यक्ति की सम्पत्ति लूट ली । विद्रोहियों की संख्या एवं शक्ति अधिक होने के कारण मड़ियाहूँ के थानेदार ने भी कोई कार्यवाही नहीं की ।[54] ।4 अगस्त को जौनपुर में राजा बनारस के कर्मचारियों तथा पुलिस में गम्भीर संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग मारे गए और अनेक घायल हुए । यह मुठभेड़ बनारस के राजा के कर्मचारियों पर विद्रोही होने का सन्देह होने के कारण हुई ।[55]

जौनपुर में विद्रोह का दमन

जौनपुर के जिला प्रशासन के अधिकारियों को जौनपुर में विद्रोह होने की आशंका रंचमात्र भी न थी । इसीलिए अचानक विद्रोह के प्रारम्भ हो जाने पर अंग्रेज अधिकारियों को शहर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा किन्तु कुछ दिन बाद जब जिला मजिस्ट्रेट एवं पर्याप्त मात्रा में सैनिक टुकड़ियाँ बनारस से जौनपुर पहुँची तो स्थिति में काफी सुधार हुआ । प्रारम्भ में विद्रोहियों की हिंसक कार्यवाहियों से प्रशासनिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी। इसीलिए प्रतिशोधवश अंग्रेज अफसरों ने विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए अत्यन्त ही कठोर दमनात्मक कार्यवाही की ।

जून, ।857 के अन्तिम सप्ताह में बनारस से आई अंग्रेजी सेना ने चन्दवक में गोमती नदी पार कर डोभी के रघुवंशी राजपूतों एवं राजपूतों के गाँवों में क्रूर, अमानवीय एवं वीभत्स दमनात्मक कार्यवाही की । लोग अपने बाल-बच्चों को लेकर आस-पास की ऐसी बस्ती एवं क्षेत्रों में चले गए जहाँ रघुवंशियों के अतिरिक्त अन्य लोग निवास करते थे क्योंकि अंग्रेज केवल रघुवंशियों को निर्मूल करने का संकल्प किए हुए थे । आजमगढ़ और डोभी की सीमा क्षेत्र के वैश्य राजपूतों ने आगे बढ़कर डोभी वालों का स्वागत किया एवं उनकी रक्षा की ।[56]

30 जून को मोहबतपुर गाँव में विद्रोहियों के एक दल के होने की सूचना मिली तो

---

54. फारेन डिपार्टमेण्ट नार्थ वेस्ट प्राविंसेज नरेटिव ऑफ इवेन्ट्स फार बनारस डिवीजन फार दी वीक एण्डिंग , ।4 अगस्त, ।858.
55. **वही.**
56. गौरीशंकर सिंह, **डोभी का इतिहास,** पृ. 260.

मि. वेनेविल्स ने एक सैनिक टुकड़ी के साथ वहाँ के लिए प्रस्थान किया। यद्यपि मुख्य विद्रोही तो भागने में सफल हो गए किन्तु संदिग्ध प्रकृति के कुछ लोगों को वेनेविल्स ने गिरफ्तार किया।[57] रज्जब अली ने जब 23 जुलाई को कोतवाली पर आक्रमण किया तो वेनेविल्स की शिथलता के कारण वे भागने में सफल हो गए किन्तु निकटवर्ती गाँवों के कुछ विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार किया गया जिनपर कोतवाली पर हमला करने का सन्देह था ।[58] 19 अगस्त, 1857 को जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी करके विद्रोही राजा इरादत जहाँ की सम्पत्ति जब्त कर ली ।[59]

8 सितम्बर को जब नेपाली सैनिक टुकड़ी जौनपुर पहुँची तो कर्नल राटन एवं जिला मजिस्ट्रेट मि. लिण्ड ने विद्रोहियों के दमन के लिए व्यापक योजना बनाई और विद्रोहियों की गति-विधियों पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए थानेदारों को आवश्यक कड़े निर्देश दिए गए ।[60]

19 सितम्बर को खुदवा के पास कर्नल राटन तथा विद्रोही हसनयार के मध्य संघर्ष हुआ जिसमें विद्रोहियों की व्यापक क्षति हुई । हसनयार पराजित होकर अपने दल के साथ भाग गया । इस पराजय से विद्रोही दलों का मनोबल काफी गिर गया । उनकी बहुत-सी बन्दूकें छीन ली गईं । घायलों एवं मृतकों के लिए उनके पास उचित सुविधा एवं व्यवस्था भी नहीं थी । इसलिए बहुत से असन्तुष्ट विद्रोहियों ने हसनयार खां और मेंहदी हसन का साथ छोड़ दिया । संघर्ष के दौरान गिरफ्तार कुछ विद्रोहियों पर मुकदमा चला कर उन्हें दण्डित किया गया ।[61]

27 सितम्बर , 1857 को कर्नल राटन के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने मुबारकपुर के राजा

---

57. **नरेटिव ऑफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन**, पृ. 14.
58. **वही.**
59. ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस ऑफ गवर्नमेण्ट वर्सेज़ इरादत जहाँ, फाइल संख्या 4/23, कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता, जौनपुर.
60. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर**, पृ. 181.
61. **वही**, पृ. 182.

इरादत जहाँ पर आक्रमण कर दिया। चार दिन लगातार घमासान युद्ध हुआ । इरादत जहाँ के भाई और माहुल के राजा फसाहत जहाँ को जब इस लड़ाई का समाचार मिला तो वे राजा इरादत जहाँ की मदद करने आए । फसाहत जहाँ के मुबारक पुर पहुँचने पर अंग्रेजों ने एक चाल चली । फसाहत जहाँ के साथ सुलह की बात चलाई गई और राजा इरादत जहाँ को सुलह के लिए राजी करके अंग्रेजी फौजी कैम्प में बुलाया गया । राजा इरादत जहाँ अपने 40 कर्मचारियों सहित राजा फसाहत जहाँ को लेकर जैसे ही आम के बाग में पहुँचे, उनके वहाँ पहुँचते ही पूर्व नियोजित योजनानुसार उन्हें घेर कर हाथी पर से ही पेड़ की डाली पर लगी हुई रस्सी के फंदे से फाँसी पर लटका दिया गया। राजा साहब के प्राण निकलते ही उनके स्वामीभक्त हाथी ने भी वहीं तत्काल प्राण त्याग दिया। शेष कर्मचारी भी वहीं तलवार के घाट उतार दिए गए ।[62] फसाहत जहाँ भी अंग्रेजी फौज द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और फौज के कमाण्डर कर्नल राटन नेतलवार से फसाहत जहाँ की गर्दन धड़ से अलग कर हत्या कर दी ।[63]

28 सितम्बर को मि.जैकिन्सन एवं कैप्टन र्स्टलेल के नेतृत्व में गोरखा सैनिक टुकड़ी इरादत जहाँ के सैन्य अधिकारी मखदूम बख्श के गाँव नुगहटी पर आक्रमण किया। इसके पश्चात् गोरखा सैनिकों की टुकड़ी ने राजा इरादत जहाँ के सेनापति ठा. अमर सिंह के गाँव आदमपुर को घेर लिया।[64]

अंग्रेजी फौज के पहुँचने पर ठा. अमर सिंह मृत्यु का संकल्प करके, पूजा, गोदान और स्वर्णदान करके तलवार हाथ में लेकर अपनी काली घोड़ी पर सवार हो बाहर आए । अमर सिंह ने अंग्रेजी फौज के कमाण्डर से कहा कि हमारा आपका धर्म युद्ध होगा । एक तरफ मैं अकेला रहूँगा और दूसरी ओर आपकी सारी अंग्रेजी फौज ; लेकिन शर्त यह है कि लड़ाई केवल तलवार की होगी।

---

62. **विकास** साप्ताहिक, शहीद अंक, 30 जनवरी, 1957, पृ.3.

63. **हूज हू ऑफ इण्डियन मार्टायर्स**, भाग 3, पृ. 40.

64. एस.ए.ए. रिजवी, **फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश**, भाग 4, पृ. 474.

युद्ध प्रारम्भ हुआ । एक घण्टे तक अमर सिंह ने ऐसा घमासान युद्ध किया जिसकी कल्पना भी अंग्रेजी फौज को न थी । इतनी ही देर में अंग्रेजी फौज के 70 सैनिक ढेर हो गए और ठा. अमर सिंह का बाल भी बाँका न हुआ। उनके तलवार चलाने की कला के सामने अंग्रेजों के छक्के छूट गए और अंग्रेजों ने शर्त तोड़कर अमर सिंह को गोली से मारा । यह अधर्म युद्ध अधिक क्षणों तक नहीं चला। गोली से घोड़ी भी घायल हुई और गोली लगने से ठा. अमर सिंह भी धरती माता की गोद में आ गिरे। अन्त में उनका सिर काटकर एवं कलेजा निकाल कर उनकी लाश कुएँ में फेंक दी गई।[6]

इस क्रूर दमन का अन्त यहीं नहीं हुआ । लगातार तीन वर्षों तक आदमपुर के निवासी रिश्तेदारियों और जंगलों में छिपकर अपनी जान बचाते रहे । जब इन्हें पुनः बसने की आज्ञा दी गई तब ये लौटे । इसी अवसर पर शहीद अमर सिंह के ज्येष्ठ पुत्र श्री जानकी सिंह भी लौटे । उन्हें गिरफ्तार कर कालापानी (अण्डमान) भेज दिया गया। जानकी सिंह वहाँ से लौटकर नहीं आए ।[66]

सितम्बर 1857 में विद्रोहियों को सरकार के विरुद्ध समाचार भेजने एवं विद्रोहियों का आपसी सम्पर्क बनाये रखने की दृष्टि से विद्रोहियों द्वारा गठित एक निजी डाक व्यवस्था का पता चला। इस सिलसिले में भैरोप्रसाद सहित आठ अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जौनपुर के विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। इन व्यक्तियों को सरकार के विरुद्ध गम्भीर प्रकृति का षड़यंत्र करने का दोषी पाया गया । विशेष न्यायालय ने 14 अक्टूबर 1857 को इन्हें मृत्युदण्ड की सजा सुनाई और 16 अक्टूबर, 1857 को भैरो प्रसाद, नोहारी, मेन्था, शीतल, मुकदम, बुद्ध, अयोध्या, भुवनभीख एवं मेंहदी को फाँसी दे दी गई ।[67]

विद्रोहियों की सम्पत्ति सरकार ने जब्त कर ली और विद्रोहियों को बन्दी बनाकर उन पर मुकदमा चलाया गया । मि. जैकिन्सन और कैप्टन स्टील ने संघर्ष में सरकार की सहायता करने

---

65. **विकास** साप्ताहिक, शहीद अंक, 30 जनवरी, 1957, पृ. 4.
66. **वही.**
67. ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस ऑफ गवर्नमेण्ट वर्सेज भैरोप्रसाद, ईश्वरी प्रसाद एण्ड अदर्स, कलेक्ट्रेट म्यूटनी बस्ता, जौनपुर.

वाले सरकार समर्थक व्यक्तियों को जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट से पुरस्कृत करने की संस्तुति की।[68] राजा इरादत जहाँ की सम्पूर्ण सम्पत्ति राय हींगल लाल, महेश नारायण, मीर रेयायत अली, हैदर हुसेन, सैयद हसन, जुलकदर बहादुर, अली बख्श खां, सफदर हुसेन, मौलवी हसन अली, मीर मुहम्मद, अब्दुल मजीद मुंसिफ और मीर असगर अली में वितरित की गई ।[69]

18 दिसम्बर को विद्रोही सरदार विन्देश्वरी प्रसाद गिरफ्तार किए गए । जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने इनको पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा भी की थी । विन्देश्वरी प्रसाद पर एक थानेदार (शालिगराम) को कई सप्ताह तक बन्दी बनाए रखने, जौनपुर के राजा तथा तहसीलदार पर आक्रमण करने, चान्दा एवं मनिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के आरोप थे ।[70]

2 जनवरी, 1858 को बदलापुर के थानेदार ने राजा बाजार के राजा महेश नारायण सिंह की सहायता से विद्रोहियों को बदलापुर क्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। 9 जनवरी को ब्रिगेडियर फ्रैंक्स की सेना की एक टुकड़ी ने विद्रोहियों के दमन के लिए बदलापुर प्रस्थान किया। 11 जनवरी को विद्रोही खुदा बख्श के नेतृत्व में विद्रोहियों और अंग्रेजी फौज में संघर्ष हुआ और अंग्रेजी फौज ने एक विद्रोही को गिरफ्तार किया ।[71]

22 जनवरी को कर्नल राटन ने जौनपुर के शहीद नायब नाजिम राजा इरादत जहाँ के कुछ सहयोगियों को पकड़ने के लिए कुछ सैनिक टुकड़ियाँ भेजीं । महताब राय और बालेमन खां गिरफ्तार किए गए । ब्रिगेडियर फ्रैंक्स की सैनिक टुकड़ी ने 18 फरवरी को बदलापुर के पास सुल्तानपुर के विद्रोही नाजिम मेंहदी हसन की सेना को पराजित किया। यद्यपि अंग्रेज पक्ष के भी

---

68. एस.ए.ए. रिजवी, **फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश**, भाग 4, पृ. 474.
69. सय्यद एकबाल अहमद, **शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास**, पृ. 296.
70. लेटर फ्राम लेफ्टिनेन्ट कर्नल राटन इन मिलेट्री चार्ज, गोरखाफोर्स, टू लेफ्टिनेन्ट कर्नल स्ट्रेची टू दी गवर्नमेण्ट सेन्ट्रल प्रविंसेज, 31 अक्टूबर, 1857.
71. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जौनपुर**, पृ. 182.

ग्यारह व्यक्ति मारे गए लेकिन विद्रोही पक्ष के मृतकों की संख्या इससे भी अधिक थी ।[72]

19 फरवरी को मड़ियाहूँ परगना में अशान्ति का समाचार मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए मि. जैकिन्सन ने विद्रोहियों के दमन के लिए कठोर नीति अपनाई तथा फरार विद्रोहियों के घरों को नष्ट कर दिया। मि. जैकिन्सनके कठोर दमन के कारण अधिकांश विद्रोहियों ने मड़ियाहूँ क्षेत्र छोड़ दिया।[73] 28 मार्च को मड़ियाहूँ में सरकार समर्थक जमींदारों द्वारा तैयार की गई सशस्त्र व्यक्तियों की टुकड़ी से विद्रोहियों का संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में कई विद्रोही घायल हुए और 6 विद्रोही बन्दी बना लिए गए ।[74]

गोरखपुर के नाजिम के पुत्र गुलाम हुसैन ने विद्रोहियों की कई टुकड़ियों के साथ अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बदलापुर और तिघरा में जब अशान्ति का वातावरण उत्पन्न कर दिया तो 12 अप्रैल को मि. लुगार्ड ने गोरखा सैनिकों की सहायता से विद्रोही गुलाम हुसैन की सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ । यद्यपि इस संघर्ष में मि. लुगार्ड के सहयोगी लेफ्टिनेन्ट सी.डब्ल्यू. हेवलाक मारे गए किन्तु विद्रोही पक्ष के हताहतों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत ही अधिक थी ।[75]मि. लुगार्ड ने मार्ग के अधिकांश गाँवों में विद्रोहियों की सम्पत्ति नष्ट कर दी । विद्रोहियों की पराजय पर इस क्षेत्र के सरकार विरोधी जमींदारों ने अपनी मनोवृत्ति बदलकर सरकार का साथ देना प्रारम्भ कर दिया।[76]

23 अप्रैल, 1858 को डोभी के सेनापुर ग्राम में अंग्रेज अधिकारियों ने विश्वासघात करके डोभी के 22 देशभक्तों को आम के पेड़ की डालियों से लटका कर फाँसी दे दी । एक अंग्रेज

---

72. फारेन डिपार्टमेण्ट नार्थ वेस्ट प्राविंसेज नरेटिव ऑफ दी इवेन्ट्स फार जौनपुर फार दी वीक एण्डिंग , 21 फरवरी, 1858.
73. **वही.**
74. **वही**, 28 मार्च, 1858.
75. एस.ए.ए. रिजवी, **फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश**, भाग 4, पृ. 230.
76. **वही.**

सैनिक टुकड़ी आजमगढ़ पर पूर्ण अधिकार कर वापस बनारस लौटते समय सेनापुर गाँव में रूकी । अंग्रेज अधिकारी इस तथ्य से अवगत हो चुके थे कि आजमगढ़ पर कुँवर सिंह का अधिकार डोभी के बागी राजपूतों के सहयोग से हुआ था । इसीलिए अंग्रेजों के दिल में डोभी के बागी राजपूतों के प्रति प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी ।[77]

अंग्रेजों ने विश्वासघाती कूटनीति का सहारा लिया और शान्ति-समझौते के बहाने डोभी के राजपूत सरदारों तथा उनके अनुयायियों को सेनापुर गाँव में आमंत्रित किया। अंग्रेजों ने छल-प्रपंच के विविध तरीकों से यह जानने का प्रयास किया कि संग्राम में कौन-कौन लोग अगुआ तथा सहभागी थे ।[78] उन्हें सम्मानित करने का प्रलोभन देकर पूछा गया कि चोलापुर के मोर्चे पर किन-किन सरदारों ने अपनी शक्ति का परिचय किस-किस तरीके से दिया था। उन सरदारों की वीरता, देश-प्रेम और युद्ध-कौशल का जब भरपूर परिचय मिल गया तब 22 प्रमुख सरदारों को रात्रि भोज के लिए रोककर बाकी को विदा कर दिया गया।[79] जब सुलह के लिए बुलाए गए मान्य सरदार दरी पर बैठ गए तो पूर्वानुमोदित एक इशारे पर प्रत्येक सरदार के ऊपर दो-दो अंग्रेज सिपाही टूट पड़े और उनकी मुश्कें बाँध लीं । उसके पश्चात् उनसे गोमांस खाने को कहा गया। इस पर सेनापुर निवासी यदुवीर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी को विश्वासघात करने के लिए धिक्कारा और कहा कि हम मर्द की तरह मरेंगे । घुटने के बल चलकर या गीदड़ों की तरह गोमांस खाकर जीने की भीख नहीं माँगेगे । इस पर अंग्रेज अफसर को बहुत गुस्सा आया और सभी को तुरन्त फाँसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया।[80] सेनापुर गाँव के पूरब में स्थित आम के बगीचे में 22 देशभक्तों को हाथियों पर बिठाकर, गले में रस्सी के फंदे डालकर, रस्सी के दूसरे छोर को आम की डालियों से बाँधकर हाथियों को आगे बढ़ा दिया गया। इस प्रकार 22 देशभक्त शहीद हो गए। इतने से ही अंग्रेज संतुष्ट नहीं हुए और फाँसी देने के बाद भी पेड़ से लटकते शवों को अंग्रेजों ने अपनी बन्दूक की गोलियों से छलनी कर दिया।[81]

---

77. **चेतना** पत्रिका (1988), पृ. 4.
78. **वही**, पृ. 49.
79. **वही**, पृ. 5.
80. **वही**, पृ. 7.; बटुक सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का 'चेतना' में प्रकाशित पत्र.
81. **वही**, पृ. 49.

फाँसी पर चढ़ाए गए इन शहीद देशभक्तों में सात ऐसे हैं जिनके नाम कालप्रवाह में विलीन हो गए हैं, शेष पन्द्रह शहीदों के नाम की सूची निम्नलिखित है -[82]

क्रम संख्या	**नाम**	**ग्राम**
1.	ठा. यदुवीर सिंह	सेनापुर
2.	ठा. दयाल सिंह	सेनापुर
3.	ठा. शिवब्रत सिंह	बकटहीं
4.	ठा. जयमंगल सिंह	बोड़सर
5.	ठा. रामदुलार सिंह	बोड़सर
6.	ठा. अभिलाष सिंह	बोड़सर
7.	ठा. जगलाल सिंह	मढ़ीं
8.	ठा. देवकी सिंह	जरासी
9.	ठा. ठाकुर सिंह	चिटकों
10.	ठा. माधो सिंह	महापुर
11.	ठा. विशेश्वर सिंह	डीहाँ
12.	ठा. रामभरोसे सिंह	पनिहर
13.	ठा. छाँगुर सिंह	ब्राह्मण पुर
14.	जिवराम अहीर	चिटकों
15.	किशुन अहीर	चिटकों

बादशाहपुर में अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में विद्रोहियों के दमन हेतु भेजी गई सैन्य टुकड़ी अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल रही । सैनिक टुकड़ी ने विद्रोहियों तथा उनके समर्थकों को घटनास्थल पर ही दण्डित करना प्रारम्भ किया। सरकार समर्थक जमींदारों ने भी इस अभियान में अंग्रेजों की सहायता की । मई के प्रथम सप्ताह में सरकार ने एक विश्वासपात्र जमींदार और जौनपुर के एक विद्रोही नेता के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें विद्रोही नेता मारा गया।[83]

---

82. **हूज हू ऑफ इण्डियन मार्टायर्स**, भाग 3.
83. एस.ए.ए. रिजवी, **फ्रीडम स्ट्रगिल इन उत्तर प्रदेश**, भाग 4, पृ. 231.

5 जून, 1857 को सारजेण्ट डिगवुड की हत्या के सिलसिले में 6, 7 और 8 जून, 1858 को 15 व्यक्तियों को फाँसी दी गई । इन शहीदों के नाम हैं - सर्वश्री मातादीन, रामदीन, सुखलाल, इन्दरमन, शिवदीन, बरन, गोबर्धन, ठकुरी, बाबर, सुक्खू, परसन, भानूं, रमेस्सर, मुक्खी एवं शिवपाल । बाल दत्त तथा उनके साथ आठ अन्य लोगों को कालापानी की सजा हुई ।[84] अगस्त के प्रथम सप्ताह में विद्रोही सरदार झूरी सिंह की मृत्यु से जौनपुर-मिर्जापुर सीमा पर शान्ति स्थापित हुई । जौनपुर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने झूरी सिंह के अन्य साथियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए किन्तु उल्फत सिंह के अतिरिक्त अन्य कोई विद्रोही गिरफ्तार न किया जा सका ।[85]

सन् 1857 के विद्रोह के समय एक अंग्रेज भागकर रामनगर, भरसड़ा के इसरी सिंह के यहाँ शरण लिए हुए था। जब गाँव के आस-पास के लोगों को पता चला तो लोगों ने अंग्रेज को घर से बाहर निकालने के लिए इसरी सिंह को विवश कर दिया। अतः इसरी सिंह ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और हनुमान मंदिर के आगे पुल के पास उसे गोली मार दी गई । इस अपराध में इसरी सिंह को गाँव के पश्चिमी बाग में फाँसी दे दी गई और सुखराज सिंह को कालापानी की सजा दी गई । वे वापस लौटकर नहीं आए ।[86] 2 अक्टूबर को विद्रोही मलिक मेंहदी बक्स की सेना तथा गोरखा सैनिकों की टुकड़ी के मध्य हुए संघर्ष में विद्रोही शीघ्र ही पराजित हो गए और विद्रोहियों की सम्पत्ति को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जब्त कर लिया।[87]

बदलापुर के बागी सल्तनत बहादुर सिंह ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेज सैनिक

---

84. **विकास** साप्ताहिक, शहीद अंक, 30 जनवरी, 1957, पृ. 6.
85. ट्रायल प्रोसीडिंग इन दी केस ऑफ गवर्नमेण्ट वर्सेज इरादत्त जहाँ, फाइल संख्या 4/23
86. **विकास** साप्ताहिक, शहीद अंक, 30 जनवरी, 1957, पृ. 6.
87. **नरेटिव ऑफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन**, पृ. 20.

टुकड़ी को दो बार पराजित किया। अंग्रेजों ने क्रोधित होकर तीसरी बार बहुत बड़ी संख्या में तोप और बन्दूकों से सुसज्जित अंग्रेजी सेना सल्तनत बहादुर सिंह के दमन के लिए भेजी । सल्तनत बहादुर सिंह के पास सैनिकों तथा असलहों की संख्या अंग्रेजों की तुलना में कम थे । सल्तनत बहादुर सिंह किले से निकल कर आमने-सामने लड़ने लगे । उनके शौर्य एवं पराक्रम से भयभीत होकर अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को पुनः पीछे हटना पड़ा । इस संघर्ष में सल्तनत बहादुर सिंह के अधिकांश सैनिक मारे गए तब हताश होकर वे अपने कुछ बचे-खुचे सिपाहियों को लेकर अपने किले में वापस आ गए।[88]

बागी सल्तनत बहादुर सिंह के अधिकांश सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। वे अपने परिवार तथा बीस-पच्चीस सुरक्षा सैनिकों को लेकर गुप्त रूप से स्थान बदलकर सुल्तानपुर जिले में कादीपुर तहसील के सहब्दीपुर गाँव में रहने लगे । वे सहब्दीपुर के वीरान जंगल में गोमती के किनारे रहने लगे और अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि करके छापामार युद्ध किया करते थे । अंग्रेजी हुकूमत ने बागी सल्तनत बहादुर सिंह की खोज में अपने गुप्तचर चारों तरफ छोड़ रखे थे । उनमें से एक गुप्तचर बागी सल्तनत बहादुर सिंह के खेमे में पहुँच गया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने विचार प्रकट कर सल्तनत बहादुर सिंह का विश्वास प्राप्त कर लिया और वहीं पर रहकर सल्तनत बहादुर सिंह के कार्यक्रमों का निरीक्षण करके एक दिन गुप्तरूप से भागकर अंग्रेजों से जा मिला और उन्हें बताया कि बागी सल्तनत बहादुर सिंह सहब्दीपुर के जंगलों में रहते हैं तथा उन्हें गिरफ्तार करने का उचित समय दिन का बारह बजे है, जब वे स्नान करके देवी की पूजा करते हैं । इस सूचना पर अंग्रेजी फौज ने बागी सल्तनत बहादुर सिंह को पूजा करते समय जाकर घेर लिया और उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया।[89]

बागी सल्तनत बहादुर के पुत्र संग्राम सिंह ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी लेकर अपने पुराने ध्वस्त किले में लौट आए और आस-पास के

---

88. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 13.

89. **वही.**

निवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने लगे । इसकी सूचना मिलने पर अंग्रेजों ने अपनी फौज ठा. संग्राम सिंह को गिरफ्तार करने के लिए भेजी । ठा. संग्राम सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों और अंग्रेजी फौज के मध्य घमासान संघर्ष हुआ और ठा. संग्राम सिंह के दल के अधिकांश सैनिक मारे गए ।[90]

ठा. संग्राम सिंह टुड़वां में गिरफ्तार किए गए । श्री अंगदू सिंह, गजराज सिंह, शिवलाल सिंह और विन्देसरी सिंह भी गिरफ्तार किए गए । ठा. संग्राम सिंह और श्री अंगदू सिंह को जौनपुर में जोगियापुर के पास एक पेड़ पर लटका कर फाँसी दे दी गई ।[91]

शिवलाल सिंह और उनके पुत्र बिन्देसरी सिंह को कालापानी की सज़ा हुई । शिवलाल सिंह वहीं जेल में मर गए किन्तु विन्देसरी सिंह काफी समय बाद वापस लौटे । बदलापुर के पूर्व सड़क पर एक इमली के पेड़ से कहीं अन्यत्र से लाए गए दस व्यक्तियों को फाँसी दे दी गई । ये शहीद स्थानीय नहीं थे । कुँवरपुर गाँव के 14 व्यक्तियों को सरकारी हथियार छीन लेने के अपराध में कालापानी की सज़ा हुई और ये लोग पुनः वापस लौटकर नहीं आए । इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं - जगत सिंह, झगड़ सिंह, भीखा सिंह, बेचई हरिजन तथा उमन्डा सिंह । कुँवरपुर गाँव को तीन बार जलाया गया और यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की यातनाएँ दी गईं। कर्नल नील की फौज की एक टुकड़ी द्वारा कुरनी गाँव में श्री मंगल सिंह का मकान लूटा और जला दिया गया। मंगल सिंह फरार हो गए थे ।[92]

कुँवरपुर के प्रभावशाली जमींदार बख्त सिंह कन्नौजिया भी अंग्रेजी फौज के साथ संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए ।[93] 19 अक्टूबर को विद्रोही सरदार हसनयार की सैनिक टुकड़ी

---

90. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 13.
91. **हूज हू ऑफ इण्डियन मार्टायर्स**, भाग 3, पृ. 10 एवं पृ. 131.
92. **विकास** साप्ताहिक, शहीद अंक, 30 जनवरी, 1957, पृ. 6.
93. **हूज हू ऑफ इण्डियन मार्टायर्स**, भाग 3, पृ. 70.

के साथ खुदवा में संघर्ष हुआ, जिसमें विद्रोही पराजित होकर पलायित हो गए । विद्रोहियों की अधिकांश रसद गोरखा सैनिकों के हाथ लगी ।[94]

जौनपुर के विशेष न्यायाधीश एच.जी. ऐस्टेल ने 23 अक्टूबर को नुगहटी के मकदूम बख्श, देहवा के गुगुन मिश्र झिलिवा के विन्देश्वरी बख्श सिंह एवं नेपाल सिंह, तिलवारी के सरनाम सिंह, मीरचन्द्र पुर के फुल्ली सिंह एवं परगस सिंह, बदलापुर के अर्जुन सिंह , बहउरा के अहबरन सिंह, और कटघर के रछिपाल सिंह की सम्पूर्ण सम्पत्ति 1857 के 25वें अधिनियम के अन्तर्गत जब्त करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया।[95]

कोईरीपुर के निकट 30 अक्टूबर को विद्रोहियों की गोरखा सैनिक टुकड़ी से संघर्ष हुआ। गोरखा सैनिकों के सुनियोजित आक्रमण एवं भारी गोली वर्षा के परिणाम स्वरूप विद्रोही बुरी तरह पराजित हुए । इस संघर्ष में 12 विद्रोही मारे गए और 59 घायल हुए । विद्रोहियों की अधिकांश बन्दूकें गोरखा सैनिकों के हाथ लगीं ।[96]

22 नवम्बर को कर्नल लागडेन के नेतृत्व में गोरखा सैनिकों की एक टुकड़ी का संघर्ष सिंगरामऊ में विद्रोही सैनिकों के एक बड़े दल से हुआ, जिसकी सहायता मेंहदी हसन बख्श और मुज्जफर जहाँ कर रहे थे । संघर्ष के बाद यह विद्रोही दल जौनपुर की ओर चला गया परन्तु इस विद्रोही दल के कुछ सदस्यों को गोरखा सैनिकों ने गिरफ्तार कर विद्रोहियों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की ।[97]

---

94. **नरेटिव ऑफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन,** पृ. 21.
95. **फारेन डिपार्टमेण्ट कन्सलटेशंस,** मार्च 1859-नवम्बर, 1859.
96. **नरेटिव ऑफ इवेन्ट्स इन बनारस डिवीजन**, पृ. 21.
97. **वही,** पृ.23.

जौनपुर जनपद में 1857-1858 के विद्रोह एवं घटनाक्रमों के विश्लेषण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जौनपुर में विद्रोह का स्वरूप अत्यधिक व्यापक था। आम जनता, जमींदारों, क्षेत्रीय प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा विद्रोहियों को अत्यधिक सहयोग एवं समर्थन प्राप्त हुआ । विद्रोहियों ने सरकार समर्थक व्यक्तियों एवं जमींदारों के प्रति लूट-पाट की घटनाएँ भी कीं । इसीलिए कुछ अंग्रेजी मानसिकता से ग्रसित लेखकों ने इन विद्रोहियों को अपनी लेखनी द्वारा डाकू की संज्ञा भी दी है । बनारस की तुलना में जौनपुर जनपद में विद्रोह का क्षेत्र अधिक विस्तृत रहा और इस जनपद में विद्रोह की मशाल अधिक समय तक प्रज्वलित रही ।

तृतीय अध्याय

खिलाफत, असहयोग तथा किसान-आन्दोलन

खिलाफत, असहयोग तथा किसान-आन्दोलन

1920 के पूर्व की घटनाएँ

1857 के विद्रोह की असफलता के बाद अगले तीस वर्षों तक जौनपुर के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई । 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद यहाँ कुछ राजनैतिक उत्तेजना उत्पन्न हुई और 1894 ई. में मुहल्ला उर्दू में एक राजनीतिक बैठक हुई जिसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे ।[1] यह बैठक कांग्रेस के समर्थन के लिए आयोजित की गई थी । बैठक के बाद नगर में एक प्रदर्शन किया गया । प्रदर्शनकारी देश-प्रेम में नारे लगा रहे थे । नगर के विभिन्न मुहल्लों में ऐसी कई बैठकें आयोजित की गईं । इन बैठकों में कहा गया कि देश हमारा है, परन्तु हमारे देश पर विदेशी सरकार राज्य कर रही है । हमारा कर्तव्य है कि हम कांग्रेस को शक्तिशाली बनाएँ जिससे कि यह एक सुदृढ़ संगठन के रूप में विदेशी सरकार का बहिष्कार कर सकें ।[2] परन्तु शीघ्र ही यह राजनैतिक उत्तेजना अगले दस वर्षों के लिए सुसुप्तावस्था में चली गई ।

स्वतन्त्रता-संघर्ष में भागीदारी की दृष्टि से प्रान्तों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है । मुख्य रूप से 1920 तक के स्वतन्त्रता आन्दोलन की दृष्टि से कुछ प्रान्तों को "सक्रिय" और कुछ को "पिछड़ा हुआ" माना गया है । बंगाल, बम्बई, और मद्रास में राजनैतिक चेतना प्रभावकारी होने से इन्हें "सक्रिय" कहा गया और उत्तर प्रदेश जैसे प्रान्तों को 1920 तक "पिछड़े हुए" प्रान्तों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से यहाँ राष्ट्रीय जागरण कम था। उत्तर प्रदेश को

---

1. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर,** जौनपुर (1986), पृ. 50.
2. सय्यद एकबाल अहमद, **शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास,** पृ. 300.

"सुस्त" प्रान्त कहा गया क्योंकि 1920 तक के राष्ट्रीय आन्दोलन में इसकी भूमिका प्रभावकारी नहीं थी । उत्तर प्रदेश की इस राजनैतिक शिथिलता के प्रभाव से जौनपुर भी अछूता न रहा । प्रारम्भ में जौनपुर जनपद राजनैतिक चेतना की दृष्टि से बहुत पिछड़ा था, यहाँ तक कि बंग-भंग और वायसराय बम-काण्ड पर भी कोई विशेष प्रतिक्रिया यहाँ नहीं हुई । सन् 1907-8 में जौनपुर के मिशन स्कूल के कुछ छात्र स्कूल जाते समय बन्देमातरम् के नारे लगाते हुए चलते थे लेकिन स्कूल-गेट तक पहुँचते ही उनकी जुबान बन्द हो जाती थी ।[3]

बंगाल-विभाजन से उत्पन्न असंतोष के वातावरण में 1905 में कांग्रेस का 21वाँ अधिवेशन वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ । गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कर्जन के शासन की तीखी आलोचना करते हुए बंगाल के विभाजन पर विरोध प्रकट किया। गोखले ने कहा कि यदि लोगों को इसी तरह अपमानित किया जाना है तो मैं यही कह सकता हूँ कि लोकहित में शासन के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग करने की आशा को अन्तिम नमस्कार है । गोखले के शब्दों में वह भविष्यवाणी छिपी हुई थी जिसे असहयोग आन्दोलन का श्रीगणेश करते समय गांधी जी ने सत्य कर दिखाया । गोखले ने स्वदेशी तथा बहिष्कार-आन्दोलन का उल्लेख किया और उन्होंने हथकरघा उद्योग के पुनरूत्थान पर बल दिया ।[4]

जौनपुर के कुछ युवकों ने भी 1905 में गोखले की अध्यक्षता में बनारस के 21वें कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया । इन युवकों ने कांग्रेस के निर्देशों के अनुरूप जनपद में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का प्रचार भी किया। यद्यपि इस समय तक जनपद में कोई राजनैतिक संगठन नहीं था, परन्तु कुछ राजनैतिक चेतना जागृत हुई जो बंगाल-विभाजन के बाद जनपद में व्यापक रूप से फैल गई ।[5]

---

3. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 9.
4. टी.आर. देवगिरिकर, **गोपालकृष्ण गोखले**, पृ. 160-161.
5. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर**, जौनपुर (1986), पृ. 50.

जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ तो जौनपुर के एक क्रान्तिकारी युवक मुज़तवा हुसेन पढ़ने के बहाने बम बनाने की कला सीखने के लिए कैलीफोर्नियां गए और वहाँ के भारतीयों को संगठित कर सहायता के लिए प्रेरित किया। जब अंग्रेजी सरकार को उनकी गतिविधियों की सूचना मिली तो उन्हें प्रथम लाहौर-काण्ड में फंसा दिया। इसके अतिरिक्त उन्हें कोमागाटामारू नामक प्रसिद्ध काण्ड में भी अभियुक्त बनाया गया । उन्हें मृत्यु दण्ड की सजा सुनाकर रंगून के जेल में बन्द कर दिया गया था । सन् 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनके मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया । मुज़तबा हुसेन की बहादुरी का पूर्ण विवरण 1918 में प्रकाशित हण्टर कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है ।[6] मुज़तवा हुसेन को जेल में नारकीय जीवन बिताना पड़ा। उनके भोजन में हल्का विष मिलाकर दिया जाता था और पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था जिससे कि विष असर करे । उन्होंने पानी के अभाव में गमले में पेशाब कर उसे पीकर विष के विकार को समाप्त किया और अपने प्राणों की रक्षा की । जब सन् 1937 में कांग्रेस की सरकार बनी तब उन्हें जेल से रिहा किया गया, परन्तु रिहाई के बाद भी बहुत दिनों तक आप पर अनेक कड़े प्रतिबन्ध लगाए गए थे ।[7]

महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह में भी जौनपुर जनपद की अग्रणी भूमिका रही । दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी ने जाति-भेद एवं रंग-भेद के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारम्भ किया तो गांधी जी ने मछली शहर तहसील के इटहा ग्राम के निवासी पं. राम सुन्दर पाठक को प्रथम सत्याग्रही बनाया था। जब महात्मा गांधी ने भारतीय प्रवासियों की समस्या के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार से बात करने के लिए एक प्रतिनिधि-मण्डल इंग्लैण्ड भेजा जिसमें पं. राम सुन्दर पाठक भी थे । सन् 1914 में स्वदेश वापस आने पर बम्बई में आपको जहाज से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया । पं. राम सुन्दर पाठक को 1915 में जौनपुर लाया गया और जौनपुर जेल से जमानत पर छूटे।[8]

---

6. सय्यद एकबाल अहमद , **शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास**, पृ. 301.
7. **विकास साप्ताहिक**, शहीद अंक, 30 जनवरी, 1957, पृ. 15.
8. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 26.

अगस्त 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने पर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जर्मनी से मिलकर भारत को स्वतन्त्र कराने के लिए सशस्त्र क्रान्ति की तैयारी में पं. परमानन्द के नेतृत्व में, "कोमागाटा मारू" जहाज द्वारा कनाडा से हथियार लाने के लिए एक क्रान्तिकारी दल गया था । इस दल में जौनपुर के चित्रसारी निवासी मुज्तबा हुसेन भी थे । जहाज की वापसी पर कलकत्ता के पास उतरने पर वे अपने सगे भाई मुस्तफा हुसेन की निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिए गए और फाँसी की सजा सुनाई गई जो बाद में आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दी गई ।[9] यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों की हर प्रकार से सहायता की, परन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर, गाजीपुर तथा आजमगढ़ के कुछ मुसलमानों ने जर्मनी के प्रति सहानुभूति प्रकट की । 31 अगस्त 1914 को प्रान्तीय सरकार ने इस स्थिति पर पूर्णतः असन्तोष व्यक्त किया ।[10]

1 सितम्बर 1916 को श्रीमती एनीबेसेन्ट ने अखिल भारतीय लीग की स्थापना की । होमरूल आन्दोलन ने देश पर गहरा प्रभाव डाला। 1917 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रायः प्रत्येक जिले में होमरूल लीग की शाखाएँ स्थापित की गईं । 1917 में बालगंगाधर तिलक व एनीबेसेन्ट होमरूल आन्दोलन के सिलसिले में प्रयाग आए तो जौनपुर के कुछ लोग भी वहाँ गए और वहीं जौनपुर जिले के लिए विजय बहादुर सिंह की अध्यक्षता में एक जिला होमरूल लीग की स्थापना की गई। शिववर्ण शर्मा मंत्री बनाए गए थे । 1918 में श्रीमती एनी वेसेन्ट के होमरूल आन्दोलन से जिले में कुछ सन-सनी फैली तथा जौनपुर शहर में रामेश्वर प्रसाद सिंह, रामनाथ तिवारी, लाल जी मेहरोत्रा तथा रामानुज दास ने एक होमरूल शहर कमेटी की स्थापना की ।[11] इन लोगों ने होमरूल लीग के पर्चे बाँटे और मेलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार किया। सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ और आगे चलकर यह आन्दोलन समाप्त हो गया, क्योंकि शहर में लीग की स्थापना करने वाले विद्यार्थी अपने कॉलेजों में वापस चले गए ।[12]

---

9. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 26.
10. गुप्तचर विभाग के अभिलेख.
11. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 26.
12. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 9.

भारतीय नेताओं के तीव्र प्रतिरोध के बावजूद 18 मार्च 1919 को रौलट-बिल पास हो गया। गांधी जी ने रौलट-बिल के विरुद्ध आन्दोलन का प्रारम्भ व्रत द्वारा किया । पहले 30 मार्च को सम्पूर्ण भारत में हड़ताल करने का निश्चय किया गया परन्तु बाद में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करने का निश्चय किया गया । पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सत्याग्रह-दिवस मनाया गया, सभाओं का आयोजन किया गया तथा हड़तालें की गईं।[13] रौलट एक्ट और 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग काण्ड तथा सैनिक क्रूरता ने इस जिले में नई चेतना पैदा कर दी थी ।[14]

खिलाफत तथा असहयोग आन्दोलन

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद के स्वतन्त्रता आन्दोलन की एक बहुत बड़ी विशेषता थी - हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच फौलादी एकता । भारतीयों की साम्राज्यवाद विरोधी इस एकता को मजबूत करने और मुसलमानों को ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध खड़ा करने में खिलाफत आन्दोलन का बहुत बड़ा हाथ था । प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की का सुल्तान एक विशाल साम्राज्य का स्वामी ही न था, वह विश्व भर के सुन्नी मुसलमानों का धार्मिक गुरु 'खलीफा' भी था। महायुद्ध में तुर्की की हार के बाद ब्रिटेन, फ्रांस आदि ने उसके राज्य को आपस में बाँट लिया और खलीफा मात्र एक छोटे राज्य का स्वामी रह गया था । तुर्की और खलीफा के साथ किए गए इस वर्ताव से दुनियां के सभी मुसलमानों में असंतोष फैला । उन्होंने अपने असंतोष को संगठित रूप से प्रकट करने के लिए जगह-जगह खिलाफत कमेटी की स्थापना की । भारत में खिलाफत कमेटी की स्थापना 1918 में हुई। उसका मुख्य उद्देश्य तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ और खलीफा के पक्ष में आन्दोलन करना था। राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित मुस्लिम नेता खिलाफत आन्दोलन के भी नेता बनकर सामने आए।[15]

गांधी जी भी हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करके एक स्वर से सरकार का

---

13. **1921 के असहयोग आन्दोलन की झाँकियां**, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, पृ. 137.
14. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 17.
15. अयोध्या सिंह, **भारत का मुक्ति संग्राम**, पृ. 413-414.

विरोध करना चाहते थे, अतः उन्होंने खिलाफत आन्दोलन का समर्थन करने तथा मुसलमानों का पूर्णतया साथ देने का निर्णय किया । उन्होंने 'यंग इण्डिया' में लिखा - "यदि उनका मसला मुझे न्यायोचित लगता है तो मेरा यह फर्ज है कि उनकी मुसीबत की घड़ियों में भरसक मदद करूँ ।"[16]

खलीफा के प्रति विश्वास एवं खिलाफत आन्दोलन को गतिशील बनाने के लिए 21 सितम्बर, 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य तुर्की के सुल्तान एवं तुर्की-साम्राज्य के प्रति मुस्लिम भावना की वास्तविक प्रतिक्रिया व्यक्त करना था । [17]

लखनऊ-सम्मेलन से उत्तर प्रदेश में आन्दोलन की सक्रियता में वृद्धि हुई । खिलाफती नेताओं ने 17 अक्टूबर , 1919 को खिलाफत दिवस मनाने का निश्चय किया तथा समस्त भारतीयों से 17 अक्टूबर को दुकानें बन्द रखने का आग्रह किया । उनके आग्रह में यह आकर्षण भी था कि यदि सभी भारतीय तुर्की के प्रश्न पर मुसलमानों का साथ देते हैं तो मुसलमान गो-हत्या का निषेध करेंगे । गांधी जी ने भी खिलाफत दिवस का समर्थन करते हुए भारतीयों को व्रत रहने एवं प्रार्थना करने के साथ-साथ हड़ताल में सक्रिय रूप से सहयोग देने का आह्वान किया।[18]

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर, बनारस एवं आजमगढ़ जिलों में हड़तालें की गईं । व्यापार तथा यातायात बन्द रहा । सभाओं का आयोजन किया गया और ब्रिटिश सरकार की दमन-नीति की कटु आलोचना की गई । आन्दोलन के समर्थन में जुलूस निकाले गए एवं मस्जिदों में प्रार्थनाएँ की गईं।[19]

---

16. **यंग इण्डिया** (1919-22), पृ. 152.
17. **इण्डिपेंडेंट**, 7 सितम्बर, 1919.
18. होम, पोलिटिकल , बी, अक्टूबर 1919, फाइल संख्या 360-63.
19. गुप्तचर विभाग के अभिलेख.

उत्तर प्रदेश में खिलाफत दिवस की सफलता प्रभावकारी रही । "इस्लाम खतरे में है" के नारे से सभी मुस्लिम-वर्ग अत्यधिक प्रभावित थे । खिलाफत दिवस की सफलता के बाद नौकरशाही को भी जनमत से भय होने लगा था । उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा भारत सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में परिस्थितियों की गम्भीरता को स्वीकार करते हुए कहा गया था कि - "यद्यपि किसी प्रकार का तात्कालिक खतरा नहीं है । परन्तु परिस्थितियाँ अत्यधिक गम्भीर होती जा रही हैं । हिन्दू-मुस्लिम राजनीतिज्ञों के मेल से खतरा बढ़ा गया है ।"[20]

लखनऊ-सम्मेलन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मुस्लिम-राजनीति में उलेमाओं का प्रभाव कितना बढ़ गया था । दिसम्बर 1919 में इब्नी अहमद का यह कथन मुस्लिम भावना का प्रतीक था कि "इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि तुर्की के भविष्य से प्रत्येक मुसलमान का सम्बन्ध है।"[21]

भारत के सभी प्रान्तों में प्रान्तीय खिलाफत समितियों का गठन किया गया । उत्तर प्रदेश में प्रान्तीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष मुमताज हुसेन, उपाध्यक्ष एन. सलामुतुल्ला एवं सचिव शौकत अली बनाए गए । उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी खिलाफत समितियों का गठन किया गया। जौनपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़ और बिजनौर जैसे नगरों में खिलाफत समितियों की स्थापना की गई । जौनपुर खिलाफत समिति ने कविताओं के एक संग्रह का प्रकाशन किया । इसका शीर्षक था, "बुलबुलानी हरियत के तराने" (बुलबुल के संगीत)।[22]

सन् 1920 में जौनपुर जिले में भी अब्दुल हमीद 'कौम' के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई । बाद में खिलाफत-आन्दोलन और कांग्रेस-आन्दोलन दोनों एकसाथ ही जुड़ गए ।

---

20. फोर्ट नाइटली रिपोर्ट, यू.पी.,अक्टूबर 1919, द्वितीय पक्ष; होम, पोलिटिकल डिपाजिट, नवम्बर 1919, फाइल संख्या 16.
21. फ्रांसिस राबिन्सन, सेप्रेटिज्म एमांग इण्डियन मुस्लिम्स (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1974), पृ.391.
22. मुशीरुल हसन, **नेशनलिज्म एण्ड कम्यूनल पालिटिक्स इन इण्डिया**, 1916-1928 (नई दिल्ली 1979), पृ.111.

1920 में शौकत अली खेतासराय के सैयद एजाज अहमद के यहाँ आए । सैयद एजाज अहमद उत्तर प्रदेश 'जमायते उलमा' के उपाध्यक्ष भी थे । 1921 में ये विदेशी वस्त्र-बहिष्कार आन्दोलन में गिरफ्तार किए गए और इन्हें तीन महीने की सजा हुई लेकिन जेल में बीमार पड़ जाने पर एक महीने में ही छोड़ दिए गए ।[23]

फरवरी 1920 के अन्तिम सप्ताह में बंगाल खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया तथा 19 मार्च, 1920 को हड़ताल के माध्यम से 'खिलाफत-दिवस' मनाने का निश्चय किया गया ।[24] मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ब्रिटेन गया था । 17 मार्च , 1920 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लायड जार्ज के निराशाजनक उत्तर से मुसलमानों में आक्रोश व्याप्त हो गया तथा 19 मार्च को विरोध-दिवस मनाने का निश्चय किया गया । मार्च के दूसरे सप्ताह में मेरठ के खिलाफत-सम्मेलन में गांधी जी ने असहयोग कार्यक्रम सम्बन्धित योजना को लागू करने की घोषणा कर दी ।[25] असहयोग-कार्यक्रम में अनेक बातों पर सहमति व्यक्त की गई थी जिसमें भारतीयों को सरकारी नौकरी छोड़ने, कौंसिल की सदस्यता छोड़ने एवं करों को न देने का सुझाव था । बम्बई में अपने एक भाषण में शौकत अली ने कहा कि, "यदि तुर्क लोग यूरोप से निकाल दिए गए तो एशिया से यूरोपियनों को निकाल देना हमारा कर्तव्य होगा ।"[26]

गांधी एवं अली बन्धु की घोषणा से 19 मार्च, 1920 को राष्ट्रीय शोक-दिवस मनाने के निर्णय को बहुत बल मिला । उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में 19 मार्च को राष्ट्रीय शोक-दिवस पर महत्वपूर्ण सभाओं का आयोजन किया गया । इन सभाओं में खलीफा के लिए प्रार्थनाएँ की गईं। ऐसी सभाएँ जौनपुर, बनारस, फैजाबाद , लखनऊ, आगरा एवं अलीगढ़ में आयोजित की गईं । 19 मार्च

---

23. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 49-50.
24. **इण्डिपेंडेंट**, 3 मार्च, 1920.
25. **वही** , 27 मार्च, 1920.
26. **प्रताप**, 5 अप्रैल, 1920.

को पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हड़ताल रही और सभाओं का आयोजन किया गया ।[27]

खिलाफत-आन्दोलन के समय जौनपुर नगर में सबसे बड़ी और विशाल सभा 27 मार्च, 1921 को हनुमान घाट पर उर्दू साप्ताहिक पत्र 'जादू' के सम्पादक अब्दुल रहमान की अध्यक्षता में हुई । इस सभा में प्रयाग से आए दो वक्ताओं (कमालउद्दीन जाफरी एवं कपिलदेव मालवीय) ने खिलाफत आन्दोलन का विस्तार से इतिहास बताते हुए उसके कार्यक्रमों पर प्रकाशडाला और इस सभा के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में मुसलमानों के एक बड़े समुदाय ने खुलकर खिलाफत-आन्दोलन में भाग लिया ।[28]

खिलाफत आन्दोलन के परिणाम स्वरूप जिले के अनेक भद्र मुस्लिम परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ गए । निजामुद्दीन सिद्दीकी जैसे प्रखर और निर्भीक कार्यकर्ता भी जौनपुर कांग्रेस को मिले । लखनऊ कांग्रेस - अधिवेशन में उनके धुँवाधार धाराप्रवाह भाषण पर पं. जवाहर लाल नेहरू ने चकित होकर, उनका स्वयं परिचय प्राप्त कर उनकी सराहना की ।[29]

उत्तर प्रदेश में 6 से 13 अप्रैल , 1920 तक राष्ट्रीय सप्ताह भी मनाया गया । जौनपुर के निकटस्थ जनपद फैजाबाद में । और 2 मई, 1920 को एक प्रान्तीय खिलाफत सभा का आयोजन हुआ । सभा में शौकत अली ने प्रिंस के भारत आगमन पर सभी स्थानों पर बहिष्कार और हड़ताल की चेतावनी दी ।[30] 17 नवम्बर, 1921 को युवराज के भारत आगमन पर आयोजित देशव्यापी हड़ताल के समय जौनपुर में अभूतपूर्व हड़ताल रही । इस हड़ताल के पूर्व और काफी बाद तक ऐसी हड़ताल नगर में देखने को नहीं मिली । यद्यपि शिया मुसलमान खिलाफत के खिलाफ थे और नगर में कुछ शिया मुसलमान दुकानदारों की दुकानें खुली रहीं, परन्तु अन्ततः हड़ताल पूर्ण सफल रही ।[31]

---

27. गुप्तचर विभाग के अभिलेख.
28. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 104.
29. **वही.**
30. होम, पोलिटिकल, बी., जुलाई, 1920, फाइल संख्या 94.
31. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 104.

15 मई, 1920 को तुर्की शान्ति-संधि की शर्तें प्रकाशित कर दी गईं। ये शर्तें बहुत कड़ी थीं जिससे मुसलमान क्षुब्ध हो उठे । तुर्की प्रतिनिधि मण्डल से सन्धि-पत्र पर बलात् हस्ताक्षर करवाए गए । 28 मई, 1920 को केन्द्रीय खिलाफत समिति की बैठक बम्बई में हुई जिसमें अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया ।[32] जौनपुर के सैयद हामिद हसन असहयोग स्वरूप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छोड़कर खिलाफत आन्दोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए । 1921 में सत्याग्रहियों का स्वागत करने और धारा 144 तोड़ने के आरोप में इन पर मुकदमा चला एवं पन्द्रह रुपये जुर्माना हुआ । ये अहमदाबाद, गया और कोकोनाडा कांग्रेस अधिवेशन में जिले के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे । इन्हें अंग्रेज कलेक्टर के कोपभाजन के कारण कई बार प्रताड़ित भी किया गया ।[33]

मछली शहर के रऊफ जाफरी ने भी खिलाफत आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । इन्होंने भी सन् 1922 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय छोड़ दिया। इनको मौलाना मुहम्मद अली ने अपने खिलाफत अखबार 'हमदर्द' में सहयोग के लिए दिल्ली बुला लिया ।[34] इन लोगों के सुयोग्य नेतृत्व एवं सक्रिय भागीदारी से जौनपुर जनपद ने खिलाफत-आन्दोलन में स्मरणीय भूमिका निभाई ।

असहयोग आन्दोलन और खिलाफत-आन्दोलन का सम्बन्ध

28 मई, 1920 को 'हण्टर कमेटी' की रिपोर्ट प्रकाशित हुई । इस पर कांग्रेस एवं केन्द्रीय खिलाफत समिति ने रोष व्यक्त किया। 28 मई को केन्द्रीय खिलाफत समिति की बैठक बम्बई में हुई और असहयोग भारतीय खिलाफतियों का एकमात्र अस्त्र बताया गया । 30 और 31 मई, 1920 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक वाराणसी में हुई, जिसमें असहयोग

---

32. पी.सी. बमफोर्ड , **हिस्ट्री ऑफ् द नान क्वापरेशन एण्ड खिलाफत मूवमेंट्स**, पृ. 156
33. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 50.
34. वही.

आन्दोलन पर विचार किया गया । इस बैठक में तुर्की के भविष्य के साथ-साथ हण्टर कमेटी की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया । लोकमान्य तिलक ने इस बैठक में भाग नहीं लिया । गांधी जी ने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के समक्ष असहयोग कार्यक्रम को रखा ।[35]

यहाँ एक विचारणीय तथ्य यह है कि अभी तक असहयोग कार्यक्रम में केवल खिलाफत का ही प्रश्न था परन्तु हण्टर कमेटी की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद पंजाब-प्रकरण भी अब उसमें समाहित होने लगा था । बाद में खिलाफत-आन्दोलन गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग-आन्दोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ गया। ये दो धाराएँ एक दूसरे में समाहित हो गईं। असहयोग-आन्दोलन और खिलाफत-आन्दोलन साथ-साथ संचालित किए गए । 1921 में खिलाफत-आन्दोलन में कुछ कमजोरियाँ दिखाई देने लगीं । उत्तर प्रदेश के खिलाफती नेताओं में दो वर्ग हो गए थे । एक वर्ग गांधी जी के शान्तिपूर्ण तरीकों में विश्वास करता था तथा दूसरा वर्ग मुस्लिम उग्रवादी भावना से प्रेरित था । परिणाम स्वरूप 1921 ई. के अन्त तक खिलाफत आन्दोलन से सम्बन्धित असहयोग आन्दोलन गांधीवादी नीतियों एवं कार्यक्रमों की सीमाओं से बाहर होने लगा था ।[36]

असहयोग आन्दोलन

1 अगस्त, 1920 को 'खिलाफत-दिवस' के साथ ही असहयोग-आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ तथा प्रान्तीय खिलाफत समिति ने असहयोग-आन्दोलन को सफल बनाने का दृढ़ निश्चय किया।[37] 22 अगस्त, 1920 को इलाहाबद में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने कुछ संशोधनों के साथ असहयोग-आन्दोलन के सिद्धान्त को अपनी स्वीकृति प्रदान की और अपने प्रस्ताव द्वारा सभी सम्मानित पदों एवं उपाधियों को त्यागने, सरकारी शिक्षण-संस्थाओं का क्रमशः बहिष्कार करने, सरकारी न्यायालयों के स्थान पर यथासम्भव पंचायतों को स्थापित करने, विदेशी सामानों, ऋणों एवं अदालती कार्यवाहियों के बहिष्कार का निर्णय लिया ।[38]

---

35. गुप्तचर विभाग के अभिलेख.
36. उग्रसेन सिंह, **उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता संघर्ष**, पृ. 118-19.
37. गुप्तचर विभाग के अभिलेख.
38. ए.आई.सी.सी. फाइल्स, 1920, भाग 2, पृ. 13.

4 सितम्बर से 8 सितम्बर तक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ । इस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आन्दोलन के प्रस्ताव का मोतीलाल नेहरू, डॉ. अंसारी, शौकत अली आदि ने समर्थन किया । परन्तु एनीबेसेन्ट, सी.आर. दास, मालवीय और जिन्ना ने प्रस्ताव का विरोध किया और विपिन चन्द्र पाल के संशोधित प्रस्ताव का समर्थन किया ।[39] जहाँ गांधी जी कौंसिलों के बहिष्कार के पक्ष में थे , वहीं विपिन चन्द्र पाल कौंसिलों में जाकर सरकार का विरोध करने के पक्ष में थे । चितरंजन दास ने अपने प्रभावशाली भाषण से सिद्ध कर दिखाया कि इस समय कौंसिलों के बहिष्कार का अर्थ कौंसिलों से राष्ट्रीय पक्ष के लोगों का बहिष्कार होगा ।[40]

जहाँ एक ओर असहयोग-प्रस्ताव का विरोध करने वाले पक्ष में अनेक प्रभावशाली नेता और वक्ता थे, वहीं उसके पक्ष में गांधी जी के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावशाली वक्ता न था । गांधी जी को ही अपने प्रस्ताव का दृढ़ता से पक्ष समर्थन करना पड़ा । अपने प्रस्ताव को गांधी जी ने जिस दृढ़ता से स्वीकृत कराया, वह उनके युगद्रष्टा स्वरूप की परिचायक थी । 8 सितम्बर , 1920 को कलकत्ता के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी का असहयोग प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हुआ ।[41]

1918 तथा 1919 के कांग्रेस अधिवेशनों एवं इस विशेष अधिवेशन में मुख्य अन्तर यह था कि पहली बार मुसलमान सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया । खिलाफतियों के समर्थन से गांधी जी का पक्ष मजबूत हुआ । अधिवेशन का समापन करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस और खिलाफत के मध्य गठबन्धन की कटु आलोचना की ।[42]

इस ऐतिहासिक विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने कहा कि "अब प्रस्तावों, प्रार्थनाओं और प्रार्थना-पत्रों से हमारा संतोष नहीं होता । हम लोग 'अति नम्र प्रार्थना' की चौकी पार

---

39. वी.पी. वर्मा, **फ्रीडम स्ट्रगिल,** पृ. 68.

40. स्वतन्त्रता संग्राम, स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन, **आज,** पृ. 22.

41. **वही.**

42. **लीडर,** 11 सितम्बर, 1920.

कर गए हैं, 'सादर माँगने' की सीमा भी लांघ चुके हैं ।"[43]

असहयोग प्रस्ताव एवं कार्यक्रम के स्वीकार होते ही उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संघर्ष के नए दौर में प्रवेश किया । जौनपुर जिले में भी जन-जागरण की एक लहर उत्पन्न हुई और जौनपुर जनपद ने असहयोग आन्दोलन में अग्रणी भूमिका निभाई । प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पत्रों ने अपने सम्पादकीय लेखों द्वारा इस जन-जागरण को और प्रोत्साहित किया। 'प्रताप' ने लिखा , "असहयोग की लहर इस प्रान्त में ठहरने के लिए आई है , एकदम गुजर जाने के लिए नहीं ।"[44]

गांधी जी का उत्तर प्रदेश का दौरा

गांधी जी यह भली-भाँति समझते थे कि कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम का अनुमोदन कराना मात्र ही उनके आन्दोलन की सफलता के लिए पर्याप्त नहीं था, इससे भी अधिक आवश्यक था कि उत्तर प्रदेश के जनपदों को आन्दोलन के लिए तैयार करना । इसी उद्देश्य से उन्होंने विशेष कांग्रेस और दिसम्बर 1920 के नागपुर-कांग्रेस के बीच दो बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर लोगों को असहयोग आन्दोलन के लिए तैयार किया ।

15 अक्टूबर, 1920 को लखनऊ में पचास हजार से अधिक उपस्थिति वाली विशाल जनसभा में ओजस्वी भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा कि - "ब्रिटिश हुकूमत इस समय शैतान की प्रतिमूर्ति है और जो खुदा के बन्दे हैं, वे शैतानियत के साथ प्रेम नहीं रखते । गुलामी में रहने से समुद्र में डूबना बेहतर है । यह सरकार डाकू से भी बुरी है । इसने हमारा सब कुछ छीन लिया है । इतना ही नहीं यह तो हमारी आत्मा पर भी कब्जा करना चाहती है ।"[45] गांधी जी के उत्तर प्रदेश में आने का प्रयोजन उनके सार्वजनिक ओजस्वी भाषणों से स्पष्ट हो गया । 20 नवम्बर, 1920

---

43. स्वतन्त्रता संग्राम, स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन, आज, पृ. 17.
44. प्रताप, 27 सितम्बर, 1920.
45. होम, पोलिटिकल, ए, दिसम्बर 1920, फाइल संख्या 210-216.

से उन्होंने प्रदेश का दूसरा दौरा आरम्भ किया । इस बार उनका मुख्य ध्यान छात्रों पर केन्द्रित था।[46]

मालवीय जी शिक्षण-संस्थाओं के बहिष्कार के कार्यक्रम के प्रबल विरोधी थे । । नवम्बर, 1920 को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा - "स्कूल -कॉलेजों को बन्द कर देने से अंग्रेजों का नुकसान नहीं, उनका फायदा है । छात्र हमारे भविष्य की सेना हैं । वे हमारे प्राण के तन्तु हैं, उनको बनाना चाहिए । छात्रों को पढ़ने दीजिए । स्कूल-कॉलेजों को मत तोड़िए ।" मालवीय जी ने सरकारी अनुदान लेने की आलोचना का उत्तर देते हुए कहा - "हिन्दू विश्वविद्यालय को गवर्नमेंट एक लाख देती है । यह रुपया इंग्लैण्ड से नहीं आया है । यह दूषित है कैसे? पैसा हमारा ही है, कर बटोर कर मिला है ।"[47]

गांधी जी ने 26 नवम्बर, 1920 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में विद्यार्थियों की एक सभा में कहा - "लोगों की यह धारणा कि मैं विद्यार्थियों को बहकाता हूँ, सर्वथा गलत है । मैं कहता हूँ यह हुकूमत राक्षसी है, इसलिये उसका त्याग करना हमारा परम धर्म है।"[48] गांधी जी ने कहा कि मैं इसे रावण-राज्य समझता हूँ। दूसरे स्थान पर विद्या मिले या न मिले, इसे छोड़ दें। यह आजीविका की बात नहीं, मनुष्यत्व की बात है ।"[49] गांधी जी ने मर्मस्पर्शी अपील करते हुए कहा कि देश के लिए अगर दर्द हो और मेरे अन्दर जो आग जल रही है, वही आपके भीतर भी जल रही हो तो जैसा मैं कहता हूँ, वैसा असहयोग कीजिए । यदि आप ऐसा करेंगे तो जो प्रतिज्ञा मैंने अन्यत्र की है, इस पवित्र स्थान पर उसे दोहराता हूँ कि हमें एक वर्ष में स्वराज्य मिल जाएगा ।"[50]

---

46. होम, पोलिटिकल, डिपॉसिट, दिसम्बर 1920, फाइल संख्या 86.
47. **अभ्युदय**, 7 नवम्बर, 1920.
48. रामनाथ सुमन ,**उत्तर प्रदेश में गांधी जी**, पृ. 79.
49. **आज**, 30 नवम्बर, 1920.
50. रामनाथ सुमन, **उत्तर प्रदेश में गांधी जी**, पृ. 79-80.

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने मालवीय जी की इच्छा के विरूद्ध असहयोग आन्दोलनमें भाग लिया ।[51] गांधी जी की मर्मस्पर्शी अपील पर डोभी के आचार्य बीरबल सिंह ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा श्री बाबू नन्दन सिंह ने क्वींस कॉलेज, बनारस को छोड़ दिया । जौनपुर जिले के स्कूलों में से बृजवासी लाल, अब्दुल कादिर, मुहम्मद उस्मान, यमुना प्रसाद, दीप नारायण वर्मा स्कूल की पढ़ाई छोड़कर बाहर आ गए ।[52]

7 दिसम्बर, 1921 को इलाहाबाद में पं. मोती लाल नेहरू की गिरफ्तारी पर लालजी मेहरोत्रा इलाहाबाद विश्वविद्यालय छोड़कर राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़े । आप आई.सी.एस. परीक्षा की तैयारी कर रहे थे । आपके पिता को प्रारम्भ में कुछ ठेस लगी परन्तु बाद में पुत्र की यशकीर्ति से आपका रोष जाता रहा । सैयद हामिद हसन तथा रऊफ जाफरी भी असहयोग स्वरूप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छोड़कर कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़ गए ।[53]

सरकारी शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना असहयोग कार्यक्रम का एक अंग थी, जिसके अन्तर्गत बनारस में काशी विद्यापीठ का शिलान्यास 10 फरवरी , 1921 को गांधी जी ने किया । इस अवसर पर गांधी जी ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए - "हमें विद्या ऐसे पुण्यदान को मैले हाथों से नहीं लेना चाहिए। जितने विद्यालय सरकार के असर में हैं उनसे हमें विद्या नहीं लेनी चाहिए । जिस विद्यालय पर उनकी ध्वजा फहराती है वहाँ विद्या लेना पाप कर्म है । आप को निमंत्रण है कि यदि आप उसे पाप समझते हैं तो यहाँ चले आइए।"[54] गांधी जी ने कहा - "मैं कहूँगा कि शिक्षा इस समय प्रधान विषय नहीं है, परन्तु असहयोग प्रधान विषय है ।" वस्तुतः विद्यापीठ के अध्यापक तथा छात्र पढ़ने के लिए एकत्र हुए

---

51. **आज**, 2 नवम्बर, 1920, पृ. 6.
52. स्वतंन्त्रता संग्राम विशेषांक , **समय**, पृ. 12.
53. **वही**, पृ. 13.
54. स्वतन्त्रता संग्राम, स्वर्ण जयन्ती प्रकाशन, **आज**, पृ. 40.

अवश्य; पर उनका प्रधान विषय असहयोग ही था ।[55]

10 फरवरी, 1921 को गांधी जी का जौनपुर जिले में प्रथम पदार्पण हुआ । काशी से लखनऊ जाते समय रेलवे स्टेशन पर ही उन्होंने 10 मिनट रूककर बीस हजार से भी अधिक जनता को सम्बोधित किया। प्लेटफार्म पर बने मंच से ही शौकत अली ने भी भाषण दिया । तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. बनर्जी ने गांधी जी को माला पहना करके उनका स्वागत किया था जिसपर सरकार ने उनसे जवाब-तलब किया था ।[56]

जिले में स्कूल तथा कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए 16 फरवरी, 1921 को एक सार्वजनिक सभा करके 'गांधी राष्ट्रीय विद्यालय' खोलने का निश्चय किया गया । श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ने 10 मार्च, 1921 को मछरहट्टा में एक बड़े मकान में विद्यालय को स्थापित किया ।[57]

प्रथम विश्व-युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में जिले के स्कूलों में कांसे के मेडल प्रत्येक विद्यार्थी को देने का आदेश हुआ । विद्यार्थियों ने उसे 'गुलामी का प्रतीक' की संज्ञा देकर उसके बहिष्कार का निश्चय किया। मिशन और क्षत्रिय स्कूल में मेडल बाँटने की तिथि 10 फरवरी, 1921 रखी गई थी । उसी दिन रेलवे स्टेशन पर गांधी जी आने वाले थे । अतः छात्रों ने सामूहिक रूप से स्कूल छोड़ने का निश्चय किया । जब मिशन स्कूल के हेड मास्टर ने स्कूल का द्वार बन्द किया तो विद्यार्थी स्कूल की उत्तरी चहारदिवारी की ओर से कूद कर बाहर आ गए थे । इनमें से दो प्रमुख विद्यार्थी राधेमोहन तथा हरगोविन्द सिंह थे जो सन् 1963 में उत्तर प्रदेश के गृहमंत्री बने । गांधी जी की अपील पर जहाँ देश भर में हजारों वकीलों एवं मुख्तारों ने अदालतों का त्याग किया वहीं जौनपुर जनपद भी पीछे नहीं रहा । यहाँ के एक वकील सरयू प्रसाद तथा दो मुख्तारों रूप नारायण तथा

---

55. ठाकुर प्रसाद सिंह, **स्वतन्त्रता आन्दोलन और बनारस**, पृ. 47.
56. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 68.
57. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 13.

चितौड़ी निवासी रामनरेश सिंह ने अदालत का बहिष्कार किया।[58] इनमें सरयू प्रसाद तथा रूप नारायण ने वर्ष भर बाद असहयोग आन्दोलन का दौर समाप्त होते ही पुनः कचहरियों में जाना आरम्भ कर दिया, किन्तु श्री रामनरेश सिंह पं. गोविन्द बल्लभ पंत की ही तरह एक बार जब वे कचहरी से विमुख हुए तो फिर कभी भी पुनः पेशे के रूप में यह कार्य नहीं किया और अन्त तक कांग्रेस आन्दोलन से जुड़ गए ।

1920 तक जौनपुर जिले में कांग्रेस की शाखा स्थापित नहीं हुई थी । जिले में कांग्रेस कमेटी की स्थापना के लिए प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने दो प्रमुख कांग्रेस जनों (कपिलदेव मालवीय तथा कमालउद्दीन जाफरी) को इस कार्य के लिए जौनपुर भेजा । इनकी उपस्थिति में 27 मार्च, 1920 की शाम को हनुमान घाट पर एक सभा हुई । 14 अप्रैल, 1921 को गांधी राष्ट्रीय विद्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ । श्री सरयू प्रसाद अध्यक्ष तथा श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह मंत्री चुने गए।[59] कांग्रेस की स्थापना के बाद मई, 1920 में प्रथम जिला राजनैतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया । पं. जवाहर लाल नेहरू का नगर में प्रथम आगमन हुआ और उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की।[60]

31 मार्च, 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने निर्णय किया कि स्कूल, कॉलेजों तथा न्यायालयों के बहिष्कार की नीति पर जोर कम करके रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया जाय । कांग्रेस को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि 30 जून, 1921 तक 'तिलक स्वराज कोष' में एक करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र की जाय और गाँवों तथा घरों में कम से कम बीस लाख चर्खे खादी तैयार करने के लिए लगा दिए जाएं।[61]
कांग्रेस के निर्देशानुसार जौनपुर में तिलक स्वराज कोष का टिकट बेच कर एकत्र धन से जिले तथा नगर में चर्खे बाँटे गए । तत्कालीन जिलाधिकारी ज्वाला प्रसाद के ज्येष्ठ पुत्र रामेश्वर प्रसाद सिंह से

---

58. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 15-16.
59. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 17.
60. **वही.**
61. अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रस्ताव, **लीडर**, 4 अप्रैल, 1921.

तिलक स्वराज कोष के टिकट ले जाते और उसे बेच कर रुपये दे जाते थे ।[62]

गांधी जी ने उस समय कांग्रेस जनों के लिए जो कार्यक्रम रखे थे उसमें नशाबन्दी प्रचार, कांग्रेस सदस्यता अभियान एवं कांग्रेस का प्रचार प्रमुख थे । नगर में कुल 6 शराब की दुकानें थीं । असहयोगियों द्वारा शाम को 3 - 4 घण्टे जमकर पिकेटिंग की जाती थी । परिणाम स्वरूप मार्च में शराब की दुकानों का जो सालाना ठीका दिया जाता था , उसमें बोली बोलने वाले इतने कम आए कि अधिकारियों को नीलामी रोकनी पड़ी ।[63]

मई 1921 में नगर और जिले में एकसाथ कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाया गया । विश्वविद्यालयों से जिले के अनेक विद्यार्थी जो अवकाश में घर आए थे, उन्होंने कांग्रेस कार्यालय आकर सदस्यता फार्म भरा । इनमें विजय बहादुर सिंह और रामचन्दर सिन्हा का नाम उल्लेखनीय हैं । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने जौनपुर जिले में कांग्रेस का प्रचार करने के लिए प्रयाग से दो हिन्दी साहित्यकारों को यहाँ भेजा। एक थे 'हिन्द केशरी' के भूतपूर्व सम्पादक लक्ष्मीधर वाजपेयी और दूसरे थे पं. रामनरेश त्रिपाठी । ये दोनों लोग एक माह तक जिले के विभिन्न भागों में पैदल यात्रा करके लोगों को गांधी जी का संदेश सुनाते रहे ।[64]

विजयवाड़ा सम्मेलन द्वारा कांग्रेस ने आन्दोलनकी दिशा में कुछ परिवर्तन किया । झाँसी में 12 और 13 जून को बुन्देलखण्ड राजनैतिक सम्मेलन में पं. जवाहर लाल नेहरू ने स्पष्ट करते हुए कहा - "अब कांग्रेस न तो सरस्वती मन्दिरों और न्यायालयों के बहिष्कार पर जोर दे रही है और न ही कौंसिल के बहिष्कार पर । कांग्रेस अब स्वदेशी का प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर बल दे रही है ।"[65]

---

62. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 17.
63. **वही**, पृ. 16-17.
64. **वही**, पृ. 17-21.
65. होम , पोलिटिकल, फाइल संख्या 112/1922.

गांधी जी ने कानपुर में व्यापारियों की एक सभा में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा - "आप लोग विदेशी कपड़े को मंगाना छोड़ दें और अपने देश मे ही खादी तैयार कराएँ । जो लोग विदेशी कपड़ा मँगाते हैं वे देश के साथ डायरशाही करते है । यदि हमारे फाँसी चढ़ने से राष्ट्र का भला हो तो चाहिए कि फाँसी चढ़ जाएं ।"[66] गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार ही नहीं, उनकी होली भी जलाने की अपील की । जौनपुर में भी असहयोगियों द्वारा विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा कर एक ठेले पर लाद कर अटाला मस्जिद लाया गया जहाँ एक सभा कर उन विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई । इस सभा को प्रयाग के दैनिक 'इण्डिपेंडेंट' के सम्पादक जार्ज जोसफ ने सम्बोधित किया । जार्ज जोसफ गांधी जी की अपील पर बैरिस्टरी छोड़कर असहयोग आन्दोलन में कूद पड़े थे ।[67]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में असहयोग आन्दोलन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 'अमन सभाओं' का आयोजन आरम्भ किया गया । परन्तु ये अमन सभाएँ अपने उद्देश्य में पूर्णतः असफल रहीं ।[68] अमन सभाओं में सरकार के समर्थक सरकार की नीतियों में आस्था प्रकट करते तथा असहयोग विरोधी प्रस्ताव पास करते थे । अप्रैल 1921 में जिले के अधिकारियों को स्पष्ट आदेश भेजे गए कि वे अमन सभाएँ आयोजित करें और असहयोग को निष्प्रभावी करें ।[69]

जौनपुर जिले में भी अमन सभा की स्थापना की गई और जिला तथा तहसील स्तर पर कमेटियाँ बनीं जिनमें अधिकांश पदाधिकारी जिले के जमींदार और रईस बनाए गए । इन कमेटियों में शिया मुसलमानों की संख्या अधिक थी । फतेहगंज बाजार में पटवारियों द्वारा एक अमन सभा आयोजित की गई थी । फतेहगंज स्कूल के बगल के एक मैदान में यह सरकारी सभा हो रही थी । रामेश्वर प्रसाद सिंह और लाल जी मेहरोत्रा ने उस सभा के ठीक सामने खाली स्थान पर सभा का एलान करके अपनी सभा शुरू कर दी । आधे

---

66. **प्रताप,** 16 अगस्त, 1921.

67. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 21.

68. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर,** जौनपुर, पृ. 51.

69. होम , पोलिटिकल, डिपासिट, जून 1921, फाइल संख्या 12.

से अधिक लोग इनकी सभा में आ गए और सभा बहुत सफल रही ।[70]

17 नवम्बर, 1921 को ब्रिटेन के युवराज भारत आए । कांग्रेस ने इस अवसर पर शान्तिपूर्ण हड़ताल करने का आदेश सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को दिया था । खिलाफत कार्यकर्ताओं के सहयोग से जौनपुर में हड़ताल पूर्ण रूप से सफल हुई । जिले में हड़ताल की घोषणा नगर महापालिका के एक मेहतर से डुग्गी द्वारा कराई गई । नगर महापालिका के सैनिटरी इन्सपेक्टर शाह वारिस हुसेन ने उस मेहतर को नौकरी से निकाल दिया । दूसरे ही दिन कांग्रेस ने मेहतरों की सभा बुलाकर शाह वारिस हुसेन को बर्खास्त करने की माँग की । उसे बर्खास्त न करने पर मेहतरों से हड़ताल करने को कहा गया । यह हड़ताल 6 दिन ऐसी सफलतापूर्वक चली कि अन्ततः नगरपालिका अध्यक्ष को सैनिटरी इन्सपेक्टर को बर्खास्त करना पड़ा ।[71]

13 दिसम्बर, 1921 को युवराज बनारस आए । युवराज को काले झण्डे दिखाने के अपराध में लाल बहादुर शास्त्री, कमलापति त्रिपाठी तथा त्रिभुवन नारायण सिंह सहित अनेक सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए । मालवीय जी ने युवराज के बहिष्कार का समर्थन नहीं किया बल्कि 13 दिसम्बर, 1921 को ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एक विशेष समारोह में युवराज को डी.लिट्. की मानद् उपाधि प्रदान की गई ।[72]

13 दिसम्बर, 1921 को मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक प्रयाग में हीवेट रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में हो रही थी । जैसे ही बैठक आरम्भ हुई वैसे ही पुलिस अधीक्षक आए और बैठक को गैर-कानूनी घोषित कर पचपन नेताओं को उसी समय गिरफ्तार कर लिया । इस प्रकार प्रदेश के प्रमुख नेताओं को बन्दी बना लिया गया ।[73] इन गिरफ्तार नेताओं में जौनपुर के रामनरेश सिंह भी थे और इन्हें असहयोग आन्दोलन के दौरान जिले के प्रथम जेल

---

70. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 17.

71. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 18.

72. सीता राम चतुर्वेदी, **मदन मोहन मालवीय**, पृ. 62.

73. **प्रताप**, 18 दिसम्बर, 1921.

यात्री होने का गौरव प्राप्त हुआ । इसी बैठक में पं. रामनरेश त्रिपाठी भी गिरफ्तार किए गए । पं. रामनरेश त्रिपाठी जौनपुर जिले के ही थे किन्तु प्रयाग में रहने के कारण वहीं से सदस्य हुए थे।[74] सरकार आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार करने से बचती थी । सरकार दमनात्मक तरीके से जेल भर कर राष्ट्रवादी नेताओं को शहीद बन जाने का अवसर नहीं देना चाहती थी ।

इलाहाबाद में 7 दिसम्बर , 1921 से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का दौर आरम्भ हुआ । मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टण्डन, जवाहरलाल नेहरू, जार्ज जोसेफ आदि प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया । गोरखपुर से प्रकाशित राष्ट्रीय साप्ताहिक 'स्वदेश' की प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया इस प्रकार थी - "हम तो बहुत दिनों से इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में थे क्योंकि इसी से हमारी मुराद पूरी होने वाली है । यही हमारी और हमारे देश की परीक्षा का समय है।"[75]

जौनपुर जेल में आजमगढ़ , बलिया, गोरखपुर, देवरिया आदि जिलों से करीब 100 राजनैतिक कैदी लाए गए थे । उनके घर वाले जब यहाँ उनसे मिलने आते थे तो उनका सारा प्रबन्ध जौनपुर के लोगों को करना पड़ता था । जब ये राजनैतिक कैदी छूटते थे तो सीधे कांग्रेस कार्यालय आते थे और उन्हें भोजन कराया तथा स्टेशन पहुँचाया जाता था । उनमें से जो पढ़े-लिखे अथवा अच्छे वक्ता होते थे, उन्हें माला पहनाकर जुलूस में शहर लाकर उनका जगह-जगह पर भाषण कराकर आन्दोलन को सक्रिय बनाया जाता था ।[76] ऐसे ही एक राजनैतिक बन्दी को जलूस में ले जाते समय रामेश्वर प्रसाद सिंह और हामिद हसन पर दफा 144 तोड़ने का मुकदमा 3-4 महीने तक चला और दोनों लोगों पर 15-15 रुपये जुर्माने की सजा हुई ।[77]

---

74. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 19-20.
75. **स्वदेश,** 11 दिसम्बर, 1921.
76. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 20.
77. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 18.

प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार करने से सम्बन्धित पर्चा छापने और बाँटने के आरोप में बनारस में डॉ. भगवान दास और शिव विनायक मिश्र को गिरफ्तार किया गया । इन गिरफ्तारियों पर टिप्पणी करते हुए राष्ट्रीय पत्र 'आज' ने लिखा — "काशी का सौभाग्य।"[78] जौनपुर के मुनेश्वर दत्त मिश्र उस समय 'चौक थाना' बनारस के थानाध्यक्ष थे । डॉ. भगवानदास एवं उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद मुनेश्वर दत्त मिश्र ने असहयोग स्वरूप इन्सपेक्टरी से त्यागपत्र दे दिया ।[79]

जनवरी, 1922 में गांधी जी के कनिष्ठ पुत्र देवदास गांधी ने असहयोग आन्दोलन को गतिशील बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा किया । देवदास गांधी ने जौनपुर में जनता से असहयोग स्वरूप सरकारी विद्यालयों तथा न्यायालयों के बहिष्कार की अपील की ।[80] लालजी मेहरोत्रा के प्रयत्नों से देवदास गांधी ने अटाला मस्जिद में एक सार्वजनिक सभा को भी सम्बोधित किया।[81] 14 जनवरी से 16 जनवरी, 1922 तक बम्बई में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास कर सरकार से दमन बन्द करने का अनुरोध किया गया ।

1 फरवरी, 1922 को गांधी जी ने वायसराय लार्ड रीडिंग के पास अल्टीमेटम भेजा कि अगर एक हफ्ते के अन्दर दमन बन्द न किया गया और आन्दोलनकारियों को रिहा न किया गया तो वे बारदोली में सामूहिक सविनय अवज्ञा आरम्भ करेंगे । उत्तर में वाइसराय ने दमन के लिए जनता को दोषी ठहराया और कहा कि सरकार स्थिति को काबू में करने के लिए हर प्रकार के आवश्यक साधन अपनाएगी ।[82] जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन की अपील और वाइसराय के नाम गांधी जी के पत्र का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा । गांधी जी ने लिखा कि यदि सरकार नागरिक स्वतन्त्रता बहाल नहीं करेगी तो वह देशव्यापी सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ने को बाध्य हो जांएगे।[83]

---

78. **आज**, 15 दिसम्बर, 1921
79. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 17.
80. गुप्तचर विभाग के अभिलेख.
81. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 21.
82. पट्टाभि सीतारमैया, **दि हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस**, पृ. 397.
83. बिपिन चन्द्र, **भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष**, पृ. 140.

चौरीचौरा काण्ड

ऐसे समय में जब असहयोग आन्दोलन जौनपुर जिले में पूरे वेग से चल रहा था, 5 फरवरी, 1922 को अचानक ही एक दुःखद घटना गोरखपुर के चौरीचौरा कस्बे में हुई । परिणामस्वरूप जौनपुर में सम्पूर्ण देश की ही भाँति असहयोग संघर्ष की धारा अवरूद्ध हो गई ।

5 फरवरी, 1922 को चौरीचौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला था। कुछ पुलिस वालों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस पर बड़ी संख्या में स्वयंसेवक थाने के निकट बाजार में एकत्र होकर थाने की ओर बढ़े । लगभग तीन हजार लोग थाने के निकट उत्तेजित स्थिति में पहुँचे ।[84] यह एक नाजुक घड़ी थीजिसमें दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने से समाधान निकलना कठिन नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ।[85] उत्तेजित भीड़ ने थाने को घेर लिया और लोगों का जमाव बढ़ता गया । इस स्थिति में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पहले पुलिस ने हवा में गोलियाँ चलाईं और तत्पश्चात् भीड़ पर भी गोलियाँ चलानी पड़ीं । इस पर भीड़ की उत्तेजना पहले से भी अधिक बढ़ गई । भीड़ ने रेलवे लाइन पर पड़े हुए पत्थरों की भारी बौछार पुलिस पर की । कुछ समय बाद पुलिस की गोलियां चलनीबन्द हो गईं और गोरखपुर रो बुलाया गया 8 सदस्यीय सशस्त्र पुलिस दस्ता आत्मरक्षा हेतु थाने के भवन के अन्दर चला गया । इससे एकत्र जन-समूह को आभास हो गया कि पुलिस की गोलियाँ समाप्त हो गई हैं । भीड़ का आवेश बढ़ता गया और भीड़ ने थाने पर हमला बोल दिया । अनियंत्रित भीड़ ने थाने में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी । थाने पर हुए आक्रमण और अग्निकाण्ड में थानेदार सहित 22 पुलिस कर्मी मारे गए ।[86] इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आन्दोलन वापस लेने की घोषणा कर दी । 12 फरवरी , 1922 को असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया ।

चौरीचौरा की घटना दुःखद अवश्य थी परन्तु पूर्वनियोजित नहीं थी । चौरीचौरा काण्ड

---

84. होम, पोलिटिकल, फाइल संख्या 678/1922.

85. **लीडर**, 9 फरवरी, 1922.

86. होम पोलिटिकल फाइल संख्या 563/1922; गोरखपुर कमिश्नर की रिपोर्ट, 7 फरवरी, 1922.

स्वयंसेवकों की उत्तेजना का परिणाम था परन्तु स्वयंसेवकों को उत्तेजित करने का कार्य पुलिस वालों ने ही किया । पुलिस के लाठी चार्ज और हवाई फायर के पहले स्वयंसेवकों का उद्देश्य थाने पर आक्रमण करना या पुलिस कर्मियों को जान से मारने का नहीं था, यदि पुलिस ने उत्तेजित करने वाली कार्यवाही न करके संयम से काम लिया होता तो यह घटना टल सकती थी । पुलिस ने अपनी कार्यवाहियों से ही स्वयंसेवकों को उत्तेजित किया । अतः चौरीचौरा घटना के लिए पुलिस स्वयंसेवकों, से अधिक उत्तरदायी थी ।[87]

12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस कार्यसमिति ने चौरीचौरा की घटना के हिंसात्मक स्वरूप को देखते हुए असहयोग आन्दोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया । सभी प्रदर्शनों और जनसभाओं के आयोजनों को तथा विरोध सभाओं को न करने के निर्देश दे दिए गए । बाद में 25 फरवरी को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आन्दोलन को स्थगित करने के निर्णय का अनुमोदन कर दिया गया ।[88]

असहयोग आन्दोलन के स्थगित होने से देश की जनता को घोर निराशा हुई । जो जनता 'एक साल में स्वराज्य' का सपना देख रही थी, वह गांधी जी के इस निर्णय से बहुत हताश हुई । 12 फरवरी को कांग्रेस कार्यसमिति ने देश के अनगिनित मोर्चों पर लड़ने वाले करोड़ों आजादी के सिपाहियों को आदेश दिया कि लड़ाई बन्द कर दो और अब केवल रचनात्मक काम करो, चर्खा कातो, खद्दर बुनो, लोगों की नशा करने की आदत छुड़ाओ, शिक्षा का प्रचार करो, अस्पृश्यता को दूर करो, आदि।[89]

असहयोग आन्दोलन को इस तरह बन्द किए जाने से खुद कांग्रेसजनों और नेताओं के अन्दर निराशा और नाराजगी व्याप्त हो गई । गांधी जी के इस कार्यवाही सके पक्षधर कम और आलोचक

---

87. गुप्तचर विभाग के अभिलेख.
88. **अभ्युदय**, 28 फरवरी, 1922.
89. अयोध्या सिंह, **भारत का मुक्ति संग्राम**, पृ. 439.

अधिक थे । मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने जेल से हीलम्बे पत्र लिखकर किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दण्डित करने के लिए गांधी जी को आड़े हाथों लिया ।[90] इस सम्बन्ध में सुभाषचन्द्र बोस ने लिखा - "कोई भी न समझ सका कि महात्मा ने चौरीचौरा की घटना का इस्तेमाल सारे देश के आन्दोलन का गला घोंट देने के लिए क्यों किया । सारे देश की परिस्थिति सविनय अवज्ञा आन्दोलन के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल थी । ठीक उस समय जब कि जनता का जोश उबल रहा था, उस वक्त पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम न था । महात्मा के मुख्य सेनापति देशबन्धु दास, पं. मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय में भी, जो जेल में थे, वही गुस्सा था जो लोगों में था । मैं उस वक्त देश बन्धु के साथ था । मैंने देखा कि वे गुस्से और अफसोस में आपे से बाहर हो गए थे ।"[91]

जवाहर लाल नेहरू ने भी अपनी जीवनी में लिखा - "ऐसे समय, जबकि लगता था कि हम अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं और सब मोर्चों पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने संघर्ष के बन्द कर दिए जाने का समाचार हमें मिला, तो हम बहुत नाराज हुए ।"[92] कांग्रेस के एक बड़े वर्ग की यही प्रतिक्रिया थी कि एक अप्रत्याशित दुर्घटना के कारण समूचे आन्दोलन को बन्द करना उचित नहीं था । कुछ आलोचक असहयोग को स्थगित करने के लिए गांधी जी से अधिक मालवीय जी, एम.आर. जयकर आदि नेताओं को उत्तरदायी मानते हैं । इनका मत है कि गांधी जी ने उदारवादी नेताओं के दबाव में आकर ऐसा निर्णय लिया ।[93] इस आलोचना का उत्तर गांधी जी ने उसी समय 19 फरवरी के एक लेख में दिया था । उन्होंने लिखा था कि - "असहयोग आन्दोलन को स्थगित किए जाने में पण्डित जी का कोई हाथ नहीं था ।"[94]

गांधी जी ने आन्दोलन वापस लेने के बाद 'यंग इण्डिया' में अपने एक लेख में लिखा

---

90. पट्टाभि सीतारमैया, **दि हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस**, पृ. 399-400.
91. सुभाषचन्द्र बोस, **दि इण्डियन स्ट्रगल, 1920-1934**, (लन्दन 1935), पृ. 90.
92. जवाहर लाल नेहरू , **एन आटोबायग्राफी**, पृ. 81.
93. सुखबीर चौधरी, **इण्डियन पीपुल फाइट फार नेशनल लिबरेशन**, (नई दिल्ली 1972), पृ. 194.
94. **नवजीवन**, 19 फरवरी, 1922.

"अंग्रेजों को यह जान लेना चाहिए कि 1920 में छिड़ा यह संघर्ष अन्तिम संघर्ष है, निर्णायक संघर्ष है, फैसला होकर रहेगा , चाहे एक महीना लग जाए या एक साल लग जाए, कई महीनें लग जांए या कई साल लग जांए । अंग्रेजी हुकुमत चाहे उतना ही दमन करे जितना 1857 के विद्रोह के समय किया था, फैसला होकर रहेगा ।"[95]

असहयोग आन्दोलन न तो पूर्णतः सफल रहा और न ही पूर्णतः विफल । अयोध्या सिंह ने आन्दोलन का विश्लेषण करते हुए लिखा है - "सारा आन्दोलन तो बन्द कर दिया गया, लेकिन दमन बन्द न हुआ । 10 मार्च को गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 6 साल की सजा दे दी गई । इस तरह भारतीय जनता का 1918-22 का राष्ट्रीय मुक्ति का संग्राम असफल हो गया और इस असफलता के लिए सुधारवादी नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार था ।"[96]

उपर्युक्त मत से भिन्न मत व्यक्त करते हुए बिपिन चन्द्र ने लिखा है - "असहयोग आन्दोलन की अनेक सफलताएँ-उपलब्धियाँ हैं । इसी आन्दोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया । अब कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है । अब इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिलाएँ, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे । असहयोग आन्दोलन की सबसे बड़े सफलता यही रही कि इसने जनता में आजादी की भूख जगाई । यह पहला अवसर था, जब राष्ट्रीयता ने गाँवों, कस्बों, स्कूलों सबको अपने प्रभाव में ले लिया । शुरूआती दौर था यह इसलिए सफलताएँ भी कम मिलीं । लेकिन जो कुछ भी हासिल हुआ, वह आगामी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक हुआ ।"[97] बिपिन चन्द्र के मत से सहमत हुआ जा सकता है ।

---

95. **यंग इण्डिया**, 23 फरवरी, 1922.
96. अयोध्या सिंह, **भारत का मुक्ति संग्राम**, पृ. 443.
97. बिपिन चन्द्र, **भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष**, पृ. 143-44.

गांधी जी के असहयोग आन्दोलन के स्थगन के निर्णय का सम्मान करते हुए जौनपुर जनपद की जनता ने जनपद में असहयोग आन्दोलन को स्थगित कर कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों को अपनाया । राष्ट्रीयता और देश भक्ति जो अभी तक एक वर्ग विशेष की थाती मानी जाती थी, अब असहयोग आन्दोलन के प्रभाव से आम जनता में व्याप्त हो गई । असहयोग आन्दोलन से जनता में जेल जाने का भय समाप्त हो गया और संगठित होकर आम जनता द्वारा सरकार का विरोध करना अब एक सामान्य-सी बात हो गई । विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार एवं प्रसार से जौनपुर जिले की जनता में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई ।

किसान-आन्दोलन

भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन के इतिहास में सन् 1920 से एक नए युग का आरम्भ होता है जब गांधी जी ने देश को स्वाधीनता दिलाने के लिए देश का नेतृत्व अपने हाथों में लिया । उन्होंने भारतीय किसानों की करुण समस्याओं पर अपना तथा कांग्रेस का ध्यान केन्द्रित किया । गांधी जी के विचार-चिन्तन और नीतियों के प्रभाव से देश का कृषक वर्ग कांग्रेस से जुड़ गया और राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । स्वतन्त्रता आन्दोलन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान-आन्दोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।[98] किसान-आन्दोलन का प्रसार मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, जौनपुर, फैजाबाद तथा सुल्तानपुर जनपदों में हुआ ।

किसान-आन्दोलन का प्रसार मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में ही होने के कुछ कारण थे । 1920 में इस क्षेत्र में न तो दाखिलकार काश्तकार थे और न दायमी काश्तकार ही थे। यहाँ सिर्फ अल्पकालिक काश्तकार थे जो बेदखल होते रहते थे तथा जिनकी भूमि अधिक नजराना या लगान देने पर दूसरों को दे दी जाया करती थी ।[99] इस क्षेत्र में अराजी पट्टे की कोई भी गारण्टी

---

98. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 72-73.

99. जवाहर लाल नेहरू, **एन आटोबायोग्राफी**, पृ. 88.

देने का रिवाज नहीं था। जमींदार लगान की रसीद नहीं देते थे । कोई भी जमींदार कह सकता था कि लगान नहीं अदा किया और काश्तकार को बेदखल कर सकता था । ऐसी स्थिति में किसानों को यह सिद्ध कर पाना असम्भव हो जाता था कि वह लगान दे चुका है । ताल्लुकेदार विशेष अवसरों पर जैसे कुटुम्ब में किसी के विवाह के लिए, लड़कों के विलायत में पढ़ने के लिए, हाथी या मोटर खरीदने के लिए, उच्चाधिकारियों के भोज के लिए भी किसानों से धन वसूल करते थे जिसके कारण किसानों में अत्यधिक असन्तोष था ।[100]

जौनपुर के पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ के बाबा रामचन्द्र ने इस क्षेत्र में किसान-आन्दोलन का सफलतापूर्वक संचालन किया । पड़ोसी जनपदों के कांग्रेस कर्मियों पर भी बाबा रामचन्द्र के व्यक्तित्व एवं सेवा-पद्धति का बड़ा प्रभाव पड़ा । जौनपुर जनपद के कुछ कांग्रेस कर्मियों ने उनके सम्पर्क में दीक्षा भी ली । मड़ियाहूँ तहसील के रामजी मिश्र बाबा रामचन्द्र के सेवा-केन्द्र से सम्बद्ध रहे थे। पं. रामनरेश त्रिपाठी के किसान सम्बन्धी सेवा संगठन एवं कार्यों को बाबा रामचन्द्र से बड़ी प्रेरणा मिली थी तथा त्रिपाठी जी के किसान प्रदर्शनों, सभाओं और ज्ञापन यात्राओं में वे स्वयं जौनपुर आया करते थे । गाँव-गाँव में किसान सभाओं का आयोजन, उसमें किसान-सेवी नेताओं का भाषण एवं कृषक-व्यथा-सम्बन्धी लोक गीतों के गायन कांग्रेस सभाओं की मुख्य पहचान बन गए थे । इन सभाओं में किसानों पर जमींदारी-प्रथा के अत्याचारों और भूमि पर किसानों के अधिकार के औचित्य की मुक्त घोषणाएँ की जाती थीं । रामकुमार वैद्य, राजाराम मिश्र आदि के ओजस्वी लोक-भाषा-गीत कृषक श्रोताओं द्वारा विशेष रुचि से सुने जाते थे ।[101]

पं. मदनमोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र और इन्द्रनारायण द्विवेदी के प्रयासों से फरवरी 1918 में "उत्तर प्रदेश किसान सभा" का गठन हुआ था । इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। "किसान-सभा" ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया इसका अन्दाजा इससे लगा सकते हैं कि दिसम्बर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश

---

100. किसान रायट इन प्रतापगढ़ (फाइल) पुलिस विभाग, पृ. 101.

101. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 73.

के किसानों ने भाग लिया।[102] ग्रामीण अंचलों मे राजनैतिक चेतना जागृत करने में किसान सभाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । पं. मदनमोहन मालवीय जी के प्रयासों से ।। फरवरी ।918 को 'उत्तर प्रदेश किसान सभा' का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ । मालवीय जी ने किसान-सभा के पक्ष में अपील करते हुए कहा कि किसान-सभा का उद्देश्य किसानों की भौतिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति सुधारना था ।[103]

किसान-आन्दोलन को संचालित करने वाले नेता दो प्रकार के थे । कुछ नेता व्यावसायिक वर्गों से आए और इनमें अधिकतर वकील थे । अपने व्यावसायिक रुचि के कारण ये किसान समस्याओं में रुचि लेने लगे थे । गौरीशंकर मिश्र, माता बदल आदि इसी वर्ग में थे । ये लोग जवाहरलाल नेहरू और मालवीय जी से सम्पर्क बनाए हुए थे और इनका प्रयास था कि किसान-आन्दोलन अहिंसक बना रहे ।[104] दूसरे प्रकार के नेता अधिकतर स्थानीय थे जिनमें बाबा रामचन्द्र और बाबा जानकीदास के नाम प्रमुख हैं । इस नेतृत्व ने धार्मिक भावनाओं को जगाकर किसानों में एकता जगाई । यह नेतृत्व विचारों से अधिक उग्र था और इन्होंने किसानों को जमींदारों की जागीरों पर आक्रमण करने के लिए उकसाया ।[105]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान-आन्दोलन का प्रारम्भ बाबा रामचन्द्र नामक एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने किया । बाबा रामचन्द्र का वास्तविक नाम श्रीधर बलवन्त जोधपुरकर था । बाबा रामचन्द्र युवावस्था में फिजी में 'गिरमिटिया' मजदूर के रूपमें भेजे गए थे । वहाँ उन्होंनेमजदूरों को संगठित कर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया ।[106] फिजी से भारत लौटने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए

।02. विपिन चन्द्र , **भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष**, पृ. ।45-।46.

।03. होम पोलिटिकल डिपाजिट, फाइल संख्या 49, फरवरी ।92।.

।04. शिवकुमार , **पीसेंट्री एण्ड दी इण्डियन नेशनल मूवमेंट**, (मेरठ ।979), पृ. 74-77.

।05. डब्ल्यू. एफ.क्राले , **किसान समाज एण्ड एग्रेरियन रिवोल्ट इनयूनाइटेड प्राविंसेस.**

।06. भुवनेश्वर सिंह गहलौत , **पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 20.

उन्होंने अपना नाम बदल कर बाबा रामचन्द्र रख लिया और अवध के किसानों में घूम-घूम कर 'गीता' और 'रामचरित मानस' का पाठ करने लगे । शीघ्र ही वे राम के भक्त के रूप में अत्यन्त लोकप्रिय हो गए । शोषण और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के सन्दर्भ में वे 'रामायण' से कई दृष्टान्त किसानों को बताते और उन पर होने वाले अत्याचारों का प्रतिरोध करने के लिए उन्हें प्रेरित करते । परम्परागत अभिवादन के शब्द 'जय सीताराम' को उन्होंने युद्धघोष का रूप दे दिया ।[107]

बाबा रामचन्द्र ने 'गोहार' (आवाज) लगाने की एक विशिष्ट पद्धति को विकसित किया, जिससे यदि किसी किसान पर ताल्लुकेदार के कर्मचारी अत्याचार करते तो वह किसान और उसके गाँव वाले "जय जय सीताराम" की आवाज लगाते, जिसे सुनकर निकटस्थ गाँव के लोग भी "जय जय सीताराम" की आवाज लगाकर पीड़ित किसान के पास पहुँच जाते । थोड़ी ही देर में हजारों की भीड़ एकत्र हो जाती और ताल्लुकेदारों के कर्मचारियों को भागने के लिए विवश होना पड़ता ।[108]

27 जून, 1920 को 'उत्तर प्रदेश किसान-सभा' ने जौनपुर में गूलर घाट पर वहाँ के क्षेत्र से प्रत्याशी कृष्णकान्त मालवीय के चुनाव-प्रचार के उद्देश्य से एक सभा का आयोजन किया। बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में लगभग 600 किसान प्रतापगढ़ से यहाँ आए ।[109] सभा में वक्ताओं ने कृषकों की समस्याओं पर चर्चा की , परन्तु वे उन समस्याओं के निवारण की दृष्टि से कोई ठोस आश्वासन न दे सके । इस समय वे किसानों से मात्र चुनावी समर्थन चाहते थे । बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में स्थानीय किसान-सभा ने 'सीधी कार्यवाही' करने का निर्णय लिया। प्रशासनिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने के उद्देश्य से किसान बिना टिकट रेल-यात्राएँ करने लगे । रेल-अधिकारी खुलेआम इस अवज्ञा को रोकने में असफल रहे ।[110]

---

107. जवाहरलाल नेहरू , **ऐन आटोबायग्राफी**, पृ. 53.

108. भुवनेश्वर सिंह गहलौत , **पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास**,पृ. 20.

109. **अभ्युदय**, 3 जुलाई, 1920.

110. **मेहता रिपोर्ट**, पृ. 3.

जून 1920 में बाबा रामचन्द्र जौनपुर और प्रतापगढ़ के किसानों के एक जत्थे का नेतृत्व करते हुए इलाहाबाद पहुँचे । वहाँ उन्होंने गौरीशंकर मिश्र और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और उनसे गाँव में आकर किसानों की हालत देखने का अनुरोध किया । जून और अगस्त के बीच जवाहरलाल नेहरू ने कई बार ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और 'किसान-सभा' आन्दोलन से सम्पर्क स्थापित किया ।[111] किसान-आन्दोलन से सम्पूर्ण क्षेत्र में अशांति फैल गई । ताल्लुकेदारों के अस्तित्व को चुनौती दी गई । एक सप्ताह के अन्दर 8 अपराधिक मामले दर्ज कराए गए और सभी मामलों मे बाबा रामचन्द्र का नाम शामिल था ।[112]

28 अगस्त, 1920 को लखरावन बाग में किसानों की एक सभा हो रही थी। इस सभा में प्रशासन की तीव्र भर्त्सना की जा रही थी। इसी समय 32 काश्तकार नेताओं सहित बाबा रामचन्द्र गिरफ्तार कर लिए गए ।[113] बाबा रामचन्द्र तथा उनके साथियों ने जमानत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और ये लोग प्रतापगढ़ जेल भेज दिए गए । इनपर कायम मुकदमें की जब सुनवाई होती तो उस समय जेल और कचहरी के बाहर किसानों का विशाल समुदाय एकत्र हो जाता । जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनको नियंत्रित करना कठिन होता था । 10 सितम्बर को जौनपुर और सुल्तानपुर से भी किसानों के जत्थे प्रतापगढ़ गए । 11 सितम्बर, 1920 को बाबा रामचन्द्र को जेल से रिहा कर दिया गया ।[114]

17 अक्टूबर, 1920 को प्रतापगढ़ के मिदनी गाँव में हुई किसान-सभा में 'अवध किसान-सभा' का गठन किया गया । इस किसान-सभा में जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मीचन्द्र धारीवाल तथा कुछ समय तक प्रतापगढ़ के डिप्टी कमिश्नर बी.एन. मेहता ने भी भाग लिया ।[115] अब संयुक्त

---

111. बिपिन चन्द्र , **भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष,** पृ. 146.

112. **इण्डिपेंडेंट,** 5 सितम्बर, 1920.

113. एम.एच. सिद्दीकी , **अग्रेरियन अनरेस्ट इन नार्थ इण्डिया,** पृ. 130-131.

114. गुप्तचर विभाग के अभिलेख.

115. किसान रायट इन प्रतापगढ़ (फाइल) पुलिस विभाग, पृ. 219.

प्रान्त में दो किसान संगठन सक्रिय हो गए - 'उत्तर प्रदेश किसान-सभा' और 'अवध किसान-सभा' । इन दोनों में प्रत्यक्षतः विरोधाभास था। उत्तर प्रदेश किसान-सभा कौंसिल के चुनाव में विभिन्न प्रत्याशियों का समर्थन करते हुए किसानों को इसके लिए शिक्षित कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अवध किसान-सभा ने कौंसिल के बहिष्कार का नारा दे रखा था । मदनमोहन मालवीय जैसे नेता संवैधानिक संघर्ष के पक्षधर थे । आपस में मतभेद होने पर ही असहयोग आन्दोलनकारियों ने अवध किसान-सभा का गठन किया था और पोलिंग-बूथ पर यह प्रचार करते रहे कि "गांधी जी ने भी वोट न देने को कहा है"। दूसरी तरफ जौनपुरजिले में राधाकान्त मालवीय के समर्थक वोट देने का प्रचार कर रहे थे।[116]

अक्टूबर से दिसम्बर 1920 तक किसान-आन्दोलन का अत्यधिक क्रान्तिकारी स्वरूप उभर कर सामने आया । परहत के राजा ने ठाकुरदीन सिंह को नौकरी से हटा दिया । ठाकुरदीन सिंह ने अपने प्रभाव-क्षेत्र प्रतापगढ़ और जौनपुर की सीमा पर कुटीआह गाँव में किसान-सभा का गठन किया । ठाकुरदीन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में ये जमानत पर छूटे । पुनः उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे संगठन की एक बैठक में जमींदारों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष की योजना बना रहे थे । उन्होंने किसानों से राजा को और अधिक लगान न देने की अपील की । जब राजा ने अपने कारिन्दों को लगान उगाही के लिए भेजा तो किसानों ने उनकी उपेक्षा की ।[117]

उत्तर प्रदेश में किसान-आन्दोलन भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ था। शुरू में इस आन्दोलन को होमरूल लीग आन्दोलन ने हवा दी और बाद में खिलाफत तथा असहयोग आन्दोलन ने । किसानों की बैठकों और असहयोग आन्दोलनकारियों की बैठकों में भेद कर पाना मुश्किल था। अनेक राष्ट्रीय नेताओं, विशेषकर गांधी जी ने बार-बार किसानों से अपील की कि वे कोई भी हिंसक एवं गरमपंथी रास्ता न अपनाएँ, जैसे - जमींदारों को लगान न देना आदि।[118]

---

116. आनन्द प्रकाश तिवारी , **उत्तर प्रदेश में किसान आन्दोलन**, पृ. 257-258.

117. **वही**, पृ. 260.

118. बिपिन चन्द्र , **भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष**, पृ. 151.

परन्तु जौनपुर जिले के कोहना, अचल का पूरा, बलई का पूरा और प्रतापगढ़ में महुली एवं कुटीआह में लगान न देने का कार्यक्रम तीव्र गति से सक्रिय हो उठा । अब किसान जमींदारों, महाजनों एवं व्यापारियों तीनों के प्रति अपना तीव्र आक्रोश व्यक्त कर रहे थे । महाजन किसानों को भारी जमानत पर अत्यधिक ऊँचे ब्याज की दर पर ऋण देता था और बनिया किसानों से अत्यधिक सस्ते दर पर अनाज बेचने को बाध्य कर के पुनः उन्हें ही ऊँचे दर पर बेच कर किसानों का भारी शोषण कर रहे थे । अतः किसान इन तीनों वर्गों के ही विरुद्ध थे। आक्रोश अभिव्यक्ति की प्रक्रिया के अन्तर्गत सीर भूमि में ताल्लुकेदारों की फसल को किसान नष्ट करने लगे । महाजन और बनियों के अनाज के गोदामों को लूट कर सामान्य जरूरतमन्द किसानों में बाँटा गया। यह प्रथम संकेत था जिससे यह स्पष्ट हुआ कि किसान केवल जमींदारों के ही नहीं वरन् समस्त उत्पीड़क वर्ग के विरुद्ध हैं । ठाकुरदीन सिंह के नेतृतव में यह किसान-संघर्ष शीघ्र ही काफी आगे बढ़ गया । ताल्लुकेदारों ने उनकी गिरफ्तारी के लिए नकद राशि की घोषणा की । ठाकुरदीन के किस्से अब लोकगीतों के अंग बनते जा रहे थे । इनमें उत्साह के साथ ब्रिटिश-राज के आतंक की समाप्ति के प्रति आशा व्यक्त की जाने लगी थी। इसी बीच एकाएक ठाकुरदीन सिंह अपने चौदह सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए ।[119]
स्थानीय जनता में ठाकुरदीन सिंह की अच्छी छवि थी । यद्यपि कुछ लोगों ने उन्हें सामाजिक लुटेरा कहा, दूसरी तरफ लीडर ने उनका शेर के रूप में वर्णन किया ।[120]

20 नवम्बर, 1920 को जमींदारों के कारिन्दों ने पुलिस की सहमति से जौनपुर के कोंहना, बलई का पूरा, अचल का पूरा,सुमेर का पूरा तथा प्रतापगढ़ के महुली एवं कुटीआह गाँवों के कुछ उन घरों को लूटा तथा महिलाओं का अपमान किया जिनके पुरुष किसान-आन्दोलन की गतिविधियों में भाग लेने के कारण या तो जेल में थे या अनुपस्थित थे । कृष्णकान्त मालवीय ने घटना-स्थल का निरीक्षण किया । मदनमोहन मालवीय तथा कृष्णकान्त मालवीय ने इन घटनाओं की न्यायिक जाँच करने की सरकार से माँग की ।[121] 25 दिसम्बर , 1920 को बनारस के

---

119. आनन्द प्रकाश तिवारी , **उत्तर प्रदेश में किसान आन्दोलन**, पृ. 261.

120. **लीडर**, 25 नवम्बर, 1920.

121. **इण्डिपेंडेंट**, 28 नवम्बर, 1920, पृ. 3.

समाचार-पत्र 'आज' में जौनपुर तथा प्रतापगढ़ के सीमावर्ती गाँवों में जमीदारों के कारिन्दों द्वारा की गई लूट की, काशी सेवा समिति के सदस्यों द्वारा की गई, जाँच का विवरण प्रकाशित हुआ जिससे जमींदारों के कारिन्दों द्वारा किए गए अत्याचारों की पुष्टि हुई ।[122]

संयुक्त प्रान्त में कांग्रेस के असहयोग आन्दोलन की प्रधान शक्ति किसान थे । कांग्रेस के स्वयंसेवक दल में हजारों की संख्या में भरती होकर उन्होंने पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन को शक्तिशाली बनाया तथा लगानबंदी आदि का रास्ता अपनाया था । किसानों का आह्वान किया गया कि वे उन खेतों को न छोड़ें जो गैरकानूनी तरीके से उनसे ले लिए गए हैं । वे सिर्फ सुनिश्चित लगान दें और रसीद की माँग करें । वे जमींदारों के यहाँ बेगार करने से इन्कार करें । तालाबों का पानी निःशुल्क इस्तेमाल करें, अपने मवेशियों को जंगलों और दूसरी जमीनों में चराएँ ।[123] किसान आन्दोलन में मुख्य रूप से गरीब किसानों ने भाग लिया, क्योंकि इन्हें न तो भूमि पर स्थायी अधिकार मिले हुए थे और न इतनी जमीन ही प्राप्त थी जिसपर वे खेती कर सकते थे ।[124]

एक वर्ष में स्वराज्य का नारा ग्रामीण अंचलों में तीव्र गति से फैला । असहयोग आन्दोलन को किसानों ने व्यापक अर्थ में लिया। उन्होंने जमींदारों के शोषण के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए लगान देना बन्द कर दिया।[125] फरवरी 1922 में चौरीचौरा काण्ड जिसमें किसानों ने क्रान्तिकारी प्रतिकार व्यक्त किया था, उसका गांधी जी ने अपने ढंग से विश्लेषण करके इस घटना पर क्षोभ व्यक्त किया तथा समस्त असहयोग-आन्दोलन को ही स्थगित कर दिया । जौनपुर और प्रतापगढ़ के सीमावर्ती गावों में ठाकुरदीन सिंह द्वारा संचालित क्रान्तिकारी किसान-आन्दोलन वाह्य समर्थन के अभाव में समाप्त हो गया ।

जौनपुर में किसान-आन्दोलन के द्वितीय चरण का प्रारम्भ जनवरी 1928 में हुआ ।

---

122. **आज**, 25 दिसम्बर, 1920.

123. अयोध्या सिंह, **भारत का मुक्ति संग्राम**, पृ. 426-427.

124. **इण्डपेंडेंट**, 18 जनवरी, 1921.

125. **वही**, 3 मई, 1921.

बाबा रामचन्द्र ने जनवरी के अन्तिम सप्ताह में जौनपुर जिले में कई स्थानों का दौरा कर किसान-संगठन का कार्य किया। 31 मई 1929 को सिंगरामऊ राज्य के जिलेदार द्वारा कोईरीपुर केतीस किसानों से अंग्रेजी स्कूल के चन्दे के लिए बलात दो सौ रुपये वसूले गए । बाबा रामचन्द्र ने 11 जून, 1929 के 'समय' में "किसानों पर अत्याचार-जिलाधीश ध्यान दें" शीर्षक से एक पृष्ठ की शिकायत प्रकाशित कर जिलाधीश और पुलिस-कप्तान का ध्यान इस घटना पर आकृष्ट किया तथा राजा सिंगरामऊ से भी जो कौंसिल के मेम्बर एवं डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के चेयरमैन रहे, वोट मांगते समय की गई प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाया ।[126]

प्रतापगढ़ के किसान-नेता झिंगुरी सिंह जौनपुर जिले में किसानों के लिए एक लम्बी अवधि तक संघर्ष करते रहे । 26 अप्रैल, 1930 को इनके नेतृत्व में एक दल ने सुजानगंज पहुँचकर नमक-कानून को तोड़ा ।[127] दिसम्बर 1933 में जौनपुर जिले में किसान-संघ का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष रामनरेश सिंह तथा मंत्री भगवतीदीनतिवारी बने । किसान-संघ का उद्देश्य किसानों की राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति करना घोषित किया गया । संगठन के कार्यक्रमों में लगान की छूट के विषय में जाँच करना और जहाँ छूट न मिली हो दिलाना, नाजायज बेगारी व नजराना-प्रथा को समाप्त करना, मुकदमेंबाजी बन्द कर पंचायतों द्वारा विवादों का निर्णय करना, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार, कौंसिल में प्रवेश के विषय में जनता को शिक्षित करना आदि शामिल किया गया ।[128]

11 अक्टूबर 1933 को सिंगरामऊ रियासत के 40 किसानों ने जिलाधीश से राजा साहब के अत्याचारों की शिकायत की । इन शिकायतों की जाँच एस.डी.एम. को सौंपी गई । कोइरीपुर के किसानों ने 24 मई 1934 को पुलिस कप्तान को एक शिकायती पत्र दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजा सिंगरामऊ के जिलेदार की साजिश से बदलापुर के थानेदार क्षेत्र के किसानों को परेशान कर रहे हैं । कोईरीपुर के किसानों ने अपनी शिकायतों पर कोई सुनवाई न होते देखकर 21 जुलाई 1934 को जिलाधीश कार्यालय के सामने बैठकर धरना देना प्रारम्भ किया। अन्ततः जिलाधीश ने

---

126. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 75-76.

127. **वही**, पृ. 76.

128. **समय**, 19 दिसम्बर, 1933.

किसानों की शिकायत पर एस.डी.एम. ने जो रिपोर्ट दी उसमें जिलेदार बजरंगी लाल कोतत्काल हटाने की माँग की गई । कुछ समय बाद जिलेदार हटा भी दिए गए । किसान संघ को अपने संघर्ष में सफलता मिली । राजा साहब के जिलेदार और सिपाही अब किसानों को अपमानित नहीं करते थे तथा बेगार भी अब पहले की अपेक्षा कम हो गई ।[129]

किसान-संघ के अध्यक्ष रामनरेश सिंह ने 16 जनवरी, 1934 के 'समय' में किसानों से किसान-संघ का सदस्य बनने, गाँव-गाँव में संगठन की शाखाएँ स्थापित करने तथा पंचायत के गठन की अपील की ।[130] उनकी इस अपील के बाद जौनपुर जिले में गाँव-गाँव में बड़ी संख्या में किसान-संघ की शाखाएँ खुलीं । पं. रामनरेश त्रिपाठी सिंगरामऊ में, विशेषकर कोइरीपुर के किसान-आन्दोलन से जुड़े रहे । पं. शिववर्ण शर्मा मछलीशहर क्षेत्र में किसानों के बीच सक्रिय रहे तथा विजय बहादुर सिंह गोठवा, भटौली आदि ग्रामों में किसानों के बीच सक्रिय रहे । इसलिए उन्हें कुछ सिरफिरे जमींदारों के कोप का भाजन बनना पड़ा । समाधगंज में कांग्रेस तथा किसानों की सभा आसफल करने के उद्देश्य से जमींदार के कारिन्दों नेएक प्राइवेट बस में बैठते समय किसानों को उठाकर बाहर फेंक दिया ।[131]

अप्रैल 1935 में प्रयाग किसान-सम्मेलन में जौनपुर के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें अधिकांश मछलीशहर तहसील के थे ।[132] किसान-संघ की ओर से 21 फरवरी, 1936 को करशूलनाथ में, 22 फरवरी को सवंसा में, 23 फरवरी को उमरी में तथा 24 फरवरी को टड़वां में आयोजित किसान सभाओं को बाबा रामचन्द्र, रामेश्वर प्रसाद सिंह तथा रामनरेश सिंह ने सम्बोधित किया और वहाँ के किसानों के शिकायतों की जाँच की । 10 मई, 1936 को खुटहन में जालिम जिलेदार द्वारा एक हरिजन की बेगार न करने पर, पीट कर की गई हत्या का मामला किसान संघ ने अपने हाथ में लिया। 29 मई, 1936 को नमुआपार घघरिया गाँव (मछलीशहर) में ठा. हरिनाथ सिंह

---

129. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 74-76.

130. **समय,** 16 जनवरी, 1934.

131. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 75-77.

की अध्यक्षता में हुई,सभा को बाबा रामचन्द्र , रामनरेश सिंह, रामेश्वर प्रसाद सिंह, अभयजीत दूबे, शिववर्ण शर्मा आदि ने सम्बोधित किया । नवाब यूसुफ के क्षेत्र में अनुचित करों के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पास करके नवाब यूसुफ से यह माँग की गई कि वे अपना बर्ताव रियाया के प्रति बदलें। 5 जुलाई , 1936 को सेवा प्रेस के अहाते में स्वामी सहजानन्द के सभापतित्व में हुए किसान-आन्दोलन में जिला किसान संघ के अध्यक्ष राम नरेश सिंह ने जनपद के किसानों की दशा का वर्णन किया।[133]

अगस्त एवं सितम्बर 1936 में जौनपुर बाढ़ से पीड़ित रहा । गोमती और सई नदियों ने यहाँ भारी तबाही ला दी थी । जिला-किसान-संघ के अध्यक्ष रामनरेश सिंह ने भगवतीदीन तिवारी, कुंजबिहारी सिंह, उदरेज सिंह, जगदम्बा सिंह, चन्द्रपाल सिंह आदि के साथ बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया और सरकार से 7 सूत्रीय माँग की, जिसमें मकान बनाने में मदद देने, ऊँची जमीन पर बसाने, लगान माफ करने, वसूली बन्द करने, खेती के अयोग्य भूमि पर हमेशा के लिए लगान माफ करने तथा कार्तिक की बुवाई के लिए बीज की सहायता देने की माँग की गई । 11 जून, 1937 को नवाब यूसुफ के क्षेत्र सोंड में किसानों की एक सभा हुई जिसमें विधायक रामनरेश सिंह तथा राय अम्बिका सिंह के भाषण हुए और लोगों ने जमींदार नवाब यूसुफ को होली का नजराना न देने की प्रतिज्ञा की ।[134]

शाहगंज तहसील के सिखौलिया के 37 काश्तकारों के हस्ताक्षर से युक्त एक शिकायत 20 अक्टूबर, 1936 के समय में प्रकाशित हुई [135] जिसपर जिला किसान-संघ ने जाँच करके तुरन्त कार्यवाही की, परिणाम स्वरूप शीघ्र ही छताई कलां के जमींदार कामता सिंह के कारिन्दों के अत्याचारों से किसानों को कुछ राहत मिली ।

12 फरवरी, 1937 को केशव देव मालवीय प्रान्तीय विधान-सभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी

---

132. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 53-54.

133. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 77-78.

134. **वही**, पृ. 78.

135. **समय**, 20 अक्टूबर , 1936.

के रूप में जब विधायक निर्वाचित हुए तो प्रतिक्रिया स्वरूप किसानों को प्रताड़ित किया गया क्योंकि राजा हरपाल सिंह केशव देव मालवीय के विरुद्ध प्रत्याशी थे जिन्हें किसानों ने 7268 मतों से पराजित करवा दिया था। सन् 1938 में रामनरेश त्रिपाठी ने "सिंगरामऊ का राजरोग" नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की जिस पर राजा हरपाल सिंह ने मानहानि का अभियोग चलाया । मुकदमें की सुनवाई पर रामनरेश त्रिपाठी सैकड़ों किसानों का जुलूस लेकर जिले के मुख्यालय आया करते थे । यह कृषक-जागरण का अद्भुत दृश्य होता था । कांग्रेस और किसान जैसे एक नाम और एक दूसरे के पूरक बन गए थे ।[136]

इसप्रकार जौनपुर के किसान-आन्दोलन ने राष्ट्रीय आन्दोलन को मजबूती प्रदान की । किसान-आन्दोलन एवं कृषक-संगठन कांग्रेस के क्रिया-कलापों की अभिव्यक्ति के मुख्य साधन बन गए थे । कांग्रेस के कार्यकर्ता गाँवों को अपनी सेवा का केन्द्र बनाकर सक्रिय रहते थे और उस समय शहरी जीवन की यह ललक कांग्रेस-कर्मियों में नहीं दिखाई पड़ती थी । महत्वाकांक्षा की जगह जन-सेवा और लोक-हित की दृष्टि से कृषक समस्याओं का निवारण एवं कृषक-संगठन को मजबूत बनाना एक प्रमुख उद्देश्य था। बाद के वर्षों में भी इन्हीं कांग्रेसी नेतृत्व ने जौनपुर जनपद की किसान-समस्याओं के लिए संघर्ष किया ।

---

136. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, पृ. 79.

चतुर्थ अध्याय

सविनय अवज्ञा आन्दोलन

सविनय अवज्ञा आन्दोलन

चौरीचौरा काण्ड के बाद असहयोग आन्दोलन को स्थगित कर दिये जाने और गांधी जी के लम्बी सजा के साथ जेल में चले जाने के बाद सम्पूर्ण देश के स्वतन्त्रता-आन्दोलन में जो शिथिलता आई उसका प्रभाव जौनपुर जिले पर भी पड़ा और जौनपुर में भी राजनैतिक शिथिलता आई। जौनपुर जनपद के कुछ प्रमुख नेता कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में सम्मिलित होकर जनपद का प्रतिनिधित्व करते रहे ।[1]

25 मार्च, 1922 को संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी प्रयाग की बैठक में गांधी जी के कार्यक्रम में विश्वास प्रकट करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रचनात्मक कार्यों की पुष्टि की । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटियों को 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 'राष्ट्रीय सप्ताह' मनाने के निर्देश दिए । जौनपुर, बनारस, आजमगढ़, मिर्जापुर, गोरखपुर, बस्ती आदि जनपदों में 'राष्ट्रीय सप्ताह' उत्साह पूर्वक मनाया गया ।[2]

26-31 दिसम्बर, 1922 को चितरंजन दास की अध्यक्षता में गया कांग्रेस अधिवेशन हुआ। चितरंजन दास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कौंसिल प्रवेश का जोरदार समर्थन किया । लेकिन कांग्रेस के दूसरे खेमे ने, जिसका नेतृत्व बल्लभभाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद और सी. राजगोपालाचारी कर रहे थे, इसका विरोध किया । जब कौंसिल का प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तो उसके पक्ष में 890 और विरोध में 1748 मत पड़े और प्रस्ताव नामंजूर हो गया। चितरंजन दास ने अधिवेशन के अन्दर ही कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभापतित्व से इस्तीफा दे दिया। मोतीलाल नेहरु ने संयुक्त

---

1. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 27.
2. गुप्तचर विभाग के अभिलेख.

प्रान्तीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 1 जनवरी, 1923 को एक नई पार्टी 'कांग्रेस खिलाफ़त स्वराज पार्टी' के गठन की घोषणा की । चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल महामंत्रियों में से एक थे । इस पार्टी को बाद में 'स्वराज पार्टी' के नाम से जाना जाने लगा । कौंसिल प्रवेश के समर्थकों को 'प्रो-चेंजर्स' (परिवर्तन समर्थक) तथा इसके विरोधियों को 'नो-चेंजर्स' (परिवर्तन विरोधी) की संज्ञा दी गई । स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के ही कार्यक्रमों को अपनाया , फ़र्क केवल इतना था कि इस पार्टी ने साल के अन्त में होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने का निर्णय भी किया।[3]

गया कांग्रेस अधिवेशन में जौनपुर के रामेश्वर प्रसाद सिंह, गजराज सिंह, अब्दुल हमीद कौम, सैय्यद हामिद हसन, बटेश्वर और अयोध्या प्रसाद पाण्डेय ने भाग लिया और ये सभी लोग चेंजर्स ग्रुप (परिवर्तन वादी) के थे । कौंसिल प्रवेश के प्रश्न को लेकर सितम्बर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद के सभापतित्व में हुआ । इस विशेष अधिवेशन में रामेश्वर प्रसाद सिंह, अब्दुल हमीद कौम, सैय्यद हामिद हसन, गजराज सिंह, रामनरेश सिंह, निजामुद्दीन आदि ने जौनपुर जनपद का प्रतिनिधित्व किया ।[4] इस विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध बन्द करने का निश्चय किया । कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने और मतदान करने की इजाजत दी गई ।[5] 6 - 7 दिसम्बर कोहुए चुनावों में प्रान्तीय कौंसिल के 100 निर्वाचित स्थानों में से स्वराज दल को 36 स्थान प्राप्त हुए । पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वराज दल को विशेष सफलता नहीं मिली, क्योंकि इस क्षेत्र से स्वराज दल के केवल 7 सदस्य ही निर्वाचित हो सके । यद्यपि स्वराज दल को बहुमत न मिल सका फिर भी अन्य दलों के सहयोग से कौंसिल में स्वराज दल का अच्छा प्रभाव रहा। स्वराज दल ने संयुक्त प्रान्तीय कौंसिल में सदैव सरकार से असहयोग की नीति अपनाई । 10 सितम्बर, 1924 को स्वराज दल ने राजनैतिक बंदियों को मुक्त कराने के प्रस्ताव को पास कराकर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की ।[6]

---

3. बिपिन चन्द्र, **भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष**, पृ. 179.
4. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 22-23.
5. बिपिन चन्द्र, **भारत का स्वतंत्रता संघर्ष**, पृ. 181.
6. भुवनेश्वर सिंह गहलौत, **पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 55-56.

जौनपुर में नगरपालिका, जिला-बोर्ड, प्रान्तीय एवं केन्द्रीय असेम्बलियों के हुए चुनावों मे कांग्रेस की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी । स्वराज पार्टी बनाकर कांग्रेस के एक समूह ने प्रान्तीय एव केन्द्रीय असेम्बलियों के चुनाव में भाग लिया । जौनपुर जिले में स्वराज पार्टी से कृष्ण कान्त मालवीय खड़े हुए थे और 'अमन सभा' की ओर से राजा हरपाल सिंह खड़े थे । कृष्ण कान्त मालवीय लगभग एक हजार मतों से जीत गए थे, किन्तु एक मृत वोट उनके पक्ष में पड़े होने के आधार पर उन्हें हराकर राजा हरपाल सिंह को विजयी घोषित कर दिया गया ।[7]

सन् 1923 में, कोकोनाड़ा में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली की अध्यक्षता मे हुआ । इस अधिवेशन में रामेश्वर प्रसाद सिंह, गजराज सिंह, हामिद हसन, अब्दुल हमीद कौम, लक्ष्मी नारायण बैंकर तथा रामनरेश सिंह ने जौनपुर के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया । दिसम्बर 1924 के बेलगांव अधिवेशन में रामेश्वर प्रसाद सिंह एवं लालजी मेहरोत्रा ने भाग लिया । सन् 1925 में कानपुर एवं सन् 1926 में गोहाटी अधिवेशन में जौनपुर के काफी प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा बाद के कांग्रेस अधिवेशनों में भी जौनपुर के प्रतिनिधि भाग लेते रहे ।[8]

5 फरवरी, 1924 को गांधी जी अस्वस्थ होने के कारण जेल से रिहा कर दिए गए । 6 नवम्बर, 1924 को गांधी जी ने स्वराजियों और उनके विरोधियों के बीच की खाई को पाट दिया। चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरु और गांधी जी ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया था कि स्वराजी नेता कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में, कांग्रेस के नेतृत्व में, विधानमंडल में अपना काम करते रहेंगे । दिसम्बर में बेलगाँव कांग्रेस अधिवेशन में इस निर्णय को मंजूरी दी गई । इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने ही की । कांग्रेस कार्यकारिणी में गांधी जी ने स्वराजियों को काफी स्थान दिया ।[9] यद्यपि स्वराज दल स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा किन्तु स्वराज दल ने असहयोग आन्दोलन के समाप्त हो जाने से भारतीय जनमानस में व्याप्त निराशा के

---

7. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 27.
8. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 18.
9. बिपिन चन्द्र, **भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष**, पृ. 181-183.

वातावरण में जनता में उत्साह का संचार किया । स्वराज दल ने प्रान्तीय कौंसिल में सरकार से असहयोग करके राजनैतिक जागृति को बनाए रखा और समय-समय पर सरकार की नीतियों की आलोचना करके सरकार के प्रति जनता के असंतोष को व्यक्त किया ।

फरवरी 1924 के दूसरे सप्ताह में पं. जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार जौनपुर आए । उसी समय खिलाफत फंड के लिए देश का दौरा करते हुए अली बन्धु भी जौनपुर आए हुए थे। पंडित जी के साथ रघुपति सहाय फिराक उनके निजी सचिव के रूप में आए थे । अटाला मस्ज़िद में सायंकाल एक बहुत बड़ी सभा को नेहरू ने सम्बोधित किया । दिसम्बर 1925 में, कानपुर में सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । इस अधिवेशन में जौनपुर से काफी संख्या में प्रतिनिधि गए । कांग्रेस अध्यक्षा सरोजनी नायडू कांग्रेस अधिवेशन के बाद देश के दौरे पर निकलीं थीं। भारत कोकिला जौनपुर भी आईं और टाउन-हाल के सामने एक सभा को सम्बोधित किया । इस सभा में नगर के सभी बड़े-बड़े वकील तथा अन्य पढ़े-लिखे लोगों के अतिरिक्त साधारण जनता भी भारी संख्या में उपस्थित थी । सन् 1926 के गोहाटी कांग्रेस अधिवेशन में भी जौनपुर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।[10]

सन् 1927 तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आन्दोलन की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी । हिन्दू-मुस्लिम एकता पर (हिन्दू-मुस्लिम) दंगे हुए ।[11] अतः सरकार विरोधी आन्दोलन धीमा पड़ गया । वैधानिक सुधारों की निरन्तर मांग के कारण ब्रिटिश शासन द्वारा 8 नवम्बर, 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक जाँच समिति की नियुक्ति की घोषणा की गई जिससे स्वतन्त्रता आन्दोलन गतिशील हुआ ।[12]

भारतीय शासन अधिनियम , 1919 की धारा 84 (अ) के अनुसार अधिनियम के क्रियान्वयन के 10 वर्ष के पश्चात् भारत के उत्तरदायी शासन की प्रगति की जाँच हेतु एक आयोग

---

10. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 23-25.

11. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ यू.पी. (1926-27), पृ. 7.

12. वी.पी.एस. रघुवंशी, **इण्डियन नेशनलिस्ट मूवमेंट एण्ड थॉट**, पृ. 196.

गठन किया जाना था ।[13] इसप्रकार आयोग का गठन 1929 में होना चाहिए था । परन्तु दो वर्ष पहले ही आयोग-गठन के कुछ कारण थे । प्रथम, ब्रिटिश सरकार भारत में व्याप्त साम्प्रदायिक विद्वेष का लाभ उठाना चाहती थी ; द्वितीय, अनुदार दल भारत के भविष्य को मजदूर दल के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे इस बात की आशंका थी कि मजदूर दल उसके समान ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की रक्षा नहीं कर सकेगा । आयोग की समय से पूर्व नियुक्ति जवाहरलाल नेहरु और सुभाषचन्द्र बोस के निर्देशन में चल रहे युवा आन्दोलन के कारण भी हुई ।[14] 10 नवम्बर, 1927 को कांग्रेस अध्यक्ष एस.एस. अयंगर ने एक वक्तव्य जारी करते हुए साइमन कमीशन के पूर्ण. बहिष्कार की अपील की ।[15] साइमन कमीशन के सभी सातो सदस्य अंग्रेज थे।

दिसम्बर 1927 में, मद्रास में डॉ. एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस के 42वें अधिवेशन में सर्वसम्मत से साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया । कांग्रेस ने भारत के लोगों तथा देश के सभी कांग्रेस संगठनों का आह्वान किया कि जोरदार प्रचार के द्वारा वे देश में लोकमत को संगठित करें जिसके माध्यम से सभी भारतीय राजनैतिक संगठन साइमन कमीशन का जोरदार बहिष्कार करें।[16] 15 जनवरी, 1928 को बनारस के 'सेवा-भवन' में डॉ. एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सभा हुई जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार तथा कमीशन के भारत-आगमन की तिथि 3 फरवरी को सारे देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया ।[17]

22 दिसम्बर, 1927 को जौनपुर में जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव कांग्रेस कार्यालय में हुआ । श्री दीप नारायण वर्मा अध्यक्ष तथा रामेश्वर प्रसाद सिंह एवं रामनरेश सिंह मंत्री चुने गए।[18] जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीप नारायण वर्मा, उपाध्यक्ष अब्दुल हमीद कौम और मंत्री द्वय रामेश्वर प्रसाद सिंह एवं रामनरेश सिंह के हस्ताक्षरों से 'समय' में साइमन कमीशन के

---

13. होम पोलिटिकल, फाइल संख्या 603/1927.
14. ए.वी. कीथ, **ए कांस्टीट्यूसनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया**, पृ. 165.
15. **लीडर**, 12 नवम्बर, 1927.
16. **वही**, 2 जनवरी, 1928.
17. नेटिव न्यूज पेपर रिपोर्ट, 28 जनवरी, 1928 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए.
18. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 27.

बहिष्कार करने की अपील प्रकाशित की गई । कवि पुरुषोत्तम लाल 'मधुप' की साइमन कमीशन पर "मान बचेगा तभी, कमीशन पैरों से जब ठुकराओ" - जैसी उत्प्रेरक कविता भी 'समय' के मुख्य पृष्ठ पर छपी ।[19]

'समय' ने अपने सम्पादकीय शीर्षक 'परीक्षा की घड़ी' में लिखा - "सात मदारी आ रहे हैं । बड़ी सज-धज के साथ आ रहे हैं । पार्लियामेंट के भेजे हुए आ रहे हैं। क्यों, किसलिए? हमे गुलाम बनाने के लिए संसार के समक्ष हमारा अपमान करने के लिए । हमारी दासत्व-श्रृंखला मजबूत करने के लिए । हमें स्वराज्य के निमित्त अयोग्य सिद्ध करने के लिए।.... अभी आपको एक दिन (3 फरवरी) हड़ताल करना है । देखें आप कहाँ तक अपना अभिनय स्वराज्य मंच पर दिखलाते हैं । देखें आप कहाँ तक भारत माता के सच्चे सपूत होने का परिचय देते हैं । भारत के इतिहास में आत्मोत्सर्ग का यही अवसर है । राष्ट्रीयता के प्रदर्शन का यही एक मौका है, परीक्षा की अन्तिम घड़ी है । [20]

3 फरवरी, 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में जौनपुर में पूर्ण हड़ताल रही। नगर में गल्ला, कपड़ा, जेवर, मिठाई आदि की दुकानें पूर्णतया बन्द रहीं । क्षत्रिय स्कूल के राष्ट्र प्रेमी छात्रों ने भी पूर्ण हड़ताल किया और 12 बजे से 2 बजे तक नगर में भजन के साथ जुलूस निकाला। 'साइमन, वापस जाओ', 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' आदि नारों से नगर एवं कस्बे गूंज उठे।[21] मड़ियाहूँ में भी हड़ताल अत्यन्त सफल रही । सड़क पर निकलने से जान पड़ता था कि सारे कस्बे पर प्लेग या महामारी ने अकस्मात् छापा मारा है । सुबह से शाम 6 बजे तक पूरी हड़ताल रही । हड़ताल पर 'समय' ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा - "बरकत है उन कदमों में जिन्होंने बम्बई में उतरते ही समस्त देश में 'प्लेग' का दृश्य दिखला दिया ।"[22]

22 फरवरी, 1928 को प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद् में स्वराज दल के सदस्यों ने

---

19. **समय**, 24 जनवरी, 1928, पृ. 1.

20. सम्पादकीय लेख 'परीक्षा की घड़ी', **समय**, 24 जनवरी, 1928.

21. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 94; **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर**, जौनपुर, 1986, पृ. 51.

22. **समय**, 7 फरवरी, 1928.

साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । 25 फरवरी, 1928 को 55 मतों के विरुद्ध 56 मतों से कमीशन के बहिष्कार के प्रस्ताव की स्वीकृति ने संयुक्त प्रान्त के शासन को हतप्रभ कर दिया।[23] जौनपुर के प्रतिनिधि श्रीकृष्ण दत्त दूबे ने भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। 'समय' ने अपने सम्पादकीय में 'लोकमत की विजय' शीर्षक के अन्तर्गत संयुक्त प्रान्तीय कौंसिल द्वारा कमीशन के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने के लिए बधाई दी और जौनपुर के प्रतिनिधि श्रीकृष्ण दत्त दूबे को भी प्रस्ताव के पक्ष में मत देने के लिए बधाई दी ।[24] 20 जुलाई, 1928 को टाउन हाल में गुरु सरन लाल की अध्यक्षता में एक सभा हुई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर श्रीकृष्ण दत्त दूबे को कौंसिल में साइमन कमीशन के प्रश्न पर जनता का पक्ष प्रस्तुत करने पर उन्हें बधाई दी गई।[25]

साइमन कमीशन जिसका भारत आगमन 3 फरवरी, 1928 को हुआ था, 31 मार्च, 1928 को वापस चला गया ।[26] भारतीय जन-मानस द्वारा व्यापक रूप से बहिष्कृत साइमन कमीशन का कम से कम एक अच्छा परिणाम यह हुआ कि भारतीय नेतृत्व गम्भीरता पूर्वक यह विचार करने लगा कि भारत के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाय जो सर्वग्राह्य हो ।[27] भारत मंत्री लार्ड बर्केनहेड ने भी भारतीयों को चुनौती देते हुए कहा कि वे ऐसा संविधान निर्मित करें जिसे भारत के सभी वर्ग स्वीकार करें । कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन की चुनौती को स्वीकार करते हुए 28 फरवरी, 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया । सभी पक्ष इस बात पर सहमत थे कि 'पूर्ण उत्तरदायी शासन' को आधार बनाकर नया संविधान बनाया जाय ।

19 मई, 1928 को बम्बई में डॉ. एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ । भारत के संविधान के सिद्धान्तों का एक मसविदा बनाने के लिए पं. मोतीलाल नेहरु की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई । इस समिति में दो मुसलमान और एक सिक्ख

---

23. होम पोलिटिकल फाइल संख्या 1/1928.
24. **समय**, 28 फरवरी, 1928.
25. **वही**, 24 जुलाई, 1928.
26. **आज**, 2 अप्रैल, 1928.
27. रमेशचन्द्र मजूमदार, **हिस्ट्री ऑफ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया**, खण्ड 3, पृ. 311.

भी थे । लालालाजपत राय एवं तेजबहादुर सप्रू भी इस समिति के सदस्य थे ।[28] समिति ने अपना विवरण 15 अगस्त, 1928 को प्रस्तुत कर दिया ।[29] यह नए संविधान का ड्राफ्ट ही 'नेहरु-रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध है ।

नेहरु-रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लखनऊ में डॉ. एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में 28-30 अगस्त, 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में नेहरू कमेटी को उनके श्रम के लिए धन्यवाद दिया गया और नेहरू रिपोर्ट की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई तथा कुछ संशोधनों केबाद समिति के विवरण को स्वीकार कर लिया गया । सभी हिन्दू दलों और समाचार पत्रों ने इसकी प्रशंसा की किन्तु मुसलमानों ने इसका विरोध किया । शौकत अली ने मुस्लिम सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरु-रिपोर्ट को इस्लाम विरोधी बताया । कुछ सिक्ख रिपोर्ट से इसलिए असन्तुष्ट थे कि साम्प्रदायिक धाराओं में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था।[30] नेहरु रिपोर्ट बहुत ही प्रगतिवादी और उच्च श्रेणी की थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इसे ठुकरा दिया । जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ और गोरखपुर में नेहरु-रिपोर्ट को व्यापक समर्थन मिला और उसकी प्रशंसा की गई।[31]

11 अक्टूबर, 1928 को साइमन कमीशन पुनः भारत आया । किन्तु 31 मार्च, 1928 से लेकर 11 अक्टूबर, 1928 के बीच के अन्तराल में राष्ट्र का राजनैतिक मौसम पूर्णतया बदल गया था। लार्ड बर्केनहेड की चुनौती का जवाब दिया जा चुका था । सम्पूर्ण राष्ट्र में नेहरु-रिपोर्ट के माध्यम से यह संकल्प कर लिया था कि औपनिवेशिक स्वराज्य से कुछ भी कम स्वीकार नहीं करेंगे। साइमन कमीशन के पुनः भारत आगमन के पूर्व 7 अगस्त, 1928 को 'समय' में रामकरण शर्मा की एक कविता, शीर्षक 'आने वाले हैं' के अन्तर्गत प्रकाशित हुई । कविता की कुछ मुख्य पंक्तियाँ थीं - "समर बांध कर खड़े रहो / बस शीश सुमन हाथों में हो/ सात सयाने अक्टूबर में/

---

28. जे. श्यामसुन्दरम् , **राष्ट्रीय आन्दोलन तथा भारतीय संविधान**, पृ. 478-479.
29. **दि पायनियर**, 16 अगस्त, 1928, पृ. 3.
30. गुप्तचर विभाग के अभिलेख.
31. **आज**, 19 सितम्बर, 1929, पृ. 7.

फिर आने वाले हैं ।"[32]

साइमन कमीशन अपने दौरे के क्रम में 30 अक्टूबर, 1928 को लाहौर पहुँचा । लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व लालालाजपत राय कर रहे थे । लालालाजपत राय और उनके पीछे चलने वाले प्रदर्शनकारी बिल्कुल संयमित थे । फिर भी अन्धी सरकार ने जिसका दिमाग खराब हो गया था, प्रदर्शनकारियों पर लाठियों की वर्षा प्रारम्भ कर दी । लाला जी के सीने और पीठ में गम्भीर चोटें आईं ।[33] लाला जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जुलूस बिल्कुल निहत्था था, हमारा इरादा झगड़ा करने का नहीं था । हम इन लाठियों को खाने के लिए तैयार हैं लेकिन यह एक-एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत के लिए कील साबित होगी । ये लाठियां अंग्रेजों की नहीं, बल्कि उन लोगों की हैं, जो मुल्क की आवाज के खिलाफ अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं।[34] सांघातिक चोटों के कारण 17 नवम्बर, 1928 को लालालाजपत राय की मृत्यु हो गई ।[35]

जौनपुर में डॉ. एम.ए. अंसारी की अपील पर 29 नवम्बर, 1928 को 5 बजे सायंकाल टाउनहाल के सामने दीपनारायण वर्मा की अध्यक्षता में लालालाजपत राय दिवस एक सभा के रूप में मनाया गया । इसके पूर्व राष्ट्रीय झण्डे के साथ ओलन्दगंज चौराहे से एक जुलूस भी नगर में निकाला गया था जिसमें रास्ते भर 'हाय लाला हमारा चला गया' नज्म लोग कहते रहे । टाउनहाल की सभा में प्रस्ताव पारित करके लाला जी के देहावसान को देश की अपूरणीय क्षति बताया गया । सभा में उपस्थित लोगों ने उनकी सेवाओं से उऋण होने के लिए स्वराज्य-संग्राम में तीव्र गति से जुट जाने का संकल्प लिया । 'लाला जी स्मृति-कोष' के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें सर्वश्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, गजराज सिंह, दीपनारायण वर्मा, रामाचरण सिनहा, जगन्नाथ पाण्डेय, सय्यद हामिद हसन, अब्दुल हमीद कौम, शिव भजन लाल और द्वारिका प्रसाद मौर्य को सदस्य मनोनीत किया गया और इन लोगों ने पहले लिए गए संकल्प से अधिक धनराशि एकत्र करके लाला जी स्मृति-कोष में प्रेषित किया। कोष के लिए धन-संग्रह करने में लोगों ने यात्रा-व्यय का

---

32. **समय**, 7 अगस्त, 1928.
33. जवाहरलाल नेहरू, एन आटोबायग्राफी, पृ. 254.
34. **समय**, 6 नवम्बर, 1928.
35. वी.पी. वर्मा, **फ्रीडम स्ट्रगल**, पृ. 83.

भार स्वयं वहन किया ।[36] 'समय' में द्वारिका प्रसाद मौर्य की एक कविता, 'पंजाब केसरी चला गया' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुई ।[37]

25 नवम्बर, 1928 को संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने लखनऊ में जवाहरलाल नेहरु की अध्यक्षता में हुई बैठक में नेहरु-रिपोर्ट के प्रति आस्था प्रकट की । 29 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 1928 तक कलकत्ता में हुए कांग्रेस के 43वें अधिवेशन में नेहरु-रिपोर्ट की प्रशंसा की गई और भविष्य की योजना के रूप में रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव स्वीकार किया गया । मादक द्रव्यों की बिक्री का विरोध, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, स्त्री-शिक्षा तथा अछूतोद्धार कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के प्रमुख अंग थे । संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्तावों पर सहमति प्रकट की और जिला कांग्रेस कमेटियों से रचनात्मक कार्यों पर जोर देने का आग्रह किया ।[38]

दिसम्बर 1928 में, कलकत्ता में पं. मोतीलाल नेहरु की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ने जौनपुर का प्रतिनिधित्व किया । कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के बाद जौनपुर में कांग्रेस के कार्यक्रमों के प्रचार के लिए शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कई सभाएँ हुईं । 21 अप्रैल, 1929 को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री श्रीप्रकाश जी जौनपुर आए और शाम को टाउनहाल के सामने, सिंगरामऊ के ठा. रघुराज सिंह की अध्यक्षता में हुई एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया ।[39]

लाहौर षडयंत्र केस के अभियुक्तों ने जेल में अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में जेल में भूख-हड़ताल प्रारम्भ कर दी । उनकी मांग थी कि उनके साथ राजनैतिक कैदियों-सा

---

36. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 95.
37. **समय**, 20 नवम्बर, 1928.
38. **लीडर**, 25 नवम्बर, 1929, पृ. 5.
39. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 29.

व्यवहार किया जाय ।[40] 63 दिनों की लगातार भूख हड़ताल के बाद 13 सितम्बर, 1929 को यतीन्द्रनाथ दास शहीद हो गए । 14 सितम्बर, 1929 को उनके बलिदान के उपलक्ष्य में सारे देश में हड़ताल मनाई गई ।[41] यतीन्द्रनाथ दास के बलिदान पर जवाहरलाल नेहरु ने कहा - "दास ने पूर्णतः अपने कर्तव्य का पालन किया। बहुत दिनों तक भीषण कष्ट सहने के बाद उन्हें मुक्ति मिल गई और अब वह ऐसे देश में जा पहुँचे हैं जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का कोई वश नहीं चलता।"[42] मन्मथनाथ गुप्त ने लिखा - "13 सितम्बर को एक बजकर पाँच मिनट पर यतीन्द्र, देश का प्यारा यतीन्द्र, बोरस्टल जेल में साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गया ।"[43]

अमर शहीद यतीन्द्रनाथ का बलिदान दिवस 18 सितम्बर, 1929 को जौनपुर में मनाया गया। 18 सितम्बर को काले झण्डे के साथ सेवा प्रेस से एक जुलूस 4 बजे सायं निकाला गया, जिसमें सर्व श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, दीपनारायण वर्मा, अब्दुल कादिर आदि यूथलीग के सदस्यों सहित सम्मिलित थे । 'साम्राज्यवाद का नाश हो' आदि नारे लगाते हुए जुलूस ओलन्दगंज घूमता हुआ 6 बजे टाउनहाल पहुँचकर सभा के रूप में परिणित हो गया । जुलूस में रास्ते भर लोग द्वारिका प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में 'कटघरों में बन्द मेरे शेर हैं' का गाना गाते रहे ।[44]

दिसम्बर 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के प्रयत्नों से औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह पारित हुआ कि यदि ब्रिटिश पार्लियामेंट नेहरु-रिपोर्ट को 31 दिसम्बर, 1929 तक स्वीकार नहीं करेगी तो कांग्रेस देश को करबन्दी की सलाह देकर और अन्य उपायों द्वारा जिसको यह बाद में निश्चित करेगी, अहिंसात्मक आन्दोलन चलाएगी ।[45] यह प्रस्ताव ब्रिटिश शासन को एक अल्टीमेटम के रूप में था । तत्कालीन

---

40. अजय घोष, **भगतसिंह ऐंड हिज कामरेड्स**, बम्बई, 1916, पृ. 8-10.
41. सुबोध राय, **कम्युनिज्म इन इण्डिया, अनपब्लिश्ड डाकूमेंट्स (1925-1934)**, पृ. 147-149.
42. **लीडर**, 18 सितम्बर, 1929.
43. मन्मथनाथ गुप्त, **भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 294.
44. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 29.
45. रमेशचन्द्र मजूमदार, **हिस्ट्री ऑफ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया**, भाग 3, पृ. 317.

परिस्थितियों से यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश शासन नेहरु-रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगा । अल्टीमेटम के अनुसार 31 दिसम्बर, 1929 के पश्चात् स्वराज्य के लिए भावी संघर्ष का प्रादुर्भाव होना था ।[46]

संयुक्त प्रान्त में महात्मा गांधी का दौरा

कलकत्ता कांग्रेस द्वारा दिए गए अल्टीमेटम की अवधि के जब कुछ ही महीने शेष थे, गांधी जी ने 11 सितम्बर से 24 नवम्बर, 1929 तक संयुक्त प्रान्त का व्यापक दौरा किया । अपने प्रिय नेता के दर्शन तथा उनके विचारों को सुनने के लिए जहाँ-जहाँ गांधी जी गए वहाँ-वहाँ विशाल जन-समुदाय उमड़ पड़ा ।[47] गांधी जी के इस दौरे का उद्देश्य संयुक्त प्रान्त के राष्ट्रीय संघर्ष को सक्रिय बनाना था । सभी स्थानों पर आयोजित जनसभाओं से गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि लोग किसी भी संघर्ष का स्वागत करने को तैयार थे ।

उत्तर प्रदेश के दौरे के क्रम में गांधी जी जौनपुर भी आए । देश के जिन कुछ नगरों को गांधी जी का उनके जन्मदिन पर स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त है, जौनपुर उनमें से एक है । गांधी जी अपने 60वें जन्म-दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर, 1929 को प्रातः 5 बजे पारसल एक्सप्रेस से लखनऊ से अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी और आचार्य जे.बी. कृपालानी के साथ जौनपुर पधारे । गांधी जी ने स्टेशन से जुलूस में आना अस्वीकार कर दिया था, अतः कुछ कार्यकर्ता ही स्टेशन गए । गांधी जी प्रातः 8 बजे राजा साहब जौनपुर के फाटक के सामने रामलीला मैदान में आयोजित सार्वजनिक सभा में आए, जहाँ उन्हें जिला-बोर्ड और नगरपालिका दोनों की ओर से उनके चेयरमैनों क्रमशः श्रीकृष्णदत्त दूबे तथा गुरु शरण लाल की ओर से मानपत्र समर्पित किया गया । नागरिकों कीतरफ से गांधी जी को खादी के कार्य के लिए दो हजार रुपये की थैली भेंट की गई। सभा में बापू की अपील पर 80 रुपये नगद मिले । समय की कमी कोध्यान में रखते हुए आयोजकों ने दोनों मानपत्र बापू के सभा में पधारने के पहले ही पढ़ दिए थे । बापू ने इसे बहुत पसन्द

---

46. आज, 3 जनवरी, 1929.

47. जवाहरलाल नेहरु, ऐन आटोबायोग्राफी, पृ. 279.

किया।[48]

सार्वजनिक सभा में गांधी जी ने अपने 15 मिनट के संक्षिप्त और संतुलित भाषण में कहा "मुझको मानपत्र व प्रस्ताव तथा दो हजार रुपये की थैली खादी के लिए जो आपने दिया है उसका मैं एहसान मानता हूँ । आप लोगों ने मानपत्र को मेरे आने के पहले पढ़कर सुना दिया उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने उतने मिनट मेरे बचा दिए । आप ने मेरे वक्त की कीमत महसूस की। वक्त की कीमत लग जाती है तो हम समझते हैं कि स्वराज्य करीब आ रहा है । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सब कौम मिलकर काम करें तो स्वराज्य मिलना कोई बड़ी बात नहीं है । लोकमान्य ने कहा है कि स्वराज्य हम लोगों का है । इसे लोगों नेअपने हाथ से गवां दिया है । जो चीज हमारी है उसका फेर लेना आसान है । अगर आप एक रुपया विदेशी चीजों में खर्च करते हैं तो इसका माने यह है कि आप अपनी बहिनों को बेकार करते हैं क्योंकि वह सूत कातने से बाज रक्खी जाती हैं । इतने बड़े जलसे में आप लोगों ने हमें सिर्फ दो हजार रुपये दिया अगर आप लोग चाहें तो इससे ज्यादा दे सकते हैं । अगर आप लोग खादी की कीमत समझने लगें तो इससे ज्यादा धन मिल सकता है । जब तक आप खद्दड़ पहिनने के लिए तैयार नहीं तब तक काम पूरी तौर से चल नहीं सकता। चार आना देकर केवल कांग्रेस का मेम्बर हो जाने से कोई काम नहीं चल सकता अगर हम उसपरपूरी तौर से काम न करें । चार आना देकर अगर नाम लिखाओ तो उस पर काम करना शुरू कर दो ।"[49]

गांधी जी ने छुआ-छूत को त्यागने का आह्वान भी किया । नगरपालिका के चेयरमैन गुरुशरण लाल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन श्रीकृष्ण दत्त दूबे सरीखे कुछ विशिष्ट नागरिक उस दिन की सभा में पहली बार खद्दर के कपड़े पहने हुए देखे गए थे । गांधी जी के जौनपुर आगमन के महीनों पहले से 'समय' में जौनपुर निवासियों से अपील की जाती रही कि उनका यह कर्तव्य है कि वे शुद्ध खादी पहन कर गांधी जी का स्वागत करें । जौनपुर नगर में उस समय शुद्ध खादी की बिक्री की दो दुकानों पर व्यवस्था भी की गई थी । बड़ी संख्या में नागरिकों ने इन दुकानों से

---

48. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 69.

49. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,**पृ. 29-30.

खादी खरीदकर कपड़े बनवाए और गांधी जी का स्वागत किया । स्वागत समारोह के दिन सारा नगर गांधीमय हो गया था । सार्वजनिक सभा के बाद गांधी जी रासमण्डल में महिलाओं की सभा में गए। यहाँ महिलाओं ने गांधी जी को नगदी तथा आभूषण भेंट किए । गांधी जी के जौनपुर से जाने के पश्चात् ही यहाँ शुद्ध खादी की कई दुकानें खुल गईं ।[50]

गांधी जी के जौनपुर आगमन के एक दिन पूर्व 'समय' ने अपने सम्पादकीय में 'पधारो नाथ' शीर्षक के अन्तर्गत गांधी जी का स्वागत करते हुए लिखा - "स्वतन्त्रता के सच्चे अराधक, सत्य के स्तम्भ, अहिंसा के सच्चे उपासक, दुःखियों के सहारे , हम तैंतीस कोटि के हृदय सम्राट्, भारत के ही नहीं इस पृथ्वी के महापुरुष, देश की स्वतन्त्रता के एकमात्र आधार, मातृ-भाषा के पुजारी, महात्मन् पधारो । जौनपुर निवासी आपके दर्शन को लालायित हैं । हमें ज्ञान दो, बल दो, हमें भी वह मंत्र बताओ जिससे हम भी अपना सब कुछ मातृ-भूमि की बलिवेदी पर न्यौछावर करने को तैयार हो जावें ।"[51]

गांधी जी को जो थैली भेंट की गई उसमें जौनपुर के छात्रों, अध्यापकों तथा सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा । क्षत्रिय हाईस्कूल के छात्रों एवं अध्यापकों ने ही सर्वाधिक धन एकत्र किया । कुछ धन गुप्त दान द्वारा एकत्र हुआ था, जिनके दाताओं ने अपना नाम प्रकाशित करने से मना किया था। ऐसे लोगों में तत्कालीन जिलाधिकारी शेख मकबूल हुसेन, सिविल एण्ड सेशन जज श्री के.एन. वांचू (जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए), पुलिस कप्तान सरदार सिंह तथा अन्य अधिकारी एवं सरकारी कर्मचारी थे ।[52]

12 नवम्बर, 1921 को जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव कांग्रेस कार्यालय में दीप नारायण वर्मा की अध्यक्षता में हुआ जिसमें दीप नारायण वर्मा, अध्यक्ष, रामेश्वर प्रसाद सिंह , प्रधानमंत्री तथा गजराज सिंह , कोषाध्यक्ष चुने गए । लाहौर में कांग्रेस के 44वें अधिवेशन के लिए जौनपुर से 4

---

50. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 69-70.
51. **समय,** 1 अक्टूबर, 1929.
52. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 70.

प्रतिनिधि चुने गए, पर अन्त में केवल रामेश्वर प्रसाद सिंह और विट्ठल नाथ कपूर ही जौनपुर से लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में गए ।[53] निराशा और क्षोभ के वातावरण में दिसम्बर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । अधिवेशन में 31 दिसम्बर की रात्रि को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झण्डा फहरा कर 'पूर्ण स्वाधीनता' का प्रस्ताव पास किया गया ।

कलकत्ता कांग्रेस के अल्टीमेटम की अवधि की समाप्ति के साथ ही अर्थात् 31 दिसम्बर, 1929 की रात्रि को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी द्वारा प्रस्तावित वह महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसमें कांग्रेस ने अपना लक्ष्य भारत के लिए 'औपनिवेशिक स्वराज्य' के स्थान पर 'पूर्ण स्वतन्त्रता' घोषित किया था । प्रस्ताव में कहा गया - "गत वर्ष कलकत्ता अधिवेशन में किए हुए अपने निश्चय के अनुसार कांग्रेस यह घोषणा करती है कि कांग्रेस विधान के अन्तर्गत वर्णित स्वराज्य शब्द का अर्थ 'पूर्ण स्वाधीनता' होगा । कांग्रेस अब यह भी घोषणा करती है कि नेहरु कमेटी रिपोर्ट में वर्णित योजना को अब समाप्त समझा जाए । ......यह कांग्रेस अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को उत्साह पूर्वक पूरा करने के लिए राष्ट्र से अनुरोध करती है और महासमिति को अधिकार देती है कि वह जब और जहाँ चाहे आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ सविनय अवज्ञा और करबन्दी आन्दोलन प्रारम्भ कर दे ।"[54] यह एक क्रान्तिकारी प्रस्ताव था ।

कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा 2 जनवरी, 1930 की बैठक में प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई । 8 जनवरी, 1930 को संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्रीप्रकाश ने जिला तथा नगर कांग्रेस कमेटियों को पत्र भेजकर स्वाधीनता दिवस अत्यधिक उत्साह के साथ मनाने का निर्देश दिया था ।[55] 26 जनवरी, 1930 के कार्यक्रम में यह निश्चय किया गया था कि प्रातःकाल 8 बजे झण्डा फहराया जाय, दिन में जुलूस निकाले जांय और सायंकाल 5 बजे झण्डा फहरानें के स्थान पर सार्वजनिक सभा की जाय तथा स्वाधीनता के प्रस्ताव पर लोगों की स्वीकृति प्राप्त की जाय ।[56]

---

53. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 31.
54. रमेशचन्द्र मजूमदार, **हिस्ट्री ऑफ़ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया**, भाग 3, पृ. 326.
55. **आज**, 15 जनवरी, 1930.
56. आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी, फाइल संख्या जी. 136/1930.

16 जनवरी, 1930 को जौनपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक कांग्रेस कार्यालय में हुई जिसमें लाहौर कांग्रेस के पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी को 'स्वाधीनता दिवस' मनाने का निश्चय किया गया । 26 जनवरी, 1930 को जौनपुर में टाउन हाल के मैदान में प्रातः 8 बजे झण्डा फहराया गया और 3 बजे कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला गया जो ओलन्दगंज तक गया और वहाँ से सुटहटी होता हुआ टाउनहाल पर पहुँचा जहाँ एक सभा हुई और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ने पढ़कर सुनाया और श्री हामिद हसन के समर्थन के बाद सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ । सभा में डेढ़ हजार की उपस्थिति थी । स्वाधीनता दिवस जफराबाद और खुटहन में भी उत्साहपूर्वक मनाया गया ।[57]

30 जनवरी, 1930 को महात्मा गांधी ने अपने पत्र 'यंग इण्डिया' में वायसराय के समक्ष 11 मांगें रखीं । गांधी जी ने इन 11 मांगों के साथ वायसराय को यह आश्वासन भी दिया था कि यदि उन्हें स्वीकार कर लिया जाय तो सविनय अवज्ञा के सम्बन्ध में एक भी शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा और कांग्रेस हृदय से ऐसे किसी भी सम्मेलन में भाग लेगी जहाँ कांग्रेस को अपनी मांगों को रखने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता होगी ।[58] किन्तु सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया।

महात्मा गांधी ने सरकार से समझौता करने का एक और प्रयास अपने एक अंग्रेज मित्र रेजीनल रेनाल्ड्स के हाथों वायसराय को एक पत्र भेज कर किया । वायसराय ने गांधी जी के पत्र का उत्तर बहुत ही निराशाजनक तरीके से देते हुए लिखा कि, "मुझे दुःख है कि गांधी जी वह रास्ता अपना रहे हैं, जिसमें कानून और सार्वजनिक शान्ति भंग होना अनिवार्य है ।"[59] महात्मा गांधी ने इसके उत्तर में यह कहा कि, "मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी परन्तु मुझे उसके स्थान पर पत्थर मिला। ब्रिटिश राज केवल शक्ति पहचानता है और इसीलिए मुझे वायसराय के उत्तर से

---

57. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 31-32.

58. रमेशचन्द्र मजूमदार, **हिस्ट्री ऑफ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया**, भाग 3, पृ. 333.

59. **पायनियर**, 9 मार्च, 1930, पृ. 1.

कोई आश्चर्य नहीं हुआ है । हमारे राष्ट्र के भाग्य में तो जेल की शान्ति ही एकमात्र शान्ति है । समस्त भारत एक विशाल कारागार है । मैं इस कानून को नहीं मानता और उद्गार प्रकट करने में असहाय राष्ट्र के हृदय को मसलने वाली इस लादी गई शान्ति की शोकमय एकरसता को भंग करना अपना पुनीत कर्तव्य मानता हूँ ।"[60]

शासनकी हठधर्मिता के कारण महात्मा गांधी आन्दोलन प्रारम्भ करने को विवश हो गए और यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम वे स्वयं डांडी समुद्र तट पर जो साबरमती से 200 मील दूर था, शासन की अनुमति प्राप्त किए बिना नमक बनाएँगे और नमक कानून का उल्लंघन करेंगे।[61] 12 मार्च, 1930 को गांधी जी ने 79 पुरुष तथा महिला कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से पैदल डांडी समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया । गांधी जी ने 200 मील लम्बी इस यात्रा को 24 दिन में तय कर 5 अप्रैल को डांडी पहुँचे तथा 6 अप्रैल, 1930 को उन्होंने डांडी में नमक कानून का उल्लंघन करते हुए सत्याग्रह का श्री गणेश किया।[62]

राष्ट्रीय पत्र 'आज' में अपने सम्पादकीय में 'सत्याग्रह का आरम्भ' शीर्षक के अन्तर्गत लिखा - "स्वराज्य संग्राम प्रारम्भ हो गया । जिस दिन की राह इतनी उत्सुकता के साथ देखी जा रही थी, वह आ गया । महात्मा गांधी के करकमलों से एक अन्यायमूलक कानून तोड़ा गया ।"[63] राष्ट्रीय पत्र 'अभ्युदय' ने लिखा - "अब सोचनें और विचारने का समय नहीं है । केवल युद्ध का विगुल ही नहीं बज गया है, अपितु आक्रमण कार्य भी आरम्भ हो गया है ।"[64]

सविनय अवज्ञा आन्दोलन में जौनपुर के लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया । ब्रिटिश सामानों और सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, विदेशी वस्तुओं एवं विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई और खादी लोकप्रिय हो

---

60. डॉ. पट्टाभिसीतारम्मैया, **कांग्रेस का इतिहास**, पृ. 368.
61. रमेशचन्द्र मजूमदार, **हिस्ट्री ऑफ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया**, भाग 3, पृ. 338.
62. नेटिव न्यूज पेपर रिपोर्ट, 15 मार्च, 1930 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए.
63. **आज**, 10 अप्रैल, 1930.
64. **अभ्युदय**, 14 अप्रैल, 1930.

हो गई ।[65] 12 मार्च, 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानूनतोड़ने के लिए डांडी के लिए प्रस्थान किया अतः 12 मार्च को ही एक जुलूस शहर में निकाला गया जो सायंकाल टाउनहाल के मैदान में आकर एक सभा के रूप में परिणित हो गया । एक प्रस्ताव द्वारा गांधी जी को प्रस्थान के लिए बधाई दी गई और दूसरे प्रस्ताव द्वारा सरदार पटेल को उनकी गिरफ्तारी व सजा पर बधाई दी गई ।[66]

जिले में सत्याग्रहियों की भरती के लिए 10 अप्रैल, 1930 से एक अभियान आरम्भ हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक दल द्वारिका प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में तहसील केराकत में प्रचार करने निकला । मौर्य जी ने उसी दिन से अपनी वकालत से भी छुट्टी ले ली । इस दल ने जफराबाद, जलालगंज, मझगवाँ आदि क्षेत्रों में सभाएँ कीं । 14 अप्रैल, 1930 को कर्रा (डोभी) , 15 अप्रैल को प्रातः पतरहीं और सायं कटहरी में सभा कर के यह दल जौनपुर वापस आ गया । 13 अप्रैल को इटहा ग्राम में एक बहुत बड़ी सभा हुई जिसमें रामेश्वर प्रसाद सिंह, रामनरेश सिंह तथा विजय बहादुर सिंह की अपील पर 30 सत्याग्रही भरती हुए।[67]

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पं. जवाहर लाल नेहरु को 14 अप्रैल, 1930 को प्रातः रायपुर (मध्य प्रान्त) जाते समय रेलवे स्टेशन छिवकी (इलाहाबाद) पर गिरफ्तार कर लिया गया । संयुक्त प्रान्त में इस गिरफ्तारी के विरुद्ध जन आक्रोश व्यापक प्रदर्शनों तथा अनेक स्थानों पर नमक कानून भंग करके व्यक्त किया गया ।[68] 17 अप्रैल को पं. जवाहर लाल नेहरु की गिरफ्तारी और सजा के विरोध में प्रातः क्षत्रिय हाईस्कूल के विद्यार्थियों ने हड़ताल किया । यहाँ के विद्यार्थी कायस्थ पाठशाला, गवर्नमेन्ट स्कूल एवं मिशन स्कूल होते हुए टाउन हाल पर पहुँचे जहाँ एक सभा हुई । कांग्रेस की ओर से दीपनारायण वर्मा और रामेश्वर प्रसाद सिंह ने विद्यार्थियों को बधाई दी । सायंकाल साढ़े तीन बजे टाउन हाल पर एक बहुत बड़ी सभा दीप नारायण वर्मा की

---

65. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर** जौनपुर (1986), पृ. 51.

66. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 33.

67. **वही**, पृ. 33-34.

68. नेटिव न्यूज पेपर रिपोर्ट, 19 अप्रैल 1930 को समाप्तहुए सप्ताह के लिए.

अध्यक्षता में हुई जिसमें ढाई हजार की उपस्थिति थी । इसी सभा में हरगोविन्द सिंह ने केराकत की कांग्रेस सभा में उपद्रव कराने पर तहसील अधिकारियों की निन्दा का प्रस्ताव रखा । वीरभानपुर के रामानन्द सिंह और कुसिया के महावीर उपाध्याय ने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सरपंची तथा मुखिया पद से अपने इस्तीफे जिलाधीश के पास भेजे ।[69]

26 अप्रैल, 1930 को प्रतापगढ़ के किसान नेता ठाकुर झिंगुरी सिंह के नेतृत्व में एक दल सुजानगंज पहुँचा । सुजानगंज में 1500 की भीड़ में पुलिस की उपस्थिति में पं. शिववर्ण शर्मा, बाबा मोहनदास तथा शिव शरण पाण्डेय ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा ।[70] 5 मई की रात्रि को गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में जौनपुर में हड़ताल, जुलूस और सभाएँ आयोजित की गईं तथा नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया ।[71]

5 मई , 1930 को सायंकाल मड़ियाहूँ में द्वारिका प्रसाद मौर्य को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का समाचार मिला। वे रात्रि में 1 बजे जौनपुर शहर पहुँचे और उसी समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुबह के कार्यक्रम निश्चित किए । रात्रि में 3 बजे सेवा प्रेस खोल कर नोटिस छपवाई गई जिसमें हड़ताल और सभा की अपील की गई थी । 6 मई को प्रातः लोग जुलूस लेकर ओलन्दगंज पहुँचे । 10 - 15 वकीलों और मुख्तारों को छोड़कर अन्य लोग कचहरी नहीं गए । 6 मई को शहर में हड़ताल रही और सायं 4 बजे अली हसन मुख्तार की अध्यक्षता में एक सभा हुई। सभा में एक प्रस्ताव द्वारा महात्मा जी की गिरफ्तारी पर उन्हें बधाई दी गई और जौनपुर निवासियों से प्रार्थना की गई कि वे आजादी की लड़ाई में महात्मा जी के बताए हुए मार्ग पर चल कर भाग लें । सभी वक्ताओं ने स्वदेशी वस्त्र खरीदने और विदेशी का त्याग करने की अपील की । सभास्थल पर ही विदेशी वस्त्र जलाए गए । रामेश्वर प्रसाद सिंह की अपील पर सत्याग्रह के लिए पैसा एकत्र हुआ । चार हजार से अधिक लोग सभा में आए । द्वारिका प्रसाद मौर्य ने इसी स्थान पर स्वयं सेवकों की भर्ती की । दीप नारायण वर्मा ने पूर्ण हड़ताल और सभा को सफल बनाने के लिए जनता

---

69. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 33.

70. **वही**, पृ. 35.

71. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर** जौनपुर, पृ. 51-52.

को धन्यवाद दिया । 6 मई को जिला-बोर्ड और नगरपालिका के कार्यालय भी उनके अध्यक्षों ने बन्द करवा दिए थे ।[72]

10 अप्रैल, 1930 से मई 1930 के द्वितीय सप्ताह तक जौनपुर में सत्याग्रहियों की भर्ती का अभियान चलाया गया । जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेसी नेताओं ने दौरा करके सभाएँ कीं, सभाओं में विदेशी कपड़ों की होली जलाई तथा बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भर्ती की ।[73] 12 मई को जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक कांग्रेस कार्यालय में हुई जिसमें एक प्रस्ताव द्वारा 264 सत्याग्रहियों की भर्ती के लिए द्वारिका प्रसाद मौर्य, ब्रजवासी लाल, शिव वर्ण शर्मा तथा विजय बहादुर सिंह को बधाई दी गई । दूसरे प्रस्ताव द्वारा 7 सज्जनों की युद्ध समिति बनाई गई और रामेश्वर प्रसाद सिंह जिले के प्रथम अधिनायक चुने गए । जिले में 15 मई तक जो 264 सत्याग्रही भर्ती हुए थे उन्हें नगर में बुला लिया गया और सत्याग्रहियों का एक शिविर आर्य समाज मन्दिर में खोल दिया गया। सत्याग्रहियों के भोजन, विश्राम आदि सभी सुविधाओं का भार सुटहटी तथा नगर के अन्य व्यापारियों ने सहर्ष उठाया ।[74]

नगर में नमक कानून तोड़ने के लिए 22 मई और स्थान टाउन हाल का पार्क घोषित किया गया । रामेश्वर प्रसाद सिंह ने सत्याग्रहियों के पहले जत्थे का नेतृतव किया और अपने प्रेस के ही 10 कर्मचारियों को चुना । इसमें हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सभी थे । सेवा प्रेस से जुलूस ओलन्दगंज गया और वहाँ से होता हुआ टाउन हाल पहुँचा जहाँ साढ़े पाँच बजे सायंकाल 3 - 4 हज़ार की उपस्थिति में नमक वाली मिट्टी को पानी में घोलकर उसे कड़ाही में जला कर नमक बनाया गया । पुड़ियों में नमक रखकर उसे नीलाम किया गया । प्रयाग के एक सज्जन ने एक पुड़िया नमक 30 रुपये में खरीदा। अन्त तक सत्याग्रहियों के रूके रहने पर भी जब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो सत्याग्रही अपने घर वापस चले गए । इसी प्रकार 10 दिनों तक नित्य ही 8-10 सत्याग्रही नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते रहे और दसवें दिन नमक कानून की अर्थी बनाकर

---

72. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 35.

73. **वही**, पृ. 33-37.

74. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 19.

उसे जुलूस में ले जाकर हनुमान घाट पर जलाया गया परन्तु इन सबके बावजूद उस दिन तक कहीं भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ।[75]

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर एक बार फिर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का तीव्र आन्दोलन चलाया गया । गांधी जी ने शराब की दुकानों पर धरना देने का निर्देश भी दिया था । गांधी जी ने शराब की दुकानों तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देने का दायित्व महिलाओं को भी सौंपा था ।[76]

नमक सत्याग्रह में गिरफ्तारी न होने पर जौनपुर के सत्याग्रहियों ने विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देने का कार्यक्रम बनाया और इस कार्य के लिए द्वारका प्रसाद मौर्य, दीप नारायण वर्मा, शिव वर्ण शर्मा, विजय बहादुर सिंह, रामनरेश सिंह आदि केराकत, मछलीशहर, मुँगरा बादशाहपुर गए और रामेश्वर प्रसाद सिंह शाहगंज गए परिणामस्वरूप कपड़े के व्यापारी विदेशी वस्त्रों को सील मोहर करा कर स्वदेशी वस्त्र बेचने लगे । अब अधिकारियों का मौन-भंग हुआ और सबसे पहले द्वारका प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसके बाद रामनरेश सिंह, दीप नारायण वर्मा आदि गिरफ्तार कर लिए गए । रामेश्वर प्रसाद सिंह को शाहगंज में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया । सभी के राजनैतिक मुकदमें जेल में सुने गए और सभी को 6 माह की कैद और 250 रुपये जुर्माने की सजा हुई[77]।

जौनपुर में सत्याग्रहियों ने डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड कार्यालय पर कांग्रेस का झण्डा लगाने का निश्चय भी किया । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष राजा श्रीकृष्ण दत्त दूबे ने जिला अधिकारियों से इसे रोकने के लिए सहायता मांगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कार्यालय पर पुलिस तैनात कर दी गई और झण्डा सत्याग्रह आरम्भ हुआ । पहले दिन गजराज सिंह के नेतृत्व में सत्याग्रहियों के जत्थे से मुठभेड़ हुई और 20-21 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर अन्य को लाठी चार्ज कर भगा दिया गया ।

---

75. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 37-38.

76. रमेशचन्द्र मजूमदार, **हिस्ट्री ऑफ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया,** भाग 3, पृ. 340.

77. स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 39-40.

दूसरे दिन भी 20-21 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए तथा तीसरे दिन 20 - 21 सत्याग्रहियों को जेल न भेजकर मोटर लारियों में बैठा कर जिला से बाहर भदोहीं (वाराणसी) में छोड़ दिया गया । झण्डा सत्याग्रह में गिरफ्तार प्रमुख सत्याग्रही थे सर्वश्री गजराज सिंह, ब्रजवासी लाल, अभयजीत दूबे, पुरुषोत्तम लाल, बृज किशोर, पद्म सिंह, रामरुचि सिंह, राम आधार सिंह, वाइसराय दूबे तथा शिव प्रसाद सिंह । सत्याग्रही जेल जानेसे नहीं डरते थे। वे 1 - 2 वर्ष की सजा सहर्ष स्वीकार करते थे परन्तु 100-50 रुपये जुर्माने की सजा उन्हें खलती थी क्योंकि पुलिस उनके घर जा कर जुर्माने के एवज में सामान अथवा गाय-बैल खोल लाती । इसलिए सत्याग्रही अपना नाम व पता गलत लिखा देते थे । वाइसराय दूबे का असली नाम देवनन्दन दूबे था और उन्होंने जुर्माने की वसूली के डर से ही अपना नाम बदल दिया था ।[78]

20 जून, 1930 को मड़ियाहूँ में श्याम नारायण गिरि नमक बनाने के अपराध में गिरफ्तार किए गए और उन्हें 6 माह की सजा हुई । शाहगंज बाजार में दो स्वयं सेवक बैजनाथ शास्त्री तथा हजारी लाल को पुलिस के खिलाफ़ पर्चे बांटने के आरोप में पकड़ा गया और दोनों ही नवयुवकों को जौनपुर जेल में तनहाई की कोठरी में रखा गया । केराकत की पुलिस ने तीन स्वयंसेवकों को जो प्रतिष्ठित नवयुवक थे, शराब की दुकान पर धरना देने के आरोप में पकड़ा परन्तु उनके उपर दूसरे के घरमें घुसने का मुकदमा चलाया गया। सेशन जज के. एन. वांचू ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया ।[79]

27 जून, 1930 को इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई । इस बैठक में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आन्दोलन को और मजबूती से चलाने का निश्चय किया गया । इस पर सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया तथा भारतीय दण्ड संहिता की 144वीं धारा को लागू कर बैठकों, जुलूसों और प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया और पूरे देश में

---

78. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 19.
79. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 40.

दमन-चक्र तेजी से चलने लगा ।[80] जौनपुर में भी मीटिंग एवं जुलूसों पर रोक लगाई गई । शांतिपूर्ण और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया और व्यापक स्तर पर न केवल कांग्रेस स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी की गई वरन् राष्ट्रीय सहानुभूति रखने के संशय वश भी लोगों को गिरफ्तार किया गया ।[81]

ब्रिटिश सरकार का दमन-चक्र जौनपुर में भी तीव्र गति से चला । डोभी के राम रुचि सिंह को सन् 1930 को सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने के कारण 6 माह का कठोर कारावास और 10 रुपया जुर्माना या जुर्माना न देने पर 6 सप्ताह का अतिरिक्त कठोर कारावास का दण्ड दिया गया । मड़ियाहूँ के महादेव सिंह एवं राम बरन सिंह, जलालपुर के अभयजीत दूबे, मियांपुर के गजराज सिंह, जगदीशपुर के रमाशंकर लाल, मुराद गंज के पदम् सिंह आदि को भी उपर्युक्त दण्ड मिला ।[82]

चितौड़ी के राम नरेश सिंह एवं डोभी के बृजवासी लाल को सन् 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सिलसिले में 6 माह का कठोर कारावास और 150 रुपया का जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा हुई ।[83] सरायख्वाजा के पुरुषोत्तम लाल को सन् 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188/143 के अन्तर्गत 3 माह की कैद तथा 10 रुपया जुर्माना या जुर्माने के बदले में अतिरिक्त 1 माह की कड़ी कैद की सजा हुई ।[84]

जौनपुर में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान सत्याग्रहियों ने नमक कानून भंग करके, झण्डारोहण, शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देकर गिरफ्तारियां दीं तथा लम्बी-लम्बी

---

80. पट्टाभि सीतारमैया, **कांग्रेस का इतिहास**, पृ. 408-410 तथा
    बी.आर. नन्दा, **महात्मा गांधी : ए बायोग्राफी**, पृ. 288-299.
81. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर** जौनपुर (1986), पृ. 52.
82. **स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक**, वाराणसी डिविजन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ. 171.
83. **वही**, पृ. 136 एवं 165.
84. **वही**, पृ. 127.

सजा पाकर जेल की यातनाएँ भोगीं । जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया उन्होंने अदालतों में जा कर न्यायधीशों की कुर्सियों पर बैठ कर अपनी गिरफ्तारियां दीं । जौनपुर से 135 लोग जेल गए ।[85]

14 अगस्त को जौनपुर के पड़ोसी जनपद मिर्जापुर में बम्बई में हुई मदन मोहन मालवीय की गिरफ्तारी के विरोध में सभाओं का आयोजन किया गया ।[86] जौनपुर तथा गाजीपुर में भी जनसभाओं में वक्ताओं ने मालवीय जी की गिरफ्तारी के लिए सरकार की कटु आलोचना की । 12 नवम्बर, 1930 को कांग्रेस प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लन्दन में प्रारम्भ हुआ । 12 नवम्बर को सम्पूर्ण भारत में सम्मेलन का विरोध प्रकट करने के लिए जुलूस निकाले गए और आम हड़ताल की गई । पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी तथा गोरखपुर में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के विरोध में सभाओं का आयोजन किया गया ।[87] कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किए जाने के कारण डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इस सम्मेलन को 'दूल्हे के बिना सम्पन्न होने वाला विवाह' कहा ।[88]

24 नवम्बर, 1930 को रामेश्वर प्रसाद सिंह एवं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष दीप नारायण वर्मा 6 मास के कैद की सजा पूरी हो जाने पर जौनपुर जिला जेल से रिहा कर दिए गए । आप लोगों को बैंड बाजे के साथ एक जुलूस में नगर में लाया गया । जुलूस ओलन्दगंज में समाप्त हुआ । 25 नवम्बर को टाउन हाल पर रामाचरण सिनहा की अध्यक्षता में एक सभा हुई। सभा में दो हजार से अधिक की उपस्थिति थी । 28 एवं 29 नवम्बर को फैजाबाद जेल से शिववर्ण शर्मा तथा द्वारका प्रसाद मौर्य अपनी सजाएँ काटकर रिहा हो जौनपुर आए । 30 नवम्बर, 1930 को उनके स्वागत में दीप नारायण वर्मा की अध्यक्षता में टाउन हाल पर एक सभा हुई । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जिले में खादी सप्ताह मनाने का निश्चय किया गया । तहसीलों में प्रचार हेतु आद्या

---

85. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 28.
86. **लीडर,** 16 अगस्त, 1930, पृ. 9.
87. गुप्तचर विभाग के अभिलेख.
88. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, **ऐट दी फीट ऑफ महात्मा गांधी,** पृ. 215.

प्रसाद सिंह को केराकत, शिव वर्ण शर्मा को मछलीशहर, श्याम नारायण सिंह को शाहगंज तथा रमाशंकर लाल को जौनपुर का इंचार्ज बनाया गया ।[89]

26 जनवरी, 1931 को जिले में कई स्थानों पर स्वाधीनता दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। शहर में टाउन हाल पर प्रातः झण्डा फहराया गया और सायं एक सभा हुई । पं. मोतीलाल नेहरु के निधन की सूचना जौनपुर में 6 फरवरी को सायं मिली अतः 7 फरवरी को नगर में हड़ताल रही और सायं जुलूस निकला तथा टाउन हाल पर शोक सभा हुई । 15 फरवरी, 1931 को महात्मा गांधी के आदेशानुसार जौनपुर में मोतीलाल दिवस मनाया गया । नगर में जुलूस निकला तथा टाऊन हाल पर दीप नारायण वर्मा की अध्यक्षता में सभा हुई ।[90]

सरकार के दमन-चक्र के बावजूद सत्याग्रही एवं कांग्रेस स्वयंसेवक सक्रिय रहे। जौनपुर शहर में गांजा की दुकानों पर धरना देने वाले कांग्रेस स्वयं सेवकों को जूते से पीटा गया।[91] सुजानगंज के विजय बहादुर सिंह को सन् 1930 और 1931 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सिलसिले में दो बार दण्डित किया गया । तेजीबाजार के जंगली मिश्र सन् 1931 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सिंगरामऊ में शराब की एक दुकान के सामने धरना दिया करते थे । एक रात पास के एक मंदिर में सोते समय उनकी हत्या सामन्तशाही व्यक्तियों द्वारा गला घोंट कर दी गई । उनकी मृत्यु के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने सर्वश्री द्वारका प्रसाद मौर्य, भगवती दीन तिवारी और हरगोविन्द सिंह की एक समिति मृत्यु के कारणों की जाँच के लिए गठित की । सन् 1931 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने के कारण रुहट्टा के त्रिभुवन लाल को 6 माह की कड़ी कैद और 50 रुपये जुर्माने या जुर्माने के बदले 6 सप्ताह के अतिरिक्त कैद की सजा दी गई ।[92]

---

89. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक , **समय**, पृ. 41.
90. **वही.**
91. **वही.**
92. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक**, वाराणसी डिवीजन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पृ. 109, 182 एवं 199.

23 फरवरी, 1931 को गजराज सिंह तथा अभयजीत दूबे फैजाबाद जेल से रिहा होकर जौनपुर आए । उन्हें स्टेशन से नगर में जुलूस में लाया गया और सायं सभा में उनका स्वागत किया गया । 28 फरवरी को रामनरेश सिंह फैजाबाद जेल से रिहा होकर आए और उनको भी स्टेशन से नगर में जुलूस में लाया गया तथा टाउन हाल पर एक सार्वजनिक सभा हुई ।[93] 2 मार्च, 1931 को जिले के 5 झण्डा सत्याग्रही सर्वश्री शिव प्रसाद सिंह, आद्या सिंह, शीतला प्रसाद, वृज किशोर तथा महादेव सिंह जौनपुर जेल से रिहा हुए । उन्हें जेल से नगर में जुलूस में लाया गया और सायं दीप नारायण वर्मा की अध्यक्षता में सभा हुई । इसी सभा में शहीद चन्द्रशेखर आजाद की आत्मा की शान्ति के लिए खड़े होकर प्रार्थना की गई । 3 मार्च को शेष झण्डा सत्याग्रही वाइसराय दूबे, राजा राम सिंह, गजानन्द पाण्डेय, राम अधार तथा राम बरन सिंह रिहा हुए ।[94]

5 मार्च, 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लार्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ जिसे गांधी-इरविन समझौता की संज्ञा प्रदान की गई । इस समझौते की शर्तों के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर दिया । उन्होंने अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार को रोकदिया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रकट की । सरकार की ओर से वायसराय ने उन सभी कानूनों को वापस लेने का वादा किया जो सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय जारी किए गए थे । लार्ड इरविन ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान जेल में बंद सत्याग्रहियों को रिहा करने का आदेश दिया तथा उनकी जब्त की हुई सम्पत्ति वापस करने का आश्वासन दिया । उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि समुद्र के निकट रहने वाले लोग बिना कर दिए नमक बना सकते हैं और शांतिपूर्वक शराब और अफीम की दुकानों पर धरना दिया जा सकता है । गांधी-इरविन समझौते पर सुभाष चन्द्र बोस जैसे नेताओं ने महात्मा गांधी की कटु आलोचना की। जवाहर लाल नेहरू को भी इस समझौते पर आश्चर्य हुआ ।[95]

गांधी-इरविन समझौते के कारण 9 मार्च, 1931 को सारे राजनैतिक बन्दी जौनपुर जेल

---

93. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 41.

94. **वही,**

95. सुशीलमाधव पाठक, **भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास**, पृ. 164-165.

से रिहा कर दिए गए । उसी दिन फैजाबाद जेल से बृजवासी लाल तथा पुरुषोत्तम लाल रिहा होकर जौनपुर आ गए । जौनपुर जेल से 58 सत्याग्रही रिहा हुए जिसमें डोभी के रामरुचि सिंह को छोड़ कर शेष सभी बाहर के थे । करांची जेल से लालजी मेहरोत्रा रिहा हुए ।[96] 9 मार्च को ही डोभी के आचार्य बीरबल सिंह भी रिहा हुए ।[97] 9 मार्च 1931 को नगर में गांधी आश्रम खादी भण्डार खोला गया जिसका उद्घाटन पं. सुन्दर लाल ने प्रयाग से आ कर किया । 16 मार्च , 1931 को जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव हुआ जिसमें दीप नारायण वर्मा, अध्यक्ष तथा रामनरेश सिंह, प्रधानमंत्री चुने गए ।[98]

23 मार्च, 1931 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को सायंकाल फांसी दे दी गई । यों तो कायदा प्रातः फांसी देने का है किन्तु इनके लिए इस नियम को भंग किया गया । उनकी लाशें रिश्तेदारों को नहीं दी गईं तथा बड़ी लापरवाही से मिट्टी तेल डालकर जला दिया गया। उनकी अस्थियों को अनाथों की अस्थियों की भाँति सतलज नदी में डलवा दिया गया । जिनका जिन्दाबाद बोलते-बोलते देश का गला बैठ गया था, उन पुरुषसिंहों की साम्राज्यवाद ने इस प्रकार हत्या कर डाली ।[99]

24 मार्च, 1931 को जौनपुर में सरदार भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिए जाने का समाचार ज्ञात होने पर सायंकाल टाउनहाल पर भगवती दीन तिवारी की अध्यक्षता में सभा हुई और सर्वश्री हरगोविन्द सिंह, दीप नारायण वर्मा, द्वारका प्रसाद मौर्य , रामाचरण सिनहा आदि ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।[100] 25 मार्च से 29 मार्च, 1931 तक कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सरदार बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में करांची में हुआ तथा वहाँ पर गांधी-इरविन समझौते को अनुमोदित किया गया । कांग्रेस ने महात्मा गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग

---

96. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक , **समय,** पृ. 43.

97. आचार्य बीरबल सिंह की डायरी के पन्ने

98. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 43.

99. मन्मथनाथ गुप्त, **भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास,** पृ. 279-280.

100. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय ,** पृ. 43.

लेने के लिए अपना एकमात्र प्रतिनिधि नियुक्त किया।[101] करांची कांग्रेस में जौनपुर के सर्वश्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, आद्या सिंह, शिववर्ण शर्मा तथा अभयजीत दूबे ने जिले का प्रतिनिधित्व किया।[102]

18 अप्रैल, 1931 को लार्ड इरविन का शासन काल समाप्त हो गया और उनके स्थान पर लार्ड विलिंग्डन भारत के वायसराय नियुक्त हुए । वे हृदय से घोर साम्राज्यवादी थे तथा वे दमन और आतंक के द्वारा जनता के मनोबल को तोड़ना चाहते थे । उत्तर प्रदेश के कई नगरों में पुलिस ने जनता को परेशान करना शुरू किया । कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों पर छापा मारा गया, कई जगह कांग्रेस के झण्डे जला दिए गए और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई और कांग्रेस जनों पर मुकदमें चलाए गए । बम्बई में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान जेल में बंद सत्याग्रहियों को रिहा नहीं किया गया । शराब की दुकानों पर धरना देने पर भी रोक लगा दी गई तथा बहुत से विद्यार्थियों को स्कूलों से निष्कासित कर दिया गया ।[103]

सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर दिए जाने से जौनपुर में अब कांग्रेस सभाएँ और राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किए जाने लगे । 23 अप्रैल, 1931 को बेलवार, 25 अप्रैल को राजाबाजार तथा 27 अप्रैल को जफराबाद में कांग्रेस की सभाएँ हुईं जिसमें सर्वश्री हरगोविन्द सिंह, रामनरेश सिंह, शम्भूनाथ, तथा रामाचरण सिन्हा के भाषण हुए । मई 1931 के प्रथम सप्ताह में मिर्जापुर में हुए प्रान्तीय कान्फ्रेंस में जौनपुर के सर्वश्री हरगोविन्द सिंह, दीप नारायण वर्मा, बृजवासी लाल, अयोध्या प्रसाद, शिव प्रसाद सिंह आदि ने भाग लिया।[104]

मई 1931 से जुलाई 1931 तक जौनपुर के विभिन्न क्षेत्रों तथा तहसीलों में व्यापक स्तर पर कांग्रेस सभाओं व राजनैतिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया । 11 मई जलालपुर , 12 मई को कुंवरपुर, 15 मई को बक्शा, 16 मई को बड़ेरी, 17 मई

---

101. **आज**, 2 अप्रैल, 1931.

102. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 43.

103. सुशीलमाधव पाठक, **भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास**, पृ. 166.

104. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 43.

के केराकत व परियत में, 22 मई को नौपेड़वां तथा 24 मई को भवानीगंज और तेजीबाजार में सभाएँ हुई । 5 जून, 1931 को मछली शहर में शम्भूनाथ की अध्यक्षता में सभा हुई जिसमें सर्वश्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, हरगोविन्द सिंह, दीपनारायण वर्मा आदि के भाषण हुए । 7 जून को शाहगंज में रामेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सभा हुई । सभा में बनारस के पं. शिव विनायक मिश्र, दीप नारायण वर्मा तथा रामनरेश सिंह के भाषण हुए ।[105]

16 व 17 जून, 1931 को केराकत में मिडिल स्कूल के मैदान में 'तहसील राजनीतिक कान्फ्रेंस' हुई । तहसील कान्फ्रेंस के लिए रामदास सिंह स्वागताध्यक्ष तथा अभयजीत दूबे स्वागत मंत्री बनाए गए । पं. कृष्णकान्त मालवीय ने झण्डारोहण किया । बनारस से सर्वश्री सम्पूर्णानन्द, शिवविनायक मिश्र, डॉ. अब्दुल करीम आदि नेता केराकत पधारे और इस सम्मेलन में भाग लिया।[106] केराकत तहसील कान्फ्रेंस में तेजीबाजार के जंगली मिश्र की कुछ सामन्तशाही व्यक्तियों द्वारा गला घोंट कर की गई हत्या की निन्दा की गई एवं उनकी मृत्यु पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया।[107]

मछलीशहर तहसील में जून और जुलाई में अनेक स्थानों पर कांग्रेस की सभाएँ हुईं । 5 जुलाई को इटहा कांग्रेस कमेटी का वार्षिकोत्सव मनाया गया । इसमें सम्मिलित होने के केलिए बाहर से श्रीप्रकाश तथा गोविन्द मालवीय आए तथा नगर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया । 15 सितम्बर , 1931 को जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर पालिका तथा जिला बोर्ड के चुनाव कांग्रेस जनों को व्यक्तिगत रूप से लड़ने का प्रस्ताव पास किया । बाद में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के आदेश पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस जन बैठ गए ।[108]

गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जौनपुर में 'गांधी सप्ताह' मनाया गया । 5 अक्टूबर, 1931 को गांधी सप्ताह पर दीप नारायण वर्मा की अध्यक्षता में जौनपुर में एक सभा हुई।

---

105. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 43.

106. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 19.

107. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, वाराणसी डिवीजन**, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ. 109.

108. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 44.

यू.पी. आर्डिनेन्स के, जिसमें सभी कांग्रेस कमेटियां अवैध घोषित कर दी गईं थी, विरोध में 21 दिसम्बर को टाउन हाल के सामने कांग्रेस द्वारा एक सभा की गई और इस अध्यादेश के प्रथम शिकार पुरुषोत्तम दास टण्डन को बधाई दी गई ।[109]

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से दुःखी होकर गांधी जी 28 दिसम्बर, 1931 को भारत लौटे। उस समय समस्त देश में सरकार का दमन-चक्र तथा बंगाल में सैनिक शासन लागू था। संयुक्त प्रदेश में अध्यादेश लागू था और पं. जवाहरलाल नेहरु को गिरफ्तार कर लिया गया था । परिणामस्वरूप, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया । इसके कारण कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और उसके दफ्तरों पर छापे मारे गए तथा समाचारपत्रों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया ।[110]

4 जनवरी, 1932 भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण दिन था । उस दिन प्रातः काल महात्मा गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार बल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था ।[111] इसके फलस्वरूप देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः प्रारम्भ हो गया । कांग्रेस कार्यसमिति ने अपने प्रस्ताव में कहा कि वायसराय से वार्ता भंग होने से कांग्रेस को मजबूर होकर सविनय अवज्ञा आन्दोलन को प्रारम्भ करना पड़ा ।[112]

महात्मा गांधी और बल्लभ भाई पटेल को बिना मुकदमा चलाए राजबन्दी बना लिया गया। चार नए अध्यादेश सम्पूर्ण भारत के लिए जारी किए गए ।[113] इन अध्यादेशों द्वारा मजिस्ट्रेट और पुलिस को व्यापक अधिकार प्रदान कर नागरिक स्वतंत्रता के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया। भारतमंत्री सेम्युअल होर ने इन अध्यादेशों के सम्बन्ध में हाउस ऑफ कामन्स में कहा कि - "मैं

---

109. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 44.

110. गांधी जी राय, **राष्ट्रीय आन्दोलन और भारतीय संविधान**, पृ. 111-112.

111. **आज**, 5 जनवरी, 1932.

112. एम.वी. रमण राव, **ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस**, पृ. 157-158.

113. राम गोपाल, **भारतीय राजनीति**, पृ. 361.

स्वीकार करता हूँ कि हमारे द्वारा स्वीकृत अध्यादेश बहुत कठोर और कष्टदायक हैं । ये भारतीय जीवन के प्रत्येक पक्ष पर नियंत्रण स्थापित करते हैं ।"[114]

4 जनवरी, 1932 को बम्बई में महात्मा गांधी और सरदार पटेल की गिरफ्तारी के बाद जौनपुर के अधिकारियों ने यहाँ धारा 144 लगा कर जुलूस और सभाओं पर रोक लगा दी । 5 फरवरी को जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई जिसमें कांग्रेस कमेटी भंग कर दी गई और उसके स्थान पर 5 कांग्रेस जनों की एक युद्ध समिति बनाई गई ।[115] 5 जनवरी को सायंकाल द्वारका प्रसाद मौर्य ने दो स्वयंसेवकों सर्वश्री बैजनाथ आर्य तथा बाबा भगवान दास के साथ ओलन्दगंज से चहारसू तक जुलूस में आए और वहाँ एक भाषण देकर दफा 144 को तोड़ा । इन लोगों को तुरन्त गिरफ्तार कर जेल पहुँचाया गया । 13 जनवरी को द्वारका प्रसाद मौर्य को 6 माह की कैद तथा 25 रुपये के जुर्माने की सजा हुई । बैजनाथ आर्य तथा बाबा भगवान दास को 6 माह की कैद तथा 10 रुपये जुर्माने की सजा हुई ।[116]

12 जनवरी, 1932 को शाहगंज में स्वामी सर्वदानन्द ने दो स्वयंसेवकों सर्वश्री गोवर्धन दास तथा श्रीराम के साथ दफा 144 को तोड़कर सभा की और भाषण दिया। पुलिस ने लाठी चार्ज कर सभा को भंग कर दिया और स्वामी जी तथा उनके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दूसरे दिन जेल में इन लोगों पर मुकदमा चला । इन सभी लोगों को 6 माह की कैद और स्वामी जी को 25 रुपये तथा अन्य दोनों लोगों को 10 रुपये की सजा हुई । 13 जनवरी को केराकत में भी दो स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी हुई ।[117]

19 जनवरी, 1932 को गिरजा शरण और खेलावन तथा 21 जनवरी को छत्रपाल सिंह

---

114. गांधीजी राय, **राष्ट्रीय आन्दोलन और भारतीय संविधान**, पृ. 111.
115. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 45.
116. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 19-20 तथा
     स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, वाराणसी डिवीजन, पृ. 120, 138 व 139.
117. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 45 तथा **वही**, पृ. 191.

और रघुनाथ ,22जनवरीको राम नरेश और उदित नारायण, 23 जनवरी को राजाराम और रामजीत तथा 24 जनवरी को जयनाथ और कालका पिकेटिंग करने के अपराध में गिरफ्तार किए गए । इन लोगों का मुकदमा सिटी मजिस्ट्रेट ने जेल में किया और सभी को 6 माह की कैद तथा 10 रुपये से लेकर 25 रुपये तक जुर्माने की सजा दी ।[118]

25 जनवरी, 1932 की रात्रि में 8 बजे पुलिस कप्तान ने दीप नारायण वर्मा के घर की तलाशी ली और उन्हें तथा उनके घर में उपस्थित प्रयाग दत्त मौर्य और निजामुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार करके रात्रि में 10 बजे जेल भेज दिया।[119] दीप नारायण वर्मा के मकान से पुलिस राष्ट्रीय झण्डे तथा सेवा दल की वर्दियाँ उठा ले गई । 4 फरवरी को दीप नारायण वर्मा को 18 माह कैद और 250 रुपये जुर्माने की सजा हुई । 25 जनवरी की रात्रि को पुलिस के एक दूसरे दल ने कांग्रेस शिविर पर छापा मार कर चार स्वयंसेवकों सर्वश्री जंग बहादुर सिंह, रामलोचन सिंह, रामबली सिंह तथा बंशी को गिरफ्तार किया । 15 फरवरी को सभी स्वयंसेवकों को 6 माह की कैद की सजा हुई । 25 जनवरी की ही रात्रि में 12 बजे रमाशंकर लाल टाउन हाल के पीछे स्वतंत्रता दिवस की नोटिस चिपकाते हुए गिरफ्तार किए गए । 15 फरवरी को रमाशंकर लाल को 6 माह की कैद और 25 रुपये जुर्माने की सजा हुई ।[120]

26 जनवरी, 1932 को कांग्रेस के सेनानायक आद्या प्रसाद सिंह सायं 4 बजे चहारसू पर स्वतंत्रता दिवस की प्रतिज्ञा पढ़ते हुए स्वयंसेवक माताप्रसाद (शहर) सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए । कुछ ही समय बाद इसी स्थान पर अम्बिका सिंह स्वतंत्रता दिवस की प्रतिज्ञा बांटते हुए पकड़े गए । आद्या प्रसाद सिंह को 2 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50 रुपये जुर्माने की सजा हुई । 4 फरवरी को मड़ियाहूँ के दो स्वयंसेवक सर्वश्री महादेव सिंह तथा श्याम बहादुर सिंह शहर में झण्डा लेकर गीत गाते हुए गिरफ्तार किए गए । महादेव सिंह को 6 माह की कैद की सजा हुई। 10 फरवरी को ओलन्दगंज में रामाधीन सिंह तथा 15 फरवरी को राम स्वरूप सिंह, सुखदेव सिंह

---

118. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 45.

119. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 20 तथा
स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, वाराणसी डिवीजन, पृ. 117-125.

120. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 45-46 तथा **वही**, पृ. 109, 117, 154, 170 व 174.

तथा वीरेन्द्र विक्रम सिंह गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए ।[121]

19 फरवरी, 1932 को कायस्थ पाठशाला के खेल के मैदान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टूनमिन्ट के समय 4 स्वयंसेवक कांग्रेस की नोटिस बांटते हुए गिरफ्तार किए गए ।[122] 23 फरवरी को इन लोगों को 6 माह की कैद तथा 10 रुपये जुर्माने की सजा हुई । इसी स्थान पर मछलीशहर के शिववर्ण शर्मा भी उसी दिन गिरफ्तार हुए । 8 मार्च को इनको एक साल की कैद और 25 रुपये जुर्माने की सजा हुई । 5 मार्च को भटौली के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्री विजय बहादुर सिंह को करशूलनाथ के मेले में गिरफ्तार कर लिया गया । 10 मार्च को राम नरेश सिंह को शहर में 11 बजे बक्शा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । 18 मार्च को विजय बहादुर सिंह को 5 माह की कैद और 20 रुपये जुर्माने की सजा तथा राम नरेश सिंह को 6 माह और 50 रुपये की सजा हुई। डोभी के दो कांग्रेसजन सर्वश्री राम लगन सिंह तथा सूर्यवंश सिंह जो कलकत्ता में कांग्रेस कार्य करते थे, वहाँ के जेल से पेरोल पर छूटकर जौनपुर आए हुए थे । 18 मार्च को जौनपुर की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके पुनः कलकत्ता पहुँचा दिया ।[123]

23 मार्च, 1932 को 11 बजे श्रीमती विद्यावती देवी और श्रीमती वक्ता देवी कचहरी गईं और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जोगलेकर की अदालत में पहुंचकर उनकी खाली कुर्सी पर कब्जा कर लिया । जब मजिस्ट्रेट जोगलेकर आए तो उन्होंने देवी जी लोगों के आने का कारण पूछा । उन्होंने मजिस्ट्रेट को बताया कि जब उन्हें जुलूस निकालने और कानून भंग करने पर भी गिरफ्तार नहीं किया गया तब उन्होंने अदालत पर कब्जा करने का निश्चय किया। मजिस्ट्रेट ने देवी जी लोगों से कहा कि अब आपका कब्जा हो गया है और आप जा सकती हैं । इस पर इन लोगों ने अदालत में अपनी नोटिस बांटी, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई ।[124]

---

121. स्वतंत्रता सग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 46 तथा
स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, वाराणसी डिवीजन, पृ. 85-198
122. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 20.
123. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 46.
124. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 20.

1919 के 'जलियांवाला बाग' हत्याकाण्ड की स्मृति में प्रतिवर्ष 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय उपलब्धियों के मूल्यांकन और आत्म निरीक्षण की दृष्टि से देश में 'राष्ट्रीय-सप्ताह' मनाया जाता था । 1932 के वर्ष के लिए इस 'राष्ट्रीय-सप्ताह' के विशेष महत्व की ओर संकेत करते हुए तत्कालीन कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सरोजनी नायडू ने प्रान्तीय कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के नाम 18 मार्च, 1932 को एक परिपत्र जारी कर 'राष्ट्रीय सप्ताह' की प्रत्येक तिथि के लिए विस्तृत कार्यक्रम का सुझाव दिया था ।[125] जौनपुर में भी 6 अप्रैल तक 'राष्ट्रीय-सप्ताह' मनाया गया ।

6 अप्रैल को जौनपुर में दो स्वयंसेवक राष्ट्रीय-सप्ताह की नोटिस बांटते हुए कोतवाली के सामने पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । 11 अप्रैल को सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें 6 माह की कैद और 15 रुपये के जुर्माने की सजा दी । 13 अप्रैल को पाँच स्वयंसेवक सर्वश्री विश्वनाथ प्रसाद, पद्म सिंह, धनुषधारी तथा वृजमोहन सेठ शहर में नोटिस बांटते हुए जब कोतवाली के पास पहुंचे तब उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया । इनका मुकदमा 21 अप्रैल को जेल में हुआ तथा सभी को 6 माह की कैद और 15 रुपये जुमाने की सजा हुई ।[126]

23 अप्रैल, 1932 को दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में हरगोविन्द सिंह के नेतृत्व में गये 8-10 प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर लिया गया । सभी लोग दूसरे दिन छोड़ दिये गये । 4 मई को हरगोविन्द सिंह ओलन्दगंज सेजुलूस लेकर एक सभा करने टाउनहाल जा रहे थे । कोतवाली के पास उन्हें तथा तीन स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया ।[127] 9 मई को हरगोविन्द सिंह को 6 माह का कठोर कारावास तथा 250 रुपये जुर्माना या जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 6 सप्ताह के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया ।[128] जौनपुर में अब तक कुल 63 गिरफ्तारियाँ हुईं । अभयजीत दूबे को सिरकोनी स्टेशन के पास नोटिस बांटते हुए गिरफ्तार किया गया । 30 मई

---

125. होम पोलिटिकल फाइल संख्या 14/32/1932.

126. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 47.

127. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 20.

128. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक**, वाराणसी डिवीजन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1970.

को हाकिम परगना केराकत ने उन्हें 6 माह की कैद और 10 रुपये जुर्माने की सजा दी ।

24 मई , 1932 को टाउनहाल के पास दो स्वयंसेवक और 29 मई को उसी स्थान पर झण्डा दिवस मनाने पर दो और स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया गया । मड़ियाहूँ के खुफिया पुलिस के थानेदार ने मड़ियाहूँ मिडिल स्कूल के दो अध्यापक सर्वश्री जगदेव सिंह तथा सत्य नारायण लाल के घरों की तलाशी ली और कुछ प्रतिबन्धित साहित्य, पुस्तकें तथा सरदार भगत सिंह की फोटो बरामद की । जिलाधीश के आदेश पर दोनों अध्यापकों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शिक्षा कमेटी के अध्यक्ष 'राय बहादुर' राम प्रसाद ने बर्खास्त कर दिया ।[129]

1932 के मध्य में कांग्रेस ने यह निश्चय किया कि राष्ट्रीय, प्रान्तीय और जिला स्तरों पर कांग्रेस सम्मेलनों को आयोजित करके उन प्रतिबन्धों का विरोध किया जाय जो सरकार ने लगाए थे । इस क्रम का आरम्भ सरकार द्वारा गैर कानूनी घोषित कांग्रेसकी इस घोषणा से हुआ कि वह अप्रैल, 1932 में दिल्ली में अपना वार्षिक अधिवेशन करेगी ।[130]

कांग्रेस के निश्चय और निर्देश के अनुरूप 16 जून को जौनपुर में जिला राजनैतिक सम्मेलन हुआ । जिला राजनैतिक सम्मेलन की नोटिस एक दिन पूर्व नगर में बाँटी गयी । 16 जून, 1932 को चारो ओर पुलिस की नाकेबन्दी के बावजूद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दफ्तर के सामने कुछ नवयुवकों के प्रयत्न से यह सम्मेलन हुआ । पुलिस ने रामाचरण सिन्हा, अयोध्या प्रसाद तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के तीन छात्र सर्वश्री राम लगन सिंह, राजदेव सिंह और भूपनारायण शुक्ल को गिरफ्तार किया । 20 जून को इन लोगों को 6 माह की कैद और 25 रुपये जुर्माने की सजा हुई । रामाचरण सिन्हा के मुकदमें का फैसला 21 जून को हुआ ।[131] 16 जून, 1932 को जिला बोर्ड पर झण्डा फहराने की प्रथा का शुभारम्भ हुआ । श्री गुरुशरण लाल, अध्यक्ष, नगरपालिका के समय नगरपालिका भवन पर झण्डा फहरा दिया गया । लगभग 25 हजार जनता इस अवसर पर

---

129. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 48.

130. आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी पेपर्स, फाइल संख्या पी-22/1932.

131. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 20.

उपस्थित थी । उसी समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर भी झण्डा फहराया गया ।[132]

डोभी के श्री राम लगन सिंह को सन् 1932 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में प्रभावी रूप से भाग लेने के कारण फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत 20 जून, 1932 से 8 अप्रैल, 1933 तक कैद की सजा हुई ।[133] 17 जून को द्वारका प्रसाद मौर्य फैजाबाद जेल से रिहा हुए । स्थानीय जेल से ही जनवरी में गिरफ्तार कई सत्याग्रही रिहा हुए । 20 जुलाई को बैजनाथ आर्य और 28 मार्च को रमाशंकर लाल जेल से रिहा हुए ।[134]

16 जुलाई, 1932 को संयुक्त प्रान्त के गवर्नर सर मैलकम हेली ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़ और बलिया जिलों का दौरा किया । प्रत्येक जगह प्रान्तीय गवर्नर को काले झण्डे के साथ जनता के उग्र मनोभावों का सामना करना पड़ा ।[135] 17 जुलाई को प्रान्तीय गवर्नर मैलकम हेली बनारस से जौनपुर आए । रास्ते में महरुपुर के पास उन्हें काला झण्डा दिखाने के कारण तीन स्वयंसेवकों सर्वश्री उदयराज सिंह, बंशी तथा वाइसराय दूबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया जहाँ उन्हें 6 माह की कैद की सजा हुई ।[136]

4 अगस्त, 1932 को जेलों में कैदियों को दी जा रही यंत्रणा के विरोध में जौनपुर में भी 'कैदी दिवस' मनाया गया । कैदी दिवस के उपलक्ष्य में ओलन्दगंज से जुलूस निकला और गोमती पुल के किनारे शाहगंज के रंजीत सिंह ने अपना लिखित भाषण पढ़ा । पुलिस ने रंजीत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । उन्हें 6 माह की कैद और 25 रुपये जुर्माने की सजा हुई ।[137]

---

132. सय्यद एकबाल अहमद, शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास, पृ. 302.
133. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक**, वाराणसी डिवीजन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ. 173.
134. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 48.
135. होम पोलिटिकल फाइल संख्या 18/10/1932.
136. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 49.
137. **वही**.

ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडॉनल्ड के 'कम्युनल एवार्ड' की घोषणा के विरुद्ध गांधी जी ने 20 सितम्बर , 1932 से आमरण-अनशन करने का निश्चय किया और 20 सितम्बर को गांधी जी ने एक वक्तव्य देकर पूना के यरवदा जेल में अपना आमरण-अनशन प्रारम्भ किया ।[138] 20 सितम्बर को सारे देश में गांधी जी के लिए प्रार्थनाएं की गईं। जौनपुर में भी आर्य समाज के नेता प्रताप नारायण लाल की अध्यक्षता में टाउनहाल पर एक सभा हुई जिसमें गांधी जी के अनशन पर चिंता व्यक्त की गई ।[139] 26 सितम्बर, 1932 को ब्रिटिश सरकार ने 'कम्युनल एवार्ड' को पूना पैक्ट के आधार पर संशोधित करके अपनी स्वीकृति की घोषणा की और 26 सितम्बर को सायंकाल सवा पाँच बजे गांधी जी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया।[140]

अस्पृश्यता को समाप्त करने की गांधी जी की अपील पर जौनपुर में अनेक लोगों ने अपने मंदिर के द्वार हरिजनों के लिए खोल दिए । 20 सितम्बर, 1932 को मड़ियाहूँ के शंकर लाल निगम ने अपना मन्दिर अछूतों के लिए खोल दिया। 27 सितम्बर को शिवभजन लाल मुख्तार की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें गांधी जी के अनशन समाप्त करने पर बधाई दी गई । 11 अक्टूबर को मछलीशहर में शोभनाथ जी के मन्दिर पर अछूत सभा हुई ।[141]

13 अक्टूबर, 1932 को शहर कोतवाल ने पांडेपुर गांव में रमाशंकर लाल के घर की तलाशी ली पर कोई आपत्तिजनक सामग्री उन्हें नहीं मिली । 16 अक्टूबर को नगर में कांग्रेस के दो स्वयंसेवक कांग्रेस की नोटिस बांटते हुए गिरफ्तार हुए । नेवादा के ठाकुर प्रसाद सिंह भी पांच स्वयंसेवकों के साथ नगर में कांग्रेस के पर्चे बांटते हुए गिरफ्तार किए गए । 19 नवम्बर को इन लोगों को 6 माह की कैद और 25 रुपये जुर्माने की सजा हुई । 17 दिसम्बर को राजदेव सिंह

---

138. रामगोपाल , **भारतीय राजनीति**, पृ. 365.
139. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 49.
140. रमेशचन्द्र मजुमदार, **स्ट्रगल फार फ्रीडम**, पृ. 521 तथा
     बी.आर. नन्दा, **महात्मा गांधी**, पृ. 250.
141. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**,जौनपुर,पृ. 71.

फैजाबाद जेल से और रामलगन सिंह गोंडा जेल से रिहा हुए ।[142]

4 जनवरी, 1933 को गांधी आश्रमवासिनी तथा अखिल भारतीय कन्ट्रोल कैम्प की सैनिका श्रीमती वक्ता देवी को एक महिला स्वयंसेविका कमल कुमारी तथा तीन पुरुष स्वयंसेवकों को सर्वश्री रघुनाथ सिंह, सूरतधर सिंह और प्रयागदत्त मौर्य के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया । 6 जनवरी को सभी स्वयंसेवकों को सजा हुई ।[143] मड़ियाहूँ की श्रीमती वक्ता देवी को 3 माह की कड़ी कैद और 15 रुपये जुर्माना या जुर्माने के बदले 6 सप्ताह कड़ी कैद की अतिरिक्त सजा फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत हुई ।[144]

15 जनवरी को लखनऊ में अधिनायकों के सम्मेलन में जौनपुर के अधिनायक श्री बैजनाथ आर्य गिरफ्तार किए गए । 20 जनवरी को टाउन हाल पर एक सार्वजनिक सभा हुई जिसमें स्वदेशी संघ की स्थापना की गई । श्रीराम उपाध्याय सभापति तथा बृजवासी लाल मंत्री चुने गए । डोभी के आचार्य बीरबल सिंह को बनारस में एक साल कैद की सजा हुई । 2 फरवरी को शिववर्ण शर्मा फैजाबाद जेल से रिहा हुए । श्रीमती वक्ता देवी जौनपुर से फतेहगढ़ जेल भेजी गईं। 3 फरवरी को आचार्य बीरबल सिंह बनारस जेल से फैजाबाद भेजे गए । 19 फरवरी को मड़ियाहूँ में टूर्नामेन्ट के अवसर पर श्रीमती शान्ती देवी तथा स्वयंसेवक रघुनाथ जेल की नोटिस बांटते हुए गिरफ्तार किए गए । 24 फरवरी को श्रीमती शान्ती देवी को 3 माह की कैद की सजा हुई । 26 फरवरी को नगर में सायंकाल साढ़े चार बजे दो स्वयंसेवक गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए ।[145]

सम्पूर्ण भारत में कड़े प्रतिबन्धों के बावजूद कलकत्ता में कांग्रेस के 47वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए जौनपुर से 14 प्रतिनिधि तीन जत्थों में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए

---

142. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 49.
143. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 20.
144. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक**, वाराणसी डिवीजन, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ. 181-182.
145. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 50-51.

कलकत्ता पहुँचे । हावड़ा तक का टिकट मिलना बन्द हो गया था और प्रायः बड़ी लाइन के प्रत्येक स्टेशनों पर पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही थी । जौनपुर के प्रतिनिधि थोड़ी-थोड़ी दूर का टिकट लेकर किसी तरह कलकत्ता पहुँचे । पहले जत्थे में तीन प्रतिनिधि भेजे गए । दूसरे जत्थे में शिववर्ण शर्मा ने अपना वेश एक संस्कृत के आचार्य का बनाया । सिर पर पगड़ी और बदन पर मिर्जई थी और अन्य प्रतिनिधि विद्यार्थी बने थे । जब कोई पूछता तब आप लोग कहते थे कि काशी में परीक्षा के लिए आए थे और अब परीक्षा समाप्त होने पर कलकत्ता देखने जा रहे हैं।[146]

जौनपुर के प्रतिनिधियों का तीसरा जत्था जिस ट्रेन से जा रहा था उस ट्रेन को आसनसोल में रोक लिया गया । इसी ट्रेन से कलकत्ता जा रहे कलकत्ता कांग्रेस के मनोनीत अध्यक्ष पं. मदन मोहन मालवीय, श्रीमती स्वरूप रानी और डॉ. सैयद महमूद को गिरफ्तार कर आसनसोल जेल भेज दिया गया । जौनपुर के प्रतिनिधि पुलिस को झाँसा देकर बच गए परन्तु 30 मार्च, 1933 को यू.पी. के अधिनायक के आदेश पर नारे लगाते हुए जौनपुर के प्रतिनिधियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। सभी प्रतिनिधि 6 अप्रैल को जेल से छोड़ दिए गए ।[147] कलकत्ता कांग्रेस में गए जौनपुर के 14 प्रतिनिधियों में कुछ प्रमुख प्रतिनिधि थे-सर्वश्री अभयजीत दुबे, शिववर्ण शर्मा, बाबूनन्दन गुप्त, विजय बहादुर मौर्य, सुखदेव मौर्य तथा छत्रपाल सिंह । श्री अम्बिका प्रसाद सिंह उस समय कलकत्ता में रहते थे और वे वहीं से इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे ।[148]

पं. मदन मोहन मालवीय को गिरफ्तार किए जाने के पश्चात् यह घोषणा की गई कि अब कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नेली सेनगुप्ता करेंगी । 31 मार्च, 1933 को कलकत्ता अधिवेशन सायंकाल 3 बजे श्रीमती नेली सेनगुप्ता की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ । श्रीमती नेली

---

146. साक्षात्कार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री अभय जीत दुबे से जो कलक्तता कांग्रेस में जौनपुर के प्रतिनिधि के रूप में गए थे.

147. **विकास,** शहीद अंक, 30 जनवरी, 1957, पृ. 13-14, तथा साक्षात्कार श्री अभयजीत दूबे से.

148. **वही.**

सेनगुप्ता के भाषण के बाद जल्दी-जल्दी सात प्रस्ताव पारित किए गए । अधिवेशन स्थल पर पुलिस का कातिलाना हमला प्रारम्भ हुआ । लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर-बितर कर प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर लिया गया । प्रतिनिधियों ने पुलिस के बर्बर हमलों को शान्ति पूर्वक सहन किया था।[149]

8 मई, 1933 से गांधी जी ने आत्म-शुद्धि एवं अछूतोद्धार के लिए 21 दिन का पुनः उपवास किया । इस उपवास का गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा ने भी विरोध किया। सरकार ने 8 मई कोही गांधी जी को जेल से मुक्त कर दिया । गांधी जी के उपवास के आरम्भ होते ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी स्थगित कर दिया गया और उपवास की समाप्ति के बाद उसे पुनः 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया ।[150]

महात्मा गांधी के ब्रत के आरम्भ होने पर 8 मई से जौनपुर में प्रतिदिन सार्वजनिक स्थानों पर प्रार्थनाएँ की गईं और जुलूस निकाले गए । जौनपुर में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और गांधी जी के निर्देशानुसार सत्याग्रह स्थगित करके सम्पूर्ण जिले में जोरों से अछूतोद्धार कार्य करने का निश्चय किया गया । जौनपुर में 12 मई से 19 मई तक अछूतोद्धार सभाएँ हुईं । 29 मई को हनुमान घाट पर प्रातः 8 बजे गांधी जी के दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना की गई । सायं 5 बजे नगर में एक विशाल जुलूस बैंड बाजों के साथ निकाला गया जो टाउन हाल पर सभा के रूप में परिणित हो गया । यहाँ एक हरिजन बालक के हाथ से प्रसाद बांटा गया । इस जुलूस व सभा के संयोजक राजदेव सिंह थे । 2 जून को द्वीप नारायण वर्मा अपनी सजा की मियाद काट कर रिहा हुए । 8 जुलाई को आद्या सिंह जौनपुर से फैजाबाद जेल भेजे गए ।[151]

23 जुलाई, 1933 को कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष माधव श्रीहरि अणे ने कांग्रेस के भावी

---

149. आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी फाइल संख्या 5/1933.

150. होम पोलिटिकल फाइल संख्या 4/2/1933.

151. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 51.

कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए जन-आन्दोलन के स्थान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह को आरम्भ करने का आह्वान किया ।[152] महात्मा गांधी 1 अगस्त, 1933 से व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन रास नामक गांव में जाकर प्रारम्भ करने वाले थे लेकिन 31 जुलाई की रात्रि को ही उन्हें तथा 35 अन्य आश्रमवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को 4 अगस्त को छोड़ दिया गया और उन्हें पूना में ही रहने का आदेश दिया गया लेकिन इस आदेश का उल्लंघन करने पर उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और 1 वर्ष की कैद की सजा दी गई ।[153]

12 अगस्त, 1933 को काशी विद्यापीठ के रजिस्ट्रार आचार्य बीरबल सिंह को फैजाबाद जेल से अचानक रिहा कर दिया गया । 12 सितम्बर को प्रयाग दत्त मौर्य ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की सूचना जौनपुर के जिलाधीश को देकर लल्लन साह की दुकान पर धरना दिया परन्तु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस के इशारे पर कुछ घसियारे उन पर टूट पड़े और उनसे राष्ट्रीय झण्डा छीन ले गए । गांधी सप्ताह में शहर में सर्वश्री हरगोविन्द सिंह तथा रमाशंकर लाल और देहात में सर्वश्री राम लगन सिंह तथा राजदेव ने घूम-घूमकर खादी बेची ।[154]

संयुक्त प्रान्त में माधव श्रीहरि अणे की घोषणा से निराशा का वातावरण उत्पन्न हो गया था । कांग्रेस के उग्रवादी सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित किए जाने से दुःखी थे, क्योंकि इससे स्वराज्य प्राप्त करने की आशा धूमिल हो गई थी। संयुक्त प्रान्त में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक उत्साह नहीं था ।[155] सितम्बर 1933 से संयुक्त प्रान्त में व्यक्तिगत सत्याग्रह की क्षीणता स्पष्ट प्रतीत होने लगी थी । अगस्त 1933 में राजनैतिक अपराधों की संख्या जहाँ 74 थी वहीं सितम्बर 1933 में घट कर 42 हो गई थी । अक्टूबर 1933 से तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अवसान की ओर मुड़ चुका था । अक्टूबर के प्रथमार्द्ध में केवल 6 और उत्तरार्द्ध

---

152. होम पोलिटिकल फाइल संख्या 3/17/1933.

153. रमेशचन्द्र मजुमदार, **स्ट्रगल फार फ्रीडम**, पृ. 24.

154. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 51-52.

155. होम पोलिटिकल फाइल संख्या 4/10/1933.

में 10 राजनैतिक अपराध संयुक्त प्रान्त की सीमाओं में हुए थे । नवम्बर 1933 में राजनैतिक अपराधों की संख्या मात्र 12 थी । दिसम्बर 1933 तक संयुक्त प्रान्त में व्यक्तिगत सत्याग्रह बुझते हुए दीपक की लौ की भाँति दम तोड़ रहा था ।[156] संयुक्त प्रान्त के इस राजनैतिक शिथिलता का प्रभाव जौनपुर पर भी पड़ा ।

15 जनवरी , 1934 को बिहार में विनाशकारी भूकम्प आया जिसके कारण बिहार की जनता पर विपत्ति आ गई । बीस हजार लोग मर गए, दस लाख घर ढह गए तथा 65 हजार कूओं और तालाबों में पानी भर गया । गांधी जी ने अपनी हरिजनोद्धार यात्रा स्थगित कर सीधे बिहार पहुँचे और एक महीना वहां रहकर सहायता कार्य का निरीक्षण किया । बिहार के भूकम्प पीड़ितों के सहायता कार्य के संचालन में राजेन्द्र बाबू ने प्रमुख भूमिका निभाई ।[157] जौनपुर में बिहार के भूकम्प पीड़ितों के लिए कांग्रेसजनों की एक सहायता समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष दीप नारायण वर्मा तथा मंत्री हरगोविन्द सिंह बनाए गए ।[158]

गांधी जी ने 7 अप्रैल, 1934 को अपने वक्तव्य द्वारा कांग्रेसजनों को यह सलाह दी कि सत्याग्रह मार्ग का परित्याग कर दिया जाय ।[159] गांधी जी की सलाह पर मालवीय जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 18-19 मई,1934 को पटना अधिवेशन में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन को समाप्त करने की घोषणा की ।[160] पटना कांग्रेस में जौनपुर के सर्वश्री हरगोविन्द सिंह तथा दीप नारायण वर्मा सम्मिलित हुए । 20 मई को ये लोग जौनपुर वापस आ गए।[161] 13 जून, 1934 को लखनऊ में संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने पटना अधिवेशन में

---

156. होम पोलिटिकल फाइल संख्या 18/10-14/1933;
फोर्टनाइटली रिपोर्ट, सितम्बर-दिसम्बर, 1933.

157. हरिभाऊ उपाध्याय, **बापू कथा**, पृ. 130-132.

158. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 52.

159. पट्टाभि सीतारमैया, **दि हिस्ट्री ऑफ दि कांग्रेस**, पृ. 953-956.

160. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ यू.पी., 1934-35 , पृ. 7.

161. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 52.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करने का निश्चय किया।[162] जौनपुर में भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के निर्णयों का अनुसरण करते हुए सविनय अवज्ञा आन्दोलन समाप्त कर दिया गया । जौनपुर में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सिलसिले में 72 लोगों को कैद किया गया और कुल 1,370 रुपये जुर्माना लोगों से वसूल किया गया ।[163]

---

162. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ठ ऑफ यू.पी., 1934-35, पृ. 7.

163. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर** जौनपुर, 1986, पृ. 52.

अध्याय : 5

राजनैतिक शिथिलता से व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन तक (1934-41)

राजनैतिक शिथिलता से व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन तक (1934-41)

सविनय अवज्ञा आन्दोलन की समाप्ति के पश्चात् संयुक्त प्रान्त के राजनैतिक वातावरण में निराशा व्याप्त हो गई । राजनैतिक शिथिलता के वातावरण के बावजूद जौनपुर में शान्तिपूर्ण सभाओं एवं सम्मेलनों को आयोजित कर राजनैतिक जागृति को बनाये रखा गया । इन सभाओं एवं सम्मेलनों में पं. जवाहर लाल नेहरु, लाल बहादुर शास्त्री, सम्पूर्णानन्द, आचार्य नरेन्द्र देव, शचीन्द्र नाथ सान्याल, केशवदेव मालवीय आदि नेताओं ने उपस्थित होकर जौनपुर की जनता एवं कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया ।

19 मई, 1934 को पटना में गांधी जी के दिशा निर्देशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने व्यवस्थापिका सभा का चुनाव लड़ने का निश्चय किया तथा उम्मीदवारों के चयन के लिए एक संसदीय बोर्ड का गठन किया ।[1] भारत सरकार ने 6 जून, 1934 को कांग्रेस पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने की घोषणा की । संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार के निर्णय का पालन करते हुए 11 जून, 1934 को संयुक्त प्रान्त में कांग्रेस संगठनों पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया ।[2] 30 जुलाई को मुजतबा हुसैन फैजाबाद जेल से रिहा हुए । 13 अगस्त को जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव हुआ जिसमें विजय बहादुर सिंह अध्यक्ष तथा रामनरेश सिंह प्रधानमंत्री चुने गए । इस चुनाव से असन्तुष्ट होकर सर्वश्री राम लगन सिंह, राजदेव सिंह तथा अम्बिका सिंह आदि नवयुवकों ने नवयुवक संघ की अलग स्थापना की ।[3]

27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 1934 तक बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । इस

---

1. **आज**, 21 मई 1933, पृ.4.
2. **लीडर**, 13 जून 1934, पृ.3.
3. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 20.

अधिवेशन में जौनपुर के शिववर्ण शर्मा, राम नरेश सिंह तथामेवाराम सम्मिलित हुए । राजदेव सिंह तथा द्वारका प्रसाद मौर्य के प्रयत्न से जौनपुर में 'समाजवाद' पर एक व्याख्यान माला आयोजित की गई जिसमें सम्पूर्णानन्द तथा मोहन लाल गौतम ने भी भाग लिया । 28 दिसम्बर, 1934 को इटावा में श्रीप्रकाश जी की अध्यक्षता में प्रान्तीय सम्मेलन हुआ । इटावा सम्मेलन में सर्वश्री हरगोविन्द सिंह, दीप नारायण वर्मा, राम नरेश सिंह, शिववर्ण शर्मा, शीतला प्रसाद तथा रमेशचन्द्र शर्मा ने जौनपुर का प्रतिनिधित्व किया ।[4]

12 जनवरी, 1935 को पुलिस ने जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस, इलाहाबाद आदि कई स्थानों पर तलाशियाँ ली। जौनपुर, बनारस, आजमगढ़, इलाहाबाद जिले के कुछ व्यक्ति भी पकड़े गए । बाद में बहुत से लोग छोड़ भी दिए गए । जो शेष रह गए उनकी जमानतों की दरखास्तें नामंजूर करते हुए पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि प्रान्तों में सक्रिय हैं और एक अन्तर्प्रान्तीय षड्यंत्र रचने में इनकी भूमिका है ।[5]

26 जनवरी, 1935 को स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में जौनपुर नगर में सायंकाल 4 बजे एक जुलूस निकाला गया जो हनुमान घाट पहुँचकर एक सभा के रूप में परिणित हो गया। इस सभा में स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया ।[6] 23 फरवरीको अन्तर्प्रान्तीय षड्यंत्र की धारणा के आधार पर उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब आदि प्रान्तों में लगभग 250 तलाशियाँ ली गईं, पर कहीं भी कोई आपत्तिजनक सामग्री पुलिस को प्राप्त न हो सकी ।[7]

23 फरवरी को ही पुलिस ने जौनपुर जिले में भी कई स्थानों पर तलाशी ली । पुलिस ने डोभी के थून्हीं ग्राम में श्री राम लगन सिंह के घर की तलाशी ली । कोतवाली पुलिस ने नाथूपुर

---

4. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 53.
5. मन्मथनाथ गुप्त , **भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 336.
6. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 53.
7. मन्मथनाथ गुप्त, **भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 336.

में राजदेव सिंह के, रुहट्टा में गनपत सहाय के घरों की तलाशी ली । गनपत सहाय के पुत्र त्रिभुवन नाथ चर्खा संघ में कार्य करते थे तथा श्री राम लगन सिंह और राजदेव सिंह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र थे । अप्रैल के अंत में प्रयाग किसान सम्मेलन में जौनपुर से 22 प्रतिनिधि गए जिनमें अधिकांश प्रतिनिधि मछलीशहर तहसील के थे ।[8] 11 मई से 13 मई, 1935 तक सुजानगंज में पं. कृष्ण दत्त पालीवाल की अध्यक्षता में चौथा जिला राजनैतिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इसी अवसर पर 13 मई को सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में समाजवादी सम्मेलन तथा दामोदर स्वरूप की अध्यक्षता में किसान आन्दोलन भी हुआ ।[9]

1935 में राष्ट्रीय संघर्ष पर निराशा, थकावट और भविष्य के बारे में संदेह का वातावरण छाया हुआ था । जनता एक तरह से आन्दोलनों की राजनीति से थक गई थी । इस निराशा की मन:स्थिति का वर्णन करते हुए नेहरु ने लिखा है - "सम्पूर्ण भारत दमन कार्य की सख्ती एवं हिंसा से स्तब्ध था। ऐसा लगता था कि पूरे देश में उत्साह समाप्त हो गया है तथा पुनः स्फूर्ति लाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है ।"[10]

भारत में शासन सुधार के उद्देश्य से जनवरी 1935 में भारत विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था । ब्रिटिश संसद में यह विधेयक काफी बहुमत से पास हुआ तथा 4 अगस्त, 1935 को ब्रिटिश सम्राट् के हस्ताक्षर के बाद यह भारतीय शासन अधिनियम 1935 बन गया। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से प्रान्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई । सभी राजनीतिक दलों के प्रबुद्ध भारतीयों ने इस अधिनियम के प्रति निराशा व्यक्त की । अतः पूरे देश में इसका व्यापक विरोध होने लगा तथा इस अधिनियम को गुलामी का संविधान कहा जाने लगा । उदारवादी तथा नरमपंथी नेताओं ने भी इस अधिनियम के प्रति निराशा व्यक्त की क्योंकि इस अधिनियम में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था । उदारवादी भारतीय नेताओं ने

---

8. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 53-54.
9. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 20.
10. जवाहरलाल नेहरु, **टुवर्ड्स फ्रीडम**, पृ. 224.

अनिच्छापूर्वक भारतीय शासन अधिनियम को स्वीकार किया । मुसलमानों ने भी इसे अपनी आशाओं के अनुरूप नहीं माना, पर वे अधिनियम में पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था के कारण अधिनियम के प्रयोग के पक्ष में थे । कांग्रेस ने भी भारतीय शासन अधिनियम को पूर्णरूपेण स्वीकार नहीं किया ।[11]

कांग्रेस में इस बात पर मतभेद थे कि इस अधिनियम के आधार पर चुनाव में भाग लिया जाय या नहीं, किन्तु बाद में यह विचार करके कि चुनाव में भाग लेना देश के लिए कुछ हितकर हो सकता है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने जून 1935 में अपनी लखनऊ बैठक में यह निश्चय किया कि कांग्रेस नवीन अधिनियम के अनुसार होने वाले चुनाव में भाग लेगी किन्तु उसके सदस्य स्थान ग्रहण नहीं करेंगे।[12]

23 अक्टूबर, 1935 को जौनपुर में टाउन हाल के सामने 'अबीसीनिया दिवस' मनाया गया जिसमें राजदेव सिंह, निजामुद्दीन सिद्दीकी, श्रीकृष्ण दास तथा द्वारका प्रसाद मौर्य के भाषण हुए। जिला कांग्रेस कमेटी ने बोर्डों के चुनाव में इस बार कांग्रेसजनों को खड़ा करने का निश्चय किया। कांग्रेस ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में 12 उम्मीदवार और म्युनिसिपल बोर्ड में 3 उम्मीदवार खड़े किए। यह चुनाव 7, 9 और 10 दिसम्बर को हुआ । कांग्रेस ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में 6 और म्युनिसिपल बोर्ड में 1 सीट जीती ।[13]

28 दिसम्बर, 1935 को जौनपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वर्ण जयन्ती उत्साहपूर्वक मनाई गई ।[14] नगर में हाथी, घोड़े और बैंड के साथ जुलूस निकाला गया और सायंकाल एक सभा हुई जिसमें दीप नारायण वर्मा, रामेश्वर प्रसाद सिंह, रामचरण सिन्हा, भगवतीदीन तिवारी, निजामुद्दीन

---

11. सुशीलमाधव पाठक, **भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास**, पृ. 174-182.
12. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ यू.पी. , 1934-35, पृ. 4.
13. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 54.
14. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर** जौनपुर, 1986, पृ. 52.

सिद्दीकी, हामिद हसन तथा अब्दुल हमीद कौम के भाषण हुए । रात्रि में एक कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसमें 13 कवियों ने भाग लिया । कवि सम्मेलन के मंत्री श्रीकृष्ण दास थे।[15]

15 जनवरी, 1936 को जौनपुर में जिला समाजवादी दल का चुनाव हुआ जिसमें राजदेव सिंह प्रधानमंत्री चुने गए और पाँचों तहसील के अलग-अलग मंत्री भी चुने गए । 24 जनवरी को राजाराम के प्रयत्न से मई ग्राम में कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई । अप्रैल 1936 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जौनपुर के 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 7 मई को जिला कांग्रेस के कार्यालय में 'तरुण संघ' की स्थापना हुई जिसके मंत्री राजदेव सिंह तथा उपमंत्री श्रीकृष्ण दास चुने गए । इसी बैठक में जून के अन्त में एक प्रान्तीय युवक सम्मेलन जौनपुर में आयोजित करने का निश्चय हुआ। 20 जून को बनारस रेंज के खुफिया पुलिस इन्सपेक्टर ब्रह्मा सिंह ने जौनपुर की खुफिया पुलिस के साथ कसेरी बाजार में युवक सम्मेलन के कार्यालय पर छापा मारा ।[16]

29 व 30 जून 1936 को मड़ियाहूँ में सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में जिला राजनैतिक सम्मेलन हुआ जिसमें सर्वश्री लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीप्रकाश ने भी भाग लिया । इस सम्मेलन के स्वागत मंत्री रमेश चन्द्र शर्मा थे ।[17] 4 व 5 जुलाई को जौनपुर में बम्बई के प्रसिद्ध समाजवादी नेता युसुफ मेहरअली की अध्यक्षता में युवक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में बिहार के किसान नेता स्वामी सहजानन्द, पंजाब के मुन्शी अहमद्दीन, काकोरी केस के क्रान्तिकारी भूपेन्द्र नाथ सान्याल, दामोदर स्वरूप सेठ, राम दुलारे त्रिवेदी आदि ने भाग लिया । इस सम्मेलन में दो हजार की उपस्थिति थी । 15 अगस्त को बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ कांग्रेस की एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सिंह तथा मंत्री भगवतीदीन तिवारी बनाए गए ।[18]

---

15. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, समय, पृ. 54.
16. वही.
17. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, समय, पृ. 20.
18. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, समय, पृ. 55.

25 जनवरी, 1937 को रात्रि में 11 बजे शहर के सभी कांग्रेसी नेताओं के घरों की तलाशी स्वाधीनता दिवस के प्रतिज्ञापत्रों के लिए की गई पर कहीं कुछ भी नहीं मिला ।[19] कांग्रेस कार्यालय, सेवा प्रेस, केशव प्रेस और कल्याण प्रेस की भी तलाशी ली गई । कांग्रेस कार्यालय से पुलिस सन् 1930 की प्रतिज्ञा पत्र की फाइल उठा ले गई । रामपुर थाने के एक मुन्शी ने कांग्रेस कार्यालय पर लगे तिरंगे झण्डे को उखाड़ फेंका । 26 जनवरी, 1937 को स्वाधीनता दिवस पर प्रातः झण्डा फहराया गया और सायंकाल नगर में एक शानदार जुलूस निकाला गया । राजा बाजार स्कूल के सामने एक सभा हुई और प्रस्ताव पास किया गया ।[20]

जौनपुर जनपद ने भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत फरवरी 1937 में हुए चुनावों में भाग लिया । प्रान्तीय विधान सभा की दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए।[21] पं. जवाहरलाल नेहरु ने जनवरी 1937 में चुनाव के सम्बन्ध में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का व्यापक दौरा किया । 27 जनवरी को रात्रि में 9 बजे पं. जवाहरलाल नेहरु सुल्तानपुर जिले का दौरा समाप्त कर जौनपुर आए । रास्ते में सूरापुर और खुटहन में भी नेहरु जी ने भाषण किया। शहर में इतनी भीड़ थी कि पंडित जी को आधे घण्टे रास्ते के लिए रुकना पड़ा । नेहरु जी रात्रि में साढ़े नौ बजे जौनपुर से सीधे मड़ियाहूँ गए और वहाँ से 11 बजे रात्रि में शहर वापस आए और एक विशाल सभा को सम्बोधित किया । शहर में नेहरु जी को नागरिकों की ओर से 155 रुपये और विद्यार्थियों की ओर से 35 रुपये की थैली भेंट की गई । 28 जनवरी को प्रातः नेहरु जी शाहगंज होते हुए फूलपुर (आजमगढ़) गए । नेहरु जी को शाहगंज में भी 80 रुपये की थैली भेंट की गई । प्रान्तीय विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रचार के लिए पं. मदन मोहन मालवीय जी भी जौनपुर आए और एक सभा को सम्बोधित किया ।[22]

---

19. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 20.
20. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 55.
21. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर** जौनपुर, 1986, पृ. 52.
22. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 20 तथा
    स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 55.

संयुक्त प्रान्त में 7 व 8 फरवरी, 1937 को व्यवस्थापिका सभा के चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुए । संयुक्त प्रान्त की जनता ने मतदान में उत्साह पूर्वक भाग लिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी हुए । संयुक्त प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के 228 स्थानों के लिए कांग्रेस के 133 प्रत्याशी विजयी घोषित हुए । पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही संयुक्त प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के लिए 51 सदस्य निर्वाचित हुए ।[23] 12 फरवरी, 1937 को जौनपुर में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार प्रान्तीय विधान सभा के लिए विजयी घोषित हुए। डोभी के आचार्य बीरबल सिंह ने श्रीकृष्ण दत्त दूबे (राजा जौनपुर) को 4,683 मतों से पराजित किया तथा केशव देव मालवीय ने हरपाल सिंह (राजा सिंगरामऊ) को 7,268 मतों से पराजित किया। इसप्रकार जौनपुर के दोनों स्थानों पर कांग्रेस की जीत हुई । मार्च में सारे जिले में कांग्रेस की अनेक सभाएँ हुईं।[24]

अब कांग्रेस के सामने पद ग्रहण करने का प्रश्न उपस्थित हुआ। मंत्रिमण्डल बनाने या न बनाने के प्रश्न को लेकर कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो गया । दक्षिणपंथी पद ग्रहण करने के पक्ष में थे और वामपंथी पद ग्रहण करने का विरोध कर रहे थे । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पद ग्रहण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार-विमर्श किया । गांधी जी ने सलाह दी कि यदि कांग्रेस बहुमत प्राप्त प्रान्तों में मंत्रिमण्डल बनाने का निश्चय करती है तो उसे ब्रिटिश सरकार से गर्वनरों के विशेषाधिकारों का प्रयोग न करने तथा कांग्रेस मंत्रियों को जनता की सेवा करने का पूर्ण अवसर देने का आश्वासन प्राप्त कर लेना चाहिए। इस सलाह को समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने भी 7 मार्च, 1937 को पद ग्रहण करने के प्रश्न पर विचार किया जिसमें पद ग्रहण करने का प्रस्ताव 71 मतों के विरुद्ध 49 मतों से अस्वीकृत हो गया ।[25]

24 मार्च, 1937 को संयुक्त प्रान्त के गवर्नर सर हेनरी हेग ने बहुमत प्राप्त दल कांग्रेस

---

23. गोविन्द सहाय, यू.पी. सरकार के अब तक के कार्य, पृ. 13.
24. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 56-57 तथा
    कांग्रेस शताब्दी स्मारिका, जौनपुर, पृ. 29.
25. **आज,** 9 मार्च, 1937, पृ. 4.

के नेता गोविन्द बल्लभ पंत को मंत्रिमण्डल बनाने के विषय में विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया । गवर्नर द्वारा मंत्रिमण्डल के गठन से पूर्व कांग्रेस की शर्तों को मानने से अस्वीकार करने पर गोविन्द बल्लभ पंत ने मंत्रिमण्डल बनाने में असमर्थता व्यक्त की ।[26] गवर्नर के विशेषाधिकार के प्रश्न को लेकर कांग्रेस द्वारा मंत्रिमण्डल का गठन करने से इन्कार कर देने पर गवर्नर ने अल्पमत प्राप्त दल को सरकार बनाने के उद्देश्य से छतारी के नवाब मोहम्मद अहमद सईद खां को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किया और संयुक्त प्रान्त में नवाब मोहम्मद अहमद सईद खां की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार बनी । गवर्नर ने अल्पमत सरकार के पराजित हो जाने के भय से दोनों सदनों की बैठक भी नहीं बुलाई । मंत्रिमण्डल के असंवैधानिक होने के कारण सभी दलों ने इसका विरोध किया ।[27]

12 मार्च, 1937 को जौनपुर में जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव हुआ जिसमें दीप नारायण वर्मा अध्यक्ष तथा शिववर्ण शर्मा प्रधानमंत्री चुने गए । 25 मार्च को नगर में गणेश शंकर विद्यार्थी दिवस मनाया गया । 1 अप्रैल को शासन के विरोध में सारे जिले में हड़ताल और सभाएँ हुईं। शहर में कांग्रेस कार्यालय से एक जुलूस निकाला गया जो टाउन हाल पर आकर एक सभा के रूपमें परिणित हो गया । यहाँ राम नरेश सिंह के सभापतित्व में एक विराट् सभा हुई जिसमें प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री पं. केशव देव मालवीय के अतिरिक्त द्वारका प्रसाद मौर्य , रामेश्वर प्रसाद सिंह, हामिद हसन तथा राम नरेश सिंह के भाषण हुए और प्रस्ताव पास किए गए। 13 अप्रैल को 'जलियाँवाला बाग दिवस' पर नगर में ओलन्दगंज से एक जुलूस निकाला गया तथा टाउन हाल के सामने एक सभा हुई ।[28]

अप्रैल के अन्तिम सप्ताह से लेकर मई, 1937 के अन्त तक जौनपुर में सम्मेलनों की धूम रही । 26 व 27 अप्रैल, 1937 को मुंगरा बादशाहपुर में रामकृष्ण खत्री की अध्यक्षता में जिला

---

26. **दि लीडर,** 30 मार्च, 1937, पृ. 1.
27. इण्डियन एनुवल रजिस्टर , 1937, भाग 1, पृ. 242 तथा
    कांग्रेस शताब्दी स्मारिका, जौनपुर, पृ. 29.
28. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 57.

युवक सम्मेलन हुआ ।[29] इसके पूर्व खुफिया पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय तथा मुंगरा बादशाहपुर में कई स्थानों पर तलाशी ली और कुछ कागजात उठा ले गई । 3 मई को खुफिया पुलिस ने कादीपुर ग्राम में दलसिंगार सिंह के घर की तलाशी ली और कुछ हस्तलिखित अधूरी पुस्तकें उठा ले गई। 21 व 22 मई को नौपेड़वा बाजार में कमलापति त्रिपाठी की अध्यक्षता में तहसील कान्फ्रेंस हुई जिसमें केशवदेव मालवीय तथा यज्ञनारायण उपाध्याय ने भी भाग लिया। 29 व 30 मई को महाराजगंज में बंकटेश नारायण तिवारी की अध्यक्षता में एक राजनैतिक सम्मेलन हुआ।[30]

संयुक्त प्रान्त के गवर्नर सर हेनरी हेग ने मई 1937 के अंत में नैनीताल में अपने एक भाषण में यह स्पष्ट किया कि प्रान्तीय मंत्रिमण्डल के मंत्रियों को पूर्ण सहयोग दिया जायेगा और यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होगी तो गवर्नर और मंत्री आपस में विचार करके उसका समाधान कर लेंगे ।[31] 21 व 22 जून, 1937 को जलालगंज मिडिल स्कूल पर श्रीमती सावित्री देवी की अध्यक्षता में छठाँ जिला राजनैतिक सम्मेलन धूम-धाम से सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर सर्वश्री लालबहादुर शास्त्री, श्रीप्रकाश, डॉ. अब्दुल करीम तथा मोहन लाल सक्सेना आदि उपस्थित रहे।[32]

इसी बीच वायसराय ने 22 जून, 1937 को भारत के नाम एक संदेश में यह व्यक्त किया कि मंत्रिमण्डलों के गठन के लिए कांग्रेस द्वारा रखी गई शर्तें उचित नहीं हैं । वायसराय ने आश्वस्त किया कि गवर्नर मंत्रिमण्डलों से मतभेद उत्पन्न नहीं होने देंगे और गवर्नर मंत्रिमण्डलों को पूर्ण सहयोग देंगे ।[33] वायसराय के इस आश्वासन पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में वर्धा में कांग्रेस कार्य कार्यकारिणी समिति ने विचार-विमर्श किया और निर्णय लिया कि रचनात्मक कार्यों के लिए पद

---

29. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक , **समय**, पृ. 21.
30. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 57.
31. **आज**, 29 मई, 1937, पृ. 3.
32. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 57.
33. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ यू.पी., 1936-37, पृ. 4.

ग्रहण किया जाय ।[34] गवर्नरों के विशेषाधिकारों का विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग किए जाने के आश्वासन पर 17 जुलाई, 1937 को संयुक्त प्रान्त में गोविन्द बल्लभ पंत के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने शपथ ग्रहण किया। कांग्रेसी मंत्रिमण्डल में 6 मंत्री तथा 14 संसदीय मंत्री थे । पूर्वी उत्तर प्रदेश से निर्वाचित सम्पूर्णानन्द कुछ समय बाद प्यारे लाल शर्मा के स्थान पर शिक्षा मंत्री बनाए गए ।[35]

24 व 25 जुलाई , 1937 को जौनपुर में मौलाना हफीजुर्रहमान की अध्यक्षता में नगर राजनैतिक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में आचार्य नरेन्द्र देव, मौलाना मुहम्मद फारुकी, शाहिद फाखरी तथा सज्जाद जहीर आदि ने भाग लिया । 14 अगस्त को जिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 'अण्डमान दिवस' मनाया गया ।[36] 15 सितम्बर को म्युनिसिपल बोर्ड ने बलदेव मेहरोत्रा के प्रस्ताव पर बोर्ड के सभी भवनों पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने का निश्चय किया । 19 व 20 सितम्बर को शचीन्द्र नाथ सान्याल की अध्यक्षता में प्रथम जिला छात्र सम्मेलन हुआ । 7 अक्टूबर, 1937 को म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष 'राय साहब' राम प्रसाद ने टाउन हाल पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया । इस अवसर पर बोर्ड के आमंत्रण पर नगर के प्रतिष्ठित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे ।[37]

21 अक्टूबर, 1937 को मछलीशहर मिडिल स्कूल के मैदान में राजदेव सिंह ने एक सभा में 8 हजार जनता के समक्ष 'काकोरी केस' के सर्वश्री शचीन्द्र नाथ बख्शी, रामकृष्ण खत्री, मन्मथनाथ गुप्त और योगेश चटर्जी तथा 'लाहौर केस' के परमानन्द का परिचय कराया एवं उनका स्वागत किया । उसी समय प्रयाग से लाल बहादुर शास्त्री तथा केशवदेव मालवीय भी पहुंचे और उन लोगों के भी भाषण हुए । 4 दिसम्बर, 1937 को जौनपुर में 'सिनेमा हाल' में 'काकोरी केस' तथा

---

34. **दि लीडर,** 10 जुलाई, 1937, पृ. 8.
35. प्रोसीडिंग्स ऑफ यू.पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली, 1938, भाग 4, पृ. 45.
36. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 57.
37. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 21 तथा
    स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 58.

अन्य क्रान्तिकारी बंदियों के स्वागतार्थ एक सभा हुई जिसमें सर्वश्री शचीन्द्र नाथ सान्याल, मन्मथनाथ गुप्त, परमानन्द, गोकुल दास, शचीन्द्र नाथ बख्शी , रामकृष्ण खत्री तथा योगेश चटर्जी के भाषण भी हुए । स्टेशन से सभी क्रान्तिकारियों को शहर में एक जुलूस में लाया गया था।[38]

8 जनवरी, 1938 को हाफिज मोहम्मद इब्राहिम शाहगंज होते हुए जौनपुर आए । 10 जनवरी को एम.एम. राय अपनी पत्नी सहित जौनपुर आए । उन्हें जौनपुर के छात्रों तथा युवकों ने नगर में एक जुलूस में लाया । एम.एन. राय ने सायंकाल 4 बजे जफराबाद में और 7 बजे टाउन हाल पर भाषण किया। उन्हें युवकों तथा छात्रों द्वारा मान पत्र भी भेंट किया गया । 24 जनवरी को डोभी के आचार्य बीरबल सिंह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए । आचार्य जी को एक जुलूस में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय होते हुए टाउन हाल पर लाया गया जहां एक सार्वजनिक सभा में आपका स्वागत किया गया ।[39]

15 फरवरी, 1938 को जब संयुक्त प्रान्त के गवर्नर ने राजनैतिक बदियों को मुक्त करने सम्बन्धी मंत्रिमण्डल की सलाह मानने से इनकार कर दिया तो मंत्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया।[40] 23 फरवरी को गोविन्द बल्लभ पंत और गवर्नर के बीच विचार-विमर्श के पश्चात् गवर्नर ने राजनैतिक बंदियों के सम्बन्ध में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल की माँग स्वीकार कर ली । 25 फरवरी को गवर्नर तथा गोविन्द बल्लभ पंत की एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित हुई जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है इसलिए मंत्रिमण्डल अपना त्याग-पत्र वापस लेता है ।[41]

---

38. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय** , पृ. 58.
39. **वही.**
40. इण्डियन एनुवल रजिस्टर, 1938, भाग 1, पृ. 66.
41. **आज** , 27 फरवरी, 1938, पृ. 4.

9 मार्च, 1938 को अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष ठक्कर बाप्पा जौनपुर आए। सायंकाल टाउन हाल के सामने रामेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें ठक्कर बाप्पा का भाषण हुआ । 31 मार्च को जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव हुआ जिसमें विजय बहादुर सिंह अध्यक्ष तथा अभयजीत दूबे प्रधानमंत्री चुने गए । 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग दिवस पर टाउन हाल के सामने रामाचरण सिन्हा की अध्यक्षता में एक सभा हुई । 6 व 7 जून को द्वितीय शहर राजनैतिक सम्मेलन हुआ जिसमें दो मंत्री सर्वश्री सम्पूर्णानन्द तथा रफी अहमद किदवई ने भाग लिया । 6 नवम्बर, 1938 को सायंकाल नाथूपुर में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का दीक्षा संस्कार शचीन्द्र नाथ द्वारा सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर प्रसिद्ध क्रान्तिकारी मन्मथनाथ गुप्त तथा अमरीका सिंह के भाषण हुए । 24 व 25 दिसम्बर को कोठबार में होने वाले जिला राजनैतिक सम्मेलन के लिए रामेश्वर प्रसाद सिंह के संयोजकत्व में एक समिति बनाई गई ।[42]

26 जनवरी , 1939 को जौनपुर में 'स्वतंत्रता दिवस' उत्साहपूर्वक मनाया गया । स्वतंत्रता दिवस पर टाउन हाल के सामने दीप नारायण वर्मा की अध्यक्षता में एक सभा हुई । 4 व 5 फरवरी को मड़ियाहूँ मिडिल स्कूल के मैदान में सातवाँ जिला राजनैतिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ । 4 फरवरी को सम्मेलन की अध्यक्षता पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी गोपीनाथ श्रीवास्तव ने की तथा 5 फरवरी को सम्मेलन की अध्यक्षता केशवदेव मालवीय ने की । 11 व 12 फरवरी को अटाला मस्जिद में मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ जिसमें महाराजा महमूदाबाद , राजा पीरपुर तथा नवाब इस्माइल आदि ने भाग लिया ।[43]

18 फरवरी को सरायभोगी (मछलीशहर) में क्रान्तिकारी शचीन्द्र नाथ की अध्यक्षता में तहसील युवक कान्फ्रेंस हुई । त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में जौनपुर के 50 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । त्रिपुरी कांग्रेस से सभी प्रतिनिधि 13 मार्च तक जौनपुर वापस आ गए ।[44] 1 अप्रैल को मुंगरा

---

42. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 59.
43. **वही,** पृ. 60-61.
44. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 21.

बादशाहपुर में न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू ने मद्य-निषेध योजना का उद्घाटन प्रतापगढ़ से आकर किया । रास्ते में काटजू जी ने कोदहों, मछलीशहर, कसनही, सिकरारा तथा फतेहगंज की सभाओं को सम्बोधित किया तथा नगर में सायंकाल टाउन हाल की सार्वजनिक सभा में भी भाषण दिया।

2 अप्रैल को कैलाशनाथ काटजू जफराबाद, मड़ियाहूँ, केराकत आदि क्षेत्रों में गए और सायंकाल साढ़े सात बजे नगर में खादी भण्डार का उद्घाटन करके रात्रि में 8 बजे कार से प्रयाग चले गए ।[45] 13 अप्रैल, 1939 को जौनपुर में जलियांवाला बाग दिवस पर एक जुलूस ओलन्दगंज से निकाला गया और सायंकाल टाउन हाल के सामने दीप नारायण वर्मा की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें सर्वश्री राजदेव सिंह , निजामुद्दीन सिद्दीकी, राम बिहारी शुक्ल, रमाशंकर लाल आदि के भाषण हुए ।[46]

20 अप्रैल, 1939 को पं. जवाहरलाल नेहरु का जिले में चतुर्थ आगमन हुआ । मछलीशहर में 6 अप्रैल से चल रहे कौमी सेवा ट्रेनिंग कैम्प का निरीक्षण करने के लिए नेहरु जी 20 अप्रैल को यहाँ आए । मछलीशहर टाउन एरिया की ओर से नेहरु जी को मान पत्र समर्पित किया गया । गोशाले के मैदान में दस हजार से अधिक उपस्थिति वाली जनसभा को सम्बोधित कर पण्डित जी वापस प्रयाग चले गए । 6 व 7 अप्रैल को टाउन हाल के सामने पं. परमानन्द की अध्यक्षता में बनारस डिवीजन के नवयुवकों का सम्मेलन उत्साह एवं समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन बटुकेश्वर दत्त ने किया । सम्मेलन में बाहर से कई क्रान्तिकारी नेता तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष राजदेव सिंह तथा स्वागत मंत्री डोभी के श्रीराम लगन सिंह थे ।[47]

---

45. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 61.

46. वही.

47. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 21.

25 मई, 1939 को विजय बहादुर सिंह की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव सम्पन्न हुआ जिसमें भगवतीदीन तिवारी अध्यक्ष तथा रऊफ जाफरी प्रधानमंत्री चुने गए । रऊफ जाफरी मई 1939 के आरम्भ में विदेशी समाचार समिति 'रायटर' की नौकरी छोड़कर मछलीशहर आए और कांग्रेस कार्य में लग गए । 19 जून को प्रातः पुलिस ने जिले में विभिन्न स्थानों पर छापा मारा और तलाशी ली । नाथूपुर में तलाशी के बाद राजदेव सिंह गिरफ्तार किए गए । बघैला ग्राम में अनन्त बहादुर सिंह तथा बदलापुर के शिवमूर्ति सिंह भी उसी समय गिरफ्तार किए गए । 29 अप्रैल को बघैला ग्राम में पड़े डाके के सम्बन्ध में यह गिरफ्तारियां हुईं।[48] 21 जून को बिहार के शिक्षा मंत्री डॉ. सय्यद महमूद सायं 5 बजे जौनपुर आए । डॉ.महमूद को टाउन हाल पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से मान पत्र भेंट किया गया । डॉ. सय्यद महमूद रात्रि की गाड़ी से वापस पटना चले गए ।[49]

पुलिस ने 22 जून को पाली के माताप्रसाद तिवारी, 23 जून को जमालपुर के रामकरन शर्मा एवं सरायख्वाजा के ठाकुर प्रसाद सिंह और 24 जून को मीरगंज के शिवमूर्ति सिंह को गिरफ्तार किया । आगा जैदी को मछली शहर थाने में बन्द रखा गया और उनके घर की तलाशी लेकर उन्हें छोड़ दिया गया । आगा जैदी को पुलिस का मुखबिर बनने का प्रलोभन भी खुफिया पुलिस द्वारा दिया गया । मछलीशहर के मुकबिल हुसेन लखनऊ से गिरफ्तार कर यहां के जेल में बन्द किए गए। 29जून को सिकरारा के भगवती पाण्डेय गिरफ्तार करके जेल भेजे गए । बाद में बघैला ग्राम में पड़ी डकैती के आरोप में गिरफ्तार सभी नवयुवक दो-दो सौ रुपये की जमानत पर छोड़ दिए गए। 24 जुलाई को मुफ्तीगंज के निकट कटहरी ग्राम में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में नवयुवक कार्यकर्ता दुखहरन को गिरफ्तार किया गया ।[50] सभी गिरफ्तारियाँ नवयुवकों को डराने एवं हतोत्साहित करने

---

48. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 62.
49. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 21.
50. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ.62.

की दृष्टि से की गईं ।

3 सितम्बर, 1939 को मड़ियाहूँ में गोशाला पर तहसील ट्रेनिंग कैम्प का उद्घाटन डोभी के आचार्य बीरबल सिंह ने किया । आचार्य जी ने स्वयंसेवकों के कर्तव्य पर भाषण दिया । 9 सितम्बर को मोहनलाल सक्सेना गांधी जयन्ती मनाये जाने के सम्बन्ध में जौनपुर आए और सायंकाल टाउन हाल की सभा को सम्बोधित किया। गांधी जयन्ती के सिलसिले में 16 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक पूरे जिले में अनेक सभाएँ हुईं जिसमें जौनपुर के प्रायः सभी प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मिलित हुए । 20 सितम्बर, 1939 को प्रदेश कांग्रेस के दो मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा जेड.ए. अहमद जौनपुर आए । मंत्री द्वय ने कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं से वार्ता की और सायंकाल टाउन हाल के सामने एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया।[52]

द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने पर इंग्लैण्ड ने 3 सितम्बर, 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । 4 सितम्बर को भारत के वायसराय ने भारत के भी युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा , भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना भारत की ओर से की ।[53] 15 सितम्बर को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने घोषणा की कि भारत के लिए युद्ध और शान्ति की समस्याओं का निर्णय भारतीय जनमत द्वारा होना चाहिए । उदारवादियों ने कांग्रेस की घोषणा का समर्थन किया किन्तु मुस्लिम लीग ने सरकार को सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की । 23 अक्टूबर, 1939 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक प्रस्ताव पास करके सभी कांग्रेस मंत्रिमण्डलों से त्यागपत्र देने की संस्तुति की ।[54] 30 अक्टूबर को संयुक्त प्रान्त में पंत मंत्रिमण्डल ने अपना त्यागपत्र गवर्नर के पास भेज दिया जिसे गवर्नर ने 3 नवम्बर, 1939 को स्वीकार करते हुए

---

51. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 21.
52. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 21.
53. वी.पी. वर्मा, **फ्रीडम स्ट्रगल,** पृ. 105.
54. **दि पायनियर,** 24 अक्टूबर, 1939, पृ. 1.

भारत-शासन-विधान की धारा 93 के अनुसार संयुक्त प्रान्त का शासन अपने हाथ में ले लिया।[55]

11 नवम्बर, 1939 को जौनपुर में लाला लाजपत राय दिवस मनाया गया और टाउन हाल के सामने भगवतीदीन तिवारी की अध्यक्षता में एक सभा हुई । 23 नवम्बर को पतहना में भगवतीदीन तिवारी की अध्यक्षता में द्वितीय तहसील कान्फ्रेंस हुई जिसमें सायं 6 बजे केशवदेव मालवीय ने पहुँचकर जोरदार भाषण दिया । 23 दिसम्बर को कलापुर व मेहरांवा मण्डलों का संयुक्त सम्मेलन मखमेलपुर में हुआ । 26 तथा 27 दिसम्बर को बख्शा मण्डल की राजनैतिक कान्फ्रेंस शम्भूगंज बाजार में हुई ।[56]

13 जनवरी, 1940 को राजदेव सिंह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में गिरफ्तार किए गए और बाद में जमानत पर छोड़ दिए गए । 23 फरवरी को राजदेव सिंह पुनः बनारस के वारण्ट पर जौनपुर से गिरफ्तार कर बनारस ले जाए गए । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रावास में उनके कमरे कीतलाशी में आपत्तिजनक कविता प्राप्त होने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था।[57]
सन् 1938 से ही राजदेव सिंह जौनपुर में कई वामपक्षी ट्रेनिंग कैम्प चला चुके थे, दो साल के अन्दर ही जिले में काफी सैनिक तैयार हो चुके थे । सन् 1940 में राजदेव सिंह के जेल चले जाने के बाद यह काम कुछ शिथिल तो अवश्य पड़ गया था, लेकिन उन्होंने सैनिकों में जो आग फूँक दी थी, वह भीतर ही भीतर जल रही थी ।[58]

7 मार्च, 1940 को पं. जवाहरलाल नेहरु का जौनपुर जिले में पांचवीं बार आगमन हुआ। नेहरु जी दोपहर 12 बजे कार से मुंगरा बादशाहपुर आए । वहाँ ट्रेनिंग कैम्प का निरीक्षण करने के बाद सभा में भाषण दिया और मछलीशहर होते हुए शहर में साढ़े तीन बजे आए । जिला

---

55. **आज**, 5 नवम्बर, 1939, पृ. 4.
56. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 63.
57. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 22.
58. मन्मथनाथ गुप्त, **भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 389.

कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भेंट वार्ता करके पण्डित जी खड्गसेनपुर गए जहाँ 15-16 हजार की उपस्थिति वाली जनसभा को एक घण्टे तक सम्बोधित किया । नेहरु जी सायं साढ़े छः बजे शहर लौटे । उन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हाल में म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से मान पत्र भेंट किया गया । नेहरु जी साढ़े सात बजे प्रयाग वापस चले गए ।[59]

मार्च 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन राँची के पास रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में शुरू हुआ । रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस ने यह स्पष्ट रूप से घोषित किया कि उसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहायता देकर अपनी पराधीनता की अवधि में और वृद्धि करना नहीं है । परन्तु बाद में युद्ध की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के एक बहुत बड़े वर्ग में इंग्लैण्ड के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई ।[60] कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में जौनपुर के 50 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए ।[61]

6 अप्रैल, 1940को गांधी जी ने 'हरिजन' में लिखा - "हम लोग ब्रिटेन का विनाश करके स्वतंत्रता नहीं चाहते । अहिंसात्मक लड़ाई का यह तरीका नहीं है कि किसी की विपत्ति से फायदा उठाया जाए।"[62] 6 व 7 अप्रैल की रात्रि में वामपक्षी सैनिकों ने जौनपुर रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ के तार काट दिए जिससे रेलगाड़ियां घण्टों देर से आईं । पुलिस ने इस सम्बन्ध में दो नवयुवकों श्याम राज सिंह तथा लाल साहब को गिरफ्तार किया। राजदेव सिंह को बनारस में एक साल की कड़ी कैद की सजा मिली और वे 15 अप्रैल को जौनपुर जेल में लाए गए । आगा जैदी को हाकिम परगना मड़ियाहूँ ने 25 अप्रैल को एक साल की कैद और 50 रुपये जुर्माने की सजा दी।[63]

---

59. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 63.
60. सुशीलमाधव पाठक, **भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास**, पृ. 191 तथा एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ यू.पी., 1940.
61. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 21.
62. सुभाष चन्द्र बोस, **दि इण्डियन स्ट्रगल**, पृ. 344.
63. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 63.

20 मई को जवाहर लाल नेहरु ने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त जबकि ब्रिटेन अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में लगा हुआ है , इस समय सविनय अवज्ञा आन्दोलन को शुरू करना भारतीय परम्परा और आदर्शों के विरुद्ध होगा ।[64] महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरु नैतिकता और आदर्शों की बात करते रहे दूसरी तरफ जौनपुर में सरकार द्वारा गिरफ्तारियों का क्रम जारी रहा । 27 मई को राम नरेश सिंह को सुल्तानपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और दो दिन बाद जमानत पर छोड़े गए । 14 जून, 1940 को उन्हें एक वर्ष की कैद की सजा हुई । कांग्रेस के एक और नेता श्रीकृष्ण दास प्रयाग में गिरफ्तार किए गए और दो दिन बाद जमानत पर छोड़े गए । उन्हें भी 14 जून को एक वर्ष की कैद की सजा हुई । 4 जुलाई को पूरे जिले के कांग्रेस सैनिकों की रैली शहर में आयोजित की गई । इसके पश्चात् इसी प्रकार की रैलियां तहसीलों पर भी आयोजित की गईं ।[65]

बाबतपुर ट्रेन डकैती काण्ड

बाबतपुर ट्रेन डकैती काण्ड को जौनपुर जनपद के 'काकोरी काण्ड' की संज्ञा से विभूषित किया जा सकता है । इस काण्ड के मुख्य नायक शाहगंज तहसील के बढ़नपुर ग्राम के श्री कुंज बिहारी सिंह 'दादा' ही थे । यद्यपि इस काण्ड के सम्बन्ध में राजदेव सिंह और राय अम्बिका सिंह आदि भी अपने साथियों के साथ पुलिस के फंदे में खींचे गए, पर बाद में यह सिद्ध हो कि इस काण्ड में जौनपुर के उसी नव युवक संघ की भूमिका है जो क्रान्तिकारी गुप्त संगठन 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी आर्मी' से सम्बद्ध था । जौनपुर का यह क्रान्तिकारी संगठन अपने उद्देश्यों एवं शस्त्र आदि की पूर्ति के लिए ही सरकारी कोष की राजनैतिक लूट पाट करता था ।[66]

---

64. सुभाष चन्द्र बोस, **दि इण्डियन स्ट्रगल**, पृ. 344.
65. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 63.
66. स्वातंत्र्य संग्राम की समानान्तर धारा : क्रान्तिकर्मी एवं उनके साथी, **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 86-87.

जौनपुर के क्रान्तिकारियों ने 9 जुलाई की रात्रि में 9 बजे खालिसपुर और बाबतपुर (वाराणसी) स्टेशनों के बीच 170 डाउन पैसेन्जर ट्रेन के आर.एम.एस. डिब्बे से जाते हुए राजकीय कोष को लूट लिया । इस कार्यवाही की योजना कुंजबिहारी सिंह 'दादा' ने जून मास की सुन-सान रातों में जौनपुर नगर के ओलन्दगंज मुहल्ले की एक गुमटी में छिपकर, अपने एक विश्वस्त सहायक राम करण शर्मा के साथ बनाई थी । योजना को कार्यान्वित करने के लिए 'दादा' और राम करण शर्मा के अतिरिक्त 10 नवयुवक और चुने गए जिनके नाम हैं - सर्वश्री राम नरायन सिंह, विश्वनाथ सिंह, वंशराज यादव, सुखनन्दन, अच्छैवर, रघुराज सिंह, विभूतिनाथ, रामलखन सिंह (इटौरी), राम लखन सिंह (चोरारी) तथा राम पाल सिंह । इन सभी लोगों ने योजना को सफलता पूर्वक क्रियान्वित किया । ट्रेन रोकी गई, राजकीय कोष लूटा गया और घटनास्थल पर कोई भी पकड़ा न जा सका।[67]

बाबतपुर ट्रेन डकैती काण्ड के सम्बन्ध में 10 जुलाई , 1940 को क्षत्रिय स्कूल के छात्र राम नरायन सिंह गिरफ्तार कर लिए गए । 12 जुलाई को 5 अन्य छात्र गिरफ्तार किए गए । कुंज बिहारी सिंह और उनके अन्य साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए ।[68] सभी लोगों पर जिला-सेशन जज , वाराणसी के न्यायालय में राजद्रोह, षड्यंत्र और डकैती का अभियोग चला । अभियोग संख्या 48/41 (सम्राट् बनाम कुंज बिहारी सिंह एवं अन्य) में कुल 201 गवाह प्रस्तुत हुए। कुंज बिहारी सिंह 'दादा' तथा राम करण मिश्र को धारा 395 आई.पी.सी. के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई । राम नरायन सिंह को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा हुई । राम लखन सिंह (इटौरी) को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा हुई । सर्वश्री रामपाल सिंह, सुखनन्दन,अच्छैवर एवं विश्वनाथ सिंह दोषमुक्त कर दिए गए। रघुराज सिंह, वंशराज और विभूति नाथ उच्च न्यायालय के निर्णय तक जेल में ही रखे गए । स्वतंत्रता प्राप्ति पर सभी लोग रिहा किए गए ।[69]

---

67. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 87.
68. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 64.
69. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,**जौनपुर, पृ. 87.

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 7 जुलाई, 1940 को पारित अपने पूना प्रस्ताव में भारत को युद्धोपरान्त पूर्ण स्वाधीनता देने तथा तात्कालिक कदम के रूपमें राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने की शर्तों पर सरकार को पूर्ण सहयोग देने का निश्चय किया । कांग्रेसी प्रस्ताव के जवाब में 8 अगस्त, 1940 को वायसराय ने एक वक्तव्य दिया जिसे 'अगस्त प्रस्ताव' के नाम से जाना जाता है । अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि कुछ भारतीयों को अपनी परिषद् में लेकर एक युद्ध परामर्शदात्री परिषद् बनाई जाएगी, साथ ही यह घोषित किया गया कि युद्ध के पश्चात् भारतीयों को अपना विधान बनाने दिया जाएगा ।[70] कांग्रेस ने वायसराय के प्रस्ताव को साम्राज्यवादी हथकंडा कह ठुकरा दिया।

वायसराय की घोषणा से गांधी जी और कांग्रेस का रूख अंग्रेजी सरकार के प्रति कठोर होता गया । गांधी जी व्यापक पैमाने पर जन आन्दोलन शुरू करने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उससे अंग्रेजी सरकार की परेशानी बढ़ जाती, इसलिए गांधी जी ने द्वितीय विश्वयुद्ध में अंग्रेजों की सहायता नहीं करने के लिए सांकेतिक विरोध के रूपमें 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' शुरू करनेका निर्णय लिया।[71] 2 अक्टूबर , 1940 को गांधी जी ने 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' का एलान किया जिसमें कांग्रेस के चुने हुए नेता एक-एक करके सत्याग्रह करेंगे और अपने भाषण में यह प्रतिज्ञा दोहरायेंगे - "जन या धन से ब्रिटेन के युद्ध-प्रयत्न में सहायता देना गलत है ।"[72]

जौनपुर में गिरफ्तारियों और सजाओं का क्रम जारी रहा । जिले के प्रशिक्षित स्वयं सेवक वासुदेव सिंह को कानपुर में कांग्रेस स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देते समय गिरफ्तार किया गया । मछलीशहर नवयुवक संघ के कार्यकर्ता मुकबिल हुसेन पटना से गिरफ्तार कर जौनपुर लाए गए। उन्हें अप्रैल में दिए गए भाषण के लिए एक साल की कैद और 100 रुपये जुर्माने की सजा हुई । रामनरेश सिंह पर जो मुकदमा चल रहा था उसमें उन्हें एक साल की कैद और 500 रुपये जुर्माने

---

70. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ यू.पी., 1940, पृ. 5.
71. सुशीलमाधव पाठक, **भारतीय स्वाधीनता संग्राम काइतिहास**, पृ. 193.
72. हरिभाऊ उपाध्याय, **बापू कथा**, पृ. 171.

की सजा हुई । 8 अक्टूबर, 1940 को बेलवार के स्वामी सुरेश्वरानन्द तथ सरसरा मण्डल के अकबरी राम मौर्य गिरफ्तार किए गए । उन्हे हाकिम परगना मड़ियाहूँ ने डेढ़ वर्ष की सजा दी।[73] सन् 1940 के कांग्रेस आन्दोलन में जलालपुर के राम कुमार वैद्य द्वारा दिए गए किसी भाषण पर मुकदमा चलाकर उन्हें 9 माह का कठोर कारावास और 100 रुपये जुर्माना या जुर्माने के बदले में अतिरिक्त 3 माह के कठोर कारावास के दण्ड की सजा हुई ।[74] रमाशंकर लाल की धर्मपत्नी श्रीमती तारा देवी भी सन् 1940 के कांग्रेस आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार की गईं और भारतीय प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत 40 रुपये जुर्माना या जुर्माने के बदले 3 माह की कठोर कारावास की सजा हुई ।

13 अक्टूबर, 1940 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने महात्मा गांधी को मनचाहे ढंग से आन्दोलन शुरू करने की छूट दे दी । गांधी जी के विश्वस्त अनुयायी आचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना गया जिन्होंने वर्धा के पास पवनार आश्रम में 17 अक्टूबर , 1940 को 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' का श्रीगणेश यह भाषण देकर किया कि "जन या धन से ब्रिटेन के युद्ध-प्रयत्न में सहायता देना गलत है।" विनोबा जी को गिरफ्तार कर लिया गया।[75] अक्टूबर 1940 में सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके भाषण तथा लेखन की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी । इस अध्यादेश के विरोध में 12 नवम्बर, 1940 से जौनपुर के राष्ट्रीय पत्र 'समय' ने अग्रलेख लिखना बन्द कर दिया ।[76]

व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय सत्याग्रही पं. जवाहर लाल नेहरु थे जो 7 नवम्बर 1940

---

73. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 64.

74. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक**, वाराणसी डिवीजन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ. 115 एवं 160.

75. सुशीलमाधव पाठक, **भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास**, पृ. 193 तथा पट्टाभिसीतां रमैया, **कांग्रेस का इतिहास**, भाग 2, पृ. 241.

76. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 64.

को सत्याग्रह करने वाले थे, उन्हें इसके पहले ही गिरफ्तार कर 4 साल की कैद की सजा सुना दी गई।[77] 3 नवम्बर को जौनपुर में पं. जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी पर हड़ताल हुई और सायंकाल टाउन हाल के सामने भगवतीदीन तिवारी की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें सर्वश्री गजराज सिंह, द्वारका प्रसाद मौर्य तथा रमाशंकर लाल के भाषण हुए ।[78]

व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भी जौनपुर जिले की महत्वपूर्ण भूमिका रही । बाबू हरगोविन्द सिंह जिले के प्रथम सत्याग्रही बने । व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान जौनपुर में लगभग सात सौ लोगों ने युद्ध विरोधी नारे लगा कर गिरफ्तारी दी ।[79] हरगोविन्द सिंह ने 6 दिसम्बर, 1940 को पट्टी नरेन्द्रपुर ग्राम में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ करने की सूचना अधिकारियों को दी परन्तु वे एक दिन पूर्व ही वहां से गिरफ्तार कर जौनपुर लाए गए । 9 दिसम्बर को उन्हें एक वर्ष की कैद और 50 रुपये जुर्माने की सजा हुई । 26 दिसम्बर को पुलिस ने राम लखन सिंह (गोपालपुर , मड़ियाहूँ) के घर की तलाशी ली और आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त होने के कारण वे गिरफ्तार कर लिए गए ।[80]

जौनपुर जिल से 50 व्यक्तिगत सत्याग्रहियों की सूची प्रान्तीय कमेटी को स्वीकृति के लिए भेजी गई । जिले केदूसरे सत्याग्रही कांग्रेस अध्यक्ष श्री भगवतीदीन तिवारी 6 जनवरी, 1941 को धनियांमऊ में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले थे परन्तु उन्हें 5 जनवरी को ही घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया । उन्हें एक साल की कैद और 50 रुपये जुर्माने की सजा हुई । 7जनवरी को सिकरारा मण्डल के मंत्री ब्रह्मदेव सिंह, 8 जनवरी को चन्द्रपाल सिंह और 9 जनवरी को सिकरारा मण्डल के अध्यक्ष राजनारायण सिंह युद्ध विरोधी नारा लगाने पर गिरफ्तार किए गए । 11 जनवरी को बड़ागाँव मण्डल के प्रमुख चिन्ताचरण मिश्र हथकड़ी लगाकर जलालगंज थाने लाए गए । 11 जनवरी को ही बेलवार मण्डल के प्रधान मंत्री हीरालाल मिश्र गिरफ्तार किए गए । 17 जनवरी

---

77. एम.वी. रमनराव , **ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस**, पृ. 205-207.
78. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 64.
79. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 29.
80. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 65.

को गोपालपुर के रंजीत तिवारी भवानीगंज स्कूल पर सभा में भाषण करते हुए पकड़े गए । 21 जनवरी को पंवारा के स्वामी वासुदेवानन्द कुंवरपुर में सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार किए गए ।[81]

22 जनवरी, 1941 को जौनपुर जिला जेल में हाकिम परगना, जौनपुर ने 6 सत्याग्रहियों को इस प्रकार सजा दी - सर्वश्री ब्रह्मदेव सिंह, राजनरायन सिंह, चिन्ताचरण मिश्र, हीरालाल मिश्र, चन्द्रपाल सिंह को 9-9 माह की कैद और 25-30 रुपये जुर्माने की सजा दी गई । सभाजीत सिंह को एक साल की कैद की सजा हुई ।[82]

22 जनवरी, 1941 को भगवती प्रसाद मिश्र दहीरपुर में सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार किए गए । 25 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मेम्बर श्रीमती तारा देवी अपनेगांव पांडेपुर में सत्याग्रह के पूर्व ही गिरफ्तार की गईं।[83] 25 जनवरी को हाकिम परगना, मड़ियाहूँ ने 4 सत्याग्रहियों को इस प्रकार सजा दी - सर्वश्री गौरीगंज पाठक तथा भगवती प्रसाद मिश्र को 9 - 9 माह की कैद और 50-50 रुपये जुर्माने की सजा हुई । स्वामी वासुदेवानन्द को 6 माह की कैद और 25 रुपये जुर्माने की सजा हुई तथा रंजीत तिवारी को 9 माह की कैद और 25 रुपये जुर्माने की सजा हुई ।[84]

26 जनवरी, 1941 को जौनपुर में 'स्वाधीनता-दिवस'समारोह पूर्वक मनाया गया । प्रातः

---

81. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 21.
82. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 66.
83. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ.21.
84. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 66.

प्रभात फेरी और तीसरे पहर बैंड बाजे के साथ नगर में जुलूस निकाला गया। सायंकाल टाउनहाल पर दीप नारायण वर्मा की अध्यक्षता में सभा हुई । प्रतिज्ञा पढ़ी गई और जनता ने प्रतिज्ञा दोहराई ।[85] 27 जनवरी को अभयजीत दूबे गिरफ्तार हुए । 28 जनवरी को सराय रुस्तम में बद्रीनाथ तिवारी सत्याग्रह करने के बाद गिरफ्तार किए गए । जौनपुर जिले में सत्याग्रह का प्रथम दौर 31 जनवरी, 1941 को समाप्त हुआ । सत्याग्रहियों की जो सूची महात्मा गांधी के पास भेजी गई थी, वह आ गई । अतः 17 फरवरी, 1941 से जिले में व्यक्तिगत सत्याग्रह पुनः आरम्भ हुआ । 17 फरवरी से 24 फरवरी तक जौनपुर के विभिन्न मण्डलों से 18 सत्याग्रही गिरफ्तार गिए गए ।[86]

25 फरवरी, 1941 को हाकिम परगना, शाहगंज ने 17 फरवरी से 24 फरवरी तक गिरफ्तार सत्याग्रहियों को 6 - 6 माह की कैद और 20-25 रुपये जुर्माने की सजा दी । 25 फरवरी से 2 मार्च तक जौनपुर के विभिन्न मण्डलों से 14 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए । 20 मार्च, 1941 को इन सत्याग्रहियों के मुकदमों की सुनवाई हाकिम परगना जौनपुर के यहाँ हुई और सभी सत्याग्रहियों को जो सजाएं दी गईं उनकी सूची इस प्रकार है -[87]

---

85. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 66.

86. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 22.

87. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय,** पृ. 67 तथा

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, वाराणसी डिवीजन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ.89-198.

क्र.सं.	नाम	मण्डल	माह	रुपया
1.	बलदेव सिंह	महाराजगंज	6	25
2.	सूर्यनाथ उपाध्याय	सिकरारा	9	100
3.	मुसाफिर सिंह	जफराबाद	6	50
4.	लालजी तिवारी	पाली	9	25
5.	बेचू साहू	बरईपार	6	25
6.	राम तवक्कल	तेजीबाजार	6	25
7.	रुद्रदत्त गिरि	केराकत	6	25
8.	रामपाल त्रिपाठी	बेलवार	6	25
9.	मानिकराम तिवारी	बेलवार	6	26
10.	सुबेदार सिंह	बड़ेरी	9	30
11.	बासदेव यादव	मछलीशहर	6	20
12.	बंसराज दुबे	रामपुर	6	25
13.	गुरुचरण	मुस्तफाबाद	6	25
14.	भगवत प्रसाद वैद्य	बेलवार	6	30

जौनपुर में 4 मार्च से 11 मार्च, 1941 तक 24 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए।[88]

---

88. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 22.

सत्याग्रहियों का तथा उनको दी गई सजाओं का विवरण निम्नलिखित है[89]

क्र.सं.	नाम	मण्डल	माह	रुपया
1.	ध्रुवराज सिंह	चन्दवक	9	30
2.	भगवान दीन मौर्य	बेलवार	9	20
3.	राज् किशोर मिश्र	बभनियांव	9	20
4.	राम अधार	सिंगरामऊ	9	10
5.	मारकण्डेय सिंह	मेहरावां	9	40
6.	अर्जुन सिंह	बख्शा	9	30
7.	नागेश्वर मौर्य	सिकरारा	9	30
8.	मारकण्डेय सिंह	खर्गसेनपुर	9	25
9.	राम पाल सिंह	सिंगरामऊ	2 वर्ष	500
10.	राम शरण	कुंवरपुर	9 माह	40
11.	शीतला नन्द	मड़ियाहूँ	9	30
12.	जंगल दूबे	खुटहन	9	40
13.	वाइसराय दूबे	केराकत	9	25
14.	राम निहोर यादव	पाली	9	25
15.	ब्रह्मानन्द संन्यासी	इटाएं	9	25
16.	रामयश मौर्य	बेलवार	9	25
17.	गिरिजा शंकर	महराजगंज	3	25
18.	रामनाथ सिंह	कुंवरपुर	12	150
19.	मधुसूदन पांडे	जलालपुर	6	25
20.	रामगोविन्द पांडे	मड़ियाहूँ	1	75
21.	जीतननरायन	हरदीपुर	1	100
22.	यज्ञ नरायन	बेलवार	1	150
23.	नज्जू राम कुर्मी	सरसरा	1/2	100
24.	राजेन्द्र प्रसाद चौबे	खर्गसेनपुर	1/2	150

89. स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक, **समय**, पृ. 67 तथा
स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, वाराणसी डिवीजन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ.89-198.

जौनपुर में 12 मार्च से 14 मार्च तक होलीके कारण सत्याग्रह बन्द रहा । 15 मार्च से 31 मार्च तक 79 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तीन अध्यापकों ने भी सत्याग्रह में भाग लेने के लिए बोर्ड से एक वर्ष की छुट्टी ली । 2 से 5 अप्रैल तक जिले में 77 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए । 6 अप्रैल से 15 अप्रैल, 1941 तक 'राष्ट्रीय सप्ताह' मनाये जाने के कारण सत्याग्रह स्थगित रहा । 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जिले में 55 सत्याग्रही गिरफ्तार हुए । 30 अप्रैल, 1941 तक जिले में 285 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए । 15 लाख भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए । 1 मई से 15 मई , 1941 तक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार सत्याग्रह स्थगित कर दिया था । अप्रैल में अधिकतर सत्याग्रहियों को 10 से 15 दिन की सजा तथा 10 रुपये से 50 रुपये तक जुर्माना हुआ । केवल जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों सर्वश्री आद्या सिंह, काशी नरेश सिंह तथा रमाकान्त दूबे को 1 माह की कैद और 100 रुपये जुर्माने की सजा हुई । श्री रऊफ जाफरी को 6 माह और शिव वर्ण शर्मा को एक साल की कैद की सजा हुई ।[90]

डोभी के आचार्य बीरबल सिंह ने भी व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया । आचार्य जी को काशी विद्यापीठ स्थिति उनके आवास से 10 मई, 1941 को गिरफ्तार कर नजर-बन्द कर दिया गया। आचार्य जी को कुछ दिन बनारस जेल में रखा गया और बाद में उन्हें आगरा सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया । आचार्य जी 21 नवम्बर, 1941 को आगरा सेन्ट्रल जेल से मुक्त हुए ।[91] 11 मई, 1941 को डोभी के श्री राम लगन सिंह को वाराणसी में जगतगंज में स्थित उनके मित्र डॉ. स्वामी नाथ सिंह के मकान से गिरफ्तार कर लिया गया । उन्हें भी कुछ दिन बनारस जेल में रखकर बाद में आगरा सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया जहाँ से वे फरवरी 1942 में मुक्त हुए।[92]

---

90. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 22.
91. आचार्य बीरबल सिंह स्मारिका, श्री गणेश राय कालेज डोभी जौनपुर (1982-83) में प्रकाशित पद्म भूषण डॉ. जयदेव सिंह के संस्मरण, पृ. 1.
92. आचार्य बीरबल सिंह स्मारिका, डोभी जौनपुर (1982-83) में प्रकाशित श्री राम लगन सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष, जिला परिषद्, जौनपुर कालेख, पृ. 16.

14 मई, 1941 को जौनपुर में विभिन्न स्थानों तथा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की तलाशी हुई और पुलिस बहुत से कागजात उठा ले गई । शहर में दीप नरायन वर्मा, रमाशंकर लाल तथा राम बिहारी शुक्ल के घरों की तलाशी ली गई । पुलिस दीप नरायन वर्मा को वारंट दिखा कर अपने साथ ले गई । 14 मई को ही जलालगंज, बड़ागांव, महराजगंज, मुस्तफाबाद, बेलवार, तेजीबाजार, सिकरारा और कुंवरपुर मंडलों के कार्यालयों की भी तलाशी ली गई । 16 मई से 13 जून तक जौनपुर में 28 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए । 10 जुलाई को रमाशंकर लाल तथा बैकुण्ठ नाथ श्रीवास्तव भारत रक्षा कानून में गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए । 14 जुलाई को चन्दवक के राम नरेश सिंह उर्फ 'साहब सिंह' सत्याग्रह के पूर्व ही पकड़ लिए गए । 21 जुलाई को इटाएं मण्डल के रामराज सत्याग्रह की नोटिस देने के बाद गिरफ्तार किए गए। उन्हें 2 माह के कैद की सजा दी गई । 24 जुलाई को बरईपार मंडल के माता प्रसाद मौर्य अपनी सजा काटकर जेल से रिहा हुए और उसी दिन कलेक्टरी कचहरी के रेक्रूटिंग कार्यालय के सामने युद्ध विरोधी नारे लगाकर पुनः जेल गए ।[93]

5 सितम्बर को मीरगंज मंडल के राम दुलार सिंह नोटिस देकर सत्याग्रह करने के बाद गिरफ्तार किए गए । 12 सितम्बर को शहर में राम बिहारी शुक्ल, द्वारका प्रसाद मौर्य तथा शम्भू नाथ के घरों की तथा कांग्रेस कार्यालय की तलाशी ली गई और राम बिहारी शुक्ल को गिरफ्तार किया गया । 13 व 14 सितम्बर, 1941 को जौनपुर में बनारस मंडल का द्वितीय सम्मेलन हुआ। ओलन्दगंज से जुलूस निकाला गया जो रासमंडल में सभा स्थल पर आकर समाप्त हुआ । शम्भू नाथ के स्वागत भाषण के बाद द्वारका प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ तथा कई प्रस्ताव पारित किए गए । 7 अक्टूबर को मड़ियाहूँ में दीप नरायन शुक्ल की अध्यक्षता में तहसील कान्फ्रेंस सम्पन्न हुई ।[94]

जौनपुर के कुछ क्रान्तिकारियों का व्यक्तिगत सत्याग्रह में विश्वास नहीं था जिसमें

---

93. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 22.

94. **वही.**

मछलीशहर तहसील के ग्राम पड़री के निवासी राय अम्बिका सिंह प्रमुख थे । इनके चाचा बंगाल में रहते थे । राय अम्बिका सिंह वहां जाते थे और वहीं पर इनका सम्पर्क क्रांतिकारियों से हो गया। सन् 1941 में राय अम्बिका सिंह जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे । गांधी जी ने इन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए लिखा । राय अम्बिका सिंह ने गांधी जी कोलिखा कि - "महात्मा जी, आपके सत्य और अहिंसा में मेरा विश्वास नहीं है ।" फिर गांधी जी ने लिखा कि , "सत्य में तो आंपका विश्वास है क्योंकि आपने सत्य बातें लिखीं हैं । अहिंसा में आपका विश्वास नहीं है तो आप सत्याग्रह न करें ।" राय अम्बिका सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग नहीं लिया ।[95]

द्वितीय विश्वयुद्ध की तात्कालिक स्थिति और अमेरिकी राष्ट्रपति डी. रुजवेल्ट के आग्रह के कारण सरकार ने 3 दिसम्बर, 1941 को सामान्य अपराध के सत्याग्रहियों को रिहा करने के आदेश दिए । दिसम्बर 1941 में पं. जवाहर लाल नेहरु और मौलाना अबुल कलाम आजाद को रिहा कर दिया गया । गांधी जी सत्याग्रहियों की मुक्ति पर पसन्न नहीं थे । वे सत्याग्रह जारी रखने के पक्ष में थे लेकिन उन्होंने यह बात कांग्रेस कार्यसमिति की इच्छा पर छोड़ दी । अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अत्यधिक गम्भीर होती जा रही थी और भारत की सुरक्षा भी संकट में थी इसलिए दिसम्बर 1941 के अन्तिम सप्ताह में बारडोली में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने अपनी बैठक में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया।[96]

जौनपुर में भी अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के निर्णय का अनुसरण करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन को समाप्त कर दिया गया । जिले में 5 दिसम्बर, 1940 से

---

95. माता प्रसाद, राज्यपाल, अरुणांचल प्रदेश का कांग्रेस शताब्दी स्मारिका, जौनपुर में प्रकाशित लेख, पृ. 52.
96. रजनी पाम दत्त , **इण्डिया टुडे**, पृ. 557 तथा
    पुखराज जैन, **भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 257.

आरम्भ व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान कुल 335 नोटिस जिलाधीश के पास भेजी गई । 15 - 16 लोग या तो गिरफ्तार नहीं हुए या माफी मांग कर छूट गए । 310 सत्याग्रहियों को सजा हुई । 40 सत्याग्रहियों को छोड़कर शेष सजा भुगत कर छूटे । सत्याग्रहियों के अतिरिक्त 25 कांग्रेस कार्यकर्ता जौनपुर, काशी तथा प्रयाग आदि जिलों में गिरफ्तार किए गए । सबसे कम एक दिनतथा सबसे अधिक 2 वर्ष और 500 रुपये जुर्माने की सजाएँ हुईं । सत्याग्रहियों पर कुल जुर्माना लगभग दस हजार रुपये हुआ । तहसील मछलीशहर से 120, जौनपुर से 65, मड़ियाहूँ से 50, केराकत और शाहगंज से 36-36 सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। जौनपुर में 10 दिसम्बर से 15 दिसम्बर , 1941 तक सभी बन्दी रिहा कर दिए गए । 15 दिसम्बर के बाद भी डोभी के श्री राम लगन सिंह और नाथूपुर के श्री राजदेव सिंह आगरा जेल और श्रीकृष्ण दास नैनी जेल में नजरबन्द रहे ।[97]

इस प्रकार अन्य आन्दोलनों की तरह व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भी जौनपुर जिले की महत्वपूर्ण भूमिका रही । 1934-35 की राजनैतिक शिथिलता के पश्चात् भारतीय शासन अधिनियम,1935 के अन्तर्गत संयुक्त प्रान्त में जब निर्वाचन हुए तब जौनपुर में दोनों स्थानों पर कांग्रेस प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी हुए । इस विजय ने जौनपुर में कांग्रेस के प्रभाव को स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल के गठन से कांग्रेसियों को लोक प्रशासन का व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त हुआ।

संयुक्त प्रान्त में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने राजनैतिक बंदियों की रिहाई तथा कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का सफल प्रयास करके जनता में कांग्रेस के विश्वास को दृढ़ किया। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किए गए सुधारों से जनता को विशेष राहत मिली । साम्प्रदायिक समस्या का समाधान करने के लिए अनेक प्रयास किए गए किन्तु दुर्भाग्यवश इस जटिल समस्या का हल नहीं निकल सका और कांग्रेस की अदूरदर्शिता से मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन मिला।[98]

---

97. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 22.

98. अबुल कलाम आजाद, **इण्डिया विन्स फ्रीडम**, पृ. 161.

कुछ लोगों का मत है कि आन्दोलन को समाप्त कर देना कांग्रेस की भूल थी परन्तु गांधी जी ने अपनी महानता का परिचय दिया क्योंकि वे किसी भी दयनीय स्थिति से लाभ उठाना भी हिंसा समझते थे। देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी आन्दोलन को समाप्त करना समीचीन था। मन्मथनाथ गुप्त जैसे क्रान्तिकारियों की दृष्टि में भी वैयक्तिक सत्याग्रह बिल्कुल व्यर्थ नहीं था। मन्मथनाथ गुप्त ने लिखा है - "फिर भी यह नहीं कहा जा सकता हे कि वैयक्तिक सत्याग्रह आन्दोलन बिलकुल व्यर्थ गया । कुछ न करने से प्रतीकवादी संग्राम ही अच्छा था क्योंकि अब तो ऐसी हालत पहुँच चुकी थी कि युद्ध के विरुद्ध उठाई हुई उँगली भी हितकर थी।"[99] ब्रिटिश सरकार को युद्ध में जन और धन के रूप में दी जाने वाली सहायता में भारी कटौती करने के उद्देश्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन काफी अंशों तक सफल रहा ।

---

99. मन्मथनाथ गुप्त, **भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 350.

अध्याय : 6

भारत छोड़ो आन्दोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति

भारत छोड़ो आन्दोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति

सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में जौनपुर जिले की अति महत्वपूर्ण भूमिका रही। जौनपुर स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। जब-जब कांग्रेस की लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हुई, जौनपुर जिले ने अपना हिस्सा अदा किया। सन् 1942 का यह आन्दोलन जौनपुर के नौजवानों को काफी प्रिय मालूम हुआ, और उसमें वे दिल खोलकर कूद पड़े। जौनपुर जिले की क्रान्ति की यह विशेषता थी कि वह बहुत दिनों तक टिका रहा। दूसरी जगहों के आन्दोलन ज्यादा-से-ज्यादा दो हफ्ते में शिथिल पड़ गए लेकिन यहाँ का आन्दोलन सालों तक चलता रहा।[1]

8 अगस्त, 1942 को बम्बई में 'भारत छोड़ो' के प्रस्ताव के पारित होने और 9 अगस्त को राष्ट्रीय नेताओं की व्यापक गिरफ्तारी के पूर्व तक जौनपुर में शान्तिपूर्वक स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह, तहसील कान्फ्रेंस तथा रैलियाँ आयोजित की जाती रहीं। 26 जनवरी, 1942 को शहर में स्वतंत्रता दिवस रामेश्वर प्रसाद सिंह के आहते में प्रातः झण्डा फहरा कर और सायं एक सभा करके उत्साहपूर्वक मनाया गया। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1942 तक जौनपुर में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया और 11 सौ रुपये की खादी बेची गई। 13 अप्रैल को हनुमान घाट पर एक सार्वजनिक सभा हुई। 15 अप्रैल को जौनपुर में राजदेव सिंह दिवस मनाया गया और उनकी रिहाई की मांग की गई।[2]

17 मई, 1942 को केराकत में मोहन लाल सक्सेना की अध्यक्षता में तहसील कान्फ्रेंस हुई, जिसमें आचार्य बीरबल सिंह, दीप नरायन वर्मा, राम नरेश सिंह, रऊफ जाफरी तथा श्रीकृष्ण दास

---

1. मन्मथनाथ गुप्त, **भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 389-91.
2. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ.22.

के भाषण हुए। जून तथाजुलाई, 1942 में जौनपुर में विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस सैनिकों की रैलियां हुईं। 20 से 24 जून, 1942 तक मछलीशहर तहसील के सुजानगंज, महराजगंज, मीरगंज, कुंवरपुर और मुस्तफाबाद मण्डलों में कांग्रेस सैनिकों की रैलियां हुईं । 20 जुलाई को शहर में भी एक रैली हुई जिसमें केशवदेव मालवीय का भाषण हुआ ।[3]

ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अपनी साम्राज्यवादी विचारधारा के कारण कांग्रेस के साथ बराबर के स्तर पर वार्ता करना अपना अपमान समझते थे लेकिन 1942 के प्रारम्भ से ही युद्ध स्थिति ने ऐसा रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश शासनके लिए भारतीय नेताओं के साथ मित्रतापूर्ण समझौता करना आवश्यक हो गया। दिसम्बर, 1941 से एशिया में जापान का विजय-अभियान जारी रहा। जापानियों ने पश्चिमी प्रशान्त पर विजय पाने के बाद सिंगापुर, मलाया, इण्डोनेशिया एवं इण्डो-चाइना पर विजय प्राप्त कर ली । मार्च, 1942 में बर्मा पर जापानी आक्रमण तेजी से होने लगा जिसके परिणामस्वरूप युद्ध का खतरा शीघ्र ही भारत के दरवाजे पर आ पहुँचा । बर्मा में ब्रिटिश सेना की बुरी तरह पराजय हुई ।[4]

जापान ने भारत जैसे देशों में लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए 'एशिया सिर्फ एशियावासियों के लिए है' का नारा दिया था । इसी वक्त सुभाषचन्द्र बोस जर्मनी होते हुए जापान गए तथा उन्होंने बर्मा के पतन के बाद भारतीय सैनिकों और अफसरों को मिलाकर 'आजाद हिन्द फौज' का गठन किया जिसका उद्देश्य जापानी सहायता से भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना था। सुभाष बाबू के भाषण रेडियो से प्रसारित होते और लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते थे । इन परिस्थितियों में भी महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने बहुत विवेक से कामलिया तथा वे लोग जापानी प्रचार से प्रभावित नहीं हुए ।[5] गांधी जी ने जापानी प्रचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए

---

3. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 23.
4. सुशीलमाधव पाठक, **भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास**,पृ. 194.
5. **वही**.

कहा - "ब्रिटिश राज्य को किसी दूसरे विदेशी शासनों से बदलने के लिए मैं जरा भी तैयार नहीं हूँ । जिस दुश्मन को मैं नहीं जानता उससे तो वही दुश्मन अच्छा, जिसे मैं कम-से-कम जानता तो हूँ।"[6]

ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीयों के असंतोष को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रुजवेल्ट ने ब्रिटिश सरकार पर भारतीय गतिरोध को समाप्त करने के लिए दबाव डाला। रुजवेल्ट ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को सुझाव दिया कि भारतीय नेताओं से वार्ता करके एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जाए जिसमें भारत के सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के प्रतिनिधि हों और इस सरकार को भारत की औपनिवेशिक सरकार माना जाए । रुजवेल्ट को यह आशा थी कि भारत के लोग जापानी साम्राज्यवाद के खतरों के प्रति जागरुक होकर ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत शान्तिपूर्ण ढंग से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे । अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने यह भी सुझाव दिया कि यह प्रस्ताव लन्दन से होना चाहिए और भारतीयों को यह शक न हो कि यह प्रस्ताव मजबूरी में अथवा अनिच्छापूर्वक किया जा रहा है ।[7]

11 मार्च, 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन्स में यह घोषणा की कि "ब्रिटिश सरकार भारत पर जापानी आक्रमण रोकने के लिए भारत के सभी तबकों और शक्तियों का सहयोग प्राप्त करने की इच्छा रखती है ।" इसी उद्देश्य से चर्चिल-मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय नेताओं से भारत की आजादी के विषय में बातचीत करने के लिए 22 मार्च, 1942 को दिल्ली पहुँचे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स की यह विशेषता थी कि वे भारत के शुभ चिन्तकों में थे । उनका महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरु से घनिष्ट परिचय था तथा वे एक प्रसिद्ध निरामिष भोजी

---

6. हरिभाऊ उपाध्याय, **बापू कथा**, पृ. 173.
7. रॉबर्ट ई. शरवुड, रुजवेल्ट एण्ड हॉपकिन्स, पृ. 511-12.

अंग्रेज थे । क्रिप्स के भारत आगमन को 'क्रिप्स मिशन' कहा जाता है ।[8]

सर स्टैफर्ड क्रिप्स सम्राट की सरकार की ओर से जो प्रस्ताव अपने साथ लाए थे वे एक मसविदे के रूप में था । इन प्रस्तावों में एक अन्तरिम और एक दीर्घकालीन समझौता रखा गया था। इनमें भारत का राजनैतिक लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य बताया गया था ; भारत सभी बातों में उन सभी उपनिवेशों के समान होगा जो सम्राट के प्रति भक्ति रखते हैं और युद्ध के बाद भारत का संविधान एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा । इस सभा में रियासतों के भाग लेने की भी व्यवस्था की जाएगी । इस सभा द्वारा अन्तिम रूप से निर्मित संविधान ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा किन्तु ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रान्त को अधिकार होगा कि वह संविधान को अस्वीकार कर दे । क्रिप्स प्रस्तावों में संविधान सभा के चुनाव की विधि और स्वरूपकी रूपरेखा भी दी गई थी । इसके साथ यह भी उल्लेख किया गया था कि नया संविधान बनने तक ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा के लिए उत्तरदायी होगी ।[9]

क्रिप्स प्रस्तावों में संविधान सभा के निर्माण का वचन देकर कांग्रेस को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया गया था और साथ ही यह व्यवस्था रख कर कि कोई भी प्रान्त नये संविधान को अस्वीकार करने और ब्रिटिश सरकार की सहमति से अपने लिए नया संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र होगा, मुस्लिम लीग को भी प्रसन्न करने का प्रयत्न किया गया था।[10] क्रिप्स मिशन के साथ विभिन्न दलों के नेताओं ने विचार-विमर्श किया किन्तु कोई हल नहीं निकल सका । भारतीय रक्षा का प्रश्न समझौते के मार्ग में अनुल्लंघ्य बाधा बन गया । कांग्रेस का विचार था कि यदि उसे युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना है तो भारत की रक्षा का दायित्व उसके अपने हाथों में

---

8. सुशीलमाधव पाठक, **भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास**, पृ. 193-94.
9. भुवनेश्वर सिंह गहलौत, **पूर्वी उत्तरप्रदेश में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 108.
10. ईश्वरी प्रसाद, **अर्वाचीन भारत का इतिहास**, पृ. 540.

रहना चाहिए। कांग्रेस के प्रति अविश्वास के कारण ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को यह भार सौंपने को तैयार न हुई ।[11]

क्रिप्स प्रस्तावों का सारा दारोमदार ब्रिटेन द्वारा युद्ध जीतने पर निर्भर था । ब्रिटेन कब युद्ध जीतेगा, यह भविष्य के गर्भ में था । इन प्रस्तावों के क्रियान्वित होने से भारत के कई टुकड़े होने की सम्भावना थी । गांधी जी ने इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा - "क्रिप्स प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनाये जा सकने वाला चेक है ।" भारत का जनमत भी इन प्रस्तावों से खुश नहीं था क्योंकि इससे जिन्ना की पाकिस्तान की माँग जो अब तक एक कल्पना मानी जाती थी, इन प्रस्तावों के द्वारा एक राजनीतिक सम्भावना में बदल गई थी ।[12]

कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्तावों को बिल्कुल निराशाजनक और निस्सार माना । कांग्रेस भारत की राजनैतिक स्थिति में शीघ्र परिवर्तन के पक्ष में थी, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में सबकुछ युद्ध के बाद तक स्थगित कर दिया गया था । युद्ध संचालन का पूरा दायित्व ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहने से कांग्रेस के नेता असंतुष्ट थे । पं. जवाहर लाल नेहरु ने लिखा है - "इन प्रस्तावों में जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दी गई थी उस पर भी इस तरह के अंकुश लगा दिए गए थे जिससे भारत का भविष्य ही खतरे में पड़ सकता था ।"[13] गांधी जी की क्रिप्स प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया और भी स्पष्ट और तीखी थी । उन्होंने स्टैफर्ड क्रिप्स से कहा - "यदि आपके प्रस्ताव यही थे, तो आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? यदि भारत के सम्बन्ध में आपकी यही योजना है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अगले ही हवाई जहाज से ब्रिटेन लौट जाएं ।"[14]

---

11. **आज**, 11 अप्रैल, 1942, पृ. 6.
12. सुशीलमाधव पाठक, **भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास**, पृ. 197.
13. जवाहरलाल नेहरु, **डिस्कवरी ऑफ इण्डिया**, पृ. 454.
14. बी.आर. नन्दा, **महात्मा गांधी**, पृ. 451.

अप्रैल 1942 में कांग्रेस-कार्य-समिति ने एक प्रस्ताव पास करके क्रिप्स प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया । इस प्रस्ताव में कहा गया कि एक स्वतन्त्र और स्वाधीन भारत ही भारत की रक्षा करने में समर्थ हो सकता है । क्रिप्स प्रस्तावों से तो भारत में अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। मुस्लिम लीग की कार्य-समिति ने भी इसके बाद क्रिप्स प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया । इस प्रकार क्रिप्स मिशन असफल रहा और सर स्टैफर्ड क्रिप्स 12 अप्रैल, 1942 को निराश होकर लंदन लौट गए । क्रिप्स ने अपनी असफलता का सारा दोष गांधी जी के सिर मढ़ दिया ।[15]

भारतीय जन मानस में इस विश्वास को बल मिला कि क्रिप्स मिशन से सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलाप एक राजनैतिक धूर्तता थी । लखनऊ के पत्र 'नेशनल हेराल्ड' ने क्रिप्स आयोग पर टिप्पणी करते हुए लिखा - "क्रिप्स आयोग अमेरिकी दबाव का परिणाम था । क्रिप्स को इसलिए भेजा गया था कि दुनिया के लोगों को यह बताया जाए कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आजादी देना चाहती है लेकिन भारतीय नेता आजादी लेने को तैयार नहीं हैं ।"[16] महात्मा गांधी ने अप्रैल 1942 में 'हरिजन' पत्र के माध्यम से घोषणा की कि - "भारत के लिए चाहे जो परिणाम हों, उसकी (भारत) और ब्रिटेन की सुरक्षा इसी में है कि अंग्रेज समय रहते अनुशासित रूप से भारत को छोड़कर चले जाएं।"[17] गांधी जी का यह वक्तव्य आगामी भारत छोड़ो आन्दोलन का आधार बना।

14 जुलाई, 1942 को वर्धा में कांग्रेस-कार्य-समिति की बैठक हुई और यह प्रस्ताव पास किया गया कि यदि अंग्रेजों ने भारत से चले जाने की माँग स्वीकार न की तो कांग्रेस को अनिच्छापूर्वक बाध्य होकर अपने नियंत्रण में विद्यमान समस्त अहिंसात्मक शक्ति को काम में लाना

---

15. सुशीलमाधव पाठक, **भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास**, पृ. 198.
16. **नेशनल हेराल्ड**, 24 अप्रैल, 1942.
17. **हरिजन**, 26 अप्रैल, 1942, पृ. 23.

पड़ेगा और महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशव्यापी संघर्ष छेड़ना पड़ेगा । वर्धा प्रस्ताव को मूर्त रूप देने तथा अन्तिम निर्णय लेने के लिए 7 अगस्त, 1942 को बम्बई में कांग्रेस महासमिति की बैठक बुलाई गई ।[18]

वर्धा प्रस्ताव के निश्चय के अनुसार 7 और 8 अगस्त, 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति ने पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव 8 अगस्त, 1942 को पारित कर दिया । इस प्रस्ताव को पं. जवाहरलाल नेहरु ने पेश किया था। गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष 70 मिनट तक विद्वतापूर्ण और जोशीला भाषण दिया । डॉ. पट्टाभि सीतारमैया ने कहा है कि , "वास्तव में गांधी जी उस दिन एक अवतार और पैगम्बर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे ।"[19] गांधी जी ने अपने भाषण के अन्त में 'करो या मरो' का इतिहास प्रसिद्ध नारा दिया । अपने देशवासियों के लिए गांधी जी का संदेश था - "या तो आजादी प्राप्त कर लो या इस प्रयास में मर मिटो । करो या मरो । अंग्रेजी राज से हमारी यह सीधी लड़ाई है । आप लुक छिपकर कोई कार्य न करें ।"[20]

कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रभावहीन और निष्क्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरु, मौलाना आजाद, सरदार पटेल आदि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को प्रातः एक बजे गिरफ्तार कर लिया गया । इन गिरफ्तारियों पर देश भर में बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई । कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जो आन्दोलन शुरू हुआ, उसने क्रान्ति का रूप धारण कर लिया । सारे देश में 'अंग्रेजों भारत छोड़ दो' , 'अंग्रेजी राज का नाश हो', का नारा बुलन्द हो गया । खास तौर

---

18. गुप्तचर विभाग के अभिलेख.
19. पुखराज जैन, **स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 114-15.
20. एम. वी. रमनराव, **ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ नेशनल कांग्रेस**, पृ. 181.

से उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, बम्बई में जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत का झण्डा उठा लिया । अंग्रेजी राज का दमन-चक्र बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बम्बई, दिल्ली आदि शहरों में चलने लगा । इसके परिणामस्वरूप गांधी जी की हिदायतों के बावजूद यह आन्दोलन अहिंसक नहीं रह गया क्योंकि सरकारी दमन-चक्र ने जनता को इतना उत्पीड़ित कर दिया कि वह अपना धीरज गंवा बैठी ।[21] कांग्रेस के नेताओं को कहां गिरफ्तार कर रखा गया था, इस बात को सरकार ने अत्यन्त गुप्त रखा था । लगभग एक महीने बाद देश की जनता को पता चला कि जवाहरलाल नेहरु, मौलाना आजाद, आचार्य नरेन्द्र देव आदि नेता महाराष्ट्र के अहमद नगर किले में बन्दी बनाकर रखे गए थे तथा महात्मा गांधी पूना के आगा खां महल में बन्दी थे ।[22]

9 अगस्त, 1942 को बम्बई में महात्मा गांधी तथा अन्य शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही सारे देश में कांग्रेसजनों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। जौनपुर में भी पुलिस ने 10 बजे दिन में शहर तथा जिला कांग्रेस कार्यालयों की तलाशी ली और सब कागजात उठा ले गई । जिले के प्रधान भगवती दीन तिवारी तथा शहर के प्रधान दीपनरायन वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया । जिले में कई कांग्रेसजनों के घरों की तलाशी ली गई परन्तु उनके घरों में न मिलने पर गिरफ्तारी नहीं हुई । देहात से रामनरेश सिंह, अभय जीत दूबे, स्वामी सुरेश्वरा नन्द, नागेश्वर द्विवेदी, रऊफ जाफरी आदि गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए ।[23]

जौनपुर में भारत छोड़ो आन्दोलन 10 अगस्त, 1942 को प्रारम्भ हुआ, जब 9 अगस्त को महात्मा गांधी तथा अन्य शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार प्राप्त हुआ।[24] सोमवार को स्कूल खुलने पर 10 बजे क्षत्रिय कालेज से छात्रों का एक बृहद जुलूस निकला जो नगर के सभी

---

21. सुशीलमाधव पाठक, **भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास**, पृ. 203.
22. सुशीला नैयर, **बापू की कारवास कहानी** (दिल्ली, 1969), पृ. 49.
23. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 23.
24. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर** जौनपुर, 1986, पृ. 52.

स्कूलों से होता हुआ जेल पर पहुँचा । पुलिस ने उन्हें बेंत मारकर भगा दिया । रेहटी के दिवाकर सिंह ने हटने से इन्कार कर दिया, इसपर पुलिस ने गोली चलाई । दिवाकर सिंह, विश्वनाथ सिंह आदि छात्र नेता गोली से घायल हुए और गिरफ्तार कर जेल में बन्द कर दिए गए । उस दिन 2 बजे तक शहर में दुकानें बन्द रहीं ।[25] कलेक्टर तथा कप्तान को लोगों ने घेर लिया और माफी मांगने पर ही उन्हें छोड़ा । कचहरी तथा अन्य सरकारी इमारतों पर तिरंगा झण्डा फहरा दिया गया।[26]

डोभी के बरडीहाँ ग्राम केनिवासी ठा. मथुरा सिंह के नाम से ब्रिटिश हुकूमत सर्वथा भयभीत रहती थी । इनके द्वारा स्थापित 'कर्रा स्कूल' (जो अब श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है) सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रभाव-केन्द्र था । 11 अगस्त, 1942 को 'कर्रा स्कूल' के संस्थापक ठा.मथुरा सिंह को स्कूल पर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तत्पश्चात् एस.पी. ने 'कर्रा हाईस्कूल' को यह कहते हुए पूरी तरह जलवा दिया कि यह स्कूल आन्दोलनकारियों का अड्डा है और बची हुई सभी मेंज, कुर्सी तथा साइकिलें आदि उठवा लिया । ठा.मथुरा सिंह द्वारा स्कूल जलाने का विरोध करने पर चन्दवक के थानेदार केदार नाथ सिंह ने बाबू साहब के सीने पर रिवाल्वर लगा दिया और जान से मार डालने की धमकी दी । इसपर ठाकुर साहब ने कहा कि तुम्हारे पिस्तौल में मुझे मारने का दम नहीं है । थानेदार ने शर्म से झुककर क्षमा माँगी । एस.पी. ने ठा.मथुरा सिंह को अपनी जीप से जौनपुर ले जाकर जिला जेल में भेज दिया । जेल में ग्राम कंजहित के सिपाही राम सुन्दर दूबे ठा. मथुरा सिंह को पहचान गए और भीतर-भीतर इनकी मदद करने तथा सूचनाएँ देने लगे । इसका भेद खुलने पर जेलर ने सिपाही राम सुन्दर दूबे को नौकरी से निकाल दिया ।[27]

ग्राम बरडीहाँ के ठा. मथुरा सिंह को 9 अक्टूबर, 1942 से 2 फरवरी, 1944 तक

---

25. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 30 तथा
    स्वर्ण जयन्ती स्मारिका, **समय,** पृ. 23.
26. मन्मथनाथ गुप्त, **भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलनका इतिहास,** पृ. 390.
27. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 40 ; साक्षात्कार श्री उमाशंकर सिंह.

तक नजरबन्द रखा गया । जेल से रिहा होने के बाद ठा. मथुरा सिंह ने बर्खास्त सिपाही राम सुन्दर दूबे को 'फर्रा स्कूल' में अध्यापक नियुक्त किया। निडर और स्वाभिमानी ठा. मथुरा सिंह ने कभी भी स्वाभिमान खोकर समझौता नहीं किया । भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में ठा. मथुरा सिंह का योगदान अविस्मरणीय है।[28]

11 अगस्त, 1942 को छात्र नेता दिवाकर सिंह जेल से छोड़ दिए गए । छात्रों ने उन्हें साथ लेकर जिलाधीश की आज्ञा से नगर और जिले के सभी स्कूल और कालेज 2 सप्ताह के लिए बन्द कर दिए गए । उसी दिन तेजी बाजार के प्रधान वशिष्ट नारायन सिंह तथा बेलवार के हीरालाल मिश्र और सीताराम सिंह गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए ।[29] 11 अगस्त कोकांग्रेस नेताओं और छात्रों ने जौनपुर नगर में जुलूस निकाला तथा नगर और जिले के लगभग सभी दुकानदारों ने हड़ताल किया ।[30]

12 अगस्त को न्यायालयों तथा सरकारी कार्यालयों पर धरना दिया गया । छात्र एक जुलूस लेकर कचहरी गए तथा वकीलों और मुख्तारों को धरना देकर रोका । दोपहर के समय एक भारी जन समुदाय कलेक्टरी कचहरी पर तिरंगा झण्डा फहराने पूरे उत्साह के साथ पहुँचा तो उनके झण्डे छीन लिए गए, इस पर छात्र अड़ गए । उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की गई, फिर भी न हटने पर अन्ततः पुलिस ने गोली चलाकर उन्हें तितर-बितर किया । 8 - 9 छात्र घायल होगए और 5 छात्र वहीं गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए । 5 - 6 घायलों को अस्पताल भेजा गया और रात्रि में उन्हें भी अस्पताल से जेल भेज दिया गया। शहर में गोली चलने की खबर से दुकानें बन्द हो गईं । शहर में दो दिन के लिए रात 9 बजे से सुबहतक कर्फ्यू लगा दिया गया तथा 15 दिन के लिए जुलूसों और सभाओं पर रोक लगा दी गई । शाहगंज में भी छात्रों ने जुलूस निकाला

---

28. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक,** वाराणसी डिवीजन, सूचना विभाग ,उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ. 142; **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,**जौनपुर, पृ.40.
29. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ.23.
30. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर,** 1986, पृ. 52.

जिसके थाने पर पहुँचने पर लाठी चार्ज हुआ तथा मिठाई लाल और रामदेव तिवारी गिरफ्तार किए गए।[31] कांग्रेस के अग्रणी नेता हरगोविन्द सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 12 अगस्त, 1942 से 13 सितम्बर, 1945 तक नजरबन्द रखा गया । श्री हरगोविन्द सिंह सन् 1963 में उत्तर प्रदेश सरकार के गृहमंत्री बनाए गए ।[32]

उचौरा पुल कांड

13 अगस्त, 1942 को दोपहर 2 बजे पंवारा क्षेत्र के आजादी के मस्त दीवानों की टोली जंघई रेलवे स्टेशन को लूटती, फूँकती और रेलवे लाइनें उखाड़ती हुई नीभापुर आई किन्तु नीभापुर स्टेशन को छोड़कर यहटोली मछलीशहर से बादशाहपुर जाने वाली सड़क पर उचौरा का पुल तोड़ने में जुट गई । अभी पुल टूट भी न पाया था कि मिलिटरी पहुँच गई । सैनिकों ने धुआंधार हवाई फायर किए । अधिकांश लोग तितर-बितर हो गए किन्तु फिर भी कुछ वीर युवक वहाँ डटे ही रहे । इन लोगों को अपनी जगह से न हटते देखकर फौजियों ने सीधा गोली का निशाना लिया और एक गोली विजय बहादुर तेली के सीने में लगी और वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए । एक गोली बाबूलाल कुर्मी को भी लगी और वह धराशायी हो गए किन्तु प्राण अभी अवशेष थे । घायल वीर को सिपाहियों ने नदी में फेंकना चाहा तो उस साहसी युवक ने एक सिपाही का वस्त्र पकड़ लिया और कहा कि मैं तो अभी जीवित हूँ, मुझे क्यों फेंकते हो । एक भारतीय अधिकारी के बार-बार मना करने पर बाबू लाल को नदी में नहीं फेंका गया और उन्हें ले जाकर प्रतापगढ़ अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहाँ कुछ अच्छा होने पर उन्हें जेल भेज दिया गया जहाँ कुछ ही दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई । उचौरा फायरिंग में कुछ अन्य बीरों को भी छर्रे लगे थे ।[33]

13 अगस्त को ही नगर में ओलन्दगंज से एक जुलूस निकाला गया जिसे किले के पास

---

31. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर,** जौनपुर, पृ. 52 तथा
    स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ.23.
32. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक,** वाराणसी डिवीजन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,पृ. 197.
33. **विकास साप्ताहिक,** शहीद अंक, 30 जनवरी, 1957, पृ. 10 ;
    स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, वाराणसी डिवीजन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ.132-134.

पुलिस द्वारा रोका गया । झण्डा लिए दो आन्दोलनकारियों जयन्ती प्रसाद तथा शारदा देवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया । धर्मशाला के पास फिर लोग एकत्र हुए और वहाँ पर भी 10-15 लोग गिरफ्तार किए गए । सायंकाल फिर जुलूस निकाला गया जिसे कोतवाली के पास लाठी चार्ज करके तितर-बितर कर दिया गया । कुंल 29 आन्दोलनकारी गिरफ्तार किए गए । सिकरारा का बीज गोदाम लूट लिया गया ।[34]

14 अगस्त, 1942 को डोभी में ठा. मथुरा सिंह की गिरफ्तारी की तीव्र प्रतिक्रिया स्वरूप कर्रा हाईस्कूल के लगभग 250 ग्रामीणों ने मिलकर डोभी रेलवे स्टेशन को लूटा एवं जला दिया । उसी दिन कर्रा हाईस्कूल के लगभग 250 छात्रों तथा चन्दवक मिडिल स्कूल के लगभग 100 छात्रों ने मिलकर चन्दवक थाने पर झण्डा फहराया । छात्रों की इसी टोली ने केराकत रेलवे स्टेशन के पास दूरभाष-तार काट दिए । ग्राम चिटकों के श्री उमाशंकर सिंह सहित लगभग 30 छात्र 11 से 12 बजे के बीच कुसरना के पास गिरफ्तार किए गए । चन्दवक थाने में ही श्री उमाशंकर सिंह को 4 बेंत की सजा हुई जिससे उनके हाथ की ऊँगली फट गई । अन्य छात्रों को भी कुछ बेतों की सजा हुई । सभी छात्रों को सायं साढ़े छः बजे चन्दवक थाने से छोड़ दिया गया। उसी दिन केराकत थाने पर भी झण्डा फहराया गया । केराकत तहसील पर झण्डा फहराने का प्रयास करने पर तहसीलदार ने गोली चलाने का आदेश दिया । हवाई फायर करने पर छात्र तितर-बितर हो गए।[35]

14 अगस्त को आन्दोलन ने आक्रामक रूप ले लिया मछलीशहर तहसील का सुजानगंज थाना फूंक दिया गया तथा पुलिस की राइफलें छीन ली गईं और थाने पर कब्जा कर लिया गया। शाहगंज , सरायख्वाजा तथा जलालगंज में दूरभाष-तार काट दिए गए । मड़ियाहूँ, बिलवाई, बादशाहपुर तथा डोभी के रेलवे स्टेशनों को क्षति पहुँचाई गई ।[36] लखनऊ और बनारस की ओर

---

34. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 23.

35. उमाशंकर सिंह से साक्षात्कार ; **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर** जौनपुर, पृ. 52.

36. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर** जौनपुर, 1986, पृ. 52.

से ट्रेनों का आवागमन ठप्प हो गया । डोभी रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त छोटी लाइन के केराकत एवं पतरहीं रेलवे स्टेशनों के कागज-पत्र फूँक दिए गए । फतेहगंज, सिकरारा और गुलजारगंज के डाकखाने लूट लिए गए । 15 अगस्त को दीवानी कचहरी पर धरना देने वाली टोली को जिला मजिस्ट्रेट ने लाठी चार्ज कराके तितर-बितर करा दिया । उसी दिन महराजगंज और करंजा के डाकखाने नष्ट किए गए ।[37]

9 अगस्त को ही संयुक्त प्रान्त में कांग्रेस संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया और समाचार-पत्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया ।[38] जन आन्दोलन का दमन करने के लिए सरकार ने अध्यादेशों एवं भारत रक्षा कानून की शरण ली जिससे समस्त प्रान्त में अर्द्ध फौजी शासन स्थापित हो गया।[39] 15 अगस्त, 1942 को जौनपुर का प्रशासन संयुक्त प्रान्तीय सरकार के अतिरिक्त सचिव नेदरसोल के अधीन सेना को सौंप दिया गया । सेना ने सम्पूर्ण जनपद में सघन दौरा किया और क्रान्तिकारियों की खोज की । जौनपुर में विभिन्न स्थानों पर सेना ने गोलियां चलाईं जिसमें 11 व्यक्ति शहीद हुए तथा 17 व्यक्ति घायल हुए ।[40]

धनियाँमऊ गोली कांड

16 अगस्त, 1942 को मूसलाधार वर्षा हो रही थी । 16 अगस्त के कार्यक्रम के अनुसार तेजीबाजार और महराजगंज मंडलों के क्रान्तिकारियों को मिलकर बदलापुर थाने पर कब्जा करना तथा वहाँ के बीज गोदाम को लूट लेना था। तेजीबाजार मंडल के लोगों के जिम्मे यह कार्य सौंपा गया कि जौनपुर की सड़क पर कोई भी पुल तोड़ दें जिससे कि मिलिटरी जौनपुर से बदलापुर न पहुँच सके । इसपर जनसमूह धनियाँमऊ पुल की ओर बढ़ा तथा गैंता, फावड़ा और कुदाल से

---

37. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 23.
38. **आज**, 10 अगस्त , 1942 , पृ. 1 ; एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ यू.पी.,1942, पृ. 9.
39. गोविन्द सहाय, **सन् 42 का विद्रोह**, पृ. 3.
40. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर** जौनपुर, 1986, पृ. 53.

धनियाँमऊ पुल को तोड़ने लगे । पुल टूटने ही वाला था कि एक ट्रक पर सर्किल पुलिस इन्सपेक्टर अतहर अली खाँ, बक्शा के दरोगा तथा कुछ पुलिस कांस्टेबिल बन्दूक लिए हुए पहुँचे । पुलिस ने 4 राउण्ड हवाई फायर किए जिससे जनसमूह तितर-बितर हो गया। पुल तोड़ने वाले अपना सामान वहीं छोड़कर भाग गए । पुलिस वालों ने सामानों को ट्रक में रख लिया । सभी लोगों ने आपस में परामर्श करके एक इक्केवान से यह कहा कि जाकर पुलिस वालों से कह दो कि वे हमारा सामान दे दें और जौनपुर लौट जाएं । इस संदेश पर पुलिस की ट्रक जैसे ही इन लोगों के बीच आई, वैसे ही सिंगरामऊ स्कूल के दसवीं कक्षा के 18 वर्षीय मेधावी छात्र एवं वीर युवक जमींदार सिंह बीच सड़क पर ट्रक के आगे जाकर खड़े हो गए । पुलिस वाले ट्रक में से सामान निकाल कर गिराने लगे और कहा कि आप लोग अपना सामान ले लीजिए और हम लोगों को बदलापुर की तरफ जाने दीजिए। सर्किल इन्सपेक्टर भी ट्रक से उतर आया और जमींदार सिंह से कहा कि - "हमको जाने दो"। जमींदार सिंह ने कहा कि "जौनपुर लौट जाइए, बदलापुर नहीं जाने दूँगा" । दोनों में कहा सुनी हो गई । सर्किल इन्सपेक्टर ने अपनी बेंत से दो बेंत जमींदार सिंह को मारा । तीसरे बेंत को जमींदार सिंह ने पकड़ लिया और झटका दिया बेंत इन्सपेक्टर के साथ से छूट गया । इन्सपेक्टर ने अपनी पिस्तौल निकाली और जमींदार सिंह पर गोली चलाई । पहली गोली जमींदार सिंह के ओंठ को छेदकर दाँतों को तोड़ती हुई सिर के पार निकल गई और दूसरी गोली उनके सीने को छेदकर पार कर गई । भारत मां ने सर्वदा के लिए उस लाडले को अपनी गोद में ले लिया।[41]

जमींदार सिंह के शहीद होते ही "मारो, मारो" का शोर हुआ । ईंट और कंकड़ चलने लगे। जगई पहलवान ने लाठी तानकर पूरी ताकत से दो लाठी सर्किल इन्सपेक्टर को मारा । इन्सपेक्टर ने वहीं जमीन पकड़ ली। उस पर इतनी लाठियां और लात पड़े कि वह मुर्दे-सा प्रतीत होने लगा । एक सिपाही को भी मार कर बुरी तरह घायल कर दिया गया । सर्किल इन्सपेक्टर की पिस्तौल और सिपाही की बन्दूक लोगों ने ले लिया और पुलिस को दौड़ाया । ये लोग पुलिस वालों को पुल तक दौड़ाने के बाद लौट रहे थे । इन लोगों को लौटते देखकर पुलिस वाले घूम कर

---

41. **विकास साप्ताहिक,** शहीद अंक, पृ. 8 ; **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक,** वाराणसी डिवीजन, पृ. 110 ; राजेश्वर सहाय त्रिपाठी , **फरारी जीवन के ग्यारह मास,** पृ. 7.

वहीं से बन्दूकों से फायर करना शुरू कर दिया । पुलिस की गोली से 3 लोग सर्वश्री राम आधार सिंह (अगरौरा), राम पदारथ चौहान (अगरौरा) और राम निहोर कहार (गैरी) बुरी तरह घायल होकर एक-दूसरे से थोड़ी-थोड़ी दूर पर गिर गए । पुलिस की गोलियां सर्वश्री राम भरोसे सिंह (भयन्दीपुर), भोला मिश्र (ब्राह्मणपुर) तथा छत्रपाल (चौखड़ा) को भी लगीं, किन्तु ये लोग गम्भीर रूपसे घायल नहीं हुए थे । गाँव वाले घायल वीरों को देखने दौड़े तो लोगों को देखकर राम आधार सिंह ने 'इन्क्लाब-जिन्दाबाद' का नारा लगाया तथा अपनी रोती हुई माँ से कहा कि "माँ क्यों रोती हो, मैं अच्छा हो जाऊँगा ।" परन्तु बुरी तरह से घायल तीनों वीर भी शहीद हो गए । इसप्रकार धनियाँमऊ कांड में शहीद हुए 4 शहीदों के नाम हैं सर्वश्री जमींदार सिंह (हैदरपुर), राम अधार सिंह, राम पदारथ चौहान और राम निहोर कहार ।[42] इन शहीदों की स्मृति में घटना-स्थल पर एक शहीद-स्मारक बनाया गया है ।[43]

मछलीशहर गोली कांड

16 अगस्त, 1942 का दिन जौनपुर के लिए बहुत ही अमंगलकारी दिन था । इसी दिन धनियाँमऊ गोली कांड में 4 देशभक्त शहीद हुए और मछलीशहर में भी हाकिम परगना अली अख्तर की गोली से 2 देशभक्त सर्वश्री राम दुलार सिंह (सरावां) तथा माता प्रसाद शुक्ल (चौकी कलां) शहीद हुए । घटना इस प्रकार घटित हुई - जब एक कार्यकर्ता नन्द किशोर तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मछलीशहर तहसील के हाते में बन्द कर दिया तब मीरगंज और मछलीशहर मंडल के लगभग तीन-चार सौ व्यक्तियों की भीड़ ने हवालात पर हमला कर उन्हें मुक्त करा लिया और तहसील के इमारत पर तिरंगा झण्डा फहरा दिया । जब ये लोग बीज गोदाम की ओर बढ़ रहे थे तभी वहाँ हाकिम परगना अली अख्तर पहुँच गए और गोली चलाई । जिससे राम दुलार सिंह तथा माता प्रसाद शुक्ल गम्भीर रूप से घायलावस्था में राम दुलार सिंह घर पहुँचाए गए जहाँ उसी

---

42. **विकास साप्ताहिक,** शहीद अंक, पृ. 8-9.
43. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर** जौनपुर, 1986, पृ. 53.

रात्रि में उनका देहान्त हो गया । बीस वर्षीय नव युवक राम दुलार सिंह ने मछलीशहर तथा बादशाहपुर के सैनिक शिविरों में ट्रेनिंग ली थी । इन्होंने हैदराबाद सत्याग्रह में भी भाग लिया था। सन् 1942 के आन्दोलन के प्रारम्भ होते ही इन्होंने जरौना स्टेशन पर तोड़-फोड़ की तथा मीरगंज थाने पर झण्डा भी फहराया था । गोली लगने से घायल दूसरे आन्दोलनकारी माता प्रसाद शुक्ल को कांग्रेस कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय के घर ले जाया गया । जब पुलिस को पता लगा तब उन्हें वहाँ से पकड़कर जेल भेज दिया । जेल अधिकारियों ने यह देख लिया कि अब इनके बचने की सम्भावना नहीं है, इसलिए उन्हें जेल से छोड़ दिया । माता प्रसाद शुक्ल को बम्बई इलाज के लिए ले जाया गया किन्तु शरीर से गोली न निकाली जा सकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई ।[44]

17 अगस्त, 1942 को मुँगराबादशाहपुर काबीज गोदाम लूट लिया गया ।[45] इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने पारस नाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में बादशाहपुर स्टेशन पर झण्डा फहराया। कुछ स्थानीय लोगों ने स्टेशन पर लूट-पाट भी किया । जंघई और जरौना रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइन उखाड़ी गई तथा जंघई रेलवे स्टेशन पर तिरंगा झण्डा फहराया गया।[46]

यह सब कार्य एक हफ्ते के अन्दर हुआ । अब तक पुलिस तथा मिलिटरी बिल्कुल स्तब्ध थी । इसके बाद जौनपुर जिले में दमन कार्य शुरू हुआ । मिलिटरी का दौरा चारों तरफ होने लगा । गिरफ्तारियों के तांते लग गए, मकान जलाए जाने लगे । लोग बेरहमी के साथ पीटे जाने लगे। सन् 1941 में ठा. जगन्नाथ सिंह द्वारा स्थापित किसान हाईस्कूल, प्रतापगंज जिले भर की क्रान्ति का केन्द्र था और सन् 1942 में प्रान्तीय किसान कान्फ्रेंस यही पर हुई थी । 18 अगस्त,

---

44. **विकास साप्ताहिक,** शहीद अंक, 30 जनवरी, 1957, पृ. 10 ; **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक,** वाराणसी डिवीजन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ. 146, 163.
45. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 23.
46. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 30.

1942 को किसान हाईस्कूल मय सब सामान के पुलिस अधिकारियों द्वारा जलाकर राख कर दिया गया। जिले में काफी लोग फरार हो गए । फरारों की संख्या इस समय तक लगभग एक हजार थी ।[47]

20 अगस्त, 1942 को ग्राम औरैला, थाना मड़ियाहूँ के 20 वर्षीय नवयुवक श्री महाबीर सिंह पुलिस कप्तान की गोली के शिकार हो गए । 20 अगस्त को मिलिटरी पाली में लाल जी के मकान में घुस कर उपद्रव कर रही थी । लाल जी उस समय फरार थे । मिलिटरी लाल जी के मकान की तलाशी ले रही थी और उनके घर के सामानों को इधर-उधर फेंक रही थी । इस उपद्रव को देखकर लाल जी के पड़ोसी केदार नाथ तिवारी ने हो-हल्ला मचाया और बहुत से लोगों को एकत्र कर लिया जिनमें श्री महावीर सिंह भी थे । पुलिस कप्तान इस पर बहुत नाराज हुआ और वह एक मकान पर चढ़ गया तथा उसने वहीं से केदार नाथ तिवारी पर गोली चलाई किन्तु गोली उन्हें न लगकर श्री महाबीर सिंह को लगी । वे पुलिस स्टेशन ले जाए गए जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। [48]

21 अगस्त को सुजानगंज के थानेदार सुन्दरलाल शर्मा ने पिछले दिनों हुए सुजानगंज थाने पर हमले तथा विभागीय अधिकारियों की कार्यवाहियों से क्षुब्ध होकर अपने को गोली मारकर आत्महत्या कर ली । क्रान्तिकारियों ने सुजानगंज थाने के असलहे लूट लिए थे तथा थाने पर तिरंगा झण्डा भी फहराया था जिसपर पुलिस कप्तान ने थानेदार सुन्दरलाल शर्मा को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी ।[49] सुजानगंज थाने परकब्जा करने का श्रेय राय अम्बिका सिंह, राजनारायण मिश्र, हरिहर प्रसाद सिंह , गिरिजा शंकर सिंह तथा राम प्रताप सिंह को था ।[50]

---

47. मन्मथनाथ गुप्त, **भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 389-390.
48. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक**, वाराणसी डिवीजन, पृ. 145; **विकास साप्ताहिक**, शहीद अंक,पृ.10.
49. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 30; स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 23.
50. राजेश्वर सहाय त्रिपाठी, **फरार जीवन के ग्यारह मास**, पृ. 8.

21 अगस्त को डोभी में कुछ आन्दोलनकारी गिरफ्तार किए गए जिन्हें 2 वर्ष की कैद और 200 रुपये जुर्माने की सजा हुई । बदलापुर थाने पर हमला करने वालों को गोली चलाकर तितर-बितर कर दिया गया । 21 अगस्त को जाकर लखनऊ तथा बनारस से । - । ट्रेन जौनपुर आने लगी । छोटी लाइन की गाड़ियां अभी तक बन्द थीं । नगर के अनेक बन्दूकधारियों के लाइसेन्स रद्द कर उनकी बन्दूकें कोतवाली में जमा करा ली गईं । कांग्रेस की खबरें छापने पर 'समय' को चेतावनी दी गई ।[51]

अगरौरा गोली कांड

धनियाँमऊ गोली कांड के बाद आस-पास के गांवों में भय का वातावरण व्याप्त था और इसका लाभ उठाकर दो चौकीदारों ने ही लूट-पाट करना शुरू कर दिया था। सराय हरखू का चौकीदार शुभकरन यादव और सोनवल का चौकीदार प्रभू आतंक पूर्ण स्थिति का फायदा उठाकर रात्रि में छल से गांव वालों को लूट लिया करते थे । ये लोग बांस को फाड़कर इस प्रकार बनाए हुए थे जिससे पटाखे की तरह आवाज होती थी । फटे बांस की आवाज कर लोगों में बंदूक की आवाज का भ्रम पैदा किया जाता था । जब लोग घर छोड़कर खेतों आदि में भाग जाया करते थे तब ये लोग उनके घरों से सामान उठा ले जाते थे । चौकीदारों के इस धोखे का गांव वालों को पता चल गया और अगरौरा के लोगों ने चौकीदारों को ऐसा करते हुए पकड़ने का निश्चय किया । 22 अगस्त की रात्रि में ये लोग आए तो गांव वालों ने दौड़कर शुभकरन यादव को पकड़ लिया । उसको गांव वालों ने बुरी तरह पीटा । दूसरे चौकीदार प्रभू ने रात्रि में ही इस घटना की सूचना थाने में दे दी थी । थानेदार राम लगन सिंह धनियाँमऊ की घटना से जले हुए थे । अगरौरा के रामानन्द और रघुराई जब घटना की सूचना देने बक्शा थाने पहुँचे तो पुलिस ने उल्टे ही इन दोनों लोगों को बुरी तरह पीटा और मारकर इनके दांत तोड़ दिए गए ।[52]

---

51. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 23.
52. **विकास साप्ताहिक,** शहीद अंक, पृ. 9 ;
    स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, वाराणसी डिवीजन, पृ. 177-178.

23 अगस्त, 1942 को रामानन्द और रघुराई को प्रातःकाल रस्सी से बांध कर घटना स्थल पर लाया गया । इन दोनों को पेड़ से बांध दिया गया । पहले दो हिन्दू सिपाहियों से इन्हें गोली मारने को कहा गया । उनके इंकार करने पर एक मुसलमान सिपाही ने लगभग 40-45 गज़ पीछे हट कर निशाना लिया । जब पीछे जाकर गोली मारने की बात आई तब रामानन्द ने कहाकि यदि गोली ही मारना है तो सामने से आकर मारो । कायर बनाकर पीछे से गोली मत मारो किन्तु उनकी बात नहीं सुनी गई । एक-एक गोली दोनों की पीठ को छेद कर पार हो गई । दोनों की रस्सी छोड़कर, उनकी लाशों पर उन्हीं के गमछे ओढ़ाकर पुलिस वाले चले गए । रघुराई के परिवार की एक औरत ने घर में छिप कर इस जघन्य हत्या कांड को अपनी आँखों से देखा । उस औरत ने यह बताया कि मैं अकेले दोनों लाशों को अपने बरामदे में उठा लाई जहाँ लाशें तीन दिन तक वैसे ही पड़ी रहीं क्योंकि आतंकवश कोई गांव में आता ही नहीं था । जब गांव के लोग आए तब जाकर इन निर्दोष शहीदों का अन्तिम संस्कार हुआ ।[53]

संयुक्त प्रान्त के गवर्नर हैलेट के आदेश पर भारत छोड़ो आन्दोलन का दमन करने के लिए कठोर एवं दमनात्मक नीतियाँ अपनाई गईं । संयुक्त प्रान्तीय सरकार के अतिरिक्त सचिव नेदरसोल ने अगस्त 1942 में एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया - "सरकार यह स्वीकार करती है कि एक बहुत ही असाधारण एवं संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगई है अतः पुनः शान्ति स्थापित करने के लिए कुछ अध्यादेश जारी किए गए हैं जो समयाभाव के कारण अब तक जिलाधिकारियों तक नहीं पहुंच पाए हैं किन्तु इन अध्यादेशों का प्रयोग किया जा सकता है ।"

पहले अध्यादेश द्वारा यह अनुमति दी गई है कि ऐसे सभी शहरों, क्षेत्रों एवं बस्तियों पर सामूहिक जुर्माने लगाए जाएं जहां नुकसान किया गया हो या शरारत की गई हो । जिलाधिकारी के आदेश से पूर्ण शक्ति प्राप्त न्यायाधीश द्वारा इस तरह के जुर्माने लगाए जा सकते हैं और इन जुर्मानों

---

53. **विकास साप्ताहिक**, शहीद अंक, 30 जनवरी, 1957, पृ. 9.

को किसी भी तरह वसूल किया जा सकता है । इन अध्यादेशों का आशय यह है कि विभिन्न प्रकार की हानि व शरारत को रोकने के लिए इसका उत्तरदायित्व व्यक्तिगत या समूहिक रूप से उस स्थान के निवासियों पर डाला जाय, चाहे तोड़-फोड़ किसी ने भी किया हो । सामूहिक रूप से जुर्माना लगाकर इस प्रकार की शरारतों को आसानी से रोका जा सकता है ।

दूसरे अध्यादेश में सजाएँ बढ़ा कर दिए जाने के आदेश हैं जिसमें किसी भी पूर्ण शक्ति प्राप्त न्यायधीश की अदालत में कोड़े मारने की सजा व सात साल की सजा भी शामिल हैं जिनके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है । सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट इन पूर्ण शक्ति प्राप्त न्यायाधीशों को विशेष न्यायाधीश बना सकते हैं । विचाराधीन मुकदमों में किसी भी पुराने अध्यादेश के स्थान पर इन नए अध्यादेशों का अब प्रयोग किया जाना चाहिए। यह अच्छी प्रकार से समझ लिया जाना चाहिए कि सेना व पुलिस दलों के प्रभारी अधिकारियों को विध्वंस, शरारत या उग्ररूप से गड़बड़ी करने वाले किसी भी उपद्रवी जन समूह या व्यक्तियों पर गोली चलाने का अधिकारी ही नहीं बल्कि आदेश भी दिया जाता है कि उनके गोली चलाने का उद्देश्य ऐसे लोगों को जान से मार डालना होगा, मार डालने या घायल करने के उद्देश्य के बिना ही गोली चलाना आपत्तिजनक है और इसका पूर्ण रूप से निषेध है ।

गवर्नर महोदय ने मुझे अधिकृत किया है कि मैं उनकी आज्ञा से यह आदेश जारी करुँ और जैसा भी उचित समझूं दूसरों को अधिकार प्रदान करुँ । इन अध्यादेशों के अन्तर्गत की गई किसी भी कार्यवाही का उत्तरदायित्व मैं ग्रहण करुँगा । वर्तमान गड़बड़ी का अन्त करना बहुत जरूरी है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नेकनियती से की गई कार्यवाही, भले ही उसके लिए बहुत ही कड़े उपाय क्यों न काम में लाने पड़ें, न्यायसंगत समझी जाएगी ।[54] नेदरसोल द्वारा जारी किए

---

54. कार्यवाही विधान सभा उत्तर प्रदेश , 1947, भाग - 33, पृ. 382.

गए इस निरंकुश आदेश की भेंट चढ़े जौनपुर के शहीदों की सूची निम्नलिखित है[55] --

क्र.सं.	नाम	घटना
1.	श्री जमींदार सिंह	धनियाँमऊ गोली कांड
2.	श्री बाबू लाल कुर्मी	उचौरा पुल कांड
3.	श्री महावीर सिंह	उच्चौरा पुल कांड
4.	श्री माता प्रसाद शुक्ल	मछलीशहर गोली कांड
5.	श्री रघुराई	अगरौरा गोली कांड
6.	श्री राम अधार सिंह	धनियाँमऊ गोली कांड
7.	श्री राम पदारथ चौहान	धनियाँमऊ गोली कांड
8.	श्री राम निहोर कहार	धनियाँमऊ गोली कांड
9.	श्री राम दुलार सिंह	मछलीशहर गोली कांड
10.	श्री रामानन्द	अगरौरा गोली कांड
11.	श्री विजय बहादुर तेली	उच्चौरा पुल कांड

सरकार के क्रूर दमन के कारण जौनपुर में आन्दोलन कुछ दिनों के लिए शिथिल पड़ा, परन्तु 21 सितम्बर, 1942 को स्कूल कालेज खुलते ही छात्रों ने पुनः जुलूस आदि में भाग लिया । आन्दोलन में भाग लेने के कारण कई छात्र अपने-अपने स्कूलों से 2 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिए गए । क्षत्रिय कालेज से 10, कायस्थ पाठशाला से 2, प्रियानाथ घोष स्कूल से 6 और गवर्नमेन्ट स्कूल से 4 छात्र निष्कासित किए गए । आन्दोलनकारियों नेसरकारी पिट्ठूओं की भी खबर ली ।

---

55. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक,** वाराणसी डिवीजन, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ. 85.

ग्राम बैरमा (सुजानगंज) के चौकीदार का घर लूटकर जला दिया गया और एक पटवारी की पिटाई की गई । मछलीशहर थाने के अन्तर्गत भूआ खुर्द के मुखिया राम चरन सिंह का घर लूटा गया । सरकार ने सख्ती करते हुए जिले के 33 क्षेत्रों पर 20,285 रुपये जुर्माना किया।[56]

15 अक्टूबर को जाकर जौनपुर और इलाहाबाद के बीच ट्रेन का आवागमन शुरू हो सका। सुजानगंज थाने के अन्तर्गत बधवा बाजार के पास लोहिन्दा गांव में दो सिपाहियों को बांधकर भाले से उनकी हत्या की गई । बधवा हत्या कांड में सात लोगों को फांसी की सजा हुई । पारस नाथ त्रिपाठी और राम चरनतिवारी की सजा हाईकोर्ट द्वारा आजीवन कारावास में बदल दी गई । अन्य 5 लोगों सर्वश्री राम शिरोमणि दूबे, गौरीशंकर , भगवती प्रसाद लाल, राज नारायण मिश्र तथा गिरिजा शंकर सिंह की फांसी की सजा प्रिवी कौंसिल तक बहाल रही । राय अम्बिका सिंह इस केस में बहुत बाद में पकड़े गए । राम पाल चौबे, शिव नायक तिवारी, सुरेशचन्द्र उपाध्याय अंत तक नहीं पकड़े गए । हरिहर सिंह और लक्ष्मीकान्त तिवारी सेशन जज के यहां से बरी कर दिए गए ।[57]

15 अक्टूबर, 1942 को कुल्हना मऊ में श्री सूर्यनाथ उपाध्याय के नेतृतव में बदलापुर, सिंगरामऊ की डाक लूट ली गई जिसमें 6 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनके पास पिस्तौल और कुछ नगद रुपये बरामद हुए ।[58] इस केस में सूर्यनाथ उपाध्याय, बैजनाथ सिंह, नागेश्वर मौर्य आदि को लम्बी सजाएं हुईं । श्री सूर्यनाथ उपाध्याय बरेली जेल से निकल कर भाग गए थे । बाद में पुनः पकड़े जाने पर उन्हें कठोर शारीरिक यातनाएँ दी गईं।[59]

इसके बाद जिले के नौजवानों का नेतृत्व मास्टर जगन्नाथ सिंह ने किया । उन्होंने जिले

---

56. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 23.
57. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 30-31;
58. स्वर्ण, जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 23.
59. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 31.

में फिर से नवयुवकों को संगठित किया । इसी समय जिले के सदर तहसील के एम.डी.एम. भूपनारायण सिंह का पैशाचिक जुल्म शुरू हुआ । उसने जिले में लगभग 100 व्यक्तियों को करंट लगाकर प्रायः नपुंसक कर दिया । कितनी ही औरतों को थाने में ले जाकर बेइज्जत किया। सुजानगंज थाने की दो राइफलें डमरुआ गांव में मंगल हरिजन के यहाँ बरामद हुई । इसकी वजह से मौजे पर 4600 रुपये जुर्माना हुआ । मास्टर जगन्नाथ सिंह की गिरफ्तारी के लिए 3000 रुपये इनाम रखा गया था परन्तु वह अन्त तक फरार रहे । कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अप्रैल 1946 में उनका वारंट कैन्सिल किया।[60]

सरकार ने दमन और गिरफ्तारियों का क्रम तेज किया । विभिन्न स्थानों पर क्रान्तिकारियों की खोज में पुलिस तथा मिलिटरी ने छापे मारना शुरू किया । सरकार को धनियाँमऊ पुल कांड एवं कुल्हनामऊ लूट कांड से सम्बन्धित क्रांतिकारी राय अम्बिका सिंह की बड़ी तलाश थी। मिलिटरी को सूचना मिली कि राय अम्बिका सिंह मछलीशहर के पुनई के घर में छिपे हुए हैं । मिलिटरी ने पुनई के घर पर धावा बोल दिया । कुछ देर पहले राय अम्बिका सिंह वहाँ थे किन्तु मिलिटरी के पहुंचने के पूर्व ही उन्होंने स्थान परिवर्तित कर दिया था । पुनई अपने को बचाने के लिए भाग रहे थे कि एक गोली उनके शरीर को पार कर गई । वे सर्वदा केलिए संसार से विदा हो गए ।[61]

जौनपुर में फरारों की टोली जत्था बनाकर जिले में सब जगह घूमने लगी और आतंकित जनता को संतोष देने लगी । कई बार इन जत्थों की पुलिस से मुठभेड़ भी हो गई । पुलिस की हिम्मत इन क्रान्तिकारी जत्थों को गिरफ्तार करने की नहीं पड़ती थी । ये क्रान्तिकारी दल जिस गांव को छोड़कर जाते थे, पुलिस वाले उन गांव वालों को परेशान करते थे । पुलिस गांव वालों को

---

60. मन्मथनाथ गुप्त, **भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 391.

61. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक**, वाराणसी डिवीजन, पृ. 127 ;
विकास साप्ताहिक, शहीद अंक, पृ. 9.

पकड़ कर थानों पर ले जाती और उनसे रुपया वसूल करती । कितनी औरतों को यही कहकर बेइज्जत करते थे कि तुमने कांग्रेसियों को अपने यहाँ टिकाया था। क्रान्तिकारी जत्थों ने जिले में गद्दारों की संख्या को घटाने के लिए कई गद्दारों का मकान लूट लिया और उन्हें मारा-पीटा।[62] लेकिन ये क्रान्तिकारी जत्थे जनता को सरकारी दमन से मुक्ति दिलाने में उस समय असमर्थ थे । अतः सरकार के घोर दमन के कारण जौनपुर में जन आन्दोलन दिसम्बर 1942 तक पुनः कुछ शिथिल पड़ गया ।

26 जनवरी , 1943 को स्वतंत्रता दिवस पर जौनपुर में सभा करने की कोशिश की गई, परन्तु पुलिस की जबरदस्त नाकेबन्दी के कारण उस दिन कोई सभा न हो सकी । 25 जनवरी की रात्रि में ही शहर के उत्साही कार्यकर्ता बेचन सेठ के मकान की तलाशी लेकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फरवरी 1943 में धनियाँमऊ की पुलिया तोड़ने के अपराध में 19 युवकों पर मुकदमा चला जिसमें सेशन जज ने 4 को छोड़ दिया और शेष युवकों को 3 से 10 वर्ष तक की कैद की सजा दी ।[63]

भारत में सन् 1942 की अगस्त क्रान्ति सरकार के दमनचक्र के द्वारा सितम्बर 1942 तक दबा दी गई । इसमें भाग लेने वाले हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उनके घरों को जला दिया गया तथा कई जगहों पर जनता पर गोलियां बरसाई गईं। जहाँ-जहाँ डाकघर, रेलवे स्टेशन, थाने तथा रेलवे लाइनों को नुकसान पहुंचाया गया था, वहाँ के गांवों पर सार्वजनिक जुर्माना लगाया गया और उसे बहुत सख्ती से वसूल किया गया। पर देश में हजारों विद्यार्थियों और नौजवानों ने अपना बलिदान किया । 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी राज्य के खिलाफ यह सबसे बड़ी क्रान्ति थी ।[64]

---

62. मन्मथनाथ गुप्त, **भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 390-91.
63. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 24.
64. एम.वी. रमन राव, **ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस**, पृ. 22-24.

यद्यपि लगभग सभी स्थानों पर सरकार ने दमन द्वारा अगस्त क्रान्ति को सितम्बर 1942 तक दबा दिया। परन्तु जौनपुर की जनता की सक्रियता के कारण यह जन आन्दोलन 1944 तक किसी न किसी रूप में चलता रहा । 2 मार्च , 1943 को मछलीशहर में पुलिस ने घेरा डालकर 7 कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया तथा इनके पास से एक भरी पिस्तौल पुलिस ने बरमाद की । 4 मार्च को बड़ेरी ग्राम में 4 सशस्त्र कांग्रेसी गिरफ्तार हुए जिसमें अकबरी राम मौर्य के पास से भारी तमंचा बरामद हुआ। 5 मार्च को ओलन्दगंज में राजदेव उपाध्याय के घर से एक रिवाल्वर बरामद हुआ। ग्राम ककोहिया के केदार कचहरी में राष्ट्रीय झण्डा लिए नारा लगाते हुए गिरफ्तार किए गए । उन्हें डेढ़ साल की कैद की सजा हुई । 28 मार्च को बक्शा के थानेदार मुहम्मद युसुफ एक सिपाही के साथ इक्के से जा रहे थे । क्रान्तिकारियों ने उन पर गोली चलाई, पुलिस ने भी गोली चलाई । सिपाही तथा एक क्रान्तिकारी घायल हुआ, परन्तु पुलिस क्रान्तिकारियों को पकड़ न सकी । 14 अप्रैल को सरपतहा पुलिस ने शाहगंज गांधी आश्रम के 5 कार्यकर्ताओं को दफा 109 के अन्तर्गत जेल भेज दिया । उनके पास जो भी सूत था वहभी मय ऊँट के पुलिस उठा ले गई ।[65]

जौनपुर के नवयुवकों ने जिले में आज़ाद सरकार की स्थापना की । आज़ाद सरकार के गुप्तचर विभाग के द्वारा पुलिस की योजनाओं की सूचना एकत्र की जाती थी । अनेक पटवारी तथा चौकीदारों ने नौकरी से त्यागपत्र देकर आज़ाद सरकार के अन्तर्गत कार्य करना स्वीकार किया । नवयुवकों ने प्रत्येक गांव में सुरक्षा चौकियां स्थापित कीं जिनमें सवैतनिक सैनिकों की नियुक्ति की गई। सरकारी कार्यालयों से लूटे गए धन से इनका प्रबन्ध किया जाता था । आज़ाद सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करके कई माह तक सरकार का विरोध करती रही ।[66]

30 मई, 1943 को वभनियांवमंडल के फरार कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय गिरफ्तार किए

---

65. **स्वर्ण जयन्ती स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 24.

66. गोविन्द सहाय, **सन् 42 का विद्रोह,** पृ. 256.

गए । ।। जून को जफराबाद मिडिल स्कूल के अध्यापक रामदुलार दूबे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया क्योंकि वह केवल खद्दर के कपड़े पहने थे । 7 अगस्त को भूवा कलां (खपरहा) के पटवारी यशोदानन्द लाल के घर डाका पड़ा और आन्दोलनकारी पटवारी के दो सन्दूक उठा ले गए। प्रतापगंज इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य श्री बटेश्वर नाथ उपाध्याय जबलपुर से गिरफ्तार कर यहाँ लाए गए।[67]

बक्शा के राम इकबाल सिंह और खालिसपुर के बिपिन बिहारी सिंह को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 26 के अन्तर्गत 24 सितम्बर, 1943 से 24 फरवरी, 1944 तक के लिए नजरबन्द कर दिया गया ।[68] 29 अक्टूबर, 1943 को मछलीशहर पुलिस ने मारकन्डे सिंह को पिस्तौल और गोली सहित गिरफ्तार किया । उन्हें डेढ़ साल की कैद की सजा हुई । सुजानगंज के प्रसिद्ध कार्यकर्ता पारसनाथ जो अगस्त से ही फरार थे, 4 नवम्बर को प्रतापगढ़ से गिरफ्तार कर जौनपुर लाए गए । इनके ऊपर बधवा हत्याकांड का मुकदमा चलाया गया और इन्हें फाँसी की सजा हुई जो बाद में हाईकोर्ट से रद्द हो गई । 6 नवम्बर को पाल्हामऊ के रामदत्त पटवारी भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए । बदलापुर थाने के फरार तीर्थराज को जौनपुर की पुलिस ने कलकत्ता जाकर गिरफ्तार किया।[69]

साहेबपुर के राम सनेही शुक्ल को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 26 के अन्तर्गत 15 नवम्बर,1943 से 19 अक्टूबर, 1945 तक के लिए नजरबन्द कर दिया गया ।[70] जिले के सिकरारा, रामपुर आदि मंडलों से फरार आन्दोलनकारियों को कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई आदि स्थानों

---

67. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 24.
68. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक**, वाराणसी डिवीजन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ. 135, 159.
69. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 24.
70. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक,** वाराणसी डिवीजन, पृ. 174.

से गिरफ्तार कर जौनपुर लाया गया । जनवरी 1944 के अन्तिम सप्ताह में जौनपुर में कई गिरफ्तारियां हुईं तथा कई फरार आन्दोलनकारी गिरफ्तार कर जौनपुर लाए गए ।[71]

संयुक्त प्रान्त के विभिन्न जेलों में राजबन्दियों के साथ क्रूर वर्ताव किया जाता था । जौनपुर जेल में अगस्त-बन्दियों की दिनचर्या कुछ दिनों तक मार से ही शुरू कराई जाती थी । उन दिनों यहाँ 800 राजबन्दी थे । अगस्त-बन्दियों के साथ बदमाशों से भी बदतर वर्ताव किया जाता था। बरेली जेल में प्रताड़ना और अपमान के विरोध में 28 जनवरी, 1944 को 24 राजबन्दियों ने अनशन किया। उनका अनशन दुर्व्यवहार के विरुद्ध था, लेकिनउसी दिन अनशन की हालत में 19 राजबन्दियों को बीस-बीस बेंत मारे गए जिनमें जौनपुर के 8 राजबन्दियों के नाम हैं - सर्वश्री मिठाई लाल गुप्त, रामराज यादव, शिवव्रत सिंह, दुखहरण मौर्य, सूर्यनाथ उपाध्याय, बैजनाथ सिंह, दयाशंकर तथा उदरेश सिंह । इनलोगों के बेंत लगने से हुए घावों पर मरहम-पट्टी भी नहीं की गई । इन लोगों को बेंत मारने के बाद घसीट कर बैरक में बन्द कर दिया गया। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, पर इनके कम्बल ले लिए गए थे । कैदी दृढ़ बने रहे, इस पर सरकार को झुकना पड़ा और 16 फरवरी, 1944 को समझौता हो गया ।[72] श्री सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री बैजनाथ सिंह, श्री उदरेश सिंह आदि राजबन्दियों को बीमारी और कमजोरी की हालत में भी बेंत की सजाएं दी गईं।[73]

23 फरवरी , 1944 को कई फरार आन्दोलनकारी गिरफ्तार कर जौनपुर लाए गए । 5 मार्च. को जौनपुर में रामेश्वर प्रसाद सिंह के संयोजकत्व में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु पर होने वाली सभा पर नगर मजिस्ट्रेट ने दफा 144 लागू कर रोक लगा दी । जलालपुर स्टेशन पर तार काटने के अपराध में बलकरन यादव और शीतल प्रसाद को एक-एक साल की कैद की सजा हुई ।

---

71. स्वर्ण. जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 24.

72. मन्मथनाथ गुप्त, **भारतीय क्रान्तिकार आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 497-499.

73. सूर्यनाथ उपाध्याय से साक्षात्कार.

25 मई को सायं 8 बजे जिले के कांग्रेसजनों की एक बैठक रामेश्वर प्रसाद सिंह के अहाते में हुई जिसमें शीघ्र ही रिंहा हुए 30 राजबन्दी और 10 कांग्रेसजन उपस्थित थे । इसी बैठक में राजबन्दी सहायता समिति की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष रऊफ जाफरी चुने गए । 17 जून, 1944 को प्रान्तीय बन्दी सहायता समिति के मंत्री फिरोज गांधी जौनपुर आए और 200 राजबन्दियों या उनके आश्रितों से मिलकर उन्हें जिला सहायक समिति से सहायता दिलाई।[74]

अक्टूबर, 1943 में लार्ड लिनलिथगो के स्थान पर लार्ड वेवेल जो भारत के कमांडर-इन-चीफ रह चुके थे, भारत के वायसराय बनाए गए । 22 फरवरी, 1944 को कस्तूरबा गांधी का देहावसान हो गया । गांधी जी भी मलेरिया से पीड़ित हो गए । अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को अस्वस्थता के कारण 6 मई, 1944 को पूना के आगा खाँ महल से रिहा कर दिया। पं. जवाहर लाल नेहरु तथा अन्य नेताओं को जून 1945 में रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने राजगोपालाचारी की पहल पर मुहम्मद अली जिन्ना से बातचीत शुरू की ।[75]

30 अगस्त, 1944 को जौनपुर में सेशन जज बनर्जी ने बधवा बाजार हत्याकांड में सर्वश्री गौरीशंकर , पारसनाथ, राजनरायन, रामचरन, भगवती लाल, राम शिरोमणि दूबे तथा गिरिजा शंकर सिंह को फाँसी की सजा सुनाई । हरिहर सिंह छोड़ दिए गए ।[76] बाद में पारसनाथ और रामचरन की फाँसी की सजा हाईकोर्ट द्वारा आजीवन कारावास में बदल दी गई । महात्मा गांधी ने फाँसी की सजा पाए हुए शेष पाँचों नवयुवकों सर्वश्री गौरीशंकर, राजनरायन, भगवती लाल, राम शिरोमणि दूबे तथा गिरिजा शंकर सिंह के प्राण-रक्षा के लिए वायसराय से क्षमादान की अपील की । वायसराय ने गांधी जी के अनुरोध पर इन पाँचों नवयुवकों की फाँसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया ।[77]

---

74. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ.24.
75. सुशीलमाधव पाठक, **भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास,** पृ. 209-211.
76. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 25.
77. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका,** जौनपुर, पृ. 30, 71.

मड़ियाहूँ बीज गोदाम लूटने के मुकदमें में लालजी दूबे को सेशन जज ने बरी कर दिया परन्तु उन्हें पुलिस ने भारत रक्षा कानून में रोक लिया । शिववर्ण शर्मा को फरारी की नोटिस पर हाजिर न होने के अपराध में 2 साल की कैद की सजा हुई । सेशन जज बनर्जी ने जंघई स्टेशन जलाने व लूटने के अभियोग में लक्षमन, सीताराम उपाध्याय, रामदुलार और रघुनाथ को 5 - 5 साल की कैद की सजा दी । अन्य 8 अभियुक्त अदालत से बरी कर दिए गए ।[78]

सितम्बर 1944 में भारत छोड़ो आन्दालन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले कुछ आन्दोलनकारियों को भारत प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत नज़रबन्द कर दिया गया । मछली शहर के राम सुन्दर सिंह को सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण 23 सितम्बर, 1944 से 25 नवम्बर, 1944 तक के लिए नजरबन्द कर दिया गया। बादशाहपुर के राम सरन को 24 सितम्बर, 1944 से 23 नवम्बर, 1944 तक के लिए भारत प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत नजरबन्द कर दिया गया। सुजानगंज के मनमोहन सिंह को भी सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण भारत प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत 25 सितम्बर, 1944 से 15 नवम्बर, 1944 तक के लिए नज़रबन्द कर दिया गया।[79]

जेल से रिहा होने के बाद संयुक्त प्रान्त के कांग्रेस नेताओं की एक बैठक 19-20 नवम्बर, 1944 को इलाहाबाद में हुई जिसमें रचनात्मक कार्यों को अपनाए जाने पर बल दिया गया।[80] यद्यपि अभी भी 8 अगस्त के भारत छोड़ो प्रस्ताव पर अमल करना कांग्रेस का लक्ष्य था । 3 दिसम्बर, 1944 को तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित निर्दलीय कमेटी का सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ जिसमें भारतीय शासन अधिनियम, 1935 की धारा 93 के अन्तर्गत हो रहे

---

78. स्वर्ण, जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 25.
79. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक,** वाराणसी डिवीजन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ. 143, 174, 176.
80. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ यू.पी., 1944, पृ.3.

प्रान्तीय शासन की आलोचना की गई ।[81] इस सम्मेलन में कमेटी ने पाकिस्तान योजना का विरोध इस आधार पर किया कि इससे देश की शान्ति को आघात पहुँचेगा ।[82]

दिसम्बर 1944 में जेल से रिहा हुए अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुनः भारत प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया । पुनः गिरफ्तार किए गए कुछ कार्यकर्ताओं के नाम हैं - सर्वश्री माता प्रसाद तिवारी, रुद्र दत्त गिरि आदि ।[83] नरेन्द्रपुर (बदलापुर) के बैजनाथ को 3 दिसम्बर, 1944 से 2 फरवरी 1945 तक के लिए नजरबन्द कर दिया गया। केराकत के रुद्र दत्त गिरि को भारत प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत 4 दिसम्बर , 1943 से 3 फरवरी, 1945 तक के लिए नजरबन्द कर दिया गया ।[84]

4 मार्च, 1945 को जौनपुर के प्रसिद्ध तथा फरार क्रान्तिकारी राय अम्बिका सिंह और सिकरारा के राजनरायन सिंह को बम्बई से गिरफ्तार करके जौनपुर लाया गया । जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक 4 मार्च को सिंगरामऊ में होने वाली थी परन्तु वह प्रयाग दत्त दूबे की गिरफ्तारी के कारण न हो सकी । सिकरारा मण्डल के यदुनाथ सिंह कोजिला मजिस्ट्रेट ने फरारी की नोटिस पर हाजिर न होने के अपराध के कारण ढाई वर्ष की कड़ी कैद की सजा दी । 28 मार्च को बक्शा मंडल के राजाराम मिश्र झूसी से गिरफ्तार कर जौनपुर लाए गए । 28 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड ने जिले के 5 प्राण दण्ड पाए हुए युवकों को क्षमादान देने की अपील की । जौनपुर के नागरिकों और वकीलों की ओर से भी क्षमादान के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे गए । सिंगरामऊ के फरार आन्दोलनकारी जगमोहन उपाध्याय को अप्रैल 1945 में जौनपुर की पुलिस ने

---

81. **आज**, 5 दिसम्बर, 1944, पृ. 1.
82. **दि लीडर**, 9 अप्रैल, 1945.
83. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 25.
84. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक**, वाराणसी डिवीजन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ. 138, 178.

कानपुर में गिरफ्तार किया ।[85]

मीरगंज के सीताराम को कांग्रेस आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण सन् 1945 में भारत प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत 5 वर्ष की कड़ी कैद की सजा हुई । सुजानगंज के रामदास को भी आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण सन् 1945 में भारत प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत 3 माह की कड़ी कैद की सजा हुई ।[86] 7 मई , 1945 को रऊफ जाफरी नजरबन्दी से मुक्त किए गए । जंघई रेलवे स्टेशन केस में दूधनाथ और बाबूलाल अदालत से बरी कर दिए गए। हाईकोर्ट में अपील करने पर 5 लोग हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए । अब केवल 2 व्यक्ति इस केस में जेल में रह गए थे । बधवा हत्याकांड के अभियुक्तों की दया की अपील प्रान्तीय गवर्नर ने खारिज कर दी ।[87]

25 जून, 1945 को शिमला सम्मेलन प्रारम्भ हुआ पर जिन्ना की हठधर्मिता के कारण शिमला सम्मेलन असफल हो गया । 14 जुलाई को वायसराय ने सम्मेलन की असफलता की घोषणा की ।[88] इधर जौनपुर में सभा करने पर जो रोक लगाई गई थी वह उठा ली गई । जेल से छूटे हुए कार्यकर्ताओं की एक सभा धर्मशाला की छत पर तीन वर्ष के बाद 30 जुलाई, 1945 को हुई जिसमें कांग्रेस का झण्डा फहराया गया। सभा में रामेश्वर प्रसाद सिंह ने पिछले तीन वर्ष के घटनाक्रमों का उल्लेख किया । इस सभा में सर्वश्री हरगोविन्द सिंह, भगवतीदीन तिवारी, दीपनरायन वर्मा तथा गजराज सिंह के भाषण हुए ।[89]

25 अगस्त, 1945 को इंग्लैण्ड में नव-निर्वाचित मजदूर दल के प्रधानमंत्री एटली

---

85. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 25.
86. **स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक,** वाराणसी डिवीजन, पृ. 162, 193.
87. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 25.
88. सुशीलमाधव पाठक, **भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास,** पृ. 212-213.
89. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय,** पृ. 25.

ने वायसराय लार्ड वेवेल को भारतीय समस्या पर विचारार्थ लंदन बुलाया । लंदन में विचार-विमर्श करके लार्ड वेवेल ने 18 सितम्बर, 1945 को दिल्ली पहुँचते ही यह घोषणा की कि भारत सरकार विश्वयुद्ध के कारण स्थगित कर दिए गए केन्द्रीय एवं प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव शीघ्र कराएगी । वायसराय की घोषणा के एक दिन बाद लंदन में भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भी इसी प्रकार की घोषणा की ।[90] जौनपुर में 26 अगस्त को प्रान्तीय कमेटी के आदेशानुसार नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के शोक में नगर में पूर्ण हड़ताल की गई । जौनपुर के दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बन्द रखीं ।[91] नवीनतम राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं तथा आशाजनक परिस्थितियों पर विचार-विमर्श के लिए जौनपुर में 27 सितम्बर, 1945 को जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई ।

23 सितम्बर, 1945 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वायसराय की घोषणा पर विचार-विमर्श किया और एक प्रस्ताव पास करके कांग्रेस द्वारा आगामी चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया।[92] अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णयानुसार संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने भी 6 अक्टूबर, 1945 को अपनी लखनऊ की बैठक में चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया।[93] कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा-पत्र प्रकाशित किया जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की गई ।[94]

चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने जौनपुर जिले का दौरा किया और जन सभाओं को सम्बोधित करते हुए जनता से कांग्रेस को विजयी बनाने की अपील की ।

---

90. सुशीलमाधव पाठक, **भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास**, पृ. 213.
91. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 25.
92. **आज**, 26 सितम्बर, 1945, पृ. 4.
93. **दि पायनियर**, 8 अक्टूबर , 1945, पृ. 3.
94. **दि लीडर**, 12 दिसम्बर, 1945, पृ. 1.

23 अक्टूबर , 1945 को पं. गोविन्द बल्लभ पंत प्रातः 6 बजे छोटी लाइन से जौनपुर आए । जिले में प्रवेश करते ही डोभी, केराकत, मुफ्तीगंज और यादवेन्द्रनगर स्टेशनों पर उनका स्वागत किया गया और थैली भेंट की गई । मछलीशहर और मुंगरा बादशाहपुर की सभाओं को सम्बोधित करने के बाद पंत जी जौनपुर शहर लौटे जहाँ 'राजा बाजार' स्कूल के सामने हुई सभा में उन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एवं म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से मान-पत्र भेंट किए गए । पंत जी रात्रि में जौनपुर से बनारस चले गए ।[95]

फरवरी और मार्च, 1946 में प्रान्तीय विधान सभाओं के चुनाव हुए । 1 अप्रैल, 1946 संयुक्त प्रान्त में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ ।[96] कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पद ग्रहण करते ही संयुक्त प्रान्त में राष्ट्रीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया और राजनैतिक बन्दियों को मुक्त करने के आदेश दिए । कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अप्रैल 1946 में फरार आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारी के आदेश रद्द कर दिए।[97]

विधान सभा के चुनाव में जौनपुर में कांग्रेस की सभी तीन सीटों पर जीत हुई । जौनपुर के लगभग सभी नजरबन्द मुक्त कर दिए गए।[98] जब 2 सितम्बर, 1946 को पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में केन्द्र में अन्तरिम सरकार बनी तब इस समय भी जौनपुर के कुछ बन्दी छूटे । 15 अगस्त, 1947 को स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद सभी बन्दी छोड़ दिए गए ।[99] जौनपुर जिले में भारत छोड़ो आन्दोलन के अन्तर्गत 1320 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। ग्राम कसनही (मछली शहर) के भगवानदास तथा ग्राम खराहा के महादेव सिंह को आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने

---

95. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 25.
96. **दि पायनियर**, 2 अप्रैल, 1946, पृ. 1.
97. मन्मथनाथ गुप्त, **भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास**, पृ. 391.
98. स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, **समय**, पृ. 25.
99. **कांग्रेस शताब्दी स्मारिका**, जौनपुर, पृ. 31.

के अपराध में 25 नवम्बर, 1944 को फाँसी दी गई ।[100] जौनपुर जिले से 1551188 रुपये सामूहिक जुर्माना के रूप में वसूल किए गए ।[101]

द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, तब तक ब्रिटिश सरकार ने यह समझ लिया कि अब भारत को अधिक दिनों तक अपने शासन के अधीन बनाए नहीं रखा जा सकता है । अतः ब्रिटिश सरकार भारत को सत्ता सौंपने के लिए राजी हो गई ।[102] माउन्टबेटन योजना के प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के रूप में 4 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किए गए । हाउस ऑफ कामन्स द्वारा यह विधेयक 15 जुलाई को पास कर दिया गया और तत्पश्चात् हाउस ऑफ लार्ड्स द्वारा यह विधेयक 16 जुलाई को पास कर दिया गया । 18 जुलाई, 1947 को ब्रिटेन के सम्राट् की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर यह विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बन गया।[103]

15 अगस्त, 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारत से ब्रिटिश शासन का अन्त हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्य अस्तित्वमें आए । यद्यपि विभाजन की अपार वेदना से सारा राष्ट्र दुःखी था और लाखों लोगों के विस्थापित होने तथा निर्दोष लोगों की हत्या का दुःख भी सर्वव्यापी था फिर भी भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास की इस अभिनव घटना ने भारतीयों में अपार प्रसन्नता का संचार कर दिया ।[104]

15 अगस्त , 1947 को सम्पूर्ण देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में खुशियां मनाईं गईं । 15 अगस्त, 1947 को ही श्रीमती सरोजनी नायडू ने स्वतंत्र भारत में संयुक्त प्रान्त के प्रथम राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण की । इस अवसर पर प्रान्त के नागरिकों को सम्बोधित करते हुए

---

100. कार्यवाही विधान सभा, 1948, भाग 49, पृ. 21.
101. गोविन्द सहाय, **सन् 42 का विद्रोह**,पृ. 257.
102. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर** जौनपुर, 1986, पृ. 53.
103. वी.पी. वर्मा, **फ्रीडम स्ट्रगल**, पृ. 127.
104. लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय', **स्वतंत्रता की पूर्व संध्या**, पृ. 192.

पं. गोविन्द वल्लभ पंत ने स्वतंत्रता आन्दोलन में जनता के योगदान का उल्लेख किया और सभी सम्प्रदाय के लोगों को सुरक्षा, समान अधिकार तथा न्याय देने का आश्वासन दिया।[105]

जौनपुर में भी स्वतंत्रता-दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कलक्ट्रेट तथा अन्य प्रशासनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।[106] जौनपुर के शहीदों एवं आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वालों की कल्पना साकार हुई । जौनपुर में स्वतंत्रता का उत्सव घर-घर बड़ी धूम-धाम से मनाया गया। प्रत्येक घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। पं. जवाहरलाल नेहरु ने जौनपुर के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान से प्रभावित होकर सन् 1952 के आम चुनाव में अपना निर्वाचन क्षेत्र जौनपुर के मछलीशहर को चुना । जौनपुर जिले को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरु को चुनने का गौरव प्राप्त है ।

———

---

105. **आज**, 17 अगस्त, 1947, पृ. 1.

106. **डिस्ट्रिक्ट गजेटियर** जौनपुर, 1986, पृ. 53.

अध्याय : 7

उपसंहार

उपसंहार

भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जौनपुर जनपद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक जौनपुर जनपद ने ब्रिटिश सरकार के क्रूर दमन के बावजूद अपने संघर्ष को कायम रखा । जौनपुर में स्वतंत्रता आन्दोलन की गतिविधि सम्पूर्ण भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के एक अंश के रूप में है, इसको पृथक इकाई मानना केवल शोध की दृष्टि से ही उचित है । आंचलिक शोध कार्य की दृष्टि से विशेष कर जौनपुर के सन्दर्भ में मौलिक रचनाओं एवं लिखित विषय सामग्री का अभाव पाया जाता है । भारत के अन्य राज्यों में आंचलिक अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक हुआ है, किन्तु उत्तर प्रदेश में आंचलिक अध्ययनों का अभी भी अभाव है इसीलिए शोधकर्ता को एक सीमित लिखित सामग्री पर ही निर्भर रहना पड़ा है ।

जौनपुर की राजनैतिक गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री मात्र डिस्ट्रिक्ट गजेटियर और गृह विभाग की फाइलें हैं । शोधकर्ता ने उनका अवलोकन कर यथासम्भव उनसे सहायता लेने का पर्याप्त प्रयास किया है । इस क्षेत्र में समाचार पत्रों, स्वतंत्रता आन्दोलन से सम्बन्धित दस्तावेजों और तत्सम्बन्धी अभिलेखों से भी पर्याप्त सहायता ली गई है । राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली; राज्य अभिलेखागार, लखनऊ तथा क्षेत्रीय अभिलेखागार, इलाहाबाद में संग्रहित रिकार्डों एवं फाइलों का भी अवलोकन कर उपयोगी सामग्रियों को संकलित किया गया है ।

प्रस्तुत अध्ययन अधिकांशतः विवरणात्मक है । आलोचनात्मक अध्ययन करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है उससे शोधकार्य व्यक्तिगत तथा वैचारिक पूर्वाग्रह से दूषित होने का भय रहता है । व्यक्तियों, दलों एवं सरकारी कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया गया

है । विवरणात्मक कार्य में तथ्यों को मौलिक रूप में ही एकत्र करने तथा उसे जौनपुर के राजनैतिक इतिहास से समन्वित करने में कहां तक सफलता मिली है, यह पाठकों की रुचि पर ही निर्भर करेगा ।

जौनपुर में स्वतंत्रता संघर्ष के सुदीर्घ काल में सन् 1857 और सन् 1942 के चरण राजनैतिक चेतना और सक्रियता की दृष्टि से सुदृढ़ प्रतीत होते हैं । सन् 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन ने जौनपुर में वास्तविक रूप से जनआन्दोलन का रूप ग्रहण कर लिया । जून 1857 में विदेशियों से मातृभूमि को मुक्त कराने की भावना से प्रेरित होकर डोभी के देशभक्त ग्रामीणों ने जिस दिलेरी से चापमैन के नेतृत्व वाली सुसज्जित एवं सुसंगठित सेना का मुकाबला किया, वह अपने आप में एक मिसाल है । डोभी के रघुवंशी राजपूतों को इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा तथा डोभी के 22 देशभक्तों को अंग्रेजों ने सेनापुर गांव में छल से पेड़ों की डालियों से लटका कर फाँसी दे दी । इससे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जौनपुर के लोगों में स्वतंत्रता के प्रति असीम अनुराग रहा और राजनैतिक चेतना प्रारम्भ से ही प्रखर रही ।

जौनपुर में सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के आरम्भिक दौर में ही जब जनपद के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में नजरबन्द कर दिया गया तब जौनपुर के नागरिकों, युवकों एवं छात्रों ने जिस दिलेरी से आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर अंग्रेजी सरकार को हतप्रभ कर दिया, वह अविस्मरणीय है। जौनपुर जिले में भारत छोड़ो आन्दोलन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि यहाँ आन्दोलन अपेक्षाकृत लम्बे समय तक चलता रहा । देश तथा प्रदेश के अंचलों में सरकार ने क्रूर दमन चक्र के द्वारा सितम्बर 1942 तक भारत छोड़ो आन्दोलन को दबा दिया परन्तु जौनपुर उन कुछेक अंचलों में था जहाँ पर यह आन्दोलन जनता की सक्रियता के कारण किसी नकिसी रूपमें 1944 तक चलता रहा ।

अन्तराल में जन-आन्दोलन की गतिविधि अधिक तीव्र प्रतीत नहीं होती । वह

औसत दर्जे की ही और शिथिल-सी प्रतीत होती है । इसके निम्न कारण हो सकते हैं -

1. इस काल में राजनैतिक क्रियाकलाप प्रायः देश के कुछ प्रमुख शहरों तथा प्रान्तीय राजधानियों तक ही सीमित रह गए ।

2. इस काल में जो नेतृत्व प्रभावी था वह उच्च वर्ग का और मुख्यतः नगरीय प्रकृति का रहा । इसीलिए इस काल में कतिपय अपवादों को छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में जन साधारण की भूमिका औपचारिक मात्र रही । जैसे मुख्य रूप से खिलाफत, असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन की गतिविधियाँ प्रायः जौनपुर शहर तक ही सीमित रहीं ।

3. जन-जीवन आर्थिक समस्याओं, प्राकृतिक विपदाओं तथा सरकारी उत्पीड़न से भयाक्रान्त और त्रस्त रहा । इसीलिए मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर उदासीनता और निष्क्रियता स्पष्ट प्रतीत होती है । अगस्त एवं सितम्बर, 1936 में जौनपुर बाढ़ के प्रकोप से भयंकर रूप से पीड़ित रहा । गोमती और सई नदियों ने यहाँ भारी तबाही ला दी थी ।

4. आज वर्तमानसमय में आधुनिक संचार माध्यमों के कारण जो जागरूकता लोगों में फैल गई है, उस प्रकार की जागरूकता फैलाने वाले संचार माध्यमों का उस समय अभाव था। इसलिए सूचनाओं, घटनाओं तथा दिशा-निर्देशों के विषय में अधिकतर अंचलों में भ्रम-सा बना रहता था और यह समस्या समयानुकूल राजनैतिक गतिविधियों के संचालन में सदैव बाधा बनी रहती थी ।

5. जौनपुर जनपद में कतिपय अपवादों को छोड़कर दुर्भाग्यवश प्रान्तीय और राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं हुए । राजनैतिक प्रशिक्षण का कार्य उच्च स्तरीय लोक नेताओं का ही होता है । जौनपुर में प्रान्तीय और राष्ट्रीय स्तर के कुछ ही प्रभावशाली नेताओं के नाम गिनाए जा सकते हैं ।

जौनपुर जनपद की राजनैतिक कुण्डली का एक लक्षण यह भी रहा है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यहाँ साम्प्रदायिक मतभेद और प्रार्थक्य का अभाव था । आन्दोलन चाहे शान्तिपूर्ण रहा हो अथवा हिंसक, दोनों प्रमुख सम्प्रदायों ने पारस्परिक सहयोग से अपने संघर्ष को मंजिल तक पहुंचाया । देश और प्रदेश के कई जनपदों का इतिहास मनोमालिन्य और दंगों का इतिहास रहा है , किन्तु कुछ साम्प्रदायिक नेताओं के उकसाने के बावजूद जौनपुर में किसी प्रकार के पारस्परिक विद्वेष की भावना और हिंसक प्रवृत्तियाँ नहीं उभर पाईं ।

यह साम्प्रदायिक एकता विभिन्न परीक्षाओं में भी खरीउतरी । 17 नवम्बर, 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर जनपद के दोनों सम्प्रदायों के लोगों ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए जनपद में पूर्ण सफल हड़ताल की । बाद में भी जब सन् 1925-26 में कलकत्ता, लाहौर और पड़ोसी जनपद प्रयाग में भीषण दंगे हुए तब भी जौनपुर के निवासियों ने आपसी सौहार्द को कायम रखा । 3 फरवरी, 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में भी जनपद में दोनों सम्प्रदायों ने मिलकर सफल हड़ताल की जबकि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में मुस्लिम नेतृत्व एवं समुदाय ने साइमन कमीशन के बहिष्कार से अपने को अलग रखा और कहीं-कहीं तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का विरोध भी किया । ये उदाहरण जौनपुर जनपद की सांझी संस्कृति के प्रतीक हैं और आज भी बहुत अधिक सीमा तक यह सौहार्द भावना जौनपुर के जन-मानस में सुरक्षित है ।

जौनपुर में छोटी-बड़ी कई रियासतें भी रही हैं । परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि स्वतंत्रता संग्राम में इनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका कभी भी नहीं रही । सन् 1857 से लेकर सन् 1942 तक यह वर्ग कभी भी अपने को जन-आन्दोलनों से जोड़ नहीं सका और अपने सामन्ती सोच के अनुसार यह मानता रहा कि देश की स्वतंत्रता से उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इतना ही नहीं बल्कि अनेक अवसरों पर इस वर्ग ने ब्रिटिश राज्य को सहयोग और समर्थन भी दिया ।

शिक्षण संस्थाओं ने सम्पूर्ण देश की ही भाँति जौनपुर में भी स्वतंत्रता संघर्ष में जन-जन को भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । जौनपुर में कई शिक्षण संस्थाएँ इसी उद्देश्य से स्थापित की गईं कि ये संस्थाएँ स्वतंत्रता संघर्ष को गतिशील बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकें । डोभी तथा प्रतापगंज के विद्यालय इसी सोच की उपज थे और दोनों ही विद्यालय आन्दोलन के प्रभाव केन्द्र थे , इसी कारण अंग्रेजी सरकार ने सन् 1942 में दानों ही विद्यालयों को पूरी तरह जलवा दिया । डोभी विद्यालय के संस्थापक ठा. मथुरा सिंह तथा प्रतापगंज विद्यालय के संस्थापक ठा. जगन्नाथ सिंह का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदानअविस्मरणीय रहेगा । स्वतंत्रता संघर्ष की पृष्ठभूमि में स्थापित इन महापुरुषों की संस्थाएँ आज भी विकसित अवस्था में अपने संस्थापकों और उनकी देश भक्ति का संदेश दे रही हैं ।

स्वतंत्रता संघर्ष में ऐसे लोग भी पूरी लगन तथा निष्ठा से सक्रिय रहे जिनके सामने रोजी-रोटी तक की गम्भीर समस्यायें थीं और जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य से भी निम्न स्तर की थी । ऐसे लोग जो राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आन्दोलन में जुड़े रहे, उनमें एक प्रमुख नाम आचार्य बीरबल सिंह का है जिन्होंने असहयोग स्वरूप एम.ए. की परीक्षा के पूर्व ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय छोड़ दिया था और डिप्टी कलेक्टर बना दिए जाने के प्रलोभन को भी ठुकरा दिया था । ऐसे ही आदर्शवादी पं. शिववर्ण शर्मा, रामेश्वर प्रसाद सिंह, दीप नरायनवर्मा आदि भी थे ।

क्रान्तिकारियों के योगदान को यदि देश के स्वतंत्रता संग्राम में कम करके आंका नहीं जा सकता, तो जौनपुर में भी उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। राजदेव सिंह, कुंज बिहारी सिंह 'दादा', सूर्यनाथ उपाध्याय, राय अम्बिका प्रसाद सिंह के नाम इस सन्दर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । बाबतपुर ट्रेन डकैती कांड को 'जौनपुर के काकोरी कांड' की संज्ञा से विभूषित किया जा सकता है ।

गांधी जी के रचनात्मक एवं सकारात्मक कार्यक्रमों के अनुरूप जौनपुर जनपद में भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, नशाबन्दी, अछूतोद्धार कार्य तथा चर्खे एवं खादी का प्रचार एवं प्रसार किया गया । गांधी जी के सन् 1942 के 'करो या मरो' के आह्वान के शब्दार्थ और निहितार्थ के अनुरूप साहस और समर्पण के साथ संकल्पबद्ध होकर जौनपुर जनपद के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया । जौनपुर की यह भूमिका भले ही इतिहास के पन्नों में विस्तार से स्थान प्राप्त न कर सकी हो, परन्तु इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता ।

स्वतंत्रता संघर्ष में जौनुपर जनपद की भूमिका भारत के किसी भी अचंल की भूमिका से कम नहीं है । प्रस्तुत अध्ययन के विभिन्न अध्यायों में इसे विस्तार से देखा जा सकता है । मेरा यह अनुरोध भरा सुझाव है कि सन् 1857 में डोभी के सेनापुर गांव में पेड़ की डालियों से फाँसी पर लटका कर मार डाले गए 22 अमर शहीदों की स्मृति में एक शहीद स्मारक का निर्माण किया जाना चाहिए। मैं एक और अनुरोध इतिहास के विद्वानों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा राज्य और केन्द्रीय सरकार से करना चाहूँगा कि जौनपुर का इतिहास , विशेषकर स्वतंत्रता संघर्ष में जौनपुर जनपद की भूमिका का अध्ययन पूरी इमानदारी और निष्पक्षता के साथ करायें और इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रकाशित करें । मेरे विचार से यह कार्य इतिहास के सम्यक बोध के लिए आवश्यक और उपयोगी होगा । मैंने इसी दिशा में अपनी सामर्थ्य भर प्रयास किया है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

---

1. राजकीय दस्तावेज

अ. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली.

. दि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, होम डिपार्टमेंट फाइल्स इन जनरल ब्रान्च, 1905-1920.

. दि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, होम डिपार्टमेंट फाइल्स इनपोलटिकल ब्रान्च, पोलटिकल ब्रान्च तीन श्रेणियों में विभाजित है -

क. होम, पोलिटिकल, ए, 1905-1922.

ख. होम, पोलिटिकल, बी, 1915-1922.

ग. होम, पोलटिकल, डिपासिज, 1915-1922.

. दि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, होम डिपार्टमेंट फाइल्स इन पब्लिक ब्रान्च, 1915-1922.

. दि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, होम डिपार्टमेंट, समरी ऑफ दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ड कर्जन.

. दि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, होमडिपार्टमेंट, समरी ऑफ दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ड हार्डिग्स ऑफ पेंशुअर्स्ट.

. दि पोसीडिग्स ऑफ दि लेजिस्लेटिव कौंसिल ऑफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेस ऑफ आगरा एण्ड अवध, 1915-1922.

. दि प्रोसीडिग्स ऑफ दि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल ऑफ इण्डिया, 1915-1922.

ब. उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ .

. दि गवर्नमेंट ऑफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेस ऑफ आगरा एण्ड अवध, फाइल्स इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट.

- दि गवर्नमेंट ऑफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेस ऑफ आगरा एण्ड अवध, फाइल्स इन दि डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, रेकर्ड आफिस ऑफ दि सिविल सेक्रेटेरिएट.
- दि गवर्नमेंट ऑफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेस ऑफ आगरा एण्ड अवध, फाइल्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ इण्डस्ट्रीस्.

2. **प्राइवेट पेपर्स।**

अ. नेहरु मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली.

- जवाहरलाल नेहरु पेपर्स।.
- सी.वाई. चिन्तामणि पेपर्स।.
- मोतीलाल नेहरु पेपर्स।.
- भगवानदास पेपर्स।.
- रामेश्वरी नेहरु पेपर्स।.
- श्रीप्रकाश पेपर्स।.
- तेज बहादुर सप्रू पेपर्स।.
- आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी पेपर्स।.
- मौलाना मोहम्मद अली पेपर्स। (माइक्रोफिल्म).
- मौलाना शौकत अली पेपर्स। (माइक्रोफिल्म).
- दि ब्रिटिश इण्डिया एसोसिएशन ऑफ अवध पेपर्स। 1919-1922.
- हर हरकोर्ट बटलर पेपर्स।.

ब. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली.

- बी.एस. श्रीनिवास शास्त्री करेस्पान्डेन्स 1916-1919.
- एम.आर. जयकर पेपर्स।.
- लार्ड मिण्टो पेपर्स। (माइक्रोफिल्म).
- सीताराम पेपर्स।.

. पुरुषोत्तम दास टण्डन पेपर्स।.

3. रिपोर्ट्स

. दि गवर्नमेंट ऑफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेस ऑफ आगरा एण्ड अवध, एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स, 1919-1922,राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली.

. दि गवर्नमेंट ऑफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेस ऑफ आगरा एण्ड अवध, फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स ऑफ दि इन्टेलीजेंस डिपार्टमेंट आन दि नेटिव न्यूज पेपर्स। रिपोर्ट्स 1919-1922 (माइक्रोफिल्म), राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली.

. रिपोर्ट आन दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेस ऑफ आगरा एण्ड अवध, 1918-1919, इलाहाबाद, 1920.

. रिपोर्ट आन दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेस ऑफ आगरा एण्ड अवध, 1919-1920, इलाहाबाद, 1921.

. रिपोर्ट आन दि एडमिनिस्ट्रेशनऑफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेस ऑफ आगरा एण्ड अवध, 1920-21, इलाहाबाद, 1922.

. रिपोर्ट आन दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दि यूनाइटेड प्राविन्सेस ऑफ आगरा एण्ड अवध, 1921-22, इलाहाबाद, 1923.

. रिपोर्ट ऑफ दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस, वार्षिक, 1918-1919, ए.आई.सी.सी. आफिस, नई दिल्ली.

. दि गवर्नमेंट ऑफ दि यूनाइटेउ प्राविन्सेस, रिपोर्ट आन दि अग्रेरियन अनरेस्ट इन अवध वाई वी.एन. मेहता, फाइल संख्या 50 ऑफ 1921, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ.

. फोर्ट नाइटली रिपोर्ट्स 1915-1922, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली.

. डाइरेक्टर ऑफ सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स रिपोर्ट 1919-1922 , राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली.

4. समाचारपत्र और पत्रिकाएँ

- आज, 1920,1926,1928,1930,1936-1943, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी विद्यापीठ, ग्रन्थालय, वाराणसी.
- दि लीडर, भारतीय विद्या भवन लाइब्रेरी, इलाहाबाद.
- दि अमृत बाजार पत्रिका, नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता.
- दि सर्चलाइट, सिन्हा लाइब्रेरी, पटना.
- दि इण्डिपेंडेंट, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली.
- दि अलीगढ़ गजट (माइक्रोफिल्म), नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली.
- दि कामरेड (माइक्रोफिल्म), नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली.
- भारत जीवन, आर्यभाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी.
- अभ्युदय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली.
- दि हिन्दुस्तान रिव्यू, दिल्ली विश्वविद्यालय लाइब्रेरी, दिल्ली.
- दि इण्डियन पीपुल (माइक्रोफिल्म), नेहरु मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली.
- समय, सेवा प्रेस, जौनपुर.
- स्वदेश, गोरखपुर.
- प्रताप, कानपुर.
- विकास, जौनपुर.
- दि इण्डियन सोसियालोजिस्ट (माइक्रोफिल्म), नेहरु मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली.
- दि इण्डियन जर्नल ऑफ इकोनामिक्स, रतन टाटा लाइब्रेरी, दिल्ली.

- दि केशरी (माइक्रोफिल्म), नेहरु मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली.
- दि कायस्थ समाचार, दिल्ली विश्वविद्यालय लाइब्रेरी, दिल्ली.
- दि माडर्न रिव्यू, दिल्ली विश्वविद्यालय लाइब्रेरी, दिल्ली.
- दि पायनियर, दि पायनियर आफिस, लखनऊ.
- सरस्वती, मारवाड़ी लाइब्रेरी, दिल्ली.
- दि वैदिक मैगजीन, गुरुकुल कांड़ी विश्वविद्यालय लाइब्रेरी, हरिद्वार.

5. संग्रहित दस्तावेज

- सम्पूर्ण गांधी वाङ्.मय, 1919-1922, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, अहमदाबाद, 1966.
- जवाहरलाल नेहरू वाङ्.मय, 1919-1922, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार.
- क्रान्ति का उद्‌घोष, गणेश शंकर विद्यार्थी की कलम से, प्रथम सयखण्ड एवं द्वितीय खण्ड, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक शिक्षा समिति, कानपुर, 1978.
- मार्डन इण्डियन पोलिटिकल ट्रेडीशन्स, के.पी. करुनाकरण, दिल्ली, 1962.

6. अ. सहायक हिन्दी पुस्तकों की सूची

'आज', स्वतंत्रता संग्राम : स्वर्ण जयन्ती अवसर पर प्रकाशित, बनारस, संवत् 2028.

उपाध्याय, हरिभाऊ : बापू कथा, सर्वसेवा संघ, वाराणसी.

गुप्त, मन्मथनाथ : भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, दिल्ली, 1916.

गांधी, मोहनदास करमचन्द : सत्याग्रह, इलाहाबाद, 1967.

गोपाल, राम : भारतीय मुसलमानों का राजनीतिक इतिहास, मेरठ, 1970.

चन्द्र, बिपिन : भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, दिल्ली, 1993.

: भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय और विकास, अनुवादक, डी.आर. चौधरी, दिल्ली, 1977.

चांद, एस.एम. : महात्मा गांधी और साम्प्रदायिक एकता, जोधपुर, 1970.

जैन, एम.एस. : आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1970.

दत्त, काली किंकर : आधुनिक भारत में पुनर्जागरण, राष्ट्रीयता एवं सामाजिक परिवर्तन, पटना, 1966.

दत्त, वी.एन. : जलियांवाला बाग, अनुवादक - राजेन्द्र स्वरूप वत्स, हरियाणा हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, प्रथम संस्करण, 1975.

दुर्गादास, भारत : कर्जन से नेहरु और उसके पश्चात्, बम्बई, 1971.

दूबे, राजदेव : जौनपुर का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक व्यक्तित्व, वाराणसी, 1988.

देव, आचार्य नरेन्द्र : राष्ट्रीयता और समाजवाद, वाराणसी, वसन्त पंचमी, 2006.

देसाई, ए.आर. : भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, दिल्ली, 1977.

नारायण, बलदेव : अगस्त क्रान्ति, पटना, 1947.

नेहरु, जवाहरलाल : हिन्दुस्तान की कहानी, नई दिल्ली, 1966.

नैयर,सुशील : बापू की कारावास-कहानी, नई दिल्ली, 1969.

पन्थारी, भगवती प्रसाद : भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, वाराणसी.

प्रसाद, राजेन्द्र : आत्मकथा, पटना, 1965.

पाठक, सुशीलमाधव : भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, वाराणसी, 1993.

पार्वते, टी.वी. : बाल गंगाधर तिलक, अहमदाबाद, 1972.

भास्कर, त्रिपुरारी : जौनपुर का इतिहास, 1960.

मुकुट, विहारी लाल : आचार्य नरेन्द्र देव-युग और नेतृत, वराणसी, 1969.

मिश्रा, कन्हैया लाल : उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम की एक झांकी, सूचना विभाग , लखनऊ, 1972.

राम, गोपाल : भारतीय राजनीति, बनारस, संवत् 2011.

राय, शान्तिमय : स्वाधीनता आन्दोलन में मुसलमानों की भूमिका, दिल्ली, 1970.

लाल बहादुर : मुस्लिम लीग, आगरा, 1954.

वाचस्पति, इन्द : भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, नई दिल्ली, 1960.

व्यास, दीनानाथ : अगस्त 1942 का महान् विप्लव, आगरा, 1962.

शर्मा, गिरिधारी लाल : अगस्त 1942 की क्रान्ति, लखनऊ, 1972.

शर्मा, रामविलास : भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद.

श्रीराम : 1942 की क्रान्ति, ग्वालियर, 1946.

श्रीकृष्ण सरल : क्रान्ति कथाएँ, उज्जैन, 1985.

सहाय, गोविन्द : सन् 42 का विद्रोह, इन्दौर, 1946.

सिंह, ठाकुर प्रसाद : स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, जिला आजमगढ़, सूचना विभाग , लखनऊ.

सिंह, गौरीशंकर : डोभी का इतिहास, कलकत्ता, 1982.

सिंह, शंकर दयाल : भारत छोड़ो आन्दोलन, नई दिल्ली, 1985.

सैयद, एकबाल अहमद : शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास, 1968.

सूचना विभाग : स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, संक्षिप्त परिचय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ.

सैयद, इकबाल अहमद : तारीखे सिराजे हिन्द, जौनपुर, 1963.

हृदय, श्री व्यथित : वीर सावरकर , दिल्ली,1984.

6. **सहायक अंग्रेजी पुस्तकों की सूची**

Azad, A.K. : India Win's Freedom, Calcutta, 1964.

Argov, D. : Moderates And Extremists In The Indian Nationalist Movement, 1883-1920, Bombay, 1967.

Bomford, P.C. : Histories of Khilafat and Non-Cooperation Movements, Delhi, 1925.

Bayly, C.A. : The Local Roots of Indian Politics, Allahabad, 1880-1920, Oxford , Clarendon Press, 1975.

Bhagat, K.P. : A Decade of Indo-British Relation, 1937-47, Bombay, 1959.

Bhuyan, A.C. : The Quit India Movment, Delhi, 1975.

Bose, S.C. : The Indian Struggle, 1920-1942, London, 1964.

Brown, Judith, M. : Gandhi's Rise to Power, Indian Politics, 1915-1922, Cambridge University Press, 1972.

Chand, T.P. : The Administration of Oudh, Varanasi, 1971.

Chandra, Prabodh & Satyapal : Sixty Years of Congress, Lahore, 1946.

Chatterjee, Jogesh Chandra : In Search of Freedom, Calcutt, 1967.

Chaudhari, S.B. : Civil Rebellion in the Indian Mutinies, 1857-59, Calcutta, 1957.

Chintamani, C.Y. : Indian Politics Since the Murity, Bombay, 1947.

Chopra, P.N. : Role of Indian Muslims in the Struggle for Freedom, New Delhi, 1979.

Dar, S.L. & Somaskandan, S. : History of the Benaras Hindu University, Benaras, 1966.

Dharamvir : Lala Hardayal and Revolutionery Movments of his Times, New Delhi, 1970.

Dutta, Rajni Palme : India Today, Bombay, 1947.

Dwarkadas, K. : Gandhiji Through My diary Leaves, 1915-1948, Bombay, 1950.

Fischer, L. : The Life of Mahatma Gandhi, London, 1951.

Faruqu, Zia-ul-Hasan : The Deoband School and the Demand for Pakistan, London, 1963.

Gandhi, M.K. : Quit India, Bombay, 1942.

Gandhi, M.K. : An Autobiography. The Story of My Experiments with Truth, Paperback edition, London, 1966.

Gilbert, M. : Servant of India, London, 1966.

Gupta Manmathnath : Bhagat Singh and His Times, Delhi, 1977.

Hasan, M. : Nationalism and Communal Politics in India, 1916-1928, New Delhi, 1979.

Haq, U. Mushir : Muslim Politics in Modern India, 1857-1947, Meenakshi Prakashan, Meerut.

Irwin, R.C. : Garden of India or Chapters on Oudh History and Affairs, London, 1894.

Iqbal, A. (ed.) : My Life a Fragment. An Autobiographical Sketch of Maulana Mahamed Ali, Lahore, 1963.

Jaffri, S.N.A. : The History of Landlords and Tenants in the United Provinces, Allahabad, 1935.

Jog, N.G. : In Freedom Quest - A Biography of Netaji Subash Chandra Bose, 1969.

John Gallaghr & Other (ed.) : Locality, Province and Nation, London, 1973.

Kaur, Man Mohan : Role of Women in the Freedom Movement, Delhi, 1978.

Kumar, R. (ed.) : Essays On Gandhian Politics. The Rowlatt Satyagraha of 1919, Oxford, 1971.

Low, D.A. : Congress and the Raj, New Delhi, 1977.

Majumdar, R.C. : History of Freedom Movement in India, Calcutta, 1963.

Mathur, Y.B. : Quit India Movement,Delhi,1979.

Mehrotra, K.K. (ed.) : Seventieth Anniversary Souvenir, University of Allahabad, Allahabad, 1958.

Mishra, B.R. : Land Revenue Policy in United Provinces under British Rule, Benaras, 1942.

Mujeeb, M. : The Indian Muslims, London, 1967.

Montagu, E.S. : An Indian Diary, London, 1930.

Mukherjee, H. & U. : The Origins of the National Education Movment, 1905-1910, Calcutta, 1967.

Mukherjee, H. & U. : Sri Aurobindo and the New Thought In Indian Politics, Calcutta, 1964.

Mukherjee, R. : Awadh in Revolt 1857-1858, Delhi, 1984.

Muhammad, Shan : Freedom Movement in India, The Role of Ali Brothers, New Delhi.

Munsi, K.M. : The India Deadlock, Allahabad, 1945.

Nanda, B.R. : Motilal Nahru, New Delhi, 1964.

Natarajan, J. : History of Indian Journalism, Bombay, 1962.

Narendra Dev : Samajvad Aur Rastriya Kranti, Agra, 1946.

Nanda, B.R. : Mahatma Gandhi, Boston, 1958.

Nanda, B.R. : The Nehrus : Motilal and Jawaharlal, London, 1962.

Narasimhan, V.K. : Kasturi Ranga Iyengar, Delhi, 1963.

Nehru, Jawaharlal : The Dicovery of India, Bombay, 1969.

Nehru, J. : An Autobiography, London, 1936.

O'Dwyer, M. : India As I Knew It, 1885-1925, London, 1926.

Pandey, Ganendra : The Ascendency of the Congress in Uttar Pradesh, 1926-34, New Delhi, 1978.

Philips, C.H. (ed.) : Politics and Society in India, London, 1963.

Prasad, Rajendra : India Divided, Bombay, 1946.

Reed, S. : The India I Knew, 1897-1947, London, 1952.

Robinson, F. : Separatism Among India Muslims, Chabridge University, Press, 1974.

Roy, M.N. : India in Transition, Bombay, 1971.

Seal, A. : The Emergence of Indian Nationalism. Competition and Collaboration in the Later Nineteenth Century, Cambridge, 1968.

Sen, S.N. : Eighteen Fifty Seven, Delhi, 1957.

Satyadeo : Swami Shardhanand, Delhi, 1933

Singh, Hiralal : Problems and Policies of the British in India, Bombay, 1963.

Siddiqi, Mazid : Agrarian Unrest in North India : The United Provinces (1918-22), New Delhi, 1978.

Siddiqui, N.K. : Landlords of Agra & Awadh, London, 1951.

Sitaramaya, B. Pattabhi : History of the Indian National Congress, New Delhi, 1947.

Subramaniam, S. : Why Cripps Failed, New Delhi, 1943.

Tarachand : History of the Freedom Movment in India, Delhi, 1972.

Tendulkar, D.G. : Mahatma , Vol. I, Revised Edition, Delhi, 1960.

Vardhan, H.A. : The August Struggle and Its Significance, Bombay, 1947.

Verma, G.L. : Party Politics in U.P. , 1901-1920, New Delhi, 1978.

Wasti, S.R. : Lord Minto and the Indian Nationalist Movement, 1906-1910, Oxford, 1964.

Whitcombe Elizabeth : Agrarian Conditions in Northern India, The United Provinces under British Rule, New Delhi, 1971.

Zaidi, A. Moin : The way out to Freedom, An Enquiry in to the Quit India Movement Conducted by Participant, New Delhi, 1973.

7. Autobiographies, Biographies and Memories

Azad, Maulana A.K. : Indian Wins Freedom, Bombay, 1959.

Nanda, B.R. : Mahatma Gandhi : A Biography, London, 1958.

Nehru, Jawaharlal : Towards Freedom, The Autobiography of Nehru, New York, 1939.

8. अन्य

. गजेटियर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर, 1908, हिन्दू विश्वविद्यालय ग्रन्थालय.

. गजेटियर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर, 1986, हिन्दू विश्वविद्यालय ग्रन्थालय.

. गजेटियर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी, 1965, हिन्दू विश्वविद्यालय ग्रन्थालय.

. कांग्रेस शताब्दी स्मारिका, जौनपुर, 1985, जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय, जौनपुर.